खण्ड-337, अंक-5
मंगलवार, 29 फाल्गुन, शक संवत् 1900
(20 मार्च, 1979 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 337 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1979

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उप मुख्य मन्त्री, श्री राम नरेश यादव के निवास पर मुख्य मंत्री नाम से लगे नाम-पट पर आपत्ति	516
नियम 301 की सूचना न स्वीकार किए जाने के सम्बन्ध में आपत्ति ..	516–517
विधान सभा के अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन की माँग (जारी) ..	517–518
सरकार द्वारा गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित किए जाने के सन्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	518
विधान सभा के अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन की माँग	518–519
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	519–520
वित्त मन्त्री, श्री मधुकर दिघे के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	520–528
कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव	528–529
क्षय रोगाश्रम, भुवाली की परामर्शदात्री समिति में कार्य करने के लिए विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम	529
उन्नाव जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष श्री मेहराज अहमद की उन्नाव शहर में निर्मम हत्या किए जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य	529–530
मेरठ विश्वविद्यालय के सभी परीक्षा केन्द्रों पर सामूहिक नकल होने के सम्बन्ध में वक्तव्य	530–534
उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश, श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल द्वारा सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को वर्ष 1979 के लिए भेजे गए सन्देश में प्रयुक्त शब्दों के सम्बन्ध में होने वाले वक्तव्य पर आपत्ति	534–536
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1979 (पुरः-स्थापित किया गया)	536
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना	537–538
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) ..	538–561
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	561–562
स्वदेशी काटन मिल्स, मऊनाथ भंजन, जिला आजमगढ़ के श्रमिक संघ के मन्त्री श्री बाँके सिंह द्वारा आमरण अनशन के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	562–566
जनपद मिर्जापुर में दुद्धी तथा राबर्ट्सगंज में वर्ग 4 की जमीन के काश्तकारों को सीरदार बनाने की योजना के सम्बन्ध में दिनाँक 9 मार्च, 1979 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 1 के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा	566–571
अध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु तिथि निर्धारण के सन्बन्ध में नियमावली के नियम 8 के उपनियम (1) के परन्तुक के खण्ड (ख) के उपबन्धों को निलम्बित करने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	571–572
नत्थियाँ	573–599

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 20 मार्च, 1979

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री जगन्नाथ प्रसाद की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—367

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अनवार अहमद समदनी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अरुण कुमार, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशफाक अहमद खांन, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुवदी 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदयनाथ, श्री
उदय नारायण सिंह, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नरायन, श्री
उमा कान्त बाजपेई, श्री (उर्फ भइया जी)
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
काली चरण, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)

गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गेंदा लाल गुप्त, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चन्द्रसेन सिंह, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छेदी, श्री (उर्फ छेदी लाल)
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जयशंकर पाण्डेय, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
झाम लाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेजभान सिंह, श्री
तेज भान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीप नरायन, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्ग विजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हें लाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोत्तम दास, श्री
पुष्पा तलवार, श्रीमती
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह 'पुष्पवान', श्री
प्रदीप कुमार बजाज, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभू दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बगाली सिंह, डाक्टर
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास, श्री
बनारसी दास चान्दना, श्री

बरफिया लाल जुवाँठा "अरविन्द", श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बशीर अहमद, श्री
बसन्त, श्री
बाँके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल "सरोज", श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिहारी लाल हन्स, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बेनीप्रसाद बर्मा, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज बल्लभ, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवानदीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भीषम, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र सिंह यादव श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूल चन्द्र, ठाकुर
मैनेजर सिंह, श्री
मोअज्जिज अली बेग, डाक्टर
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नारायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री

राज ब्रजराज सिंह, श्री
राजमंगल तिवारी, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजमंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोबिन, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी, श्री
राम दत्त जोशी, श्री
राम दयाल, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
राम नरेश यादव, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्श, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सरन सिंह, कुंवर
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
राव मुश्ताक अहमद खां, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चतुर्वेदी, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शमशाद अहमद, हाजी
शम्भूनाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिवदास, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवलाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबनसिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्यामधर मिश्र, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ मुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्य वीर कुंवर
सन्त बख्श रावत, श्री
सियाराम सागर, श्री
सुखद राज सिंह, श्री

सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
सोहन लाल, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, कुमारी
हर गोविन्द सिंह, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरि चरण यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरीराम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेमराज, श्री

नोट—श्रम मन्त्री, श्री क्रान्ति कुमार तथा हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री, श्रीमती चन्द्रावती भी सदन में उपस्थित थीं।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 20 मार्च, 1979

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

खीरी जिले के मोहम्मदी वन क्षेत्र में शेरनी का उत्पात

**1—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगी कि खीरी जिला में मोहम्मदी बन क्षेत्र में आज कल एक शेरनी ने अति उत्पात मचा रखा है तथा 13 फरवरी, 1979 को 2 व्यक्तियों को मार डाला जिससे कि सम्पूर्ण क्षेत्र में मानव जीवन के लिए खतरा पैदा हो गया है ? यदि हाँ, तो इसकी रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वन मंत्री (श्री काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन)—

जी हाँ।

खीरी जिला में दक्षिण खीरी वन प्रभाग के अन्तर्गत मोहम्मदी वन क्षेत्र में शेरनी द्वारा उत्पात मचाने की सूचना प्राप्त हुई है तथा दिनांक 13-2-79 को मोहम्मदी वन क्षेत्र के कटना ब्लाक कम्पार्टमेण्ट तीन में केवल एक व्यक्ति के शेरनी द्वारा मारे जाने की सूचना मिली है। इस शेरनी को पिंजड़ा लगाकर पकड़ने तथा आवश्यकता पड़ने पर नष्ट करने की कार्यवाही युद्ध स्तर पर जारी है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मंत्री महोदय ने उत्तर में बताया है कि 13-2-79 को एक व्यक्ति मारा गया। दुधुवा नेशनल पार्क के निदेशक की प्रेस विज्ञप्ति, जो 29 फरवरी को सीतापुर में प्रकाशित हुई के अनुसार दो व्यक्तियों को मारने की सूचना है, तो कौन सी खबर सही है ? दूसरे जो लोग मरे हैं क्या उनके आश्रितों को कोई आर्थिक सहायता दी गयी है ? यदि हाँ तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उसे देने की कृपा करेगी ?

श्री काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन—

माननीय सदस्य ने जो न्यूज पेपर की बात कही है, आज एक खबर छपी है, उसमें 20, 25 आदमियों के मारे जाने की खबर है ? तो यह अखबार की बात हैं लेकिन जिस तारीख की बात आपने पूछी है उसके अन्दर एक ही आदमी मरा है। जहाँ तक उसको मुआविजा देने की बात है नियमानुसार बालिग को 5 हजार तथा नाबालिग को ढाई हजार रुपया मुआविजा बन विभाग देता है और उनको मुआविजा दिया जाता है जिनके आश्रितो

का पता चल जाता है। इस तारीख को जो आदमी मरा वह 40 साल का था लेकिन उसकी शादी नहीं हुई थी। अभी तक डी0 एम0 ने यह तय नहीं किया कि उसका वारिस कौन है। उसके एक बड़े भाई ने कहा है कि वह उसका वारिस है। अगर डी0 एम0 तय कर देगा कि वह वारिस है, तो उसको मुआविजा दे दिया जायगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मेरी सूचना को सही मान कर खीरी जिले में पिछले एक वर्ष में 2 मार्च, 78 से 5 शेर तथा शेरनियों ने मिल कर 75 आदमियों की जान ले ली है जिससे जिले में इस उत्पात से जनता में बड़ा आतंक व्याप्त है ? तो क्या सरकार इस आतंक को समाप्त करने हेतु कोई विशेष व्यवस्था करेगी ? इसके अलावा जो लोग पहले मारे गये हैं क्या उनके आश्रितों को कोई मुआविजा अब तक दिया गया है ? यदि हाँ, तो उसकी तफसील क्या है ?

श्री काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन—

यह जो आपने कहा 75 तो मेरे विभाग की सूचना के अनुसार 30 आदमी एक साल में मारे गये हैं। तीन शेरों को अब तक हमने मार दिया है और युद्ध स्तर पर हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तबाही को रोका जा सके। एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट है उसकी सहायता लेने के लिये भारत सरकार को हमने लिखा है। यह नेपाल में काम कर रही है। भारत सरकार की चिट्ठी आई है कि 28 तारीख को इस सम्बन्ध में मीटिंग है। जो अमेरिकन है ट्रैंकुलाइज करने का उसके अनुसार या तो हमारे तजुर्बेकार लोग जिनको हमने वहाँ छोड़ रखा है इन शेर शेरनियों को पकड़ लेंगे या मार देंगे (व्यवधान) जहाँ तक सहायता देने का प्रश्न है अब तक 13 आदमियों को आर्थिक सहायता दी जा चुकी है और बकिया वारिस भी जब तय हो जायंगे तो उनकी भी आर्थिक सहायता दे दी जायगी।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

माननीय मंत्री जी ने पिंजरा लगा कर शेरों को पकड़ने की बात कही और साथ ही अनुपूरक उत्तर में यह भी कहा कि युद्ध स्तर पर कार्यवाही की जा रही है। तो क्या यह बात सही नहीं है कि 4, 5 माह तक इस प्रदेश के मंत्रियों तथा मुख्य मंत्री से वहाँ की जनता ने यह माँग की है कि उसको आज्ञा दी जाय और वह खुद इस शेर व शेरनी को बन्दूक से मार देगी, लेकिन सरकार मारने नहीं देती ?

श्री काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन—

मैं समझता हूं यह उचित होगा कि हर काम नियमानुसार किया जाय। माननीय विधायक गण मेरा विश्वास है वह जानते होंगे वाइल्ड लाइफ ऐक्ट बना हुआ है और उसके अनुसार वहाँ की जनता को शेरों को मारने की इजाजत नहीं दी जा सकती, विभाग इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर सकता है और कार्यवाही उसने की भी है जिसके अनुसार अब तक तीन शेर मार दिये जा चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि शेष पर भी जल्दी काबू पा लिया जायगा।

श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

यह जो पहला शेर मारा गया, फिर दूसरा व तीसरा शेर मारा गया, लेकिन उसके बाद भी आदमी मारे जाते रहे, तो माननीय मंत्री ने कैसे इत्मीनान कर लिया कि जो शेर मारे गये वे मैन ईटर ही थे ?

श्री काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन—

इसके लिये हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं। उनको हम जंगल में भेजते है और वह इसकी छानबीन करते है और जब वह विश्वास कर लेते है कि यह मैनईटर है तभी उसको वह मारते हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

माननीय मंत्री जी ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऐक्ट के बारे में जिक्र किया और यह भी सही है उस ऐक्ट के मुताबिक शेर को मारना अपराध है, केवल जो मैन ईटर है उसे ही

मारा जा सकता है ? तो क्या माननीय मंत्री ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उस खास शेर के गले में घंटी बंधवा दें ताकि उसे पहचाना जा सके कि वह मैन ईटर है ?

श्री काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन---

मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

मान्यवर, नहीं तो वह कैसे आइडेन्टीफाई होगा कि वही मैन ईटर है ।

श्री उपाध्यक्ष---

उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ एक्सपर्ट लोग हैं जो वहाँ जाते हैं और पता लगाते है कि कौन मैन ईटर है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

इस विशेष शेर के बारे में क्या शिनाख्त है ताकि यह विश्वास हो सके कि वह वही शेर है ?

श्री काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन---

जैसा मैने अर्ज किया हमारे पास वाइल्ड लाइफ से सम्बन्धित एक्सपर्ट्स है । वे वहाँ जाते हैं, स्टडी करते हैं और फिर निशानदेही करते हैं । इसके पहले भी एक शेर पकड़कर यहाँ आया था जो कि मैन ईटर था ।

आरक्षण विरोधी अभियान के विरुद्ध जारी किये गये निर्देश

**2---श्री नरेश चन्द्र (जिला खीरी) श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई) श्री राम बक्स (जिला फर्रुखाबाद)---

क्या सरकार को यह जानकारी है कि आरक्षण विरोधी अभियान चलाने वाले तत्व, हिंसक घटनायें करके प्रदेश की शान्ति एवं व्यवस्था को निरंतर गिरा रहे हैं ? यदि हाँ, तो ऐसे असामाजिक एवं राष्ट्र द्रोही तत्वों से निपटने के लिये सरकार ने अब तक क्या कदम उठाया है ?

चिकित्सा मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)---

यह सही नहीं है कि आरक्षण विरोधी अभियान चलाने वाले तत्व, हिंसक घटनायें करके प्रदेश की शान्ति एवं व्यवस्था को निरन्तर गिरा रहे हैं। फिर भी उनकी गतिविधियों को देखते हुये मामले में शासन द्वारा गम्भीरता पूर्वक विचार करने के उपरान्त समस्त जिला अधिकारियों एवं पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश को निर्देश दे दिये गये हैं कि आरक्षण के विरोध में की जाने वाली आगजनी, तोड़फोड़ तथा हिंसात्मक घटनाओं को रोकने के लिये कड़े कदम उठायें जायं।

श्री नरेश चन्द्र---

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि आरक्षण विरोधी अभियान कब से चला है और उस आरक्षण विरोधी अभियान को लेकर प्रदेश में कहाँ-कहाँ और कितनी घटनायें ट्रेनों, बसों व अन्य सार्वजनिक सम्पत्ति को नष्ट करने के लिये हुई हैं ? अब तक कितनी सम्पत्ति का नुकसान हुआ है और कितनी जानें गई हैं ?

श्री उपाध्यक्ष---

आपका प्रश्न काफी व्यापक है। आपने एक आम सवाल किया है और जिले या प्रदेश की किन्हीं खास घटनाओं के बारे में नहीं कहा है, तो इससे यह प्रश्न नहीं उठता। आप कृपया दूसरा सवाल करें ।

श्री नरेश चन्द्र---

मान्यवर, प्रश्न व्यापक है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि डालीगंज स्टेशन पर एक घटना हुई थी, जिसमें एक ट्रेन के कम्पार्टमेन्ट को जला दिया गया था और इसी तरह से चारबाग

स्टेशन पर भी एक घटना हुई थी जो कि समाचार पत्रों में आयी थी। गोरखपुर, बस्ती, सिवौली तथा बाराबंकी आदि स्थानों पर भी ऐसी घटनायें हुई थीं जो कि प्रदेश के हर अखबार में आई थीं ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसके लिये आपको अलग से प्रश्न करना चाहिए ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो आरक्षण विरोधी घटनायें प्रदेश के अन्दर हो रही हैं, उनके सम्बन्ध में क्या सरकार कोई नीति बना रही है जिससे कि इस तरह की घटनायें हों ही नहीं और उनके बीच में एक सामन्जस्य स्थापित हो जाय ? यदि ऐसी नीति सरकार बना रही है, तो वह क्या है ?

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)—

यह पिछड़ी जातियों का आरक्षण भारतीय संविधान के अनुसार है और यह सही है कि भारतीय संविधान में पिछड़ी जातियों का कोई परिशिष्ट नहीं है और यह राज्य सरकारों का दायित्व है कि वह पिछड़ी जातियों के लिये आरक्षण सर्वेक्षण करने के बाद करें। जहाँ तक आरक्षण विरोधी आन्दोलन का सवाल है प्रत्येक नागरिक को वैध उपायों से अपने पक्ष को रखने का अधिकार है। लेकिन समाज की सम्पत्ति को हानि पहुंचाना, स्टेशन पर हमला करना, बसेज को जलाना और राज्य की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना यह गैर-कानूनी कार्य है और समाज विरोधी भी है। इसलिए जहाँ तक आरक्षण का सवाल है क्योंकि वह न्यायोचित है और वह संविधान के अनुसार है। इसलिए जो आरक्षण के विरोधी हैं उनको अधिकार है कि वह लोकमत को अपने माफिक करने के लिए वैध और शाँतिमय ढंग से लोगों को प्रशिक्षित करें।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आरक्षण के विरोध में तोड़ फोड़, सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना राष्ट्र द्रोह के अन्दर आता है या नहीं ? आरक्षण के संबंध में जो आन्दोलन हुआ है उसमें तोड़ फोड़ हुई है ? आग लगाई गई है और सरकारी सम्पत्ति को नुकसान हुआ है या नही ?

श्री बनारसी दास—

यह तो मैने कहा कि राष्ट्र के विरुद्ध है। जो भी व्यक्ति हिंसा का सहारा लेता है वह लोक तंत्र का शत्रु है। संसार की कोई भी सरकार इस तरह की हिंसक कार्यवाहियों को सहन नहीं कर सकती है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

यह जो उत्तर प्रश्न के सिलसिले में दिया गया है इसमें एक दूसरे के विरुद्ध बातें कही गई हैं। यह सही नहीं है कि आरक्षण विरोधी आन्दोलन चलाने वाले तत्व हिंसा की घट-नायें करके प्रदेश की शाँति एवं व्यवस्था को निरंतर गिरा रहे हैं। इसको आप कहते है सही नही है और उधर आप निर्देश दे रहे हैं कि आरक्षण के विरोध में की जाने वाली आगजनी, तोड़ फोड़ तथा हिंसात्मक घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाये जायं। तो यह एक दूसरे के बिलकुल विरोधाभास है। मान्यवर, मैं इस सिलसिले में पूछना चाहता हूं कि आरक्षण विरोधी अभियान के पीछे किन तत्वों का हाथ है और कितनी हिंसक घटनायें हुईं । क्या ऐसी भी घटनाएं हुई जिनका सम्बन्ध आरक्षण विरोधी आन्दोलन से नहीं था जैसे पहले इंटर कालेज रामसनेही घाट बाराबंकी ?

श्री उपाध्यक्ष—

घटनाओं के बारे में आपको अलग अलग सूचना भेजनी होगी ।

श्री राम आसरे वर्मा—

एक तरफ मंत्री जी यह कहते हैं और दूसरी तरफ यह कहते हैं कि प्रदेश की शाँति को नहीं गिरा रहे हैं। पूरे प्रदेश में एक उथल पुथल मची हुई है। आप कहते हैं कि गिरा नहीं रहे हैं और नीचे कहते हैं आगजनी, तोड़ फोड़ तथा हिंसात्मक घटनायें हो रही हैं। यह किस तरह से विरोधाभास है। इस संबंध में काफी बातें हैं। तो इस अभियान के पीछे किन तत्वों का हाथ है और क्या-क्या कड़े निर्देश दिये गये हैं . . .

श्री उपाध्यक्ष—

आप इसको बढ़ा रहे हैं।

श्री बनारसी दास—

जहाँ तक उत्तर का सवाल है यह तो अपना-अपना दृष्टिकोण है उसका अर्थ लगाना। आज बहुत से लोग कानून तोड़ते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि शाँति व्यवस्था को गिरा रहे हैं। इस तरह के जो तत्व हैं जो समाज में कानून का उल्लंघन करते हैं उसमें यह कहना कि वह व्यवस्था गिरा रहे हैं, गलत होगा। लेकिन जैसा उत्तर में कहा गया है इस तरह की घटनायें जानकारी में आई हैं कि जिसमें सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है, तोड़-फोड़ की गई है इसलिये अधिकारियों को आदेश दिये गये हैं कि दृढ़ता के साथ उनका सामना करें। इसके पीछे कौन तत्व हैं तो इसके पीछे वही तत्व हो सकते हैं जो गुमराह हैं और जो ठीक ढंग से आरक्षण की नीति को समझते नहीं, जिन्होंने संविधान को समझा नहीं है।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

मान्यवर, जरा इधर भी दृष्टि डालिए।

श्री राम बक्स (जिला फर्रुखाबाद)—

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि शासन ने अराजक तत्वों से निपटने और प्रदेश में शान्ति और व्यवस्था को स्थिति बनाये रखने के अभियान के संबंध में कब विचार किया है और कौन-कौन से आदेश निर्गत किये गये है पुलिस महानिरीक्षक और जिलाधिकारियों के लिए ?

श्री बनारसी दास—

यह आदेश तो रोज दिये जाते हैं जैसे-जैसे स्थिति पैदा होती है। यह तो वैसे स्थायी आदेश हैं कि जहाँ अराजकता हो, जहाँ कानून तोड़ा गया हो।

(अगला प्रश्न लेने पर)

श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

श्रीमन्, मेरे ऐसे लोगों को भी अवसर दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष—

अब नहीं, अब मैंने अगला प्रश्न ले लिया है, आप बैठिए।

(व्यवधान)

श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

आप एक मिनट की इजाजत दे दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं इजाजत नहीं देता हूं।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

[* * *]

नोट—[* * *] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष--

यह आपका लिखा नहीं जायगा। यह सब आप राज्यपाल के अभिभाषण पर बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

मिर्जापुर जिले के वन प्रभाग बभनी के ग्राम पोखरा में मारपीट की घटना

**3--श्री ईश्वर प्रसाद (जिला मिर्जापुर) तथा श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)--

क्या वन मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद मिर्जापुर, वन प्रभाग दुद्धी बभनी रेंज के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा दिनाँक 17 अगस्त, 1978, 18 अगस्त, 1978 को ग्राम पोखरा के वनवासियों, आदिवासियों तथा हरिजनों को बुरी तरह मारा पीटा गया तथा उसके साथ अमानवीय तथा पशुवत व्यवहार किया गया ? इसके सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता ने तथा ग्राम के लोग कई शिकायती प्रार्थना-पत्र भेजे, इसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन--

दिनाँक 17-8-78 को जब रेंज अधिकारी, बभनी, ग्राम पोखरा में वन भूमि पर हुए अतिक्रमण के विषय में मौके पर वस्तुस्थिति की जानकारी इकट्ठा कर रहे थे तब ग्रामवासियों और वन विभाग के कर्मचारियों के बीच मारपीट की घटना घटी। इसके बारे में शिकायती पत्र प्राप्त हुआ। इस पर जाँच करायी गयी। जाँच से ज्ञात हुआ कि उक्त घटना की रिपोर्ट सम्बन्धित रेंज अधिकारी तथा ग्रामवासियों द्वारा अलग-अलग पुलिस थाना, दुद्धी में दर्ज करायी गई है और मामले में पुलिस द्वारा कार्यवाही की जा रही है। अतएव अलग से कोई विभागीय कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं समझी गई।

श्री ईश्वर प्रसाद--

मंत्री जी का जो उत्तर मिला है, उसमें वास्तविकता को एक दम छिपाया गया है। असलियत यह है कि 17 तारीख को योजना बद्ध तरीके से जंगल विभाग के 15-16 अधिकारी बंदूक, गड़ांसे लेकर मौके पर गए मैं जानता हूं वस्तु स्थिति। डी0 एम0, एस0 पी0 गये। गाँव वालों की बुरी तरह पिटाई की, मूंछ उखाड़ी, मुंह में पेशाब किये। क्या इस बात की माननीय मंत्री को जानकारी है ? इसके सम्बन्ध में जंगल विभाग का अधिकारी, कर्मचारी होते हुए उनके ऊपर विभागीय कार्यवाही क्यों नहीं की गयी, क्या माननीय मंत्री बतायेंगे ?

श्री काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन--

मान्यवर, मैं उसको सही या गलत करने की स्थिति में इसलिए यहाँ नहीं हूं कि पुलिस जाँच कर रही है। जब पुलिस जाँच कर लेगी, अगर उन लोगों को दोषी पायेगी, तो यकीनन उनका चालान वगैरह किया जायगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बड़ा अच्छा बहाना ले लिया है, चूंकि पुलिस में रिपोर्ट हो चुकी है लिहाजा मंत्री जी अपने कर्त्तव्य से विमुक्त हो गये। क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि जंगलात विभाग में कोई ऐसा आदेश है जिसके अनुसार एक विशेष तिथि तक जिन लोगों का कब्जा था उसको रेगुलाराइज किया जायगा ? यदि हाँ, तो क्या उन अधिकारियों ने यह मालूम करने की कोशिश की कि यह वनवासी कब से उस जगह पर काबिज थे ?

श्री काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन--

मान्यवर, यह एक विशेष घटना के सम्बन्ध में प्रश्न किया गया है। इस समय मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं। यदि माननीय सदस्य चाहें तो कृपया प्रश्न कर लें मैं उसकी सूचना मंगाने पर उत्तर दूंगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

मेरा प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या जंगलात विभाग द्वारा कोई ऐसा शासनादेश जारी किया गया है, जिसके अनुसार यह कहा गया है कि किसी विशेष तिथि तक जिन लोगों का कब्जा होगा, हरिजनों और पिछड़े वर्ग के लोगों का, उनका कब्जा रेगुलराईज कर दिया जायगा ? यदि कोई ऐसा आदेश है तो इन कर्मचारियों ने वहाँ झगड़ा करने से पहले इस बात को मालूम करने की कोशिश की या नहीं कि उनका कब्जा कब से उस स्थान पर है ?

श्री काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन---

मान्यवर, मैं आपके द्वारा फिर वही गुजारिश करूंगा कि प्रश्न में केवल एक घटना के संबंध में मालूम किया गया था, उसकी जानकारी है।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय मंत्री जी समझ लें, इनका प्रश्न यह है कि वन विभाग की तरफ से कोई ऐसा सर्कुलर, आदेश है कि जो लोग भूमि पर पहले से काबिज चले आ रहे हैं उनके कब्जों को नियमित कर दिया जाए। यह इससे उठता है, यह मैंने इजाजत दी। कृपया इस संबंध में आप उत्तर दें।

श्री काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन---

मैं स्पष्टीकरण चाहूंगा कि कोई लगरल आदेश के बारे में पूछ रहे हैं या इस पर्टीक्यूलर . . .

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

मेरा प्रश्न स्पष्ट है।

श्री उपाध्यक्ष---

उनका प्रश्न स्पष्ट है। वह कोई सर्कुलर के बारे में पूछ रहे है, जिसमें कब्जों को नियमित करन की बात है, रेग्युलराईज करने की बात है, यह पटटे वन विभाग की तरफ से कर दिए जाएं। इस तरह के आदेश की जानकारी आपको है ?

श्री काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन---

मान्यवर, सूचना की आवश्यकता है।

श्री सूबेदार प्रसाद---

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि दुद्धी में रेकार्ड आपरेशन चल रहा है, वहाँ पर आदिवासियों, हरिजनों का बीसों सालों से मौकसी कब्जा है, तो किस आधार पर उन पर हमला किया गया ? और जो ज्यादती हुई, उसका शिकायती पत्र गया है, उसकी जाँच किससे करवाई गई और जाँच की रिपोर्ट क्या है ?

श्री काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन---

मान्यवर, मैंने अर्ज किया कि उसकी पुलिस जाँच कर रही है। शिकायती पत्र मिले हैं।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---

माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा आपके जरिए मंत्री जी से निवेदन है. . . .

श्री उपाध्यक्ष---

आप उनकी बात को सुन लें पहले।

श्री मैनेजर सिंह---

माननीय मंत्री जी पुलिस की बात बार-बार कर रहे हैं। इतनी शर्मनाक घटना हुई तो क्या इस सदन की कोई समिति नहीं बनायेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि बिहार विधान सभा ने ऐसी अमानवीय घटनाओं की जाँच के लिए एक नहीं 6-7 सदन की समितियाँ बनायी हैं। इस समिति ने ऐसी घटनाओं की जाँच करके अपनी रिपोर्ट दी है। तो क्या सरकार इसके लिए सदन की एक समिति बनायेगी।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं इस प्रश्न को स्थगित करता हूं। माननीय मंत्री जी इस मामले में पूरी जानकारी कर लें। मैंने इसको दूसरे दिन के लिए स्थगित कर दिया है।

श्री राम आसरे वर्मा---

आप जबाव दिलवा देते तब स्थगित करवाते। आप इस पर आधे घन्टे की चर्चा करवा दे यह बड़ी ही शर्मनाक घटना है। उनके मुंह पर पेशाब किया गया। माँ-बहनों के साथ जंगल विभाग के अधिकारियों ने बेइज्जती की।

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने इसको आज स्थगित कर दिया है।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट (जिला इटावा)---

शेड्यूल कास्ट कमिश्नर को जाँच के लिए क्यों नहीं भेजा गया? आप इस पर एक घन्टे की चर्चा करवायें।

श्री उपाध्यक्ष---

अगले मंगलवार को उत्तर आवेगा।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट---

तथ्यों को छिपाया क्यों गया है?

श्री उपाध्यक्ष---

आधे घन्टे के लिए मैंने कह दिया है।

श्री उदय नारायण सिंह (जिला वाराणसी)---

मान्यवर, इतना अहम मसला है कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों के साथ अत्याचार किया गया मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सदन की एक समिति बना दें जो इसकी जाँच करे। माननीय मुख्य मंत्री जो यहां पर उपस्थित हैं। वह यहाँ पर बैठे हैं। आप उनसे कहें कि वह इसका उत्तर दें। इस प्रश्न को स्थगित करने का प्रश्न नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---

आज के लिए मैंने उनको स्थगित किया है? मंगलवार आने दीजिए तब चर्चा के बारे में भी देख लूंगा। जबाव तो आने दीजिए।

श्री बनारसी दास---

यह घटना 18 अगस्त, 1978 की है। इसके सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करके सदन को दे दी जायेगी। सदन का कार्य क्रम भी आपके सामने आवेगा। इसी सत्र में उठने से पहले आपको इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी दे दी जायेगी।

श्री राम आसरे वर्मा---

क्या आप सदन की भावनाओं को देखते हुए सदन की एक समिति बनायेंगे?

श्री उपाध्यक्ष---

मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा उत्पादित बीज के मूल्य में अन्तर

**4---श्री रघुबर दयाल वर्मा (जिला आगरा)---

क्या कृषि मन्त्री को जानकारी है कि प्रदेश में सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में उत्पादित गेहूं, चना, सरसों के बीज का प्रमाणीकरण सरकार द्वारा किया जाता है? यदि हां, तो प्रदेश की गैर सरकारी संस्थाओं से उत्पादित गेहूं, चना, सरसों के बीज के विक्रय मूल्य में 50 रुपया से 80 रुपया प्रति कुन्टल का अन्तर क्यों है? क्या गैर सरकारी संस्थाओं से उत्पादित बीज सरकारी संस्थानों द्वारा उत्पादित बीज से उच्च किस्म का है? यदि नहीं, तो विक्रय मूल्य के बढ़े अन्तर के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (श्री शिव मंगल सिंह)---

जी हाँ। सरकारी प्रक्षेत्रों पर उत्पादित बीज बिना लाभ हानि के आधार पर विक्रय किया जाता है और उसमें प्रबन्ध व्यय नहीं जोड़ा जाता है जबकि गैर सरकारी सदस्यों द्वारा उत्पादित बीज पर भागीदारों का लाभ तथा गैर सरकारी संस्थाओं के संचालन से संबंधित प्रबन्ध व्यय विक्रय मूल्य में सम्मिलित रहता है। इसी कारण सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा उत्पादित बीज के विक्रय मूल्य में अन्तर है। गैर सरकारी तथा सरकारी संस्थाओं द्वारा उत्पादित बीज का प्रमाणीकरण निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाता है और उनके गुण समान स्तर के होते हैं।

श्री रघुबर दयाल वर्मा---

क्या माननीय मंत्री जी यह जानकारी देने की कृपा करेंगे कि सरकारी संस्थाओं में उत्पादित बीज सरसों, लाही, चना, जौ, मटर का उत्पादन व्यय क्या है और उसमें प्रति एकड़ कितनी पैदावार होती है और प्रति क्विन्टल पर क्या व्यय भार पड़ता है। इसी प्रकार से जो गैर सरकारी संस्थाएं है उनमें उत्पादन व्यय प्रति एकड़ और प्रति क्विन्टल क्या पड़ता है और दोनों प्रकार की संस्थाओं में प्रबन्धक व्यय में कितना खर्च होता है? इन दोनों को एक जगह जोड़ना और एक जगह न जोड़ने का क्या कारण है और उत्पादन मूल्य से विक्रय मूल्य के लाभांश की क्या नीति है? जो सरकारी प्रमाणीकरण करता है वह कितना लाभांश देता है ?

श्री शिव मंगल सिंह---

मान्यवर, यह बड़ा ही व्यापक प्रश्न है लेकन फिर भी जितनी सूचना उपलब्ध है, मैं बताये देता हूं। गेहूं राज्य सरकार का जो था वह 185 रुपये प्रति क्विन्टल, बीज विकास निगम और तराई राष्ट्रीय बीज निगम का रेट 255 रुपये प्रति क्विन्टल है। चने का राज्य सरकार का 245 रुपये और राष्ट्रीय बीज निगम का 400 रुपये प्रति क्विन्टल। सरसों का राज्य सरकार का 418 रुपये, राष्ट्रीय बीज निगम का 750 रुपये और तराई विकास निगम का 600 रुपये प्रति क्विन्टल है।

इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि जहाँ तक सरकारी बीज का सम्बन्ध है उसका सम्बन्ध कृषि विभाग से है। वे उनके मूल्य में प्रबन्ध व्यय नहीं जोड़ते हैं। लेकिन जो गैर सरकारी संस्थायें है जैसे तराई विकास निगम या राष्ट्रीय बीज निगम ये लोग इस खच को भी इसमें शामिल करते हैं। उनका आधार क्या है वे स्वयं उसको निश्चित करते हैं, सरकार की उसके बारे में कोई राय नहीं लेते हैं। तो उसमें कुछ विक्रेता और अपना प्रबन्ध व्यय और भागीदारों का लाभ भी रखते हैं। इस प्रकार से वे स्वयं ही मूल्य का निर्धारण करते हैं।

श्री श्यामधर मिश्र---

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि जो बीज के सम्बन्ध में कानून है उसके अन्तर्गत जो सरकारी और गैर सरकारी संस्थान है, जो बीज का उत्पादन करते हैं उनके अलावा और भी कुछ व्यक्ति हैं जिनके जरिए भी बीज दिया जाता ह और क्या यह बात सही नहीं ह कि कुछ जिलों में जैसे वाराणसी में ही वे लोग बोरे खरीद लेते हैं और उनमें गेहूं और चना डाल दिया जाता है ? यदि यह सही है तो सरकार कैसे उस को बीज मानती है। जो गेहूं बाजार में 125 या 130 रुपया प्रति क्विन्टल बिकता है वह 250 रुपये प्रति क्विन्टल के हिसाब से बिक रहा है। ये शिकायतें 5--6 मास से सरकार के पास आयी हैं ? यदि हाँ, तो उन पर क्यों नहीं कार्यवाही हो रही है ?

श्री शिव मंगल सिंह---

मान्यवर, सभी प्रकार के बीजों के प्रमाणीकरण की संस्था तो एक ही है और वही सभी बीजों का प्रमाणीकरण करती है, इसलिये भिन्न प्रकार का बीज होने का प्रश्न नहीं उठता है। अब यदि माननीय सदस्य को कोई शिकायत मिली है तो वह मेरी जानकारी में नहीं है, वे मुझे देंगे तो मैं उसकी जाँच करा लूंगा।

श्री खाकबर मिश्र---

मेरा प्रश्न तो यह था कि क्या ऐसी शिकायत मिली है कि पंत नगर के खाली बोरे खरीद कर उसमें व्यक्ति अपना बीज भर कर बचते हैं ?

श्री शिव मंगल सिंह---

ऐसी शिकायत मुझे प्राप्त नहीं हुई है, अगर आप शिकायत देंगे तो मैं जांच करा लूंगा।

श्री रघुबर दयाल वर्मा---

क्या माननीय मंत्री जी को इसकी जानकारी है कि अर्थ शास्त्र के सर्व मान्य सिद्धान्त के अनुसार कास्ट आफ प्रोडक्शन में प्रबन्ध व्यय, भूमि की कीमत, इम्प्लीमेन्ट्स आदि का व्यय यह सभी शामिल रहता है। यदि हां, तो क्या आप इसे उसमें जोड़ेंगे और यह सब जोड़ कर फिर जो बढ़ी हुई कीमत है क्या उसको घटाने का प्रयास करेंगे ?

श्री शिव मंगल सिंह---

वर्मा जी ने जो सुझाव दिया है मैं उस पर विचार करूंगा।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा अगला प्रश्न लेने पर)

श्री प्यारे लाल शाक्य (जिला एटा)---

आपने अगला प्रश्न ले लिया। पंत नगर का बीज गलत मिलता है, पूरी कीमत तो लेते हैं पर बीज सही नहीं मिलता। यह बहुत खराब होता है।

श्री उपाध्यक्ष---

आप बिना मेरी इजाजत के बोल रहे हैं यह नियमों के विपरीत है। आप कृपया बैठें।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

वाराणसी जिले में थानेवार डकैती का विवरण

*1---श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में जनवरी से नवम्बर, 78 तक कितनी डकैतियां प्रत्येक थानेवार पड़ीं और उनमें कितनी ऐसी हैं जिनमें लूट के अलावा हत्याएं भी हुई हैं ? कितने में पुलिस ने कार्यवाही की और डकैत पकड़े गए ? क्या यह सत्य है कि 95 फीसदी डकैतियां पिछड़ी जातियों के यहां डाली गयी हैं ? इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री रमा शंकर कौशिक---

1-1-1978 से 31-12-78 की अवधि की संबंधित सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 573-574 पर)

श्री ऊदल---

बलुआ, घानापुर, रोहनियां, बड़ागांव, औराई, गोपीगंज, सुरियावां आदि जिन-जिन गाँव में 100 प्रतिशत पिछड़े वर्ग के लोगों के यहां ही यह घटनायें हुई हैं, इसको रोकने के लिये सरकार ने क्या प्रयास किया है ?

श्री रमा शंकर कौशिक---

इन सारे मामलों में बड़ी तत्परता से कार्यवाही की गयी है। मैं माननीय सदस्यों की सूचना के लिये बताना चाहता हूं कि इस संबंध में 281 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है, 81 अभियुक्तों ने आत्मसमर्पण भी कर दिया है।

श्री ऊदल—

क्या सरकार इन डकैतों की तादाद को देखते हुए कुछ थानों के लिए विशेष प्रबन्ध कोई ऐसा करेगें कि इसका इन्चार्ज कोई सीनियर इन्सपेक्टर हो और ऐसा कोई दस्ता इन्सपेक्टर, सिपाही वगैरह देकर बनायेगें ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, ऐसी घटना जहां-जहां हो रही है, जैसा कि इस तालिका में बताया गया है, उनमें विशेष प्रबन्ध किये गये हैं और ऐसे अधिकारी नियुक्त किये गये है और यदि कहीं पर बतायें, तो नियुक्त किये जायेंगे जो डकैती के मामले में सक्षम सिद्ध हो सकेंगे।

आजमगढ़ जिले के ग्राम कोयलसा के श्री अब्दुल हमीद के गायब होने के बंध में प्रार्थना-पत्र

*2—श्री दयाराम भास्कर (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित) तथा श्री मंगूराम (जिला बलिया) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को श्री वली मोहम्मद, ग्राम कोयलसा, थाना अतरौलिया, जिला आजमगढ़ का 11 नवम्बर, 1978 का इस आशय का तार मिला है कि उनके पुत्र के कत्ल के बारे में पूछ-ताछ करने हेतु श्री अब्दुल हमीद व समद को एस0 ओ0 अतरौलिया श्री राम प्यारे ले गए और अब्दुल हमीद को गायब कर दिए ? माननीय मुख्य मंत्री, गृह मन्त्री, उत्तर प्रदेश को तथा तार की पुष्टि के आवेदन-पत्र दिनाँक 11-11-78 व 22-11-78 को माननीय मुख्य मंत्री, गृह मंत्री, आई0 जी0 पुलिस व जिलाधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुए हैं ? यदि हाँ, तो अब्दुल हमीद को वापस करने हेतु क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बनारसी दास—

श्री वली मोहम्मद के कई प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये। श्री अब्दुल हमीद को गायब करने की बात सही नहीं पाई गयी। अतः उन्हें वापस करने हेतु कोई कार्यवाही किए जाने का प्रश्न नहीं उठता। प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित श्रीसरफुद्दीन निवासी कोयलसा की मृत्यु के संबंध में जाँच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है।

हरिजन एवं पिछड़ी जाति के राजपत्रित कर्मचारियों का विवरण

*3—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि 31 मार्च सन् 1978 तक राज्य में राजपत्रित कर्मचारियों की कुल जन संख्या कितनी है और इसमें हरिजन और पिछड़ी जातियों की संख्या अलग-अलग कितनी है और उक्त अवधि में कार्यरत हरिजन और पिछड़ी जातियों के राजपत्रित कर्मचारियों का प्रतिशत कुल राजपत्रित कर्मचारियों के अनुपात में अलग-अलग कितना है और उक्त अवधि (1977-78) में राज्य बजट का कितना प्रतिशत राजपत्रित कर्मचारियों के वेतन-भत्ते तथा अन्य देयों पर व्यय हुआ है ?

राष्ट्रीय एकीकरण मंत्री (श्री हरी किशन श्रीवास्तव)—

प्राप्त सूचना के आधार पर स्थिति अनुलग्नक† में दी गई है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस सरकार की राजाज्ञा है कि हरिजन को राजकीय स्थानों में 20 प्रतिशत, अनुसूचित को, 2 प्रतिशत, पिछड़ी जाति को, 15 प्रतिशत का आरक्षण मिलना चाहिए। जो उन्होंने सूची पेश की है, उसके अनुसार एक में हरिजन का प्रतिशत 7.4, वर्ग 2 में 5.4, अनुसूचित का है .4 और वर्ग 2 में है, .14, पिछड़ी जाति का प्रतिशत 55 सैकड़ा है, उनका वर्ग 1 में है प्रतिशत 1.2 मान और वर्ग 2 में है 4.1 प्रतिशत मात्र। तो क्या सरकार अपनी राजाज्ञा द्वारा अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति का कोई समयबद्ध कार्यक्रम बना रही है ?

†छापी नहीं गई।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव—

पहले मैंने एक सूचना आपको दे दी। यह इतनी व्यापक सूचना प्रदेश भर के विभागों के संबंध में माननीय सदस्य ने माँगी है, इतने समय में वह सूचना एकत्र नहीं की जा सकती, यह जो सूचना आई और जो आपको सूचना दी गयी है, यह पूरी सूचना, पूरा अनुपात आपके सामने इसलिए नहीं आ सका कि 1–4–77 को प्रदेश में आय-व्ययक में दिये गये विवरण के अनुसार 40,460 राजपत्रित कुल अधिकारी थे। हमारे पास जो अभी तक संख्या हो पाई 15,898 की है। इसलिये यह जो अनुपात आपके सामने दिये गये है यह पूरी संख्या पर आधारित नहीं है। दूसरी बात आपने जो 15 प्रतिशत पिछड़े वर्ग की बात कही, यह अगस्त, 77 से शासन ने इसे स्वीकार किया है और जैसी कि आपको पूर्व सूचना दी जा चुकी है कि इस संबंध में हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया, जिसके विरुद्ध शासन ने सर्वोच्च न्यायालय में अपनी अपील भी दायर कर दी है और हमें हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध स्थगन भी वहाँ से मिला है, पन्तु जिस आधार पर हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया कि जब तक पिछड़े वर्ग के लोगों का पूरा सर्वेक्षण नहीं हो जाता, तब तक इस प्रकार का पिछड़े वर्ग के लिए कोई आरक्षण करना अवैध होगा। यह बात इसमें आ गयी है, इस कारण पिछड़े वर्गों का आरक्षण संबंधी जितनी भी बाते हैं वे विवादग्रस्त हो गयी हैं। मैं केवल इतना ही आश्वासन माननीय सदस्यों को आपके माध्यम से देना चाहता हूं कि जो शासन की नीति है, जिसके लिए शासन ने घोषणा की है, उसके लिए गम्भीरता से विचार किया जा रहा है, सरकारी नौकरियों में सरकार की घोषित नीति के मुताबिक संख्या को पूरा करने का हमारा इरादा है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मान्यवर, मैं आपका ध्यान प्रश्नों के उत्तर के संबंध में दिलाना चाहता हूं। अभी आपने कह दिया कि पूरा उत्तर नहीं है। तो मान्यवर, यह उत्तर आता कि शेष सूचनायें एकत्र की जा रही हैं फिर इसका उत्तर मंत्रीगण देते तो इसे स्थगित कर दें। मान्यवर, और जब उत्तर दें, पूरा दें। तो श्रीमन्, मेरी सूचना को सही मानकर कि काका कालेलकर आयोग में यह लिखा गया कि पिछड़ी जाति का प्रतिशत पूरा करने के लिए माननीय सदस्यों की एक समिति बनायी जाये जो यह देखें कि आरक्षण की पूर्ति हो रही है या नहीं। तो क्या माननीय मंत्री जी उस रिपोर्ट के संबंध में निर्णय लेंगे ?

श्री बनारसी दास—

माननीय शम्भूनाथ जी ने जो प्रश्न किया है इसके 2 भाग हैं। एक तो अनुसूचित जाति और एक पिछड़ी जाति। तो जहाँ तक पिछड़ी जातियों का सवाल है उनका आरक्षण तो जनता सरकार ने आने पर किया है। अभी इसको केवल 20 माह से भी कम समय हुआ है, तो आरक्षित जो पिछड़ी जातियाँ हैं उनकी कोई पृथक से फीगर नहीं हो सकती है फिर हमारा जो सेंसस है उसमें कही जातियों का वर्णन नहीं है। शम्भूनाथ जी ने कहा सूचना एकत्र की जा रही है कहते, तो जो एपेन्डिक्स दिया है उसमें जितनी भी सूचनायें हैं वे अनुसूचित जातियों के बारे में है। उसको आप देख सकते हैं। वे सही हैं। आपने जो काका कालेलकर का नाम लिया, तो श्रीमन् इस प्रकार छेदी लाल साथी की रिपोर्ट भी है। तो फिर यह तो ऐसा प्रश्न है और जिस पर हाई कोर्ट ने अपना मत दिया कि जिन जातियों को पिछड़ी जातियों में रखा गया है उनका कोई प्रेक्षण नहीं हुआ है और इसकी अपील हमने सुप्रीम कोर्ट में कर रखी है तो इसलिए यह प्रश्न ऐसा है जिस पर निश्चित सूचना सरकार के लिए देना मुमकिन नहीं।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल) —

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी अपने अनुपूरक उत्तर को सही करके यह स्वीकार करेंगे कि पिछड़ी जातियों का आरक्षण जनता पार्टी की सरकार ने नहीं बल्कि उससे पूर्ववर्ती सरकार ने किया था ?

श्री बनारसी दास---

श्रीमन्, आपने कागज पर किया था और उसका परिपालन हमने किया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

क्या आपके आदेश कागज पर नहीं होते हैं ?

श्री बनारसी दास---

अब मैं यह नहीं समझता कि आपका मतलब क्या था लेकिन भागते-भागते निर्णय आपने किया था और उस पर अमल कोई आपने नहीं किया, अमल हमारी सरकारों ने ही किया।

श्री राम आसरे वर्मा---

मान्यवर, अभी माननीय नेता, विरोधी दल के प्रश्न के जवाब में माननीय मुख्य मंत्री ने जो कुछ कहा उससे क्या यह समझा जाये कि पूर्ववर्ती सरकार ने जिन नीतियों को प्रतिपादित करने की जिम्मेदारी ली थी, जनता सरकार केवल उन्हीं नीतियों का परिपालन करेगी ?

श्री उपाध्यक्ष---

मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

[20 मार्च, 1979 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

साहित्यकार श्री सुमित्रानन्दन पन्त के दाह-संस्कार के संबंध में कथित शासनादेश

*1---श्री गुरु प्रसाद (जिला इलाहाबाद)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दिनाँक 28/29 दिसम्बर, 1977 को भारत के मूर्धन्य साहित्यकार सुमित्रा नन्दन पन्त के निधन हो जाने पर उनकी अन्त्येष्टि क्रिया में प्रदेश सरकार का कोई शासनादेश जिलाधिकारी, इलाहाबाद को प्रेषित किया गया था ? क्या उनके शव को पूर्ण राजकीय सम्मान दिया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक---

राजकीय सम्मान के साथ दाहसंस्कार करने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया था। किन्तु यह जानकारी हो जाने पर कि दाह-संस्कार सम्पन्न हो चुका है, आदेश जारी नहीं किये गये।

श्री गुरु प्रसाद---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि शासन का आदेश तब हुआ था, जबकि उनका अन्तयेष्टि संस्कार दूसरे दिन 29 तारीख को 4 बजे हुआ। रात में देहावसान हुआ तो इस अन्तराल में क्या कार्यवाही आपने की ?

श्री रमा शंकर कौशिक---

श्रीमन्, सुमित्रानन्दन पंत जी का देहावसान 28-12 को रात्रि में साढ़े 11 बजे हुआ था। जिलाधीश, इलाहाबाद को इसकी सूचना समय से प्राप्त नहीं हो पायी। लगभग 12, 13 घंटे उनको सूचना में लगे। इसका कारण था कि 30 तारीख को इलाहाबाद में तत्कालीन माननीय गृह मंत्री केन्द्रीय सरकार एक पुल का उद्घाटन करने जाने वाले थे। लेकिन श्रीमन् माननीय नारायण दत्त तिवारी जी के साथी लोग उस पुल का उद्घाटन उसी तारीख को यानी 30 से पहले 29 तारीख को करवाना चाहते थे। और उसका आन्दोलन वह कर रहे थे। तो शाँति व्यवस्था भंग होने की आशंका के कारण जिलाधिकारी और दूसरे अधिकारीगण, वहाँ उस व्यवस्था में लगे थे।

श्री देव बहादुर सिंह---

मान्यवर, यह कौन सा जबाव है ?

श्री रमा शंकर कौशिक---

इसलिये इसमें देर हुई।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

श्रीमन्, मेरी आपत्ति है । मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

माननीय मंत्री किस विभाग के मंत्री हैं । बड़ी मुश्किल है पोर्टफोलियो बदल जाते हैं । माननीय मंत्री आबकारी मंत्री हैं ? अब मद्य निषेध का प्रभाव कहां पड़ रहा है समझ में नहीं आता । कहाँ का उत्तर कहां दे रहे हैं । मेरे नाम से, पुल से, क्या मतलब है ? श्रीमन्, शर्म आनी चाहिये इस शासन को, इस समय के शासन के लोग भी बैठे हैं । सुमित्रा नन्दन पन्त जैसे साहित्यकार के संबंध में निर्णय हो जाय कि उनका अन्त्येष्टि संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाय और आदेश न पहुंच पाये तो वास्तव में तो खेद प्रकाश करना चाहिये था । श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि बजाय खेद प्रकाश के उन्होंने जो उत्तर दिया है क्या वह ठीक था ? यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न था ।

श्री बनारसी दास---

मुझे वास्तव में अत्यन्त खेद है कि श्री सुमित्रा नन्दन पन्त की मृत्यु का समाचार जिलाधिकारी को देर से मिला । यह जिलाधिकारियों के लिये शोभनीय नहीं है कि वह इस प्रकार के साहित्यिक, ख्याति प्राप्त लोगों की मृत्यु के बारे में सूचना न रखें । कलेक्टर का कर्त्तव्य था, जैसे ही सुमित्रा नन्दन पन्त जी की मृत्यु हुई उसके लिये वह आदेश प्राप्त करते । इसमें त्रुटि हुई । यहाँ से राजकीय सम्मान के साथ उनका दाह-संस्कार करने के लिये आदेश दिया गया लेकिन यह बिलम्ब से पहुंचा उनका संस्कार पहले हो गया । वास्तव में यह खेद का विषय है । हमने इस बात के लिये सतर्कता बरती कि कर्मचारियों को इस सम्बन्ध में पूरी तरह से सतर्क रहना चाहिये और अभी आपको मालूम है कि डा० माहोर की मृत्यु हुई जो बड़े कान्तिकारी थे, जैसे ही मालूम हुआ उनके राजकीय सम्मान के साथ दाह संस्कार की व्यवस्था की गयी और झांसी में उनकी अस्थियों को भी सम्मान के साथ प्राप्त करने की व्यवस्था की जा रही है । इसलिये मुझे खेद है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

बहराइच में भूतपूर्व गवर्नर का भी ऐसा ही हुआ है ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

*2---श्री रवीन्द्र सिंह तथा श्री श्रीनारायण---

[5 वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जानकीनगर, गोंडा में प्रदर्शनी का आयोजन एवं स्टालों पर व्यय की गयी धनराशि

*3---श्री ऊदल---

तृतीय सत्र 1978 के दूसरे बुधवार के अल्पसूचित प्रश्न संख्या 3, नत्थी (क) के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जानकीनगर, गोंडा जनपद में स्थापित दीन दयाल शोध संस्थान में माननीय राष्ट्रपति महोदय के आगमन पर किन-किन सरकारी विभागों ने प्रदर्शनी का आयोजन किया था, उस पर कितना-कितना रुपया स्टाल लगाने पर खर्चा किया और राष्ट्रपति के आने पर दूसरे इन्तजाम, सरकारी सुरक्षा तथा मन्त्रियों के वहाँ आने-जाने पर कितना खर्चा हुआ ?

श्री बनारसी दास---

किन-किन सरकारी विभागों ने स्टाल लगाने पर कितना-कितना खर्च किया इसका विवरण संलग्न है । माननीय राष्ट्रपति महोदय के आगमन के उपलक्ष्य में राज्य शासन का कुल रु० 39,278-00 व्यय हुआ । मंत्रियों के आने जाने का खर्च रु० 36-40 है ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 575 पर ।)

नोट:---तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

*4—श्री धर्म्मनाथ चौधरी एवं श्री नेम सिंह चौहान—

[2 रे बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित] ।

*5—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[मंत्री परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया] ।

प्रतापगढ़ जिले के ग्राम हथगवां में नक्सल पंथियों की कथित हत्या

*6—श्री संगम लाल (जिला प्रतापगढ़)—

क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ जनपद के कुण्डा थाने के हथगवाँ गाँव में मारे गए तथा कथित तीन नक्सल पंथियों वाले मामले की जाँच हेतु मुख्य मंत्री 10 अक्तूबर, 1978 को गए थे ? अगर हाँ, तो क्या उन्होंने कोई नोट गृह विभाग को भेजा है ? यदि हाँ, तो क्या ?

श्री बनारसी दास—

जाँच हेतु नहीं वरन् भ्रमण पर गये थे। कोई नोट नहीं भेजा गया है। जिलाधिकारी को यह आदेश दिये थे कि क्षेत्र में किसी प्रकार का भय तथा आतंक का वातावरण न होने दिया जाय जिसका अनुपालन किया गया।

*7—श्री रियासत हुसैन—

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित] ।

*8—श्री राम आसरे वर्मा, श्री सुन्दर लाल दीक्षित तथा श्री हरिकेवल प्रसाद—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

कांच व चूड़ी कारखानों को कोयले का आवंटन

*9—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या उद्योग मन्त्री को जानकारी है कि प्रदेश में कोयला उपभोग की काँच की चूड़ी की कुल कितनी इकाई है और उन्हें कोयला आवंटन की नीति वर्ष 1979 के लिए क्या है ? क्या कोल आवंटित करते समय कोयला उपभोग इकाइयों के उत्पादन चार्ट्स को बिक्री कर कार्यालय से प्रमाणित शुदा प्राप्त किए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप मुख्य उद्योग मंत्री (श्री राम नरेश यादव)—

प्रदेश में कोयला उपभोग के काँच व चूड़ी की कुल 376 इकाइयाँ हैं। वर्ष 1979 की कोल नीति के अनुसार काँच व चूड़ी की इकाइयों को उनके पिछले तीन वर्षों में अधिक उत्पादन वर्ष का 75 प्रतिशत तथा क्षमता का 25 प्रतिशत को आधार मान कर कोयले का आवंटन किया गया है।

औद्योगिक इकाइयों द्वारा प्रस्तुत उत्पादन आँकड़ों का मिलान क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा बिक्रीकर एवं इक्साइज विभाग में उपलब्ध उत्पादन करके आँकड़ों की तुलना करने के बाद वर्ष में किये कार्य दिवसों को ध्यान में रखकर किया गया है। बिक्रीकर कार्यालय द्वारा उत्पादन चार्ट प्रमाणित नहीं कराया जाता क्योंकि वह कार्यालय केवल इकाइयों द्वारा अदा किये गये बिक्रीकर का ही लेखा-जोखा रखता है ।

राज्य सेवा एकाउन्ट ग्रुप के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी

*10—श्री कौशल किशोर (जिला जालौन)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1976 में लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सम्मिलित राज्य सेवाएं परीक्षा के एकाउन्ट ग्रुप में चुने गए ऐसे कितने अनुसूचित जाति के उम्मीदवार हैं जिन्हें मात्र अधिमान्यताओं के अभाव में अब तक नियुक्त किया गया ? क्या उन चुने हुए उम्मीदवारों को नियुक्त करने हेतु सरकार व्यवस्था कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास---

लोक सेवा आयोग द्वारा संस्तुत अभ्यर्थियों के श्रेष्ठता क्रम तथा उनके द्वारा दी गयी अधिमान्यताओं के आधार पर वर्ष 1976 की सम्मिलित राज्य सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के एकाउन्ट ग्रुप में अनुसूचित जाति का केवल एक अभ्यर्थी था जो इस ग्रुप की किसी सेवा में नियुक्ति नहीं पा सका। उसकी नियुक्ति की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है क्योंकि अभ्यर्थी द्वारा दी गई अधिमान्यताओं में प्राप्ताँक अन्य चयनित अभ्यर्थियों की तुलना में कम थे अतः आयोग ने इनकी नियुक्ति की संस्तुति नहीं की।

आपात स्थिति के मीसा व डिसिर बन्दियों को दी जाने वाली आर्थिक सुविधाएं

*11---श्री अब्दुल हफीज (जिला फैजाबाद)---

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि मीसा और डिसिर में बन्दियों की सुविधा हेतु कोई आर्थिक योजना बनाई गई है ? यदि हाँ, तो वह क्या है और बन्दीगण इससे कब तक लाभान्वित होंगे ?

श्री हरी किशन श्रीवास्तव---

आपातस्थिति में मीसा/डिसिर के राजनैतिक बन्दियों को दी गई सुविधाओं से सम्बन्धित योजनाओं की सूचना सप्तम विधान सभा के द्वितीय सत्र के आँठवें मंगलवार के लिये निर्धारित श्री जनार्दन प्रसाद ओझा द्वारा पूछे गये ताराँकित प्रश्न संख्या 6 के उत्तर में दी जा चुकी है। इन योजनाओं से अनेक व्यक्ति लाभान्वित हो चुके हैं और शासन द्वारा भरसक प्रयत्न करके सुनिश्चित किया जा रहा है कि पात्र व्यक्ति लाभान्वित होते रहें।

कानपुर जिले की पुलिस चौकी, पतारा के सब इन्सपेक्टर व कांस्टेबुलों का स्थानान्तरण

*12---श्री राम आसरे अग्निहोत्री (जिला कानपुर)---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि घाटमपुर थाने के अन्तर्गत पतारा चौकी में सबइन्सपेक्टर तथा सिपाहियों का स्थानान्तरण किया गया है ? यदि हाँ, तो उनके नाम क्या-क्या हैं ? क्या यह सही है कि पतारा चौकी के किसी सिपाही का स्थानान्तरण अप्रैल, 77 से दिसम्बर, 1978 तक 6 बार किया गया है ? यदि हाँ, तो क्यों ? एवं जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बनारसी दास---

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद कानपुर के थाना घाटमपुर अन्तर्गत पुलिस चौकी पतारा के सब इन्सपेक्टर और कांस्टेबुलों का स्थानान्तरण नवम्बर, दिसम्बर, 1978 में किया गया है। स्थानान्तरित किये गये कर्मचारियों के नाम निम्नलिखित है:---

1---श्री आर0 डी0 यादव---सब इन्सपेक्टर
2---श्री देवी प्रसाद---कांस्टेबुल
3---श्री भारत सिंह---कांस्टेबुल
4---श्री ओंकार सिंह---कांस्टेबुल
5---श्री ओम प्रकाश---कांस्टेबुल
6---श्री अमृत लाल शर्मा---कांस्टेबुल
7---श्री राम प्रकाश दुबे---कांस्टेबुल

अप्रैल, 1977 से दिसम्बर, 1978 तक की अवधि में एक कांस्टेबुल श्री राम प्रकाश दुबे का वास्तव में 4 बार स्थानान्तरण प्रशासनिक एवं उक्त कानिस्टेबुल के स्वयं के अनुरोध पर हुआ ह। इस सम्बन्ध में कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं पाया गया अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

*13---श्री राम सजीवन---

[4थे शुक्रवार में ताराँकित प्रश्न संख्या-2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गोंडा, जिला जेल के कम्युनिस्ट बन्दियों पर लाठी चार्ज

*14—श्री दीपनरायन (जिला गोंडा)—

क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 23 सितम्बर, 1978 को जिला जेल गोंडा में कम्युनिस्ट राजनैतिक बन्दियों के ऊपर जेल अधिकारियों ने लाठी चार्ज करवाया तथा उस लाठी चार्ज में 55 व्यक्ति घायल हुए ? यदि हाँ, तो लाठी चार्ज करवाने का क्या कारण था तथा क्या यह भी सही है कि लाठी चार्ज के समय गोण्डा के परगनाधिकारी उपस्थित थे तथा उनके मना करने पर भी कम्युनिस्ट पार्टी बन्दियों पर लाठी चार्ज करवाया गया ? यदि हाँ, तो घटना का पूरा विवरण क्या है ?

कारागार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

घटना का पूर्ण विवरण संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 576 पर)

फैजाबाद जिले के साकेत महाविद्यालय के छात्र श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह व श्री अनिलकुमार कालिया की गिरफ्तारी

*15—श्री जयशंकर पाण्डेय (जिला फैजाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जिले में दिनाँक 7/8 जनवरी, 1979 को रवीन्द्र प्रताप सिंह, अध्यक्ष, का0 सु0 साकेत महाविद्यालय छात्र संघ तथा श्री अनिल कुमार कालिया, अध्यक्ष, वाणिज्य परिषद् एम0 एल0 एम0 एल0 इन्टर कालेज को किस धारा के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया। क्या श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह की गिरफ्तारी के बाद हथकड़ी लगाई गयी ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास—

दिनाँक 7-1-79 को धारा 107/116 द0 प्र0 संहिता के विधानों के अनुरूप न्यायालय से धारा 113 दं0 प्र0 संहिता के अन्तर्गत पारित बिना जमानती वारन्ट के अधीन गिरफ्तार किया गया तथा दिनाँक 8-1-78 को न्यायालय ले जाते समय आरक्षण विरोधी आन्दोलन की विषम एवं सम्भावित गम्भीर परिस्थितियों के कारण विधि अपेक्षित कार्यवाही करते हुए सुरक्षा की दृष्टि से हथकड़ी लगाकर सम्बन्धित न्यायालय भेजा गया ।

उप कोषागार, ऊखीमठ, जिला चमोली में डकैती

*16—श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री (जिला देहरादून)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर मास, 1978 में ऊखीमठ, जिला चमोली में जो सरकारी खजाने में डाका पड़ा था, उसमें कितना रुपया लूटा गया तथा इस सम्बन्ध में क्या कुछ लोग पकड़े गये हैं या नहीं ? यदि हाँ, तो कौन लोग हैं और यदि नहीं, तो उत्तरदायी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बनारसी दास—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित घटना माह अक्टूबर, 1978 में नहीं वरन् दिनांक 8/9-11-78 को उप कोषागार, ऊखीमठ, जिला चमोली में घटित हुई और इस घटना में 1,35,000 नकद चोरी हुआ था । थाना ऊखीमठ पर इस संम्बंन्ध में सूचना प्राप्त होने पर मु0 अन्तर्गत धारा 395/397 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई। अब यह विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है। कोई व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ । इस घटना में संतरी ड्यूटी पर तैनात कानिस्टेबिल कदम सिंह की मृत्यु हो चुकी है। संदिग्ध एक हेड कानिस्टेबुल व दो कानिस्टेबुलों को निलम्बित किया गया है। रुपयों की तलाश एवं अन्य संदिग्ध पहलुओं पर गहराई से जाँच प्रचलित है ।

मथुरा जिले के थाना सादाबाद के थानाध्यक्ष के विरुद्ध रिश्वत लेने की शिकायत

*17—श्री हुकम चन्द्र तिवारी (जिला मथुरा)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपराध संख्या 252/78, धारा 302/34 भा0 द0सं0, थाना सादाबाद, जिला मथुरा के वादी श्री हरि प्रसाद द्वारा शासन व पुलिस अधीक्षक को यह शिकायत की गयी है कि वादी से 2,000.00 रुपया थानाध्यक्ष ने रिश्वत के लिए तब अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही की ? यदि हाँ, तो उस शिकायत-पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी और जाँच कर्त्ता ने श्री विजय सिंह, भगवान सिंह, हरि प्रसाद के बयान लिए ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित आशय का श्री हर प्रसाद का शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था। आरोपों की जाँच क्षेत्राधिकारी द्वारा की गई और उन्होंने सर्वश्री विजय सिंह, भगवान सिंह तथा हर प्रसाद के बयान लिये। जाँच के आरोपों में सत्यता पाये जाने पर थानाध्यक्ष, सादाबाद के विरुद्ध मुकदमा धारा 161 भा0 दं0 वि0, 5 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज कराया गया जो विवेचनाधीन है। थानाध्यक्ष, सादाबाद को पदावनत करके स्थानान्तरित कर दिया गया है।

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के सचिव के विरुद्ध जांच समिति का कथित गठन

*18—श्री बाबूराम शुक्ल (जिला कानपुर)—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के सचिव (श्री आर0 डी0 शर्मा) के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच हेतु सन् 1974 में कोई जाँच समिति गठित की गयी थी जिसने अपनी रिपोर्ट जनवरी, 1975 में शासन को दे दी थी ? यदि हाँ, तो जाँच रिपोर्ट क्या है तथा शासन की ओर से उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री राम नरेश यादव—

उ0 प्र0 खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के सचिव (श्री आर0 डी0 शर्मा) के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच हेतु सन 1974 में कोई जाँच समिति गठित नहीं की गई थी।

शेष प्रश्नों के उत्तर दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

पटेल पंचायती इण्टर कालेज, राम सनेहीघाट, बाराबंकी के छात्रों पर चलायी गयी गोली

*19—श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनाँक 8 जनवरी, 1979 को राम सनेही घाट, जनपद बाराबंकी में छात्रों पर पुलिस ने गोली चलायी ? जिसमें 2 छात्र मरे तथा 25 घायल हुए, जिसके कारण पूरे प्रदेश के छात्रों में इस घटना को लेकर आक्रोश फैल गया है ? यदि हाँ, तो सरकार स्थिति को सामान्य बनाने हेतु क्या कदम उठा रही है ?

श्री बनारसी दास—

दिनाँक 8-1-79 को पटेल पंचायती इंटर कालेज, राम सनेही घाट, जनपद बाराबंकी के छात्र आरक्षण विरोधी प्रदर्शन कर रहे थे। स्थल पर तैनात सशस्त्र पुलिस ने छात्रों को बसों व ट्रकों पर पथराव करने से रोका। इस पर छात्रों ने पुलिस पार्टी पर पथराव किया। पुलिस को परगना मजिस्ट्रेट, राम सनेही घाट को घटना स्थल पर बुलाना पड़ा जिन्होंने पूर्व समुचित चेतावनी के उपरान्त लाठी चार्ज के आदेश दिये और अन्त में आत्म-सुरक्षा में फायरिंग करानी पड़ी। फायरिंग से केवल एक छात्र की मृत्यु हुई है और एक छात्र घायल हुआ था। इसके अतिरिक्त तीन छात्रों को लाठी से चोट लगने की सूचना है। यह सही नहीं है कि 2 छात्र मरे व 25 घायल हुये और उसके कारण पूरे प्रदेश में छात्रों में आक्रोश फैल गया। जनपद में स्थिति अब पूर्णतया सामान्य है और नियंत्रण में है।

फर्रुखाबाद जिले के थाना कायमगंज के अन्तर्गत हरिजनों के साथ मारपीट की घटना।

*20—श्री झाम लाल अहेरवार (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद, थाना कायमगंज में दिनांक 25 अक्तूबर, 1978 को हरिजनों को ग्राम समाज द्वारा मिली भूमि पर कब्जा करने के सम्बन्ध में गाँव के मुसलमानों द्वारा बन्दूक से घायल करना तथा मकानों में आग लगा देने के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हुई है ? यदि हाँ, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनाँक 25-10-78 को प्रश्न में उल्लिखित आशय की घटना के बारे में थाना कायमगंज जनपद फर्रुखाबाद पर दी गई सूचना पर एक मुकदमा छः नामाँकित व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 147/148/149/323/324/307/436 भारतीय दण्ड विधान के अधीन कायम किया गया जिसमें विवेचना के उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया है। मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन है।

कानपुर जिले के अकबरपुर में कथित पुलिस चौकी के सब इन्सपेक्टर के विरुद्ध शिकायत

*21—श्री राम आसरे अग्निहोत्री—

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर (देहात) के अन्तर्गत पुलिस चौकी अकबरपुर में 1 जनवरी, 1978 से 31 दिसम्बर, 1978 की अवधि में तैनात सब इन्सपेक्टर के विरुद्ध भ्रष्टाचार आदि की शिकायत होने के उपरान्त भी नियुक्ति की गयी ? यदि हाँ, तो किन कारणों से ?

श्री बनारसी दास—

जनपद कानपुर (ग्रामीण क्षत्र) के अन्तर्गत पुलिस चौकी अकबरपुर नाम से कोई भी पुलिस चौकी कस्बा अकबरपुर क्षेत्र में स्थापित नहीं है।

श्री सत्य देव त्रिपाठी, मंत्री के विरुद्ध मुख्य मंत्री, हिमांचल प्रदेश का कथित शिकायती पत्र

*22—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री शान्ता कुमार, मुख्य मंत्री, हिमाँचल प्रदेश का कोई पत्र श्री सत्यदेव त्रिपाठी मन्त्री, उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उसमें मन्त्री के सम्बन्ध में कोई शिकायत है ? यदि हाँ, तो क्या है ? क्या मुख्य मंत्री उक्त पत्र को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री बनारसी दास—

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

बहु मंजिल व्यावसायिक केन्द्र, हजरतगंज, लखनऊ की दुकानों का आवंटन और विज्ञापन

*23—श्री ऊदल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार की गयी बहु मंजिल व्यावसायिक केन्द्र, हजरतगंज में 104 दुकानों को 26 जनवरी, 1978 को ही तैयार कर दिया है और उसमें से अभी तक सिर्फ 20 दुकाने ही किराए पर उठ सकी हैं और दुकाने उठाने हेतु 6 बार विज्ञापन करना पड़ा है जिस पर साठ हजार रुपए अब तक खर्च हो चुका है ? क्या यह सत्य है कि इस भवन को 80 लाख में बनना था जिसका व्यय बढ़कर 1 कारोड़ 40 लाख हो गया और नाम भी व्यावसायिक केन्द्र से बदल कर लखनऊ विकास भवन कर दिया गया है ? ऐसा क्यों ? इस भवन को बनाने हेतु किन-किन बैंकों से कर्जा लिया और किसने सूद पर लिया गया है ?

आवास मंत्री (श्री मोहम्मद मसूद खां)---

जी हाँ, जनवरी 1978 के अन्त तक निर्मित 104 दुकानों में से 19 दुकाने किराये पर उठा दी गई हैं ? दुकानों को किराये पर उठाने के लिये 6 बार विज्ञापन देने पर लगभग 40 हजार रु0 व्यय हो चुका है।

इस भवन के निर्माण का व्ययानुमान 192.49 लाख रु0 था जिसमें से 30-11-78 तक 139.27 लाख रु0 व्यय हुआ है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 23-9-1978 में लिये गये निर्णय के अनुसार इस भवन का नाम बदल कर लखनऊ विकास भवन रखा गया है।

इस भवन को बनाने के लिये 40 लाख रु0 का ऋण सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया से 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर लिया गया है। शेष व्यय विकास प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये ऋण-पत्र से प्राप्त धन से किया गया है जिस पर ब्याज की दर 9-1/2 प्रतिशत है।

*24---श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

[4 थे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

केन्द्रीय अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ में विस्फोट एवं श्री अफजल अहमद की मृत्यु

*25---श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)---

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ स्थित केन्द्रीय अनुसंधान केन्द्र की एक रासायनिक प्रयोगशाला में गत 28 अक्तूबर, 1978 को अथवा उसके आस पास किसी दिन विस्फोट हो जाने के कारण किसी लैब सहायक की मृत्यु हो गयी ? यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा मामले की जाँच कराई गयी ? यदि हाँ, तो क्या तथ्य प्रकाश में आए ?

श्री बनारसी दास---

लखनऊ स्थित केन्द्रीय अनुसंधान केन्द्र में दिनाँक 28-10-78 को विस्फोट होने की कोई सूचना शासन को नहीं प्राप्त हुयी। दिनाँक 19-10-78 को लगभग 12.50 बजे दिन में श्री अफजल अहमद लैब सहायक की मृत्यु ट्रेट्रा हाइड्रो फ्यूरान डिस्टिल करते समय ट्रेट्रा हाइड्रोफ्यूरान के फ्लास्क के अचानक फटने के कारण हुये विस्फोट के फलस्वरूप हुयी। मामले की जांच निरीक्षक, थाना वजीरगंज द्वारा की गई। शव के पोस्ट मार्टम से श्री अफजल अहमद की मृत्यु विस्फोट के समय आयी चोटो के कारण होनी पायी गयी। जाँच से किसी अपराध का होना नहीं पाया गया।

विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा नक्शा पास किये जाने की फीस की दर

*26---श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सरकार का ऐसा कोई नियम है कि नक्शा पास कराने हेतु कोई फीस निर्धारित है ? यदि है, तो क्या ? क्या सरकार को जानकारी है कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण में बगैर सरकार की संस्तुति के नक्शे पास कराने की निर्धारित फीस से अधिक ली जा रही है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद मसूद खां---

उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 3 क अन्तर्गत घोषित विनियमित क्षेत्रों में नक्शा पास करने हेतु उक्त अधिनियम के अन्तर्गत जारी विनियम 4 (2) में फीस निर्धारित है ? उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा 59 (iii) (ग) में विकास क्षेत्रों में तब तक उपरोक्तानुसार ही फीस लिये जाने का प्राविधान है जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हें परिवर्तित, निरसित या संशोधित न कर दिया जाय। गोरखपुर विकास प्राधिकरण न अपनी बैठक दिनाँक 31-12-77 में नक्शा पास करने के लिए फीस की दरें संशोधित कर दी है और उन्हें दिनाँक 1-1-1979 से लागू कर दिया है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण को तब तक पुरानी दर पर फीस लिये जाने के आदेश जारी कर दिये गये हैं जब तक पुनरीक्षित दरें शासन द्वारा स्वीकृत न कर दी जायं।

आगरा जिले में फिरोजाबाद में बन्दूक के फर्जी लाइसेन्स

*27—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के नगर फिरोजाबाद के मोहल्ला शीशगरान के निवासी श्री अनवारुद्दीन, पुत्र मुमताज उद्दीन गालिब नगर के श्री जफरउद्दीन पुत्र मुमान खां, शेख लतीफ के श्री मजहर हसन, पुत्र इकराम हसन, पुरानी मण्डी के भवर सिंह पुत्र छज्जू सिंह, राजा राजेन्द्र सिंह पुत्र राजा अर्जुन सिंह आदि को क्या बन्दूक के लाइसेंस गत वर्ष में फिरोजाबाद से दिए गए ? यदि हाँ, तो अब इन्हें किस आधार पर कैंसिल किया गया है ? क्या यह लाइसेन्स फर्जी तो नहीं थे ? यदि हाँ, तो क्या इस मामले की सरकार गुप्तचर विभाग से जाँच करायेगी ?

श्री बनारसी दास—

गत वर्ष अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद द्वारा स्वीकृत समस्त लाइसेंसों की जाँच करने पर श्री नवारुद्दीन पुत्र मुमताजउद्दीन, जफर उद्दीन पुत्र मुमान खां, श्री मजरहसन पुत्र इकराम हसन तथा राजा राजेन्द्र सिंह पुत्र राजा अर्जुन सिंह को लाइसें स स्वीकृत किया गया पाया गया। श्री भवर सिंह पुत्र छज्जू सिंह को कोई लाइसेंस स्वीकृत नहीं किया गया ज्ञात हुआ। प्रारम्भिक जाँचोपरान्त पाया गया कि उपरोक्त लाइसेंस बिना पुलिस द्वारा जाँच कराये गये स्वीकृत किये गये थे तथा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, फीरोजाबाद के हस्ताक्षर फर्जी बताये गये। अतएव जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इन लाइसेंसों को निरस्त कर दिया गया है और संदेहात्मक स्वीकृति के संबंध में जाँच सतर्कता अधिष्ठान, आगरा को सौंप दी गई है।

रायबरेली, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री में कर्मचारियों की नियुक्ति

*28—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली में लगे इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री के औद्योगिक कारखानों में उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षित नागरिकों को नियुक्त न करके अन्य प्रदेशों के लगभग 900 नागरिकों की नियुक्ति की गयी ? यदि हाँ, तो किन परिस्थितियों में ?

श्री राम नरेश यादव—

जी नहीं।

*29—श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]।

देशी तथा विदेशी मोम का मूल्य

*30—श्री हुकम चन्द्र तिवारी—

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आयातित मोम के और निर्यातित मोम के मध्य कितने रुपए के मूल्य का अन्तर है तथा दोनों मोम के कोटा निर्धारित करने में छोटे-छोटे हाथ से मोमबत्ती का कार्य करने वाले व्यापारियों को क्या लाभ होगा तथा सरकार की यह अन्तर मूल्य की नीति से छोटे-छोटे व्यक्तियों का व्यापार पनप सकता है ? यदि हाँ, तो किस प्रकार से ?

श्री राम नरेश यादव—

भारत से मोम का निर्यात नहीं होता है, अतः आयातित और निर्यातित मोम के बीच मूल्य के अन्तर का प्रश्न नहीं उठता है।

भारत सरकार ने एक फरवरी, 1979 से देशी एवं विदेशी मोम का मूल्य समान कर दिया है अतः अब देशी और विदेशी मोम के मूल्य में कोई अन्तर नहीं है और न ही पृथक-पृथक कोटा निर्धारित करने का प्रश्न है। देशी और विदेशी मोम में मूल्य का अन्तर समाप्त हो जाने से अपेक्षित मात्रा में तथा उचित मूल्य पर मोम प्राप्त हो सकेगा जिससे मोमबत्ती व्यापारियों को लाभ होगा और छोटे उद्यम पनप सकेंगे।

सब इन्सपेक्टर्स का सेलेक्शन

*31—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहाँपुर)—

क्या मुख्य मंत्री बतलायेंगे कि साल 1977–78 में प्रदेश में जो सब इन्सपेक्टर्स का सेलेक्शन हुआ था वह रद्द किया गया ? यदि रद्द किया गया तो उस गलत सेलेक्शन के लिए जिम्मेदार कौन है ?

श्री बनारसी दास—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पडरौना में मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट के न्यायालय की स्थापना की मांग

*32—श्री श्रीनारायण—

क्या न्याय मंत्री को यह ज्ञात है कि देवरिया जिले में इस वक्त आठ मुन्सिफ मजिस्ट्रेट हैं जहाँ जिले के उत्तरांचल के लोगों को 100 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करके आने-जाने में तीन दिन लग जाते हैं। यदि हाँ, तो क्या सरकार जनता को सुलभ न्याय दिलाने की दृष्टि से पडरौना तहसील मुख्यालय में कुछ मुन्सिफ मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों को स्थानान्तरित करने की कृपा करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

न्याय मंत्री (श्री श्रीचन्द्र)—

जी हाँ।

पडरौना तहसील के फौजदारी वादों का निस्तारण केवल 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कसिया में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट एवं जुडीशियल मजिस्ट्रेट की न्यायालयों में किया जा रहा है। केवल दीवानी वादों का निस्तारण जिला मुख्यालय पर किया जाता है। पडरौना तहसील मुख्यालय पर न्यायालय कक्ष, आवासिक भवन, हवालात एवं मालखाना के अभाव में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के कुछ न्यायालयों को वहाँ पर अभी स्थानान्तरित करना संभव नहीं है।

*33—श्री श्रीनारायण— —

[3रे मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या 43 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आई० ए० एस० अधिकारियों की विशेष सुविधा

*34—श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगें कि उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा में 15 अगस्त, 1978 को कितने आई0 ए0 एस0 अधिकारी थे ? जिन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लिया है और जेल गए हैं ? क्या उन्हें कोई विशेष सुविधा दी गयी है ? यदि हाँ, तो वह कितने हैं और क्या सुविधा दी गयी ?

श्री बनारसी दास—

सूचना एकत्र की जा रही है।

इटावा जिले के ग्राम सिम्हारा में डकैत व श्री राम चन्द्र व श्री बृजेश सिंह की पुलिस मुठभेड़ में हत्या

*35—श्री झाम लाल अहेरवार—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इटावा के थाना फफूंद में दिनाँक 13 तथा 14 सितम्बर, 1978 को थानाध्यक्ष वालादीन द्वारा 14 वर्षीय बालक बृजेश सिंह उर्फ पप्पू की हत्या षडयंत्र द्वारा कर दी गयी ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता द्वारा एक शिकायत-पत्र दिनाँक 13 अक्तूबर, 1978 को मुख्य मन्त्री को प्राप्त हुआ ? यदि हाँ, तो उक्त थानेदार के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास---

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनाँक 13/14-9-78 की रात्रि में थाना फफूंद की पुलिस से बाग लक्ष्मीबाई वहद ग्राम सिम्हरा में डकैतों से हुई मुठभेड़ में दो डकैत राम चन्द्र तथा 18 वर्षीय बृजेश सिंह उर्फ पप्पू घटनास्थल पर मारे गये जिनके पास से अग्नेयास्त्र व कारतूस बरामद हुए। इस संबंध में थाना फफूंद पर दिनाँक 14-9-78 को अभियोग अपराध संख्या 101 अन्तर्गत धारा 399/402/307 भारतीय दण्ड विधान एवं अभियोग अपराध संख्या 102 व 103 अन्तर्गत धारा 25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत हुए।

प्रश्न में वर्णित प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनाँक 13-10-78 तथा उसके साथ इसी संबंध में एक शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था। इस घटना की जाँच अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी गयी है। जाँच से दोषी पाये गये पुलिसजनों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

*36-37---श्री मन्जूर अहमद---

[आश्वासन समिति में विचाराधीन होने के कारण निरस्त]।

फतेहपुर में ग्राम गौहन के परवीन द्वारा आत्महत्या

*38---श्री जगन्नाथ सिंह (जिला फतेहपुर)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद फतेहपुर के सन् 1978 के लोक सभा उप चुनाव के समय जिसका मतदान दिनाँक 3 दिसम्बर सन् 1978 ई0 को हुआ है खागा क्षेत्र के गौहान ग्राम के श्री हसीब अहमद की लड़की परवीन की हत्या की गयी या उसने स्वयं आत्म हत्या की है? क्या इसकी सूचना पुलिस थाना में दर्ज की गयी? यदि हाँ, तो अब तक क्या तथ्य प्रकाश में आये?

श्री बनारसी दास---

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद फतेहपुर में लोक सभा उप चुनाव के समय दिनाँक 22-11-78 को खागा क्षेत्र के ग्राम गौहन निवासी श्री हसीब अहमद की पुत्री परवीन द्वारा गोली मार कर आत्महत्या किए जाने की सूचना मृतिका के भाई श्री खतीब अहमद द्वारा थाना कोतवाली में दर्ज कराए जाने पर दरियाफ्तहाल प्रारम्भ किया गया। शव के पोस्ट मार्टम से मृतिका की मृत्यु शरीर पर आई चोटों के कारण होना पाई गई। विवेचना से मृतिका की मृत्यु के बारे में कोई संदिग्ध तथ्य प्रकाश में नहीं आये तथा मामला आत्महत्या का ही पाया गया। अतः विवेचना अन्तिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त की गई।

संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ के अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध फौजदारी का मुकदमा

*39---श्री सुखपाल पाण्डेय---

क्या उद्योग मन्त्री को यह जानकारी है कि संयुक्त निदेशक उद्योग, लखनऊ मण्डल के कार्यालय परिसर में कार्यरत तीन अधीनस्थ अधिकारी एवं चार सहायकों के विरूद्ध कोई फौजदारी का मुकदमा चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट, लखनऊ की अदालत में चल रहा है? यदि हाँ, तो उक्त के नाम तथा पद एवं वेतन वर्तमान समय में क्या है? और उपरोक्त अधिकारी के स्थानान्तरण कर रहे हैं? यदि हाँ, तो कब तक?

श्री राम नरेश यादव---

संयुक्त उद्योग निदेशक, लखनऊ मंडल के कार्यालय परिसर में कार्यरत तीन अधिकारियों एवं चार सहायकों के विरुद्ध चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट, लखनऊ की अदालत में चलाए गए फौजदारी के मुकदमे में अदालत ने दिनाँक 7 मार्च, 1979 को अपना निर्णय देते हुए सम्बन्धित अधिकारियों एवं सहायकों को निर्दोष पाया और उक्त मुकदमे को खारिज कर दिया है। सम्बन्धित अधिकारियों एवं सहायकों के नाम तथा पद एवं वेतन के सम्बन्ध में

वाँछित सूचना संलग्नक में दी गई है। अदालत के उक्त निर्णय के परिपेक्ष्य में संबंधित अधिकारियों एवं सहायकों के स्थानान्तरण का प्रश्न नहीं उठता।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 577 पर)

लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के प्रतिवेदनों के कार्यान्वयन

*40—श्री देव बहादुर सिंह—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि प्रदेश के लोकायुक्त ने जाँच के बाद कितनी शिकायत-पत्रों को कार्यवाही हेतु शासन को 14 सितम्बर, 1977 से 18 नवम्बर, 1978 तक भेज दिया है? और उन पर क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री बनारसी दास—

प्रश्नगत अवधि में माननीय लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश ने जाँचोपरान्त पांच प्रतिवेदन शासन को भेजे थे। इनमें से चार प्रतिवेदनों पर कृत कार्यवाही की सूचना शासन द्वारा माननीय लोक आयुक्त को दे दी गयी थी और उन्होंने समाधान के उपरान्त इन मामलों में परिवादों को समाप्त कर दिया है। शेष एक प्रतिवेदन अभी शासन के विचाराधीन है?

लखनऊ के आजाद नगर के डा० सभापति पाठक पर घातक हमला एवं उनकी गुमशुदी संबंधी रिपोर्ट

*41—श्री देव बहादुर सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेना के रिटायर्ड डा0सभापति पाठक, आजादनगर, लखनऊ पर दिनाँक 3 अक्तूबर, 1978 को बन्दूक द्वारा जब प्राणघातक हमला हुआ तो रिपोर्ट लिखाने श्री पाठक कृष्णा नगर थाने गये परन्तु वहाँ पर उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी? फलस्वरूप दिनाँक 4 अक्तूबर, 1978 को श्री पाठक ने पुलिस अधीक्षक (नगर) को उक्त घटना की सूचना तथा पुलिस द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार की शिकायत की और अपने जान-माल की रक्षा का निवेदन किया? क्या यह भी सही है कि दिनांक 11 अक्तूबर, 1978 को श्री पाठक रहस्यमय ढंग से गायब कर दिये गये जिसकी नामजद रिपोर्ट पत्नी श्रीमती राधा पाठक ने 14 अक्तूबर, 1978 को सम्बन्धित थाने में लिखायी? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी? अभियुक्तों को अब तक गिरफ्तार न करने का क्या कारण है?

श्री बनारसी दास—

डा0 सभापति पाठक पर हमला होने के संबंध में पुलिस अधीक्षक (नगर) लखनऊ को प्रेषित उनके प्रार्थना पत्र दिनाँक 4–10–78 के आधार पर दिनाँक 5–10–78 को थाना कृष्णानगर पर धारा 307 भा0 दं0 वि0 का अभियोग पंजीकृत हुआ। जाँच से डा0 पाठक द्वारा थाने पर रिपोर्ट लिखाने जाने की बात प्रमाणित नहीं हुई। शाँति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों के विरुद्ध दिनाँक 6–10–78 को धारा 107/116 दंड प्रक्रिया के अन्तर्गत कार्यवाही की गई। उपरोक्त अभियोग की विवेचना अंतिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त हुई।

डा0 पाठक की गुमशुदगी के संबंध में उनकी पत्नी द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट पर थाना कृष्णानगर में धारा 364 भा0 दं0 वि0 का अपराध पंजीकृत हुआ। अभियुक्तगण ने न्यायालय में आत्म समर्पण किया। विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। मामला विचाराधीन न्यायालय है।

मुख्य मत्री कार्यालय के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के राष्ट्रीय पर्वों के दिन वेतन का भुगतान

*42—श्री रामदत्त जोशी—

क्या मुख्य मंत्री यह बतायेंगे कि सचिवालय में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी टंककों तथा चतुर्थ श्रेणी को 26 जनवरी, 15 अगस्त, तथा 2 अक्तूबर का पैसा दिया जाता है? यदि नहीं

तो क्यों? क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री कार्यालय, अन्य मन्त्रियों के कार्यालयों तथा कुछ अनुभागों में कार्य करने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को इन्हीं दिनों का पैसा दिया गया है?

श्री बनारसी दास—

सचिवालय में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को उसी दिन का वेतन देय होता है, जिस दिन वे वास्तव में कार्य करते हैं। यदि कोई दैनिक वेतन भोगी जनहित में राष्ट्रीय पर्वों अथवा छुट्टी के दिन कार्य के लिए बुलाया जाता है तो उसे उस दिन का वेतन दिया जाता है। मुख्य मंत्री कार्यालय तथा अन्य मंत्रियों के कार्यालयों के उन दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को जिन्हें राष्ट्रीय पर्वों के दिन जनहित में कार्यालय बुलाया गया उन्हें उस दिन का वेतन दिया गया है।

नैनीताल, रामनगर के अस्पताल के भवन के लिये भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही

*43—श्री रामदत्त जोशी—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि नैनीताल जनपद के रामनगर शहर में एक 50 बेड के अस्पताल भवन के लिए उपयुक्त राजस्व विभाग की शहर के अन्दर स्थित वह भूमि जिस पर खाम बंगला स्थित है हस्तान्तरित कराने हेतु प्रश्नकर्त्ता द्वारा मार्च अथवा अप्रैल में उन्हें दिये गये प्रार्थना पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है और राजस्व विभाग से उन्हें इस सम्बन्ध में कोई उत्तर प्राप्त हुआ है?

पर्यटन मंत्री (श्री आबिद अली)—

प्रश्नगत प्रार्थनापत्र पर सिंचाई तथा राजस्व विभागों से लिखा-पढ़ी की गई और इस बात की कोशिश की गई कि प्रश्नगत भूमि चिकित्सा विभाग को मिल जाय। राजस्व विभाग ने गत जनवरी में यह लिखा था कि जब तक चिकित्सा विभाग से भूमि की माँग नहीं की जाती और सिंचाई विभाग की इस भूमि की माँग पर स्पष्ट निर्णय न हो जाय तब तक उनके लिये भूमि हस्तान्तरित करना सम्भव न होगा। राजस्व विभाग से पुनः अनुरोध किया गया है कि वे सर्वोच्च प्राथमिकता देकर भूमि चिकित्सा विभाग को हस्तान्तरित करे। चिकित्सा विभाग का प्रस्ताव भी राजस्व विभाग को भेज दिया गया है। राजस्व विभाग में इस पर तत्परता से विचार हो रहा है।

शाहजहांपुर के थाना खुटार के थानाध्यक्ष के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*44—श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहाँपुर के थानाध्यक्ष खुटार के विरुद्ध गम्भीर शिकायतें गृह मन्त्री जी से 28 अथवा 29 दिसम्बर, 1978 को तहसील व थाना पुवायाँ व खुटार के सम्भ्रांत नागरिकों द्वारा लिखित की गयी जिस पर गृह मन्त्री भी तत्काल उप पुलिस महानिरीक्षक, बरेली को जाँच करने व आवश्यक कार्यवाही करने का लिखित निर्देश दिया फिर भी आज तक कार्यवाही न होने के विशेष कारण क्या है?

श्री बनारसी दास—

कथित प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों के संबंध में स्वयं पुलिस अधीक्षक, शाहजहाँपुर द्वारा दिनाँक 11-1-79 को जाँच की गयी। जाँच से आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी।

*45—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[मंत्रिपरिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।

बस्ती जिले के ग्राम भगौसा में पड़ी डकैती के संबंध में श्री सिदेश्वर पाण्डेय का शिकायती-पत्र

*46—श्री बाबूराम वर्मा (जिला बस्ती)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनाँक 23 सितम्बर, 1977 को ग्राम भगौसा थाना दुधारा, जनपद बस्ती में पड़ी डकैती के सम्बन्ध में श्री सिदेश्वर पाण्डेय द्वारा रजिस्टर्ड

शिकायती-पत्र नम्बर 135, दिनाँक 6 सितम्बर, 1978 के द्वारा प्राप्त हुआ है जिसकी प्रतिलिपि पुलिस महानिरीक्षक को भी रजि0 रूप से पृष्ठांकित थी ? यदि हाँ, तो उसमें अभी तक क्या कार्यवाही हुई, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास—

दिनाँक 9–9–78 का तो नहीं वरन् 21–8–78 का एक शिकायती पत्र अवश्य प्राप्त हुआ था। जाँच से पुलिस के विरुद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं हुये। प्रश्नगत डकैती के मामले में आरोप पत्र न्यायालय के विचाराधीन है।

सरकारी नौकरियों में आरक्षण का विवरण

*47—श्री रामनरायन वर्मा (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकारी नौकरी 50 प्रतिशत आरक्षण के अतिरिक्त शेष बचे 50 प्रतिशत स्थानों की नियुक्ति किस वर्ग के लिए निर्धारित की गयी है ? इस 50 प्रतिशत स्थानों के लिए आरक्षण वर्ग में आने वाले योग्य अभ्यर्थियों को लिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरी किशन श्रीवास्तव—

शासकीय सेवाओं में आरक्षण सम्बन्धी शासनादेश संख्या 2003/चालीस–रा0 एकी0–6–11–77–दिनाँक 20 अगस्त, 1977, जहाँ तक उसका सम्बन्ध पिछड़े वर्ग के आरक्षण से है, को माननीय उच्च न्यायालय के दिनाँक 2 फरवरी, 1979 के निर्णय द्वारा अवैध घोषित किया गया है। उस निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में स्पेशल लीव पिटीशन दायर की गयी थी जो स्वीकृत हो गई है तथा उच्च न्यायालय के निर्णय का कार्यान्वयन स्थगित कर दिया गया है। इस कारण पिछड़े वर्ग का आरक्षण विवाद-ग्रस्त वन गया है। अतः जब तक इस सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय का कोई निर्णय न हो जाये या जिस आधार पर उच्च न्यायालय ने इस आरक्षण को अवैध घोषित किया है, का उपचार न कर लिया जाय, उस समय तक इसका स्पष्ट उत्तर देना सम्भव नहीं है।

आरक्षित रिक्तियों के अतिरिक्त शेष रिक्तियों में आरक्षित वर्गों के योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्तियों का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ?

बांदा जिले के थाना नरैनी के थानाध्यक्ष के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*48—श्री सुरेन्द्र पाल (जिला बाँदा)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाँदा जनपद के थाना नरैनी के तत्कालीन थानाध्यक्ष के विरुद्ध प्रश्नकर्त्ता एवं विधायक राम सजीवन कोई शिकायती पत्र ग्राम नरैनी के अल्पसंख्यकों को नाजायज डकैती में फंसाने के सम्बन्ध में दिनाँक 26 दिसम्बर, 1978 प्राप्त हुआ ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बनारसी दास—

जी हाँ। मामले की जाँच सी0 आई0 डी0 से कराने के आदेश दिये गये थे किन्तु इसके पूर्व ही 24–11–78 को आरोप पत्र न्यायालय भेजा जा चुका था। अभियोग न्यायालय के विचाराधीन है।

बांदा जिले के ग्राम पनगरा में हरिजनों को कुओं से पानी लेने पर रोक

*49—श्री सुरेन्द्रपाल—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाँदा जनपद के नरैनी थाने के अन्तर्गत ग्राम पनगरा के श्री राजा राम हरिजन, दिनाँक 26 अप्रैल, 1977 को नरैनी में थाने आकर यह बताया कि उसकी लड़कियों को कुछ सवर्णों द्वारा सार्वजनिक कुआँ में पानी भरने से रोका गया तथा बर्तन तोड़ दिये गये एवं गाली गलौज किया गया जिसको कि तत्कालीन थानाध्यक्ष

के केवल 504, 506 का मुकदमा दर्ज कराया ? क्या सरकार उपरोक्त मामले की पूरी जाँच कराके दोषी अधिकारी एवं लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री बनारसी दास—

प्रश्नगत मामले में पहले धारा 504/506 भारतीय दंड विधान का अभियोग कायम हुआ था। बाद में इसमें नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 4 (4) जोड़कर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। मामले में कोई अधिकारी दोषी नहीं पाया गया।

राज्य के सहायक पूर्वताधि पत्र में विधायकों का क्रम

*50—श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अग्रता-क्रम (आर्डर आफ प्रीसीडेन्स) में विधायकों का कौन सा क्रम है ? यह अग्रता-क्रम कब निर्धारित हुआ था तथा क्या माननीय मुख्य मंत्री इसकी प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री बनारसी दास—

इन्हें राज्य के सहायक पूर्वताधिपत्र में कोटिक्रम 22-अ पर स्थान दिया गया है। यह पूर्वताधि पत्र 30 सितम्बर, 1978 को जारी किया गया था। प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 578–580 पर)

साम्प्रदायिक दंगों की रोकथाम हेतु किये गये उपाय

*51—श्री अब्दुल हफीज—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि साम्प्रदायिक दंगों को भविष्य में रोकने के लिए कोई विकल्प निकाला गया है ? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ?

श्री बनारसी दास—

जी हाँ। संवेदनशील स्थलों की सूची बनाकर जिला स्तर के अधिकारियों को दी गई है तथा उन स्थलों पर कड़ी दृष्टि रखने हेतु पुलिस अधीक्षकों को विशेष रुप से सतर्क कर दिया गया है। संवेदन शील स्थलों के सभी थानों पर वायरलेस सेटों की व्यवस्था की जा चुकी है साम्प्रदायिक घृणा फैलाने वाले समाचार पत्रों पर कड़ी दृष्टि रखने हेतु आदेश दिए गए हैं। अभिसूचना विभाग द्वारा प्रशासन को अग्रिम सूचना देने हेतु और अधिक सुदृढ़ बनाया जा रहा है।

कानपुर में जूही पुल के निकट श्री राजेन्द्र देव चतुर्वेदी की मृत्यु

*52—श्री राजकिशोर तिवारी (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दिनाँक 19 जून, 1977 को अनवरगंज के आगे जूही पुल, कानपुर के निकट श्री राजेन्द्र देव चतुर्वेदी को चलती गाड़ी से घायल करके फेंक दिया गया और 21 जून, 1977 को उनकी मृत्यु हो गयी ? यदि हाँ, तो पुलिस अभी तक अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पाई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास—

जी हाँ। श्री राजेन्द्र देव चतुर्वेदी अनवरगंज स्टेशन के स्टेशन यार्ड में घायल अवस्था में पाये गये थे। इस मामले में पंजीकृत कराये गये अभियोग की विवेचना अपराध शाखा द्वारा की गई। अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार श्री चतुर्वेदी की मत्यु में किसी अपराध के होने का प्रमाण नहीं मिला तथा घटना आकस्मिक दुर्घटना के परिणाम स्वरूप घटित होना प्रतीत हुई। विवेचना जारी है।

*53—श्री गनेशी लाल चौधरी—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री के विरुद्ध अनैतिक व्यभिचार संबंधी शिकायत

*54—श्री गनेशी लाल चौधरी—

क्या मुख्य मंत्री को इस बात की जानकारी है कि एक लड़के ने माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्री के खिलाफ 3 जुलाई, 1978 को एक झूठी रिपोर्ट सरकार और माननीय मन्त्री जी को बदनाम करने के लिए उनके अनैतिक व्यभिचार के सम्बन्ध में पहले जो हजरतगंज थाने में लिखाने की कोशिश की और बाद में जब रिपोर्ट नहीं लिखी गयी तो सीनियर पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को प्रार्थना-पत्र दिया ? इसके बाद माननीय मन्त्री जी के खिलाफ एक झूठा मुकदमा लखनऊ अदालत में दायर किया ? यदि हाँ, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं ?

श्री बनारसी दास—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित कथित अनैतिक व्यभिचार के विषय में थाना हजरतगंज, लखनऊ में रिपोर्ट लिखाने का कोई प्रयास नहीं किया गया था और न रिपोर्ट लिखने से इन्कार ही किया गया। श्री आबिद अली, निवासी जिला बरेली ने इस मामले के सम्बन्ध में ज्येष्ठपुलिस अधीक्षक, लखनऊ को अपने प्रार्थना-पत्र, दिनाँक 4 जुलाई, 1978 में शिकायत भेजी थी। श्री आबिद अली ने स्पेशल जुडीयिल मजिस्ट्रेट, लखनऊ के न्यायालय में एक अभियोग धारा 377/323/506 आई0 पी0 सी0 के अन्तर्गत 11 सितम्बर, 1978 को दायर किया किन्तु बाद में गवाह न मिलने के आधार पर अभियोग वापस लेने का प्रार्थना पत्र दिया जिस पर अभियोग खारिज कर दिया गया। चूंकि मामले में न्यायालय ने तथ्यों पर निर्णय नहीं दिया अतः तथ्य क्या थे यह प्रश्न ही नहीं उठता।

*55—श्री रियासत हुसैन—

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित]

*56—श्री राज किशोर तिवारी—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

*57—श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

[मंत्रि परिषद् में सम्मिलित हो जाने के कारण हटाया गया]

*58—श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

[मंत्रि परिषद् में सम्मिलित हो जाने के कारण हटाया गया]

हरिजन महिला द्वारा जिलाधीश, शाहजहांपुर को दी गयी रिपोर्ट

*59—श्री मुहम्मद रफी खां—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि शाहजहाँपुर के किसी विधायक ने 12 जनवरी, 1979 को जिलाधीश, शाहजहाँपुर, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश को गाँव अभयन, थाना कान्ट में एक हरिजन औरत पर जबरदस्त जुल्म करने और उसका मकान गिराये जाने की रिपोर्ट भेजी है ? यदि हाँ, तो मामले का पूरा विवरण क्या है ? और सरकार इस सिलसिले में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बनारसी दास—

जी हाँ। इस विषय में विधायक महोदय का पत्र दिनाँक 12-1-79 जिला मजिस्ट्रेट शाहजहाँपुर को प्राप्त हुआ। इस तिथि का विधायक महोदय का पत्र मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता।

जिला मजिस्ट्रेट शाहजहाँपुर ने विधायक महोदय के पत्र के संदर्भ में जाँच करायी। जाँच से हरिजन महिला का मकान गिराये जाने की शिकायत प्रमाणित नहीं हुई। जाँच से पाया गया कि ग्राम सभा की भूमि पर कब्जे के संबंध में दो पक्षों में विवाद के कारण शान्ति भंग होने की संभावना थी अतः धारा 145 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी, जो न्यायालय के विचाराधीन है।

प्रतापगढ़ के कोतवाल, श्री शिव शंकर सिंह के विरुद्ध श्री किशुन लाल की मृत्यु का आरोप

*60—श्री विद्याशंकर (जिला प्रतापगढ़)—

क्या मख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती भगवानी देवी, पत्नी स्व0 श्री किशुन लाल, निवासी मो0 मकन्दगंज, प्रतापगढ़ ने कोतवाल शिव शंकर सिंह के विरुद्ध अपने पति किशन लाल के साथ कोतवाल द्वारा किए गए अमानवीय व्यवहार के कारण मत्यु हो जाने के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र दिसम्बर, 1978 में गह मन्त्री, आई0 जी0 पुलिस, जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को दिया, क्या यह सही है कि कोतवाल के अमानवीय व्यवहार के ही कारण सेठ किशन लाल का देहान्त 23 दिसम्बर, 1978 को हो गया ? यदि हाँ, तो सरकार ने उक्त विधवा की प्रार्थना-पत्र पर आज तक क्या कार्यवाही की ?

श्री बनारसी दास—

कथित आरोपों के संबंध में प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये थ मामले की जाँच कराई गई किन्तु जाँच से कोतवाल प्रतापगढ़ के अमानवीय व्यवहार के कारण सेठ किशुनलाल की मत्यु का होना सत्यापित नहीं हुआ।

फैजाबाद जिले के थानाध्यक्ष इनायत नगर के विरुद्ध प्रदर्शन एवं मांग-पत्र

*61—श्री मित्रसेन—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दिनाँक 10 जनवरी, 1979 को थाना इनायत नगर, फैजाबाद के अन्तर्गत व्यापक भ्रष्टाचार तथा घूसखोरी को लेकर स्थानीय पुलिस के विरुद्ध कोई जनप्रदर्शन हुआ है और परगना अधिकारी, बीकापुर, फैजाबाद को ग्यारह सूत्री माँग-पत्र भी प्रस्तुत किया गया है ? यदि हाँ, तो माँग-पत्र में स्पष्ट लगाए गए आरोपों की जाँच कब तक हो जायगी और कौन अधिकारी कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास—

जी हाँ, जन प्रदर्शन हुआ और 13 सूत्री माँग पत्र प्रस्तुत किया गया। माँग पत्र में उल्लिखित आरोपों की जाँच उप पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद श्री हरगोविन्द शुक्ला द्वारा की जा रही है जो उनके द्वारा शीघ्र पूर्ण की जावेगी।

गणतन्त्र दिवस समारोह, हरदोई के संबंध में पत्र

*62—श्री अशोक बाजपेयी (जिला हरदोई)—

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का दिनाँक 20 जनवरी, 1979 को एक पत्र लिखा है जिसमें जिलाधिकारी, हरदोई द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह में माननीय विधायकों, संसद सदस्यों एवं सदस्य, विधान परिषद् को आमन्त्रित किए जाने के सम्बन्ध में है ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बनारसी दास—

जी हाँ। इस मामले में जिलाधिकारी, हरदोई से आख्या माँगी गई। त्रुटि के लिये जिलाधिकारी, हरदोई ने संबंधित अधिकारी व कर्मचारी को भविष्य में सतर्क रहने हेतु चेतावनी दे दी है।

दीवानी न्यायालय मेरठ का स्थानान्तरण

*63—श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या मेरठ जिला कोर्ट्स को वर्तमान स्थान से दूसरी जगह शहर से बाहर स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो इसका क्या कारण है ?

श्री श्रीचन्द्र—

मेरठ में वर्तमान दीवानी न्यायालयों के अहाते में विस्तार के लिये पर्याप्त भूमि न होने के कारण उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, समस्त दीवानी न्यायालय को वर्तमान स्थान से 4 कि0

मी0 दूर मवाना रोड पर स्थानान्तरित करने की एक योजना तैयार कर रहे है। इस प्रयोजन हेतु 5 एकड़ भूमि प्राप्त करने के लिये कार्यवाही उच्च न्यायालय द्वारा की जा रही है।

अभी तक उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से शासन को इन न्यायालयों को स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में न तो कोई प्रस्ताव ही प्राप्त हुआ था और न शासन स्तर पर इस सम्बन्ध में कोई निर्णय ही लिया गया है किन्तु अभी हाल में उच्च न्यायालय का एक प्रस्ताव इस बारे में उसके 8-3-79 में प्राप्त हुआ है।

कतिपय जिलों को पिछड़ा होने की कथित घोषणा

*64—श्री विजय राज सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने प्रदेश के कुछ जिलों को पिछड़ा घोषित कर रखा है और इसी आधार पर उद्योगों के लिए ऋण पर ब्याज की बहुत ही सस्ती दर निर्धारित की गयी है? यदि हाँ, तो क्या यही सुविधाएं इन जिलों में कृषि के लिए किसानों को दी जा रही हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम नरेश यादव—

राज्य सरकार ने न तो प्रदेश के कुछ जनपदों को पिछड़ा घोषित किया और न इस आधार पर उद्योगों के लिये ऋण की बहुत सस्ती दर ही निर्धारित की है। अतः प्रश्न का शेष भाग उठता नहीं।

एटा जिले में अनुसूचित जाति के थानाध्यक्ष

*65—श्री मानपाल सिंह एडवोकेट (जिला एटा)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा के कितने थानों में थानाध्यक्ष अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के हैं? क्या थानाध्यक्ष को थानों का चार्ज देते समय अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कोटे को पूरा किया जा चुका है? यदि नहीं, तो क्यों? और कब तक अनुसूचित जाति का कोटा पूरा कर दिया जायगा?

श्री बनारसी दास—

जनपद एटा के 17 थानों में से दो थानों के थानाध्यक्ष अनुसूचित जाति के हैं, जो निर्धारित कोटे के अनुसार है।

अलीगंज, लखनऊ में अग्निकांड

*66—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

क्या सरकार को जानकारी है कि लखनऊ महानगर के अलीगंज उपनगर में जनवरी, 1978 के प्रथम सप्ताह में एक झोपड़ी में आग लगाकर 4 वर्ष से 12 वर्ष की आयु के 5 बच्चे जिन्दा जला दिए गए? यदि हाँ, तो घटना की जाँच कराई गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बनारसी दास—

प्रश्न में उल्लिखित अग्निकाण्ड के सम्बन्ध में श्री राम गुलाम निवासी पाण्डे टोला, अलीगंज, लखनऊ ने एक सूचना थाना महानगर में दी। जाँच से 5 बच्चों के जलने की घटना इत्तफाकिया होना पाई गई।

वाराणसी जिले के मोहल्ला अस्सी निवासी श्री गया सिंह के विरुद्ध लिखायी गयी रिपोर्ट

*67—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या सरकार को जानकारी है कि भेलूपुर (वाराणसी) स्थित भारतेन्दु संस्थान पर 19 जून, 1978 को रात्रि में थाना भेलूपुर के इंचार्ज ने सब इन्सपेक्टर तथा एक दर्जन पुलिस के जवानों के साथ आक्रमण कर संस्थान के संयोजक श्री गया सिंह को बन्दी बना लिया

तथा संस्थान की अमूल्य साहित्यक कृतियों एवं उच्च शोध प्रबन्ध की दुर्लभ पाण्डुलिपियाँ ले गए जिसकी विधिवत सूचना रपट में दर्ज है ? यदि हाँ, तो उच्च स्तरीय गुप्तचर जाँच कराई जायगी ?

श्री बनारसी दास––

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनाँक 19 जून, 1978 को मोहल्ला अस्सी (वाराणसी) में स्थित मकान नं0 बी-1/84 एफ0 के मकान मालिक के नौकर द्वारा थाना मंलूपुर पर उक्त मकान के किरायेदार श्री गया सिंह के विरुद्ध न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद तोड़-फोड़ व निर्माण कार्य कराने की सूचना दी गयी। इस सूचना पर एक उप निरीक्षक तथा कुछ पुलिस कर्मचारी घटनास्थल पर गये तथा शान्ति भंग की सम्भावना पर श्री गया सिंह व पाँच अन्य लोगों को धारा 151/107/116 जा0फौ0 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया। धारा 107/116 जा0फौ0 की कार्यवाही न्यायालय के विचाराधीन है। श्री गया सिंह के मकान से अमूल्य साहित्यिक कृतियाँ एवं अन्य कोई वस्तु पुलिस द्वारा नहीं लिया गया था और न ही इस घटना की रिपोर्ट श्री गया सिंह द्वारा पुलिस में लिखाई गयी है। उक्त घटना के बारे में उन्होंने एक इस्तगासा न्यायालय में दाखिल किया था जो खारिज हो गया था परन्तु उन्होंने पुनर्विचार हेतु न्यायालय में रिवीजन प्रस्तुत किया था जो स्वीकार हो गया है।

बहराइच जिले के खंडिया वन में वृक्षों की नाजायज कटान

*68––श्री गजाधर प्रसाद (जिला बहराइच)––

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी वन प्रभाग, जनपद बहराइच के अन्तर्गत खंडिया सुरक्षित वन में माह सितम्बर, 1978 ई0 में 300 वृक्षों के नाजायज कटान की जानकारी शासन को है ? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में रेंज आफिसर तथा अन्य कर्मचारियों ने क्या कार्यवाही की ?

श्री काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन––

नाजायज कटान की सूचना शासन को नहीं थी। प्रश्न प्राप्त होने पर आवश्यक जानकारी की गयी है तथा यह ज्ञात हुआ है कि सितम्बर, 1978 में विभिन्न प्रजातियों के 276 पेड़ों की नाजायज कटान हुई थी जिस की सूचना प्राप्त होने पर रेन्ज अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी, बहराइच की सहायता से मौके पर प्राप्त माल को कब्जे में ले लिया गया तथा नाजायज कटान बन्द करायी गयी। नाजायज कटान का जुर्म करने वाले ठेकेदार द्वारा मुआवजा देने के विभागीय फैसले को स्वीकार न करने पर उसके विरुद्ध मामले को न्यायालय को भेजा जा रहा है।

बांदा जिले के ग्राम रमयापुर की श्रीमती तेजिया के साथ मारपीट की घटना

*69––श्री राम सजीवन (जिला बाँदा)––

क्या मुख्य मन्त्री बतायेंगे कि बाँदा जिले में पहाड़ी थाने के गाँव रमयापुर की हरिजन महिला श्रीमती तेजिया पति धनीराम को 8 अक्तूबर, 1978 को गाँव के कुछ सरकश गिरोहबन्द लोगों ने लाठियों से मारा पीटा था उसकी रिपोर्ट थाने में की गयी थी ? क्या उक्त महिला की ओर से पुलिस कप्तान, बाँदा को एक शिकायती-पत्र दिनाँक 13 अक्तूबर, 1978 देकर प्रार्थना की गयी थी कि उक्त घटना के कुछ ही दिनों बाद 12 अक्तूबर, 1978 को उसके पति को भी मारा-पीटा गया था जिसका डाक्टरी मुआइना 19 अक्तूबर, 1978 को सरकारी अस्पताल, करवी में हुआ था किन्तु थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी गयी ? हरिजन उत्पीड़न के इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बनारसी दास––

जी हाँ। मामले की न्यायालय से अनुमति लेकर विवेचना की गयी और अभियुक्तों के विरुद्ध 19 नवम्बर, 1978 को आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।

13 अक्तूबर, 1978 के प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र की जाँच से 12 अक्तूबर, 1978 की कथित घटना असत्य पाई गयी अत: किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पाई गयी। गाँव में पार्टी बन्दी व तनाव को देखते हुए धनीराम व उसके विपक्षियों सहित दोनों पक्षों के विरुद्ध धारा 107/116(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

पीलीभीत जिले के ग्राम धुरी खुर्द के श्री तोताराम द्वारा लिखायी गयी रिपोर्ट

*70—श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें दिनाँक 27 अगस्त, 1978 को श्री तोता राम, ग्राम घुरीखुर्द, थाना बिलसण्डा, जिला पीलीभीत का एक प्रार्थना-पत्र मिला है, जिसमें प्रार्थी ने अपने मामा के कत्ल के बारे में पुलिस की निष्क्रियता का उल्लेख किया है और कतिपय आरोप लगाए हैं? यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी जबकि उसने पुनः गृह मन्त्री जी को अनुस्मरण-पत्र दिनाँक 15 नवम्बर, 1978 को दिया है?

श्री बनारसी दास—

जी हाँ। दिनाँक 21 जुलाई, 1978 को कथित घटना के सम्बन्ध में वादी तोताराम ने थाने पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जो बाद में अपराध संख्या 123 पर धारा 302/201/34 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत दर्ज की गयी। स्थानीय पुलिस तथा सी0आई0 डी0 के चेकअप के बाद भी अपराध के समर्थन में साक्ष्य न मिलने के कारण विवेचना अन्तिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त की गयी। गुमशुदा प्रेम राम का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है।

जाँच से कोई पुलिस कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया।

कानपुर, न्यू बंगला देश कालोनी, गोविन्दनगर की श्रीमती निभारानी राय चौधरी का क्वार्टर

*71—श्री बाबूराम शुक्ल—

क्या सहायता एवं मन्त्री पुनर्वासन बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर स्थित न्यू बंगला देश कालोनी विद्यार्थी मार्केट, गोविन्द नगर में क्वार्टर नम्बर 19 श्रीमती निमरानीराय चौधरी को आवंटित किया गया था जिसमें वह सन् 1971 से रह रही थीं? क्या यह सही है कि दिनाँक 1 जनवरी, 1979 को रात्रि में उसी कालोनी के निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस की सहायता लेकर भीषण सर्दी में श्रीमती चौधरी का सामान बाहर फेंकवा दिया तथा चौधरी को बच्चों सहित क्वार्टर से बाहर जबरन भेज दिया? क्या यह भी सत्य है कि श्रीमती चौधरी आज तक क्वार्टर के सामने खुले मैदान में अपने बच्चों को लेकर पड़ी हैं? यदि हाँ, तो ऐसा किन परिस्थितियों में किया गया तथा शासन ने मामले में क्या कार्यवाही की?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

जी हाँ। वह कानपुर में आने के समय दिनाँक 17 फरवरी, 1978 से उक्त क्वार्टर में रह रही थीं न कि सन् 1971 से।

यह सही नहीं है कि उसी कालोनी के निवासी किसी व्यक्ति ने पुलिस की सहायता लेकर श्रीमती निभारानी रायचौधरी का सामान उनके आवास से बाहर फिंकवा दिया। सही बात यह है कि श्रीमती निभारानी रायचौधरी की दुकान पर कुछ ऐसे असामाजिक तत्व एकत्रित होते थे जिनकी गतिविधियों से विस्थापित परिवारों तथा आस-पास के लोगों में बड़ा आतंक था। अत: प्रशासनिक आधार पर श्रीमती चौधरी को उसी कालोनी में दूसरा आवास आवंटित करके उसमें शिफ्ट कराने हेतु पुलिस की सहायता ली गयी। श्रीमती निभारानी रायचौधरी को नये आवास संख्या 39 में शिफ्ट करना था, किन्तु उपरोक्त असामाजिक तत्वों के बहकावे में आ कर वह नये आवास में नहीं गयीं। श्रीमती चौधरी को कुछ अन्य

क्वाटर्स भी प्रस्तावित किये गए किन्तु वह उनमें भी जाने को तैयार नहीं हुईं अन्ततोगत्वा उन्हें उनके प्रार्थना पर ही आवास संख्या 103 आवंटित किया गया जिसमें वह दिनाँक 11 मार्च, 1979 को अपने परिवार तथा सामान के साथ चली गयी हैं। श्रीमती निभा रानी रायचौधरी को आवास संख्या 19 से हटाकर दूसरा आवास कालोनी के निवासियों के हित में ही प्रशासनिक आधार पर आवंटित किया गया।

श्री हर प्रताप सिंह, विधायक, इलाहाबाद के ऊपर घातक हमला

*72––श्री जंगबहादुर सिंह पटेल (जिला इलाहाबाद) तथा श्री अठईराम (जिला इलाहाबाद)–

क्या मुख्य मन्त्री को यह जानकारी है कि इस सन्दर्भ में माननीय सदस्य, श्री हरप्रताप सिंह को दिनाँक 22 जनवरी, 1979 को ग्राम नोटीडीह, थाना फूलपुर, इलाहाबाद में मार डालने का सुनियोजित षड़यन्त्र किया गया था ? इसके कारण क्या अब भी वहाँ तनाव व्याप्त है और क्या इस सम्बन्ध में सी0आई0डी0 जाँच की माँग हेतु दिनाँक 23 जनवरी, 1979 को कोई तार मिला था ? यदि हाँ, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बनारसी दास––

श्री हरप्रताप सिंह, विधायक के ऊपर दिनाँक 21 जनवरी, 1979 को उग्रेसनपुर के पास असामाजिक तत्वों द्वारा प्राणघातक हमला और जीप फूंक देने के प्रयास के सम्बन्ध में उच्च स्तरीय जाँच हेतु एक तार दिनाँक 23 जनवरी, 1979 को प्राप्त हुआ था। इस सम्बन्ध में जाँच करने से ज्ञात हुआ कि दिनाँक 21 जनवरी, 1979 को उक्त घटना के सम्बन्ध में श्री बद्री प्रसाद गुप्त, बी0एम0के0 कालेज, हंडिया की सूचना पर 7 नामाँकित अभियुक्तों के विरुद्ध थाना फूलपुर (इलाहाबाद) में एक मुकदमा अन्तर्गत धारा 147/323/336 भारतीय दण्ड विधान कायम करके विवेचना प्रारम्भ की गयी। दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, चार ने न्यायालय में आत्म समर्पण किया और एक अभियुक्त के विरुद्ध धारा 82/83 जा0फौज0 की कार्यवाही की गयी। सभी नामाँकित अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन है। उक्त मामले को लेकर वहाँ कोई तनाव व्याप्त नहीं है।

पीलीभीत के बीसलपुर किसान सहकारी चीनी मिल के विरुद्ध जांच

*73––श्री मुनीन्द्र पाल सिंह (जिला पीलीभीत)––

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सतर्कता विभाग के उप पुलिस अधीक्षक, श्री छदम्मी लाल शर्मा को वर्ष 1976–77, 1978 की बीसलपुर किसान सहकारी चीनी मिल, जिला पीलीभीत की अनियमितताओं की जाँच करने हेतु नियुक्त किया गया था ? यदि हाँ, तो उक्त जाँच में अब तक क्या प्रगति हुई।

श्री बनारसी दास––

गोपनीयता के कारण, जनहित में, वाँछित सूचना दिया जाना उचित न होगा।

अतारांकित प्रश्न

सार्वजनिक औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत मिर्जापुर के कर्मचारी

1––श्री राजनाथ सिंह (जिला मिर्जापुर)––

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर में कितने सार्वजनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान कार्य कर रहे हैं ? और प्रत्येक औद्योगिक प्रतिष्ठानों में अलग-अलग मिर्जापुर जनपद के कितने-कितने स्थायी निवासी सेवारत हैं ?

श्री रामनरेश यादव––

मिर्जापुर जनपद में कुल तीन सार्वजनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान कार्य कर रहे हैं जो निम्नलिखित हैं :––

1––सीमेंट कारपोरेशन लि0 की चुर्क एवं डाला सीमेंट फैक्टरी।

2—एक कम्बल की फैक्टरी ।

3—एक चीनी पात्र विकास केन्द्र ।

इन औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सेवारत मिर्जापुर के स्थायी निवासियों की संख्या निम्नवत् है :—

1—सीमेंट कारपोरेशन लि0 में	..	1561
2—कम्बल फैक्टरी में	..	44
3—चीनी पात्र विकास केन्द्र में	..	7

कुटीर लघु एवं बड़े उद्योगों को दिया गया ऋण एवं अनुदान

2—श्री शिव प्रसाद (जिला आजमगढ़)—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1977-78 एवं 1978-79 में कुटीर उद्योगों, लघु उद्योगों एवं बड़े उद्योगों पर कितनी धनराशि अनुदान एवं ऋण के रूप में व्यय की गयी है ?

श्री राम नरेश यादव—

वर्ष 1977-78 एवं 1978-79 (31 अक्तूबर, 1978 तक) में कुटीर उद्योगों, लघु उद्योगों एवं बड़े उद्योगों पर क्रमशः कुल 250.228 लाख रुपया एवं 33.921 लाख अनुदान तथा रुपया 2948.354 लाख एवं 1457. 220 लाख ऋण के रूप में किया गया ।

देवरिया जिले में नारायणी नदी के बाढ़ ग्रस्त ग्रामों को वन विभाग की भूमि के आवंटन की मांग

3—श्री श्रीनारायण—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के नारायणी नदी के किनारे के बाढ़ ग्रस्त गाँवों के लोगों को कृषि एवं आवास हेतु कहीं वन विभाग की भूमि देने तथा वन विभाग को इन बाढ़ ग्रस्त गाँवों की भूमि लेकर वन लगाने का विचार कर रहे हैं ? यदि हाँ, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

श्री काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन—

देवरिया जिले के नारायणी नदी के किनारे बाढ़ ग्रस्त गाँवों के लोगों को कृषि एवं आवास हेतु वन विभाग की भूमि देने तथा वन विभाग द्वारा इन बाढ़ ग्रस्त गाँवों की भूमि लेकर वन लगाने पर कोई विचार नहीं हो रहा है। इस आशय का कोई प्रस्ताव भी वन विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है ।

राजकीय कताई मिल लि०, अकबरपुर में कर्मचारियों की नियुक्ति और विज्ञापन

4—श्री हरीराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में उत्तर प्रदेश राजकीय कताई मिल लिमिटेड, अकबरपुर में दिनाँक 22 जुलाई, 1977 से दिनाँक 6 अक्तूबर, 1978 तक रिक्त पदों की पूर्ति हेतु जिला सेवा योजना कार्यालय अथवा समाचार पत्रों के माध्यम से नाम और अभ्यर्थियों के प्रार्थना पत्र माँगे गये थे ? यदि हाँ, तो समाचार-पत्र का नाम और दिनाँक क्या है ? क्या सेवायोजन कार्यालय द्वारा भेजी गयी सूची पता सहित प्रस्तुत करेंगे ।

श्री राम नरेश यादव—

जी हाँ, कतिपय प्राविधिक पदों तथा कुछ ट्रेनीज को छोड़कर जिन पर स्थानीय और ऐसे परिवार के व्यक्तियों को नियुक्त किया गया जिनके परिवार की जमीन मिल निर्माण हेतु

अधिगहीत की गयी थी, शेष पदों के लिए सेवायोजन कार्यालय से नाम माँगे गये थे अथवा समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए गये थे । जिनके नाम व तिथि निम्नलिखित हैं :—

नाम	तिथि
1—हिन्दुस्तान टाइम्स	.. 26-8-77 दिसम्बर, 1977, 13-5-78
2—पायनियर	.. 20-8-77 10-5-78
3—टाइम्स आफ इंडिया	.. 26-8-77
4—नेशनल हेराल्ड	.. 22-8-77 दिसम्बर, 1977
5—दैनिक जागरण	.. दिसम्बर, 1977 8-5-78

सेवायोजन कार्यालय द्वारा जिन पदों हेतु नाम भेजे गये थे उनकी सूची संलग्न है ।
(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 581–584 पर)

दुर्विजयगंज, लखनऊ की श्रीमती नन्हीं का भूमि संबंधी कथित शिकायती-पत्र

5—श्री श्याम दत्त पालीवाल (जिला आगरा)—

क्या मुख्य मन्त्री को दिनाँक 28 से 30 दिसम्बर, 1978 के बीच श्रीमती नन्हीं, बेवा स्व0 श्री चुन्नी लाल, 117, दुर्विजयगंज का कोई इस आशय का शिकायती-पत्र मिला है कि उसके राजेन्द्र नगर, लखनऊ स्थित भूमि पर कुछ सबल एवं शातिर लोगों का नाजायज एवं जबरिया तौर पर अस्थायी कब्जा है ? यदि हाँ, तो अब तक इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

प्रश्न गत शिकायतीपत्र प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता ।

गोंडा जिले के अगया माफी के श्री गुदन द्वारा लिखायी गयी रिपोर्ट

6—श्री विष्णु प्रताप सिंह (जिला गोण्डा)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जनपद के छपिया थाना में दिनाँक 1 नवम्बर, 1978 से 30 नवम्बर, 1978 तक कितनी नामजद रिपोर्ट धारा 147/323 भा0दं0सं0 में दर्ज की गयी है ? क्या इन रिपोर्ट में अगया माफी निवासी गुदन की रिपोर्ट भी शामिल है ? यदि हाँ, तो रिपोर्ट किन-किन लोगों के विरुद्ध की गयी थी तथा पुलिस ने अब तक उनमें क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास—

प्राप्त सूचना के अनुसार 1 रिपोर्ट अंकित की गयी है जो अगया माफी के गुदन की है । रिपोर्ट निम्नलिखित व्यक्तियों के विरुद्ध है :—

1—मुस्तफा
2—हसनरजा
3—निनकान
4—ईदू
5—ठेगू
6—रहमान

जाँचोपरान्त मुकदमें में अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गयी ।

वाराणसी जिले के थाना भदोही, रोहनिया, चौबेपुर के अन्तर्गत पिछड़ी जातियों के यहां पड़ी डकैतियां

7—श्री ऊदल—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाँव लखनपुर उर्फ अभयनपुर, थाना भदोही, तथा गाँव बंगालीपुर, थाना रोहनियाँ, व अइली सरैइया, थाना चौबेपुर, जिला वाराणसी में दिसम्बर के आखिरी सप्ताह में डकैती डाली गयी और 30 परिवारों को लूटा गया और अभयनपुर में दो की हत्या की गयी और दसियों लोगों को बुरी तरह से पीट कर लाखों का समान कुर्मी एवं कोइरी परिवारों से लूटा गया? यदि हाँ, तो उपरोक्त तीनों डकैतियों में अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बनारसी दास—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में थाना भदोही, रोहनिया तथा चौबेपुर में प्रश्न में उल्लिखित गाँवों में पिछड़ी जाति के लोगों के यहाँ क्रमशः डकैती पड़ने की तीन घटनाओं की सूचना उक्त थानों पर प्राप्त हुई। थाना भदोही पर अंकित डकैती की घटना में डकैतों की फायरिंग से दो व्यक्तियों की मृत्यु होने की सूचना भी दी गयी थी। उक्त घटनाओं के सम्बन्ध में थाना भदोही पर धारा 396 भारतीय दण्ड विधान, थाना रोहनिया व थाना चौबेपुर पर धारा 395/397 भारतीय दण्ड विधान के अधीन मुकदमें कायम किए गए हैं।

थाना भदोही पर कायम अपराध से सम्बन्धित प्रकाश में आये चार अभियुक्तों को, थाना रोहनिया पर कायम अपराध से सम्बन्धित एक अभियुक्त को तथा थाना चौबेपुर पर कायम अपराध से सम्बन्धित दो अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया तथा थाना चौबेपुर की घटना से सम्बन्धित 4 और अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्म समर्पण किया है। उक्त सभी अभियोगों की विवेचना प्रचलित है।

8—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[3रे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 55 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

आपातकाल में मीसा व डिसिर में गिरफ्तार किये गये राज्य कर्मचारी

9—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मुख्य मन्त्री को इसकी जानकारी है कि मीसा तथा डिसिर में आपातकाल में गिरफ्तार किए जाने के कारण जो राज्य कर्मचारी नौकरी से निकाल दिये गये थे उनमें से अभी कुछ ऐसे भी शेष हैं जो सेवा निवृत्ति की तिथि में नौकरी में नहीं लिए गये? यदि हाँ, तो उनकी संख्या क्या है तथा यह कब तक नौकरी में ले लिए जायेंगे?

श्री बनारसी दास—

आपातकाल में मीसा डिसिर में गिरफ्तार किए जाने के कारण जो राज्य कर्मचारी नौकरी से निकाल दिए गए थे उनमें से कोई भी नौकरी में लिए जाने हेतु शेष नहीं हैं।

आदर्श कारागार, लखनऊ के अप्रेन्टिस वार्डरों का बकाया वेतन

10—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय लखनऊ स्थित आदर्श कारागार में ऐसे कितने वार्डर कार्यरत हैं जोकि 4 वर्ष से अधिक अवधि से अपरेन्टिस के रूप में कार्यरत हैं? इस रूप में कार्य करने का कारण क्या है?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

इस समय आदर्श कारागार में 11 ऐसे अस्थायी वार्डर हैं जोकि 4 वर्ष से अधिक अवधि से अपरेन्टिस के रूप में कार्यरत हैं। ये सभी अस्थायी पदों पर कार्यरत हैं।

11—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या यह सही है कि लखनऊ स्थित आदर्श कारागार में कार्यरत अपरेन्टिस वार्डरों को लगभग 9 माह से अधिक अवधि का वेतन नहीं दिया गया है? यदि हाँ, तो क्यों तथा वेतन कब तक दे दिया जायगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

ऐसे केवल 3 अप्रेंटिस वार्डर हैं जिनके अस्थायी पदों की निरन्तरता की स्वीकृति के अभाव में वेतन का भुगतान रुका हुआ था। पदों की स्वीकृति दी जा चुकी है और यथा-शीघ्र ही उनके वेतन का भुगतान हो जाएगा।

सीतापुर जिले के सत्र एवं जिला न्यायालयों में लम्बित फौजदारी एवं दीवानी के मुकदमे

12—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिला में सत्र एवं जिला न्यायालय के अधीन अपराध एवं दीवानी के कितने-कितने वाद दिनाँक 20 अक्तूबर, 1978 को विचाराधीन थे? इनमें से ऐसे वाद कितने हैं जो 5 वर्ष से अधिक अवधि से विचाराधीन हैं ?

श्री श्रीचन्द्र—

दिनाँक 20 अक्तूबर, 1978 को सीतापुर जिला में सत्र एवं जिला न्यायालय के अधीन सभी प्रकार के फौजदारी के 9057 वाद तथा दीवानी के 2410 वाद विचाराधीन थे। उक्त तिथि को इनमें से 20 फौजदारी वाद तथा 127 दीवानी वाद 5 वर्ष से अधिक अवधि से लम्बित थे।

सीतापुर के दीवानी न्यायालय के भवन का निर्माण

13—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर में जिला कचहरी में न्यायालय के लिए नवीन भवन का बनना कब से विचाराधीन है? न्याय विभाग द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग को भवन बनाने हेतु कब निर्देश तथा धन दिया गया? अब तक न बनने का कारण क्या है? तथा बनना कब प्रारम्भ करा दिया जायगा ?

श्री श्रीचन्द्र—

सीतापुर में 10 दीवानी न्यायालय कक्षों के भवन के निर्माण का प्रस्ताव उच्च न्यायालय से शासन को अगस्त, 1976 में प्राप्त हुआ था। न्याय विभाग द्वारा उक्त भवन के निर्माण हेतु 23,76,000 रुपए के व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति 7 अक्तूबर, 1976 को प्रदान की गयी थी। उक्त निर्माण हेतु दीवानी न्यायालय के प्रांगण में पर्याप्त भूमि उपलब्ध न होने से 68 240 वर्ग फिट नजूल भूमि प्रदान की गयी परन्तु इस नजूल भूमि के कुछ भाग पर कतिपय अनधिकृत व्यक्तियों का कब्जा होने के कारण पूरी भूमि का कब्जा सार्वजनिक निर्माण विभाग को नहीं दिया जा सका। मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर दिसम्बर, 1978 में आंशिक रूप में उपलब्ध भूमि पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है।

सीतापुर-हरदोई मार्ग पर बसों व ट्रकों की लूट की घटना

14—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मुख्य मन्त्री को इसकी जानकारी है कि अक्तूबर, 1978 के प्रथम पखवारे में किन्हीं दिनों सीतापुर–हरदोई मार्ग पर कुछ लुटेरों ने कई बसों तथा ट्रकों को लूट लिया? यदि हाँ, तो पूरी घटना क्या है तथा इस बारे में शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? क्या यह सही है कि बस लूटने की घटना इस पखवारे में कई बार हुई है?

श्री बनारसी दास--

जी हाँ। दिनाँक 11 अक्तूबर, 1978 को सीतापुर-हरदोई मार्ग पर सशस्त्र लुटेरों द्वारा एक बस तथा 2 ट्रकों को लूटे जाने की सूचना है।

उक्त घटना के सम्बन्ध में दिनाँक 11 अक्तूबर, 1978 को थाना बेनीगंज में अपराध संख्या 377 धारा 395/397 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया। विवेचना से प्रकाश में आये 7 अभियुक्तों में से 3 अभियुक्त दिनाँक 25 अक्तूबर, 1978 को सीतापुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए तथा 4 अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्म समर्पण किया। सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र भेजे गये। मुकदमा विचाराधीन न्यायालय है।

यह सही नहीं है कि बस लूटने की घटना इस पखवारे में कई बार हुई है।

राजकीय कर्मचारियों की सांकेतिक हड़ताल एवं उनकी मांगें

15--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मुख्य मन्त्री को इसकी जानकारी है कि 26 अक्तूबर, 1978 को लखनऊ के विभिन्न राजकीय कार्यालयों में काम करने वाले राजकीय कर्मचारियों (मिनिस्टरीयल स्टाफ) ने अपनी कुछ माँगों को लेकर 2 घंटे की साँकेतिक हड़ताल की ? यदि हाँ, तो उनकी माँगें क्या हैं ? तथा इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बनारसी दास--

आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है।

कानपुर, महानगर में हत्या, डकैती व राहजनी की घटनायें

16--श्री बाबू राम शुक्ल--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर में 1 जनवरी, 1978 से 31 दिसम्बर, 1978 तक कुल कितनी हत्यायें, डकैतियाँ तथा राहजनियाँ हुई हैं ? क्या कुछ डकैतियाँ एवं हत्याएं ऐसी भी हैं जिनके अपराधियों का पता नहीं लगाया जा सका है तथा उनमें फाइनल रिपोर्ट लगा दी गयी ? यदि हाँ, तो कितनी ?

श्री बनारसी दास--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित अवधि में कानपुर महानगर के विभिन्न थानों पर हत्या की 86, डकैती की 13 तथा राहजनी की 153 रिपोर्टें दर्ज करायी गयीं। हत्या के 12 तथा डकैती के 5 मामलों में अन्तिम रिपोर्ट लगायी गयी।

उद्योग विभाग में हरिजनों का आरक्षण कोटा

17--श्री श्रीनारायण--

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उद्योग विभाग में हरिजनों के आरक्षण कोटे की पूर्ति के लिए कोई ठोस योजना सरकार के पास है ? यदि हाँ, तो क्या ? और नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव--

उद्योग विभाग में हरिजनों के आरक्षण कोटे की पूर्ति के लिए अलग से कोई विशेष योजना नहीं है। इस सम्बन्ध में शासन के वर्तमान आदेशों के अन्तर्गत ही कार्यवाही की जाती है।

देवरिया, विकास खण्ड खड्डा में कागज की फैक्टरी लगाये जाने की माँग

18--श्री श्रीनारायण--

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिले के सर्वाधिक पिछड़े हुए विकास खण्ड खड्डा में कागज की फैक्ट्री की योजना पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव--

जी नहीं।

हत्याओं एवं डकैतियों में हथगोलों एवं बमों का प्रयोग और मिस्कारों तथा रंगरेजों को बारूद की आपूर्ति

19--श्री श्रीनारायण--

क्या सरकार को ज्ञात है कि प्रदेश में जो डकैतियां तथा हत्याएं हो रही हैं, उनमें अधिकांश हथगोले और बमों का उपयोग होता है ? यदि हाँ, तो उन हथगोलों तथा बमों के बनाने में किन-किन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है ? क्या सरकार उन वस्तुओं को अपने पूर्ण नियन्त्रण में लेने की कृपा करेगी ?

श्री बनारसी दास--

सूचना एकत्र की जा रही है ?

20--श्री श्रीनारायण--

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि मिस्कारों को गज भरई बन्दूकों तथा रंगरेजों को पटाखों तथा आतिश बाजी के लिए बारूद दिया जाता है ? उसका उपयोग बदमाश बम तथा हथगोलों के बनाने में करते हैं जिसे डकैतियों तथा हत्याओं में बदमाश उपयोग में लाते हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार भरुही बन्दूकों तथा आतिशबाजी का प्रचलन रोकने हेतु मिस्कारों और रंगरेजों के बारूद का कोटा समाप्त करने पर विचार करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास--

सूचना एकत्र की जा रही है।

देवरिया जिले के ग्राम लक्ष्मीपुर व कुर्मीपट्टी में श्री सुदामा की हत्या

21--श्री श्रीनारायण--

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के थाना नेबुआ नौरंगिया के ग्राम लक्ष्मीपुर उर्फ कुर्मी पट्टी में 3 सितम्बर, 1978 को रामजी कोइरी के घर पड़ी डकैती में सुदामा मल्लाह मारा गया ? यदि हाँ, तो उसमें कौन सी कार्यवाही हो रही है ?

श्री बनारसी दास--

जी नहीं। प्राप्त सूचना के अनुसार कोई डकैती नहीं पड़ी थी परन्तु रास्ते में जा रहे कुछ बदमाशों को श्री रामजी कोइरी द्वारा टोकने पर बदमाशों द्वारा फायर कर दिया गया जिसमें श्री सुदामा की उन्हीं चोटों से दूसरे दिन मृत्यु हो गयी। इसके सम्बन्ध में थाना नेबुआ नौरंगिया में धारा 302 भा0द0वि0 के अन्तर्गत मुकदमा विवेचनाधीन है।

देवरिया जिले के ग्राम कुर्मी पट्टी में श्री राम जी के घर पर चोरी

22--श्री श्रीनारायण--

क्या मुख्य मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के थाना नौरंगिया, ग्राम कुर्मी पट्टी में ही 9 अक्तूबर, 1978 को रामजी मल्लाह के घर हुई डकैती के पीछे क्या रहस्य है ? कौन-कौन से डकैत पकड़ में आये हैं और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री बनारसी दास--

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री रामजी मल्लाह के घर दिनाँक 9 अक्तूबर, 1978 को कोई डकैती नहीं पड़ी थी परन्तु चोरी की रिपोर्ट अवश्य लिखाई गयी जिसका मुकदमा 380 भा0द0वि0 में अंकित था। वादी के बयान हल्फी के आधार पर मुकदमें में फाइनल रिपोर्ट देकर कार्यवाही समाप्त कर दी गयी।

देवरिया जिले के थाना नेबुआ नौरंगिया के अन्तर्गत डकैती व हत्या की घटनाएं

23—श्री श्रीनारायण—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के नेबुआ नौरंगिया थाने के अन्तर्गत जनवरी, 1978 से 20 नवम्बर, 1978 तक कितनी डकैतियाँ तथा हत्यायें कहाँ-कहाँ और कब-कब हुयीं ? किन-किन डकैतियों एवं हत्याओं में कौन-कौन से अभियुक्त हैं ? अब तक कौन-कौन अभियुक्त पकड़ में नहीं आये हैं और उनके खिलाफ कौन सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बनारसी दास—

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद देवरिया जिले के नेबुआ नौरंगिया थाने के अन्तर्गत जनवरी, 1978 से 20 नवम्बर, 78 तक कुल एक डकैती तथा 8 हत्या की घटनाएं हुई हैं। विस्तृत विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 585–586 पर)

देवरिया जिले में डकैती व कत्ल की घटनाएं

24—श्री श्रीनारायण—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के किन-किन थानों में 1 जनवरी, 1978 से 26 अक्तूबर, 1978 तक कितनी-कितनी डकैतियाँ और कत्ल हुए और कुल कितने अभियुक्त गिरफ्तार किए गए ? और क्या पूरे जिले में उक्त अवधि में पड़ी डकैतियों और कत्ल से सम्बन्धित सभी मुल्जिम गिरफ्तार कर लिए गए हैं ?

श्री बनारसी दास—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनाँक 1 जनवरी, 1978 से 26 अक्तूबर, 1978 तक देवरिया जनपद के विभिन्न थानों में 34 डकैती तथा 67 कत्ल हुए जिनका विवरण संलग्न है। उक्त मामलों में कुल 211 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, 235 अभियुक्त न्यायालय में हाजिर हुए तथा अभी 117 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाना शेष है।

(देखिए नत्थी "ज" आगे पृष्ठ 587 पर)

कानपुर महानगर की पुलिस चौकियों को थाना बनाये जाने की योजना

25—श्री बाबूराम शुक्ल—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर की सीमा के अन्तर्गत स्थित पुलिस चौकियों में से कुछ चौकियों को अपग्रेड करके थाना बनाने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो कब तक तथा कौन-कौन सी चौकियों को थाना बनाया जावेगा ? क्या जिन थानों में निरीक्षक प्रभारी नहीं हैं उनको भी अपग्रेड किया जावेगा ? यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री बनारसी दास—

कानपुर महानगर की सीमा के अन्तर्गत स्थित पुलिस चौकियों में से 4 प्रमुख चौकियों (चकेरी, पनकी, काकादेव तथा बेकनगंज) को उच्चीकृत करके थाना बनाए जाने तथा जिन थानों में निरीक्षक प्रभारी नहीं हैं उनको इन्सपेक्टर के प्रभार में रखने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है। आशा है कि इन प्रस्तावों को वित्तीय वर्ष 1979-80 में कार्यान्वित किया जाना सम्भव हो सकेगा।

मिर्जापुर पुलिस चौकी, डाला के निकट एन० टी० पी० सी० गाड़ी से दुर्घटना एवं ड्राइवर की मृत्यु

26—श्री ईश्वर प्रसाद—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर पुलिस चौकी डाला के अन्तर्गत दिनाँक 19 नवम्बर, 1978 को एन0टी0पी0सी0 की गाड़ी से दुर्घटना हुई थी जिस में एक आदमी मर गया था, अगर हाँ, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बनारसी दास—

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद मिर्जापुर पुलिस चौकी डाला के अन्तर्गत दिनांक 19 नवम्बर, 1978 को डाला के निकट सड़क के मोड़ पर डीजल पड़ा होने के कारण एन0टी0 पी0सी0 की गाड़ी को घुमाते समय अचानक स्लिप कर पलट जाने के फलस्वरूप गाड़ी के ड्राइवर की मौके पर मृत्यु हो गयी। पुलिस चौकी, डाला, थाना चोपन (जिला मिर्जापुर) पर श्री विजय प्रकाश अस्थाना, एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर, एन0टी0पी0सी0 शक्ति नगर, जिला मिर्जापुर की लिखित सूचना प्राप्त होने पर प्रारम्भ की गयी दरियाफ्त हाल विवेचना प्रचलित है।

आजमगढ़ के सहादतपुरा, मऊनाथ भंजन के श्री हरिहर सिंह का बाल विद्या मंदिर के संबंध में पत्र

27—श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया), श्री राम नरेश पाण्डेय (जिला देवरिया), तथा श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मुख्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि श्री हरिहर सिंह पुत्र श्री राम नारायण सिंह, एजेन्ट एम0ओ0एम0टी0ए0 मिशन कम्पाउन्ड, सहादतपुरा, मऊनाथ भंजन, आजमगढ़ का पत्र जिसमें कुछ अराजक तत्वों द्वारा एक बाल विद्या मन्दिर का ताला तोड़ कर स्कूल का बहुत सारा सामान चुराने एवं प्रार्थी के मकान का ताला तोड़कर हजारों रुपए का सामान चुराने एवं स्थानीय पुलिस का सहयोग होने तथा जान माल के खतरे की रक्षा के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही हेतु गृह मन्त्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को पत्र दिनांक 12 जनवरी, 1978 प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बनारसी दास—

यह पत्र प्राप्त होना प्रतीत नहीं हुआ। एक अन्य शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था। विवेचना के आधार पर मुकदमा फर्जी पाया गया और अन्तिम रिपोर्ट लगायी गयी। शान्ति व्यवस्था के लिए पुलिस ने 107/116 की कार्यवाही है।

28—राम आसरे वर्मा—

[पुनरावृति के आधार पर निरस्त]

आग्नेयास्त्र लाइसेंसों की जांच

29—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मुख्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 1977 के अन्त में आग्नेयास्त्र लाइसेन्सों की जाँच सम्बन्धी आदेश शासन की ओर से दिए गए ? यदि हाँ, तो जाँच अभियान के दौरान प्रदेश भर में कुल कितने लाइसेन्स रद्द किए गए ?

श्री बनारसी दास—

जी हाँ। जाँच अभियान के फलस्वरूप प्रदेश भर में कुल 462 लाइसेन्स रद्द किए गये।

लखीमपुर के थाना गोला के थानाध्यक्ष, श्री मोतीसिंह के विरुद्ध मुकदमा

30—श्री ऊदल—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला लखीमपुर खीरी में ज्यादातर थाने में ऐसे एस0ओ0 तथा सब इन्सपेक्टर तैनात हैं जिन पर दफा 7 की कार्यवाही की जा रही है और एक एस0 ओ0 ऐसे हैं जिन पर क्रमशः जिला रायबरेली के थाना सरैया में अपराध संख्या 148, धारा 354 का मुकदमा दर्ज है ? चार्ज शीट लग चुकी है और इनके खिलाफ डी0आई0जी0, लखनऊ रेंज ने 27 फरवरी, 1979 को भ्रष्टाचार का मुकदमा चलाने का आदेश दिया है और वे निलम्बित भी रहे हैं ?

श्री बनारसी दास—

जनपद खीरी के किसी भी थानाध्यक्ष एवं उप निरीक्षक के विरुद्ध इस समय पुलिस ऐक्ट की धारा 7 के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की जा रही है ।

जनपद खीरी के किसी थानाध्यक्ष का सम्बन्ध थाना सरैनी जिला रायबरेली में पंजीकृत अपराध संख्या 148 धारा 354 भा0द0वि0 से नहीं है ।

थानाध्यक्ष गोला श्री मोती सिंह के विरुद्ध थाना सरैनी, जिला रायबरैली में एक मुकदमा अपराध सं0 165 धारा–165, 420, 419, 467, 465, 471, 342 भा0द0वि0 तथा 5(2) तथा भ्रष्टाचार अधिनियम के अन्तर्गत 1973 में पंजीकृत हुआ था जिसमें विवेचना के उपरान्त पुलिस उप महानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र ने अभियोजन की स्वीकृति के आदेश 27-2-76 को दिए थे । न्यायालय द्वारा निर्णय 27-9-76 को दिया जा चुका है जिसमें श्री मोती सिंह दोषमुक्त हुए हैं । श्री मोती सिंह 2-3-76 से 4-10-76 तक निलम्बित रहे थे ।

लखीमपुर के थाना गोला में पुलिस के विरुद्ध लिखायी गयी रिपोर्ट

31—श्री ऊदल—

क्या यह भी सत्य है कि थाना गोला कोतवाली के रोजनामचा में रपट नं0 49 पर गत 7 अप्रैल, 1978 को एक सब इन्सपेक्टर ने तसकिरा दर्ज किया है जिसमें पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों पर गुटबन्दी और पक्षपात का आरोप लगाया गया है ? क्या यह सही है कि इन्हीं सब कारणों से जनपद लखीमपुर खीरी में अपराधों में वृद्धि हो रही है ? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बनारसी दास—

यह सत्य है कि श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा उप निरीक्षक ने दिनाँक 7-4-78 को रपट नं0 49 पर थाना गोला की जनरल डायरी में पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध गुटबन्दी का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट अंकित की थी। इस रिपोर्ट की जाँच क्षेत्राधिकारी पलिया द्वारा की गयी थी। जाँच से आरोप झूठे पाये गये ।

यह सत्य नहीं है कि उक्त जनपद में अपराधों में वृद्धि हुई बल्कि 1977 की तुलना में 1978 में अपराधों में कमी हुई है ।

बाराबंकी जिले में आग्नेयास्त्रों के लाइसेन्स के लिये प्राप्त प्रार्थना-पत्र

32—श्री ऊदल—

क्या मुख्य मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद बाराबंकी में वर्ष 1977 तथा 1978 में लाइसेन्सी असलहों हेतु दिए गए हजारों प्रार्थना पत्र अब तक अनिर्णीत पड़े हुए हैं जिसके कारण व्यापक भ्रष्टाचार प्रशासन में फैला हुआ है ? इन दोनों वर्षों में कुल कितने प्रार्थना पत्र दिए गए हैं कितने निरस्त किए गए, कितने प्रार्थना-पत्र स्वीकृत हुए तथा कितने अभी अनिर्णीत पड़े हैं ?

श्री बनारसी दास—

इस जनपद में वर्ष 1977 तथा 1978 में आग्नेयास्त्रों के लाइसेन्स प्राप्त करने के लिए 3122 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए जिसमें से 2144 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण हो चुका है । इस अवधि में 1334 प्रार्थना-पत्र स्वीकृत किये गये, 810 अस्वीकृत हुए तथा इस समय 978 प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं। प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण प्रार्थी की पात्रता को ध्यान में रखकर उसके गुणावगुण पर विचार करके किया जाता है। यह कहना उचित नहीं है कि इसके कारण भ्रष्टाचार व्याप्त है ।

33—श्री ऊदल—

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा कोई इस प्रकार का गुप्त आदेश प्रसारित किया गया है कि अल्प बचत योजना में 500 रु0 जमा किए बगैर या शासकीय पार्टी के विधायक की संस्तुति के बगैर लाइसेन्स न दिए जायें ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास—

जी नहीं ।

मौजा कोतवालपुरा, शहर वाराणसी की नजूल भूमि के संबंध में प्रार्थना पत्र

34—श्री ऊदल—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नजूल भूमि खण्ड सं0 184, 189, 213, 214 मौजा, कोतवालपुरा, परगना देहात अमानत जिला वाराणसी के पट्टे पर देने के सम्बन्ध में प्रशासक नगर महापालिका वाराणसी ने अपने पत्र संख्या नजूल 299/77-78, दिनाँक 15 मार्च, 1978 द्वारा जिलाधीश, वाराणसी को अतिरिक्त जिलाधीश (नगर), वाराणसी के पत्र संख्या 578/25-29(82-75) नजूल दिनाँक 4 दिसम्बर, 1977 के सम्बन्ध में लिखा है और उसकी प्रतिलिपि उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, स्वायत्त शासन, अनुभाग—2, लखनऊ, को भेजा है ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

प्रश्नगत भू खण्डों के सम्बन्ध में मामला न्यायालय में विचाराधीन है ।

35—श्री ऊदल—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, वाराणसी ने नजूल भूमि खण्ड सं0 213 व 214 के अंश मात्र 150 वर्ग फीट स्थित मौजा कोतवालपुरा, शहर वाराणसी को श्री विश्वनाथ प्रसाद साहू के पक्ष में तथा नजूल भूमि खण्ड संख्या 213 व 214 के अंशमात्र 3200 वर्ग फिट स्थित मौजा कोतवालपुरा, शहर वाराणसी को जयप्रकाश गोयल के पक्ष में पट्टे करने हेतु प्रार्थना-पत्र 1042/25—29/72-75/नजूल, दिनाँक 19 जनवरी, 1978 द्वारा उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के स्वायत्त शासन अनुभाग—2, लखनऊ के पास संस्तुति भेजी है और उसकी प्रतिलिपि आयुक्त, वाराणसी मण्डल तथा प्रशासक, नगर महापालिका, वाराणसी को भेजी है ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

प्रश्नगत भूखण्डों के सम्बन्ध में मामला न्यायालय के विचाराधीन है ।

श्री सतीश कुमार शर्मा, मोहल्ला कटरा, इलाहाबाद की हत्या के संबंध में प्रार्थना-पत्र

36—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मुख्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि सतीश कुमार शर्मा, मोहल्ला कटरा, थाना कर्नलगंज, इलाहाबाद की हत्या के सम्बन्ध में श्रीमती शीला देवी, 2/169 रेलवे क्वार्टर स्लीपर ग्राउन्ड, आलमबाग, लखनऊ द्वारा 23 जुलाई, 1977 को एक प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र सहित मुख्य मन्त्री के नाम दिया गया, मुख्य मन्त्री ने उसे समुचित कार्यवाही हेतु सचिव, गृह विभाग को लिखा ? यदि हाँ, तो उस सिलसिले में अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बनारसी दास—

जी हाँ । प्रश्न में उल्लिखित हत्या की घटना के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र सहित प्रश्न में उल्लिखित प्रार्थिनी का एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था । प्रार्थना-पत्र में अंकित आरोपों की अपराध अनुसन्धान विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जाँच कराई गयी । साक्ष्याभाव में विवेचना अन्तिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त कर दी गयी ।

जिला जेल, लखनऊ के नक्सलपन्थी बन्दी डा० सत्यापाल की कथित पिटाई

37—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या कारागार मन्त्री को जानकारी है कि जिला जेल, लखनऊ में नक्सलपंथी बन्दी डा0 सत्यपाल को 25 अक्तूबर, 1978 को रात में लगभग 8 बजे जेल अधीक्षिका के आदेश से पीटा गया और चोटों से आहत सत्यपाल बेहोशी की स्थिति में माडल जेल, लखनऊ में पहुंचाए गए जो वहाँ के अस्पताल में चोटों के इलाज के लिए भर्ती किए गए ? यदि हाँ, तो इस निर्ममता के लिए दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करने का शासन विचार करेगी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

एस० डी० एम०, हरदोई के विरुद्ध ज्ञापन

38—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मुख्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि 29 अक्तूबर, 1978 को एस0डी0एम0, हरदोई के भ्रष्टाचार, अनाचार एवं रिश्वतखोरी से सम्बन्धित एक ज्ञापन कृषि राज्य मन्त्री (श्री धीरेन्द्र सहाय) को उनके हरदोई आगमन पर दिया गया ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बनारसी दास—

दिनाँक 29 अक्तूबर, 1978 को श्री राम औतार शर्मा, मन्त्री, चीनी मजदूर यूनियन, हरदोई द्वारा भूतपूर्व कृषि राज्य मन्त्री जी (श्री धीरेन्द्र सहाय) को एक मेमोरेन्डम का देना पाया गया है । उस मेमोरेन्डम पर कृत कार्यवाही के बारे में छानबीन की जा रही है।

लखीमपुर खीरी के गोला रेंज के फारेस्टर, श्री श्री राम गुप्ता के विरुद्ध मुकदमा

39—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखीमपुर खीरी जनपद के गोला रेंज में नियुक्त फारेस्टर (श्री श्रीराम गुप्ता) के विरुद्ध हरदोई के चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में इस समय एक मुकदमा धारा 420, 409, 467, 468 के तथा दूसरा मुकदमा धारा 324 भा0द0सं0 के अन्तर्गत चल रहा है ? यदि हाँ, तो उक्त श्री गुप्ता को निलम्बित किए जाने की दिशा में कदम न उठाए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन—

जी हाँ। श्री गुप्ता के विरुद्ध भा0द0सं0 की धारा 409, 420, 467, 468 के अन्तर्गत एक मुकदमा पुलिस द्वारा दायर किया गया था तथा इन्हें अरण्पाल ने आदेश दिनाँक 29 नवम्बर, 1975 द्वारा निलम्बित किया। श्री गुप्ता ने इसके विरुद्ध उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच में एक रिट दायर की और न्यायालय ने अपने निर्णय दिनाँक 28 जनवरी, 1976 द्वारा निलम्बन आदेश को निष्प्रभावी घोषित किया। इसके उपरान्त उच्च न्यायालय ने दिनाँक 12 मार्च, 1976 को निर्णय दिया कि इस मामले में ऐसे तथ्य नहीं है जिससे कि दिनाँक 28 जनवरी, 1976 के निर्णय को वैकेट किया जा सके। अतः श्री गुप्ता को दिनाँक 22 मार्च, 1976 के आदेश द्वारा निलम्बन की तिथि से सेवा में बहाल कर दिया गया।

श्री गुप्ता के विरुद्ध भा0 द0 सं0 की धारा 324 के अन्तर्गत भी एक और मुकदमा पुलिस द्वारा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। इस मुकदमे तथा अन्य शिकायतों के सिलसिले में इन्हें निलम्बित करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

फिरोजाबाद के कांच व चूड़ी के प्रतिष्ठानों को कोयले का आवंटन

40—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या उद्योग मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद आगरा के उद्योग नगर फिरोजाबाद में वर्ष 1979 के लिए कांच व चूड़ी के प्रतिष्ठानों को कोल आवंटन का क्या आधार माना है ? क्या प्रतिष्ठानों के उत्पादन चार्ट को उद्योग विभाग ने बिक्री-कर कार्यालय से प्रमाणित कराया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव—

वर्ष 1979 की कोल नीति के अनुसार कांच व चूड़ी की इकाइयों को उनके पिछले तीन वर्षों में अधिक उत्पादन करने वाले वर्ष का 75 प्रतिशत तथा क्षमता का 25 प्रतिशत को आधार मानकर कोयले का आवंटन किया गया है।

औद्योगिक इकाइयों द्वारा प्रस्तुत उत्पादन आँकड़ों का मिलान, क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा बिक्री कर एवं इक्साइज विभाग में उपलब्ध करके आँकड़ों की तुलना करने के बाद तथा इकाई द्वारा वर्ष में किए गए कार्य दिवसों को ध्यान में रखकर किया गया है। बिक्री-कर कार्यालय द्वारा उत्पादन चार्ट प्रमाणित नहीं कराया जाता क्योंकि वह कार्यालय केवल इकाइयों द्वारा अदा किए गए बिक्री-कर का ही लेखा जोखा रखता है।

फैजाबाद जिल की टाण्डा तहसील में लघु उद्योग इकाइयों की स्थापना

41—श्री अब्दुल हफीज—

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 1978-79 में फैजाबाद जनपद की टाँडा तहसील में कितनी लघु उद्योग इकाइयों की स्थापना करने का लक्ष्य है और अब तक कितनी नई इकाइयाँ एक वर्ष में लगाई गई हैं और आने वाले अगले वर्ष में कितनी नई इकाइयाँ लगाई जायेंगी तथा उन्हें क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की जायेंगी ? तथा लगी इकाइयों को क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही हैं ?

श्री राम नरेश यादव—

निजी क्षेत्र में लघु उद्योग इकाइयाँ स्थापित करने हेतु उद्यमियों को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य जिलेवार निर्धारित किया गया है। वर्तमान वर्ष 1978-79 में फैजाबाद जनपद के लिए 100 इकाइयों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें से 15 फरवरी, 1979 तक 46 इकाइयाँ स्थापित हुई हैं। इनमें टाँडा तहसील में स्थापित 5 इकाइयाँ भी सम्मिलित हैं।

आगामी वर्ष 1979-80 में फैजाबाद जनपद के लिए 100 इकाइयाँ स्थापित करने हेतु उद्यमियों को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य प्रस्तावित है।

फजाबाद जनपद औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला घोषित किया जा चुका है। पिछड़े जनपदों में स्थापित होने वाली नई इकाइयों को शासन द्वारा देय/दी जा रही सुविधाओं/सहायताओं में से प्रमुख अनुलग्नक 'क' पर उल्लिखित हैं।

(देखिए नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 588 पर)

फैजाबाद जिले के कस्बा गोसाईगंज में छात्र-पुलिस संघर्ष में चलायी गयी गोली

42—श्री जय शंकर पाण्डेय—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जिले के गोसाईगंज कस्बे में दिनाँक 6 जनवरी, 1979 को छात्र पुलिस संघर्ष में कितने लोग किस धारा में गिरफ्तार हुए और कितने चक्र गोलियाँ चलाई गयीं ? घायलों की क्या संख्या है तथा शासन ने उनके उपचार की क्या व्यवस्था की ? गिरफ्तार लोगों में अध्यापकों की संख्या कितनी है तथा क्या उन्हें उच्च श्रेणी प्रदान की गयी ?

श्री बनारसी दास—

वाँछित सूचना क्रमानुसार निम्नवत है :—

(1) कुल 13 लोग धारा 147/336/436/283/395/307/325/323/149/332 तथा 189 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए।

(2) कुल 12 चक्र गोलियाँ चलाई गयीं।

(3) कुल 11 व्यक्ति घायल हुए जिसमें 7 पुलिस कर्मचारी तथा 4 छात्र थे।

(4) सभी घायलों की चिकित्सा स्थानीय राजकीय चिकित्सालय, फैजाबाद में की गयी तथा एक घायल छात्र को उपचार हेतु राजकीय चिकित्सालय की एम्बुलेन्स द्वारा बलराम पुर अस्पताल, लखनऊ भिजवाया गया। भली प्रकार के उपचार के फलस्वरूप चारों घायल छात्र एवं 7 पुलिस कर्मचारी पूर्ण रूप से स्वस्थ्य हो गये।

(5) गिरफ्तार किए गए 13 व्यक्तियों में 3 अध्यापक हैं।

(6) किसी अभियुक्त को उच्च श्रेणी नहीं प्रदान की गयी।

कानपुर-घाटमपुर थाना के अन्तर्गत विभिन्न अपराधों का विवरण

43—श्री राम आसरे अग्निहोत्री—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जनपद के अन्तर्गत घाटमपुर थाने में अगस्त, 1978 से 4 दिसम्बर, 1978 तक कितनी डकैतियाँ, राहजनियाँ, कत्ल, चोरियाँ, रोड होल्डर के मुकदमें दर्ज हुए और उसमें क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बनारसी दास—

प्रश्न में वाँछित सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ 589 पर)

फैजाबाद की कथित मेसर्स सुमन कैण्डिल वर्क्स के मोम का परमिट

44—श्री हुकमचन्द्र तिवारी—

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनाँक 16 अक्तूबर, 1978 को सुमन कैन्डिल वर्क्स, फैजाबाद को 100 टन देशी मोम का परमिट दिया गया ? यदि हाँ, तो किस आधार पर ?

श्री राम नरेश यादव—

मेसर्स सुमन कैन्डिल वर्क्स, फैजाबाद नाम की कोई इकाई पंजीकृत न होने पर किसी ऐसी इकाई को देशी मोम का परमिट नहीं दिया गया है। इस सन्दर्भ में परमिट देने के आधार का प्रश्न नहीं उठता।

मथुरा जिले के थाना सादाबाद में लिखायी गयी हत्या की रिपोर्ट

45—श्री हुकम चन्द्र तिवारी—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनाँक 8 नवम्बर, 1978 को अपराध संख्या 277/78 धारा 302, 201, 309 भा0दं0सं0 थाना सादाबाद, मथुरा की सी0आई0डी0 द्वारा जाँच कराने का अनुरोध किया गया था ? यदि हाँ, तो उस जाँच का क्या परिणाम रहा ? और शासन ने इस सन्दर्भ में क्या कार्यवाही की ?

श्री बनारसी दास—

जी हाँ। प्रश्न में सन्दर्भित पत्र शासन को प्राप्त हुआ। प्राप्त सूचना के अनुसार अपराध संख्या 277/78 अन्तर्गत धारा 302/309 भा0दं0वि0, थाना सादाबाद की विवेचना स्थानीय पुलिस द्वारा की गयी। विवेचना के उपरान्त अन्तिम रिपोर्ट लगाई गयी जो दिनाँक 13 दिसम्बर, 1978 को न्यायालय द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है।

उपरोक्त पत्र में पुलिस के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जाँच पुलिस उपाधीक्षक द्वारा किए जाने के आदेश दिए गए हैं।

कोतवाली, देवरिया के कोतवाल के विरुद्ध शिकायती-पत्र

46—श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद की कोतवाली देवरिया के कोतवाल द्वारा जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटे जाने के सम्बन्ध में कोई पत्र प्रश्न कर्ता विधायक का माह सितम्बर–अक्तूबर, 1978 में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो सरकार ने पत्र के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री बनारसी दास—

जी हाँ। जाँच से आरोप प्रमाणित नहीं हुए।

47—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

[मन्त्रि परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

48—श्री प्रदीप कुमार यादव—

[4 थे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 12 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

भूतपूर्व प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी के लोक सभा से निष्कासन के विरुद्ध आन्दोलन एवं गिरफ्तारी

49—श्री देव बहादुर सिंह—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी के लोक सभा के निष्कासन एवं बन्दी बनाने के विरोध में जो आन्दोलन प्रदेश में हुआ था उसमें कितने व्यक्ति दिनाँक 18 दिसम्बर, 1978 से 28 दिसम्बर, 1978 तक गिरफ्तार किये गये ?

श्री बनारसी दास—

प्रश्न में अंकित अवधि में 46,539 व्यक्ति गिरफ्तार हुए।

फैजाबाद जिले में औद्योगिक सर्वेक्षण

50–श्री मित्रसेन—

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि फैजाबाद जनपद में उद्योग विभाग द्वारा किए गए सर्वेक्षण के फलस्वरूप किन-किन औद्योगिक विकास की सम्भावनायें निकट भविष्य में हैं और अभी तक किन-किन क्षेत्रों में किस-किस प्रकार के कच्चा माल उपलब्ध होने की आशा है ? और विभागीय स्तर से इस दिशा में क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव—

फैजाबाद जनपद का नैशनल कौंसिल आफ एप्लाइड इकानामिक रिसर्च, नई दिल्ली, द्वारा कराये गये औद्योगिक सम्भाव्यता सर्वेक्षण के फलस्वरूप निम्नांकित उद्योगों के विकास की सम्भाव्यता पायी गई—

(1) चावल मिल, (2) दाल मिल, (3) खान्डसारी, (4) फल संरक्षण, (5) डेरी, (6) हड्डी मिल, (7) चमड़े का सामान, (8) बेकरी, (9) कृषि यंत्र आदि।

जनपद में कच्चे माल की उपलब्धता मुख्य रूप से धान, गेहूं, मटर, गन्ना आलू, पशुधन इत्यादि की है। उक्त कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर उद्योगों को यथेष्ट रुप से प्रोत्साहित किया जा रहा है।

जिलाधिकारी, फैजाबाद श्री गिरीश चन्द्र द्वारा दिया गया बालू का पट्टा

51—श्री मित्रसेन—

क्या यह सही है कि वर्ष 1972 में जिला फैजाबाद में नियुक्त जिलाधिकारी श्री गिरीश चन्द्र के विरुद्ध टान्डा में बालू का ठेका अनियमित रूप से देने के आरोप में कोई जाँच लखनऊ मन्डल के आयुक्त द्वारा करायी गयी ? यदि हाँ, तो जाँच का निष्कर्ष एवं परिणाम क्या ह ? उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी। यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास—

जी हाँ ।

इस मामले में तत्कालीन आयुक्त, लखनऊ मण्डल द्वारा जाँच करवाई गई तथा शासन स्तर पर छानबीन की गई और यह निष्कर्ष निकला कि श्री गिरीश चन्द्र ने बालू का पट्टा निष्पादित करने में सावधानी से कार्य नहीं किया, जिसके लिये भविष्य में सतर्क रहने हेतु उन्हें लिखित चेतावनी दी गई ।

फैजाबाद की ग्राम सभा मवई खुर्द के प्रधान द्वारा लिखायी गयी रिपोर्ट

52—श्री मित्रसेन—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम सभा मवई खुर्द, तहसील बीकापुर, फैजाबाद की ग्राम समाज सम्पत्ति काटे जाने के विषय में थाना इनायत नगर में उक्त ग्राम के प्रधान ने 9 फरवरी, 1978 को कोई रिपोर्ट दर्ज करायी थी ? यदि हाँ, तो क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास—

जी हाँ । जाँच से ग्राम समाज की आवंटित भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिये झाड़झंखाड़ काटते पाये गये । कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है ।

फैजाबाद जिला के थाना इनायत नगर व कुमारगंज के अन्तर्गत डकैती

53—श्री मित्रसेन—

क्या सरकार बताएगी की थाना इनायत नगर तथा कुमारगंज, जनपद फैजाबाद में पहली फरवरी से 31 मार्च, 1978 तक कितनी डकैतियाँ पड़ीं ? वे कौन-कौन से गाँव और किन-किन व्यक्तियों के यहाँ हुईं इससे कितने धन की क्षति हुई ?

श्री बनारसी दास—

थाना इनायत नगर के अधिक्षेत्र में 15/16 मार्च, 1978 की रात्रि में श्री सर्वादीन मिश्र, निवासी दुधारी मिश्र का पुरवा, मजरे निमडी के यहाँ डकैती पड़ी। श्री सर्वादीन के अतिरिक्त उसी रात्रि में उसी गाँव के सर्वश्री भवानी दीन, देवराज, रामनरेश तथा रामता के मकानों में भी उन्हीं डकैतों द्वारा लूट पाट की गई। सर्वादीन मिश्र आदि के यहाँ से 4,690 रु0 का माल, जेवर, कपड़ा आदि लूट जाना बताया गया।

इस अवधि में थाना कुमारगंज के अधिक्षेत्र में श्री झब्बर भूंज, साकिन समरी, मजरे गोकुला के यहाँ 14/15, मार्च 1978 की रात्रि में डकैती पड़ी जिसमें 6620 रु0 का जेवर कपड़ा आदि लूटा जाना बताया गया ।

फैजाबाद जिले के थाना खंडासा द्वारा चालान किये गये हरिजन व अन्य जाति के अपराधी

54—श्री मित्रसेन—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि वर्ष 1977 से मार्च, 1978 तक थाना खंडासा फैजाबाद में विभाग द्वारा चलाये गये अपराध निरोधक अभियान में कितने हरिजनों का विभिन्न अपराधों में चालान किया गया और उसी अभियान में विभिन्न दफाओं के कितने अन्य लोगों का चालान किया गया ?

श्री बनारसी दास—

42 हरिजन तथा 64 अन्य जाति के अपराधियों का चालान किया गया ।

फैजाबाद जिले के थाना कुमारगंज का कार्यक्षेत्र

55—श्री मित्रसेन—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में कुमारगंज नया थाना अभी हाल ही में स्थापित किया गया है जिससे थाना इनायत नगर तथा थाना अमानीगंज (खंडासा) का कार्य क्षेत्र प्रभावित हुआ है ? क्या उक्त थाना कुमारगंज का कार्यक्षेत्र परिसीमन का विषय अभी भी विभाग के विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो उपरोक्त थानों के कार्यक्षेत्र सीमा निर्धारण में जनप्रतिनिधियों (एम0 एल0 ए0, एम0 पी0) की सलाह ली गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास—

जी हाँ। जनपद फैजाबाद में कुमारगंज नया थाना अभी हाल ही में स्थापित किया गया है जिससे थाना इनायत नगर तथा थाना अमानीगंज (खंडासा) का कार्यक्षेत्र प्रभावित हुआ है। उक्त थानों के कार्यक्षेत्र की संशोधित अनुसूचियाँ पुलिस मुख्यालय से माँगी गयी हैं। अनुसूचियाँ प्राप्त हो जाने पर अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

नवीन थाना कुमारगंज की स्थापना के संबंध में तत्कालीन जनप्रतिनिधियों से विचार विनिमय किया गया था। थानों के कार्यक्षेत्र का निर्धारण जनहित व प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रख कर नियमानुसार किया जाता है।

शाहजहांपुर जिले की औद्योगिक इकाइयों पर बकाया धनराशि

56—श्री मुहम्मद रफी खां—

क्या सरकार बतलाएगी कि शाहजहाँपुर जिले में आज तक उद्योग विभाग का कितना-कितना कर्ज किन-किन उद्योगों पर बाकी है ? जिन्होंने और उद्योग लगाए नहीं या उद्योगों को चलाया नहीं और कर्ज का बेजा इस्तेमाल किया उनसे सरकारी रुपए की वसूलयाबी के लिये सरकार ने क्या किया या करने जा रही है ? हर उद्योग के बारे में लोन लेने वालों के नाम व पते क्या हैं ?

श्री राम नरेश यादव —

शाहजहाँपुर जिले में अब तक उद्योग विभाग द्वारा मुख्यालय निधि, आयुक्त निधि, हस्तकला योजना एवं सहकारिता योजनाओं के अन्तर्गत केवल 24 ऐसी इकाइयाँ हैं जिन पर उद्योग विभाग का कर्ज बाकी है। इन 24 इकाइयों की कुल धनराशि रुपया 1,48,275 वितरित की गई थी जिसमें से कुल रुपया 1,06,542 मूलधन तथा रु0 98,442 ब्याज के रूप में अवशेष है जिनका विवरण तथा अन्य सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ 590–594 पर)

बस्ती जिले के थाना परशुरामपुर के आवास का निर्माण

57—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि वर्ष 1974 में थाना परशुराम पुर, जिला बस्ती के कर्मचारियों के आवास निर्माण हेतु सरकार द्वारा 41 हजार रुपया स्वीकृत किया गया था ? यदि हाँ, तो अब तक कितना निर्माण-कार्य सम्पन्न हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास—

वर्ष 1974 में नहीं बल्कि वर्ष 1972–73 की नई माँगों के माध्यम से जिला बस्ती के थाना परशुरामपुर में 10 व्यक्तियों की एक बैरक तथा एक कान्सटेबिल के आवासगृह निर्माण स्वीकृत किया गया था लेकिन सीमित प्लान परिव्यय के कारण केवल उन्हीं निर्माण

कार्यों को प्राथमिकता प्रदान की गई थी जो प्लिंथ स्तर या उससे ऊपर तक निर्मित कराये जा चुके थे, चूंकि प्रश्नगत निर्माण कार्य उक्त स्तर तक नहीं पहुंच पाये थे, इसलिए उन्हें वर्ष 1978 के पूर्व प्रारम्भ नहीं कराया जा सका। इस समय कार्य की प्रगति लगभग 50 प्रतिशत तक हो चुकी है ।

आई० ए० एस० तथा पी० सी० एस० अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान की जाँच

58—श्री सुखपाल पांडेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस समय प्रदेश में कितने आई० ए० एस०, पी० सी० एस० अफसरों के विरुद्ध बिजिलेन्स की जाँच चल रही है ? उनमें से कितने की अन्तिम रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गई तथा उनमें से कितने निलम्बित हैं ? कितने सेवा कार्य में रत हैं उनकी सूची देने की कृपा करेंगे ?

श्री बनारसी दास—

जिन अधिकारियों के सम्बन्ध में सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जाँच पूरी हो गई है, उनकी सूचना एकत्रित की जा रही है तथा जिन अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान द्वारा अभी जाँच चल रही है उनके बारे में सूचना देना जनहित में न होगा।

फैजाबाद जिले में अपराध के संबंध में विधायकों एवं संसद सदस्यों की बैठक

59—श्री मित्रसेन—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि शान्ति और सुरक्षा की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए वर्ष 1977–78 तथा 1978–79 में जनपद फैजाबाद में नियमानुसार पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद ने विधायकों, संसद सदस्यों एवं जनप्रतिनिधियों की बैठकें बुलाई हैं ? यदि हाँ, तो वर्ष 1977–78 से अब तक कितनी बैठकें हुई हैं ? क्या इन बैठकों की कोई लिखित कार्यवाही रक्खी जाती है और उनमें आने वाले सुझावों को प्रदेश सरकार को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जाता है? यदि हाँ, तो अब तक उक्त अवधि में कौन-कौन से सुझाव आये हैं? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास—

जी हाँ, विधायकगण व संसद सदस्यों की विचार गोष्ठियों का आयोजन किया गया। वर्ष 1977 से अब तक 8 विचार गोष्ठियाँ आयोजित की गईं। इन गोष्ठियों में सुझावों का संक्षिप्त नोट रखा जाता है। और उनमें आने वाले सुझावों पर पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा समुचित कार्यवाही की जाती है। अभी तक शासन को कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

आगरा जिले की न्यायालयों में लम्बित हत्या, राहजनी व डकैती के मुकदमे

60—श्री रघुबर दयाल वर्मा—

क्या न्याय एवं कारागार मन्त्री बतलायेंगे कि जनपद आगरा में कितने अभियोग, हत्या, डकैती, राहजनी, अपहरण गोली चलने के जिला जज न्यायालयों (डिस्ट्रिक्ट सेसन्स कोर्ट) दिनाँक 28 अक्तूबर, 1978 तक प्रस्तुत किए गए ? उन अभियोगों में से कितनों में अब तक निर्णय दिये जा चुके हैं और कितने विचाराधीन हैं ? क्या उनमें के अधिक अभियोग 5 साल से अधिक समय के हैं ? यदि हाँ, तो सरकार ने इन मुकदमों के तुरन्त निस्तारण के लिए क्या कदम उठाया है ?

श्री श्रीचन्द्र—

28–10–78 तक जनपद आगरा में हत्या, डकैती, राहजनी, अपहरण तथा गोली चलाने के कुल 965 अभियोग लम्बित थे। इनमें से 17–1–79 तक 94 मुकदमे निर्णीत हो चुके हैं तथा 871 मुकदमे विचाराधीन है। केवल 18 मुकदमे पाँच वर्ष से अधिक समय के

लम्बित हैं जिनके शीघ्र निस्तारण के लिए जिला जज द्वारा सम्बन्धित न्यायालयों को निर्देश दे दिये गये हैं।

61—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[मंत्रि परिषद् में सम्मिलित हो जाने के कारण हटाया गया]

फैजाबाद जिले में सिन्थेटिक डिटरजेन्ट्स तथा क्लोज डाई फोजिग्स तथा शाड़ी यार्न के उद्योग की स्थापना

62—श्री जयशंकर पाण्डेय—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि क्या फैजाबाद में भी भारी उद्योग लगाने की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो फैजाबाद में उक्त योजना कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री राम नरेश यादव—

जनपद फैजाबाद में उ0 प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0 द्वारा सिन्थेटिक डिटरजन्टस तथा क्लोज डाई फोजिग्स के निर्माण की एक-एक इकाई तथा उ0 प्र0 पूर्वान्चल विकास निगम लि0 द्वारा साड़ी यार्न के निर्माण की एक इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव है। उक्त तीनों इकाइयाँ संयुक्त क्षेत्र में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है तथा उनके क्रमश: वर्ष 1981–82, 1982–83 तथा 1982–83 तक स्थापित हो जाने की सम्भावना है।

जुडीशियल मजिस्ट्रेट, बस्ती द्वारा मंजूर की गयी जमानत

63—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, बस्ती ने इन्चार्ज मजिस्ट्रेट की हैसियत से 22 दिसम्बर, 1977 से 20 जनवरी, 1978 तक अवकाश के समय कितने मुकदमों की जमानत मंजूर की कितने मुकदमों में सरकारी वकील से राय ली गई, कितने मुकदमों की जमानत स्पेशल मजिस्ट्रेट महोदय ने अपने निवास पर लिया। कितने मुकदमे की जमानत जज के न्यायालय से हुआ और किस किस धारा की क्या यह सही है कि नियमों का उल्लंघन करके स्पेशल मजिस्ट्रेट महोदय ने अपने निवास पर जमानत लिया। स्पेशल मजिस्ट्रेट महोदय के विरुद्ध प्रश्नकर्त्ता तथा कई अन्य लोगों ने 20 जनवरी, 1978 से 15 जून, 1978 तक कितनी शिकायत शासन को किया है ? और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीचन्द्र—

शीतकालीन अवकाश में जुडीशियल मजिस्ट्रेट सदर, डुमरियागंज एवं खलीलाबाद के न्यायालयों के कार्यरत मजिस्ट्रेटों के अवकाश की अवधि में स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बस्ती ने इंचार्ज मजिस्ट्रेट की हैसियत से कुल 74 मुकदमों में जमानत के प्रार्थना पत्रों पर आदेश पारित किये थे। इनमें से एक में आदेश 23–12–77 की रात को पारित किया गया था और उस समय ए0 पी0 पी0 उपस्थित नहीं थे परन्तु पुलिस की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी थी। जिला जज की अनुमति से, अस्वस्थता के कारण, स्पेशल जुडीशियल मजिस्ट्रेट ने अपने निवास स्थान पर आदेश पारित किये थे अत: नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया। जिन 74 मुकदमों में स्पेशल जुडीशियल मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत के प्रार्थना-पत्रों पर आदेश पारित किये गये उनके विवरण संलग्न तालिका में अंकित हैं। स्पेशल जुडीशियल मजिस्ट्रेट के विरुद्ध प्रश्नकर्त्ता का एक शिकायती पत्र दिनाँकित 2 मार्च, 1978 प्राप्त हुआ था जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा जाँच की गई थी परन्तु आरोप सारहीन पाये जाने पर शिकायत निक्षेप कर दी गई थी।

(देखिये नत्थी ठ आगे पृष्ठ 595–598 पर)

आगरा जिले के न्यायालयों में लम्बित आबकारी एवं जुआ के मुकदमे

64—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या न्याय मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा के न्यायालयों में कितने अपराध धारा 323, 324, भा0दं0 सं 0 जुआ ऐक्ट, शराब और आबकारी ऐक्टके अन्तर्गत गत 1976–77 और 1977–78 वर्ष में विचाराधीन पड़े हैं और कितनों में निर्णय हो चुका है ? क्या सरकार वादों के भार को कम करने पर कोई विचार कर रही है ?

श्री श्रीचन्द्र—

जनपद आगरा के न्यायालयों में वर्ष 1976–77 में धारा 323, 324 भारतीय दड संहिता, जुआ एक्ट, आबकारी एक्ट के अन्तर्गत कुल 8,138 विचाराधीन वादों में से 4644 वादों में निर्णय हो चुका है तथा 3,494 शेष हैं। इसी प्रकार वर्ष 1977–78 में कुल 9,940 विचाराधीन वादों में से 5,656 वादों में निर्णय हो चुका है तथा 4,284 वाद शेष हैं।

वादों के भ ार को कम करने के लिए सरकार न्यायालयों की संख्या में वृद्धि तथा छोटे अपराधों को शमनीय बनाने के लिये विधि में संशोधन पर विचार कर रही है।

ट्रांजिट कैम्प, रुद्रपुर, नैनीताल में पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों को दिया गया अनुदान

65—श्री रामदत्त जोशी—

क्या सहायता एवं पुनर्वास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ट्रांजिट कैम्प, रुद्रपुर (नैनीताल) में पिछले 20 वर्षों से ठहराये गये पूर्वी बंगाल तथा वर्मा के शरणार्थियों को खेती के लिए भूमि आवंटित कराकर उन्हें बसाने के लिए केन्द्रीय सरकार से कितनी धनराशि अनुदान के रूप में प्राप्त हुई है और उपरोक्त शरणार्थियों के पुनर्वासन हेतु राजस्व विभाग से कितनी जमीन किस जिले में प्राप्त हुई है ?

श्री मुहम्मद मसूद खां—

तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के पुनर्वासन के संबंध में जिलों से प्राप्त विवरण के आधार पर सूचना संलग्न है ।

वर्मा से प्रत्यावर्तित भारतीयों को पुनर्वासन विभाग के माध्यम से कोई भूमि नहीं दी गई है।

(देखिए नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ 599 पर)

मुसलमान डी० एम० एवं एस० एस० पी०

66—श्री शफीकुर्रहमान वर्क (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि प्रदेश में डी0 एम0 एवं एस0 एस0 पी0 की वर्तमान संख्या में मुसलमानों का औसत क्या है और इसको बढ़ाने के विषय पर सरकार विचार करेगी यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास—

जिला मजिस्ट्रेट के 56 पदों पर नियुक्त अधिकारियों में मुसलमान अधिकारियों का प्रतिशत 1.8 है एवं एस0 एस0 पी0 के दस पदों पर नियुक्त अधिकारियों में मुसलमान अधिकारियों का प्रतिशत शून्य है ।चूंकि उक्त पदों पर नियुक्ति के लिये जाति विशेष के आधार पर आरक्षण नहीं किया जाता, अतः प्रतिशत बढ़ाये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

शाहजहांपुर शहर में साम्प्रदायिक दंगों से संबंधित शिकायतें

67—श्री मुहम्मद रफी खां—

क्या मुख्य मंत्री बतलायेंगे कि शाहजहाँपुर शहर में कुछ लोगों द्वारा फिरकेवाराना फसाद कराने की कोशिश करने की शिकायतें सितम्बर व अक्तूबर, 1978 में उनको मिली ? यदि हाँ; तो क्या एहतियाती तदबीर सरकार ने इख्तियार की ?

श्री बनारसी दास--

जी हाँ। इस विषय पर प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 6-10-78 शासन को प्राप्त हुआ था।

एक अन्य शिकायती पत्र भी जिला प्रशासन को प्राप्त हुआ था। जाँच से शिकायत की पुष्टि नहीं हुई।

आगरा जिले के ग्रामीण अंचलों में रस्सी, साबुन, तेल-घानी हेतु दिया गया ऋण

68--श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि खादी ग्राम उद्योग बोर्ड, उत्तर प्रदेश की ओर से जनपद आगरा के ग्रामीण अंचल में लघु कुटीर उद्योग हथकरघा, सूत, साबुन, रस्सी बनाने व तेल-घानी, जूता आदि के विस्तार और उन्नति के लिये वर्ष 1975-76, 1976-77, 1977-78 में अनुदान, ऋण की सहायता दी गई ? यदि हाँ, तो धनराशि क्या है ? क्या उपरोक्त दिया गया ऋण वसूल हुआ है ? क्या उक्त उद्योग इकाई ग्राम क्षेत्रों में कार्यरत है ? क्या कुछ संस्थाओं और व्यक्तियों को ऋण से मुक्त किया गया है ? यदि हाँ, तो ऋण मुक्ति का आधार क्या है ?

श्री राम नरेश यादव---

उ0 प्र0 खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा हथकरघा उद्योग के विकास हेतु कोई आर्थिक सहायता नहीं प्रदान की जाती है और जनपद आगरा के ग्रामीण अंचलों में सूत उद्योग में कोई सहायता नहीं दी गयी। उक्त जनपद में रस्सी, साबुन बनाने ,तेल घानी एवं जूता आदि के बनाने हेतु 1975-76, 1976-77, 1977-78 में अनुदान, ऋण की सहायता दी गई।

स्वीकृत की गई आर्थिक सहायता की वर्षवार धनराशि निम्नलिखित है--

वर्ष	ऋण	अनुदान
	रु0	रु0
1975-76	67,000	3,000
1976-77	1,11,600	5,600
1977-78	1,72,450	9,950

उल्लिखित अवधि में रु0 31,662.50 पैसे की वसूली की गई।

उक्त उद्योग इकाइयाँ ग्राम तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में कार्यरत हैं।

किसी भी संस्था अथवा व्यक्तियों को ऋण से मुक्त नहीं किया गया है ?

लोक नायक जय प्रकाश नारायण के स्वास्थ्य एवं दिर्घायु होने की प्रार्थना के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष--

अब एक विशेष प्रस्ताव है जो पहले लिया जायेगा।

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)---

समग्र क्रान्तिके अग्रदूत लोकनायक जय प्रकाश 18-3-79 को पटना में गुर्दे की बीमारी से अचानक अस्वस्थ हो गये। समस्त राष्ट्र में उनके स्वास्थ्य के सम्बन्ध में चिन्ता स्वाभाविक है और यह सदन भी चिन्तित है। यह सदन परम पिता परमात्मा से उनके शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ और चिरायु होने की मंगल कामना करता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, नेता सदन ने बड़ा ही सामयिक प्रस्ताव रखा है। लोकनायक जय प्रकाश बाबू के स्वास्थ्य के बारे में सारा देश चिन्तित है और इसलिये सब की प्रार्थना है कि वह शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। सन् 1942 के स्वतंत्रता संग्राम के आन्दोलन में उनका सहयोग सारे देश के लिये बड़ा ही प्रेरणादायक है। इसलिये मैं भी, जो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है उसका समर्थन करता हूं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

माननीय मूख्य मंत्री ने जो प्रस्ताव श्री जय प्रकाश नारायण के बारे में किया है मैं उसका अपनी ओर से तथा अपनी दल की ओर से समर्थन करता हूं और कामना करता हूं कि उनको जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य लाभ मिले।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, नेता सदन ने जो सम्मानित जय प्रकाश नारायण के बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं उसका अपनी ओर से तथा अपने दल की ओर से समर्थन करता हूं। वह स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, भूदान सेनानी हैं। हमारे देश और प्रदेश में जब भी कोई संकट की घड़ी आती है, तो मदद करते हैं, इसलिये लोग उनकी तरफ भरोसा की दृष्टि से देखते हैं। हम चाहते हैं कि वह भरोसा चिरकाल तक बना रहे और भगवान उनको चिरायु करें।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

नेता सदन ने श्री जय प्रकाश नारायण के स्वास्थ्य के सिलसिले में जो प्रस्ताव रखा है मैं उससे प्रगतिशील विधायक दल को और अपने को सम्बद्ध करता हूं और यह कामना करता हूं कि वह जल्दी ही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें और जो नई दिशा इस देश को उन्होंने दिया है उस दिशा को प्रेरक के रूप में वह हमेशा हमारे बीच में बने रहें।

श्री ए0 सी0 ग्राइस (नाम-निर्देशित आँग्ल भारतीय)--

मान्यवर, नेता सदन ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका अपनी तरफ से, क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से तथा एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की तरफ से समर्थन करता हूं और खुदा से दुआ करता हूं कि श्री जय प्रकाश नारायण जल्दी स्वास्थ्य लाभ करें।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि समग्र क्रान्ति के अग्रदूत लोकनायक जय प्रकाश 18-3-79 को पटना में गुर्दे की बीमारी से अचानक अस्वस्थ हो गये। समस्त राष्ट्र में उनके स्वास्थ्य के संबंध में चिन्ता स्वाभाविक है और यह सदन भी चिन्तित है। यह सदन परम पिता परमात्मा से उनके शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ और चिरायु होने की मंगल कामना करता है।

(किसी के आपत्ति न करने पर)

मैं समझता हूं कि पूरा सदन एक मत से इस प्रस्ताव के पक्ष में है इसलिये यह प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित हुआ।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--

मान्यवर, मेरे अतारांकित प्रश्न सं0 5 में मैं उसके उत्तर की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि माननीय आवास मंत्री ने उत्तर दिया है कि प्रश्नगत शिकायती पत्र प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री जी को नाजायज कब्जे के संबंध में शिकायती पत्र लिखा गया है लेकिन मंत्री ने उत्तर अनिश्चित दिया है। तो या तो मंत्री महोदय का कार्यालय काम नहीं करता या उत्तर गलत दिया है।

श्री उपाध्यक्ष--

इसकी मैं इजाजत नहीं देता हूं। यह उसी समय आपको कहना चाहिये था।

श्री श्यामदत्त पालीवाल—

जब प्रश्न के रूप में शिकायत पहुंची थी तो उनका फर्ज था कि इस बात की जानकारी करवाते ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप कृपया बैठ जायं ।

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । मैं प्रश्नकाल में ही उठाना चाहता था, लेकिन उस वक्त इसलिये नहीं उठाया, मान्यवर, कि आप कहते कि इस समय व्यवस्था का प्रश्न न उठायें। मान्यवर, जो प्रश्न था, उसका उत्तर दे रहे थे माननीय मंत्री, राष्ट्रीय एकीकरण तो मुझे ऐसा लगा था कि उत्तर सामान्य प्रशासन का आ रहा है। जहां तक मुझे मालूम है, यह माननीय शम्भू नाथ चौधरी का प्रश्न है, जिसका ताल्लुक सामान्य प्रशासन से है कि कितने अनुसूचित जाति के या अन्य राजपत्रित हैं। यह गोपन और नियुक्ति से संबंधित प्रश्न था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या राष्ट्रीय एकीकरण में सामान्य प्रशासन सम्मिलित है या सामान्य प्रशासन में राष्ट्रीय एकीकरण सम्मिलित है। अगर ऐसा है तो मैं बैठ जाता हूं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तो माननीय मंत्री जी को उत्तर नहीं देना चाहिये था। सामान्य प्रशासन मंत्री जी को उत्तर देना चाहिये था। या मंत्री जी उठकर खड़े होते और कहते कि सामान्य प्रशासन की तरफ से उत्तर दे रहा हूं। लेकिन ऐसा नहीं किया। तो, मान्यवर, अपनी कम जानकारी के कारण, मैं जानना चाहता हूं कि आप इस पर व्यवस्था दें क्योंकि मुख्य मंत्री जी भी बैठे हुये थे। क्या मुख्य मंत्री जी ने कोई इस तरह से विभागों का बटवारा किया है, जो हम लोगों से छिपा रखा है ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो विभागों के वितरण की बात है। जब उन्होंने उत्तर दिया तो आपको समझ लेना चाहिये था कि उनके जिम्मे चार विभाग हैं।

श्री श्यामधर मिश्र—

यह मैं उस वक्त कैसे कहता ?

श्री उपाध्यक्ष—

अब इस पर नहीं। अब मैं शून्य प्रहर की जो सूचनाएं प्राप्त हुयी हैं, उनको ले रहा हूं। आप कृपया बैठें। श्री पूरन चन्द्र.....

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, एक बात कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

अब नहीं। मैंने श्री पूरन चन्द्र को बुला लिया है। आप बैठ जायं।

राजकीय अनुमोदित विद्यालय, लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री पूरन चन्द्र (जिला अल्मोड़ा)—

राजकीय अनुमोदित विद्यालय, लखनऊ में अधीक्षक श्री काजी असमतउल्ला, सुपरवाइजर एवं कार्यकारी प्रधान लिपिक श्री सलमान अली, उपाधीक्षिका श्रीमती जया कुदेसी द्वारा की जा रही अनियमिततायें।

मान्यवर, राजकीय अनुमोदित विद्यालय उ0 प्र0 बाल अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग के अधीन संचालित संस्था है। यहाँ पर विभिन्न बाल न्यायालयों द्वारा बाल अपराधी निरुद्ध होते हैं, जहाँ पर आवासीय सुविधा है, आवासीय सुविधा के साथ-साथ उनके निःशुल्क भोजनादि एवं शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था शासन द्वारा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री पूरन चन्द्र]

अधीक्षक ने शासन के आदेश का उल्लंघन करके स्टोर परचेज नियमों के विरुद्ध फर्जी वस्त्र विक्रेता से 400 अदद कम्बलों की मनमानी खरीदारी करके शासन को 15,000 की हानि पहुंचायी। अधीक्षक द्वारा हेड क्लर्क के माध्यम से फर्जी कोटेशन कागजी खानापुरी दिखाते हुये घटिया किस्म के ऊनी सूती मिले जुले 400 कम्बलों की खरीदारी किये जाने में निम्न प्रकार के गम्भीर वित्तीय अनियमिततायें की गयी हैं--(1) बिना डायरेक्ट परचेज सर्टीफिकेट, उद्योग निदेशक का प्राप्त किये कम्बलों की खरीद किया जाना। (2) बिना जरूरत भारी तादाद में ऊंची दरों पर अनधिकृत फर्म मेसर्स धारी-लाल सेल्स कारपोरेशन जनरलगंज, कानपुर से माल की खरीद किया जाना जब कि संस्था में संवासियों की मासिक औसतन संख्या 200 के अंदर रही और भण्डार में 397 कम्बलों का स्टाक था। निर्धारित बजट से ही कम्बलों की खरीद की जा सकती थी, परन्तु यदि जरूरत भी थी तो 100 कम्बलों की खरीद करके काम चलाया जा सकता था परन्तु अधीक्षक ने 400 कम्बल खरीद कर सरकार के धन को ब्लाक कर दुरुपयोग किया है जबकि नियमानुसार कम्बल गाँधी आश्रम, दरिया जेल डिपो, तथा चादरें एवं तौलिये हण्डलूम से एवं कपड़े डी0 सी0 एम0 से ही खरीद किये जाने थे जो न करके मनमाने ढंग से किया गया। (3) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की अनियमित नियुक्तियाँ। (4) बैण्ड पार्टी बुकिंग से प्राप्त आय में गोलमाल। (5) अधीक्षक और श्री सलमान अली द्वारा दिनाँक 20-2-1979 को बैण्ड बुकिंग की धनराशि 250 रुपये का गबन। (6) संवासियों से बन्धुआ मजदूरों की भांति कार्य लिया जाना। (7) एम0 पी0 आर0 में गलत आँकड़े दिया जाना।

अतः मैं शासन से अनुरोध करूंगा कि उपरोक्त मामले पर आवश्यक कार्यवाही करते हुये उक्त दोषी कर्मचारियों को जो जनता सरकार की छवि को बिगाड़ना चाहते हैं तथा सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, के प्रति कठोर कदम उठाये जायें ताकि शासन की नीति सुदृढ़ हो सके।

श्री रघुबर दयाल वर्मा (जिला आगरा)--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। निवेदन .....

श्री उपाध्यक्ष--

इस समय आप इसको न उठायें। अब तो नियम 301 चल रहा है।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय एकीकरण मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का स्थगन आदेश मिल गया है। लेकिन हाई कोर्ट .....

श्री उपाध्यक्ष--

मैं इसकी इजाजत नहीं देता। इसके बारे में आप लिखकर दे दें तो विचार कर लेंगे

पंचायत सेवकों की भर्ती में मीसा तथा डिसिर में निरुद्ध व्यक्तियों तथा उनके आश्रितों को आरक्षण न दिये जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासनादेश संख्या राष्ट्रीय एकीकरण संख्या 2003/चालीस-रा0ए0, 6-11-77 के अनुसार राजकीय सेवाओं में भर्ती के लिए मीसा तथा डिसिर में निरुद्ध व्यक्तियों तथा उनके आश्रितों को आरक्षण प्रदान किया गया है। परन्तु इस समय सम्पूर्ण प्रदेश में पंचायत सेवकों की भर्ती में यह सुविधा नहीं दी जा रही है। आवेदन पत्र का जो प्रारूप विज्ञापित हुआ है, उसमें कालम 7 में मात्र यह जानकारी माँगी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गयी है कि क्या आप मीसा, डी0आई0आर0 के बन्दी रहे हैं। प्रमाण सम्मिलित किया जाय। इससे यह स्पष्ट है कि मीसा तथा डिसिर के बन्दियों के आश्रितों को सुविधा नहीं है। इस प्रकार मेडिकल विभाग में भी यही चूक हो चुकी है।

इस भूल से शासन की मंशा पूरी होने में बाधा उत्पन्न हो गयी है। स्वाभाविक है कि सम्बन्धित व्यक्तियों में रोष बढ़ा है। मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय राष्ट्रीय एकीकरण न्त्री के संज्ञान में यह तथ्य लाकर तत्काल माननीय पंचायतराज मन्त्री से पूर्ण सुधार कराने ी आशा करता हूं।

हरदोई जिले के मल्लावां क्षेत्र में नहरों की सफाई तथा पुलों का निर्माण कार्य ठप्प हो जाने के विषय का नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

हरदोई जिले के मल्लावाँ निर्वाचन क्षेत्र में आने वाली सभी पुरानी ड्रेनों की सफाई, नई ड्रेनों के प्रस्ताव तथा पुरानी ड्रेनों के पुलों के निर्माण कार्य खटाई में पड़े हुए हैं। परिणाम स्वरूप हजारों एकड़ भूमि बेकार हो जाती है और जन-जीवन अस्त व्यस्त है। मोहना-रुइया अटवा, बाँसा, गंज जलालाबाद आदि क्षेत्र की सभी ड्रेनें गत कई वर्ष से बिना सफाई की पड़ी हुई हैं। मुश्तफाबाद ड्रेन की भांति कई ड्रेने सिर्फ कागजों पर बनकर रह गयी हैं। हथौड़ा ड्रेन में परसौला इसरापुर आदि स्थानों पर वर्षों से निर्माण रोक रक्खा गया है जिसमें आज भी काछदऊ क्षेत्र में आवागमन सम्भव नहीं हो पा रहा है और विकास कार्य रुके पड़े हुए हैं। गाजी हैदरउद्दीन कैनाल पर बढ़ावा और गौरा गाँव के पास गत तीन चार वर्षों से ईंटें डलवा रक्खी गयी हैं किन्तु पुलों का निर्माण कराने के बजाय अधिकारी उन ईंटों को उठा कर अपने निजी कामों में लगाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कैनाल पर पड़रा के पास पुराने पुल को तोड़ कर पाँच छः वर्ष पूर्व एक नये पुल का निर्माण हुआ था। पुल अलग बना पड़ा है और पानी अलग जा रहा है। शेखवापुर पड़रा जैसे गाँव तबाह हो रहे हैं।

ड्रेनों का मसला हमारे क्षेत्र के लिए जीवन मौत का प्रश्न बना हुआ है। कई बार शासन का ध्यान इस ओर दिलाया गया किन्तु विगत 2 वर्षों से इस दिशा में कोई भी कार्यवाहियाँ नहीं हुई पुनः उक्त गम्भीर समस्या की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए माँग करता हूं कि हरदोई जिले के मल्लावाँ निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली सारी ड्रेनों की सफाई व सर्वेक्षण कर नई ड्रेनों के निर्माण एवं हथौड़ा तथा अन्य ड्रेनों पर पुलों के अविलम्ब निर्माण की व्यवस्था की जाय।

सहायक चकबन्दी अधिकारी, बहराइच श्री सत्य देव प्रसाद द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अपमानित करने की शिकायत के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, बहराइच जनपद के अन्तर्गत कार्य लेखन चकबन्दी कार्यालय, बहराइच में दिनाँक 20-1-79 को श्री सत्य देव प्रसाद, सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा श्री फौजदार शुक्ल, लेखपाल तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ शाखा, बहराइच के अध्यक्ष को कर्मचारियों एवं जनता जनार्दन के सामने थप्पड़ मार कर और गाली देकर अपमानित किया गया था। जिस पर उक्त लेखपाल व संघ के पदाधिकारियों ने निदेशालय एवं जिलाधिकारी महोदय, बहराइच को जाँच करके दोषी व्यक्ति को दंडित अथवा उचित कार्यवाही करने की प्रार्थना की थी जिस पर श्रीमान् ब0 अ0 च0 महोदय, बहराइच को जाँच का आदेश हुआ परन्तु उक्त अधिकारी द्वारा जानबूझ कर जाँच में टाल-मटोल करने अधिक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमला प्रसाद वर्मा]

समय बिताकर जाँच करना, 18 कर्मचारियों के बयान लेने के बावजूद सहायक चकबन्दी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही न करना तथा उक्त सहायक चकबन्दी अधिकारी के विरुद्ध ग्राम चहलवा के असामियों द्वारा 75,000 रु0 अवैधानिक ढंग से लेने की जाँच रिपोर्ट पत्रावली अपराध नं0—61 के अनुसार दोषी सिद्ध होने पर भी दंडित न करके उक्त पत्रावली को ही गायब कर देना तथा श्रीमान ब0 अ0 च0 महोदय द्वारा विभिन्न अवसरों पर सम्बन्धित निर्दोष चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बिना स्पष्टीकरण का अवसर दिये प्रभाव में आकर बदले की भावना से निलम्बन करने एवं प्रविष्टियों की बार-बार धमकी देने से जनपद बहराइच के समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में घोर असंतोष व्याप्त हो गया। फल-स्वरूप दिनाँक 18—3—79 को जनपद के समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने संघ के माध्यम से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की घोषणा कर दी है जिससे जिले में चकबन्दी विभाग का सारा कार्य शिथिल होकर पूर्णतया ठप हो जाने की संभावना हो गई जिससे जनपद की सम्पूर्ण जनता प्रभावित हो रही है। साथ ही शासन द्वारा निर्देशित लक्ष्य का पूरा होना असम्भव हो जायेगा। जाँच अधिकारी ब0 अ0 च0 महोदय बहराइच के विरुद्ध भी सभी कर्मचारियों ने अविश्वास प्रकट कर दिया है जिससे सम्पूर्ण जनपद में भयंकर संकट उत्पन्न होकर अशाँति एवं अस्थिरता का वातावरण हो गया है।

अस्तु अविलम्बनीय लोक महत्व के इस सुनिश्चित प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से गरिमापूर्ण सदन के संज्ञान में लाते हुये शासन से निवेदन करता हूं कि उक्त सहायक चकबन्दी अधिकारी को जनपद बहराइच से तुरन्त स्थानान्तरित किया जाय तथा जाँच के दौरान 18 कर्मचारियों के बयानात को देखकर दोषी कर्मचारी को दंडित किया जाय तथा चहलवा मौजे से संबंधित पत्रावली को गायब करने संबंधी कर्मचारी को दंडित किया जाय ताकि सार्वजनिक अहित एवं अशान्ति तथा अस्थिरता का वातावरण समाप्त होकर सामान्य रूप से जनपद का कार्य हो सके तथा कृत कार्यवाही से मुझे भी अवगत कराया जाय।

फर्रुखाबाद की तहसील कन्नौज एवं छिबरामऊ में ओलावृष्टि से फसल को क्षति के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राम बक्स (जिला फर्रुखाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व मन्त्री जी का ध्यान जनपद फर्रुखाबाद के तहसील कन्नौज एवं छिबरामऊ में हुई भयानक उपलवृष्टि की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस उपलवृष्टि के कारण लगभग 400 ग्रामों के किसानों की फसल को क्षति पहुंची है जबकि लगभग एक सौ ग्रामों में नुकसान शत प्रतिशत हुआ है। इसके कारण फर्रुखाबाद जनपद की उक्त दो तहसीलों के लाखों लोगों के भूखों मरने की भयावह स्थिति उत्पन्न हो गयी है। एक ओर खाने के लिए अगले नौ महीने तक अन्न उत्पादन की कोई आशा नहीं है। वहाँ पशुओं के लिए चारे की भी भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गयी है। श्रीमान जी, यह इस क्षेत्र के किसानों का महान दुर्भाग्य है कि पिछले वर्ष भी उपलवृष्टि से इन लोगों का अपार नुकसान हुआ था। उसके बाद अतिवृष्टि और बाढ़ से खरीफ की फसल चौपट हो गयी और उसी निरन्तरता में तत्काल उसके बाद रबी की फसल भी पुनः उपलवृष्टि से बर्बाद हो गयी है जिससे किसानों की कमर टूट गयी है।

अतः मैं राजस्व मन्त्री जी से माँग करता हूं कि उपलवृष्टि से प्रभावित उक्त दो तहसीलों के किसानों से समस्त प्रकार की वसूलियाँ (मालगुजारी), सिंचाई कर, सहकारी ऋण, भूमि विकास बैंक ऋण तथा अन्य बैंकों के ऋणों की वसूलियाँ तुरन्त आगामी फसल तक स्थगित करके इस वर्ष की रबी का लगान, सिंचाई कर माफ कर दिए जायं और समस्त

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रकार के ऋणों का ब्याज अगले महीनों तक के लिए माफ कर दिया जाय। साथ ही लोगों के तात्कालिक जीवन निर्वाह हेतु लोगों में गल्ला और धन का वितरण किया जाय। तकावी बाँटी जाय और टेस्ट-वर्क चलाए जाँए। आशा है कि राजस्व मन्त्री जी स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए तत्काल प्रभावी कदम उठायेंगे।

पुलिस ट्रेनिंग कालेज, मुरादाबाद के मेडिकल में अयोग्य घोषित किये गये अभ्यर्थियों को पुनः मेडिकल बोर्ड में तुरन्त भेजने की मांग के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

मान्यवर, इस वर्ष पुलिस ट्रेनिंग मुरादाबाद के अभ्यर्थियों का चुनाव हुआ था, जब यह अभ्यर्थी प्रवेश लेने कालेज में पहुंचे तो इनकी पुनः चिकित्सा जाँच की गयी और उसमें 27 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया गया। उन अभ्यर्थियों ने शासन के सामने अपना प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया। शासन ने चैलेन्ज मेडिकल बोर्ड के सामने पुनः जाँच के आदेश कर दिए और 4 मार्च को उक्त मेडिकल बोर्ड द्वारा जाँच की घोषणा कर दी गयी किन्तु पुलिस ट्रेनिंग कालेज के प्राचार्य ने अभ्यर्थियों को तिथि की सूचना समय से नहीं दी जिसके कारण उक्त तिथि पर उनकी मेडिकल जाँच न हो सकी और तब से निरन्तर तारीखें बढ़ाई जा रही हैं और अभी तक अभ्यर्थी मेडिकल बोर्ड के सामने उपस्थित नहीं हो सके हैं जिसके कारण अभ्यर्थियों में बड़ा असन्तोष व्याप्त है। यदि समय से उनकी मेडिकल जाँच न हो सकी तो उनकी ट्रेनिंग भी प्रारम्भ नहीं हो सकेगी।

इसलिए शासन से अनुरोध है कि शीघ्र चैलेन्ज मेडिकल बोर्ड को जाँच करने के आदेश देकर परीक्षार्थियों की मेडिकल जाँच कराने की व्यवस्था करें।

केन यूनियन बभनान, जिला बस्ती द्वारा किसानों का गन्ना बेचवाने से गन्ना किसानों में असन्तोष के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री दशरथ सिंह (जिला गोण्डा)—

केन यूनियन बभनान जनपद बस्ती ने अपने जोन के अन्तर्गत 12 लाख क्विंटल गन्ना खरीदने हेतु सट्टा किया है। किन्तु अभी तक कुल तीन लाख क्विंटल गन्ने को ही बेचवाने में सफल हो सकी है और दिनाँक 17 फरवरी, 1979 से केन यूनियन के किसानों का एक भी क्विंटल गन्ना बेचवाने में असमर्थ रही है। जिसके फलस्वरूप क्षेत्र के कुछ कृषकों ने आवेश में आकर दिनाँक 5 मार्च, 1979 को केन यूनियन कार्यालय में ताला डालकर कार्यालय पर अपना अधिकार कर लिया है और दिनाँक 15 मार्च, 1979 से पाँच कृषकों ने आमरण अनशन कर दिया है। केन यूनियन में ताला पड़ने के कारण कार्य एक दम ठप्प हो गया है। जिससे जनता में घोर असन्तोष और निराशा तथा क्षोभ व्याप्त है।

अतः सदन का ध्यान इस लोक महत्व के प्रश्न पर आकृष्ट करता हूं और आपके माध्यम से शासन से अनुरोध है कि अविलम्ब अनशनकारियों से सम्पर्क कर अनशन तोड़वाए और केन यूनियन कार्यालय का कार्य पुनः आरम्भ कराए।

लघु सिंचाई विभाग, प्रतापगढ़ में कार्यरत श्री मसूद अली के कार्यालय का ताला तोड़कर अधिकारियों द्वारा जालसाजी किये जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के सज्ञान में लाना

श्री खान मोहम्मद आतिफ खां (जिला बहराइच)—

महोदय, कितनी बड़ी कमी है अभी इंक्लाब में लाखों मिटे तो चन्द मुकद्दर संवर गए। श्री मसूद अली, प्रतापगढ़ में लघु सिंचाई विभाग में क्लर्क के पद पर कार्य करते थे। जिन्हें बदावनत करके फैजाबाद भेज दिया गया।

---

*वक्ता ने सामग्री का पुनरीक्षण नहीं किया।

[श्री खान मोहम्मद आतिफ खां]

अधिकारियों ने मसूद अली के कमरें का ताला तोड़ कर कागजों में जालसाजी की, आयुक्त फैजाबाद के आदेश के बावजूद भी कोई सूची इन्हें नहीं दी गयी। प्रतापगढ़ कोतवाली में इनके विरुद्ध एक रिपोर्ट लिखायी गयी। क्राइम संख्या 641/74 जिसमें इनका नाम भी लिखाया गया। इसकी छानबीन पहले तो सिविल पुलिस करती रही बाद में यह कार्य सी0आई0डी0 के सुपुर्द हुआ और यह लोग मसूद अली से रिश्वत माँगने के चक्कर में फंस गए और मसूद अली के खिलाफ अफसरों की ख्वाहिश के मुताबिक अधूरी चार्ज शीट जो पूरे केस की 1/9 हिस्सा होती है, इन्सपेक्टर एम0 पी0 सिंह ने दाखिल कर दी। जिन लोगों ने लाखों रुपये का गबन किया था जिसकी इत्तला मसूद अली ने भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को भेज दी थी, उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। बहुत सी दरख्वास्तें भारत तथा उत्तर प्रदेश सरकार को भेजी और अल्प संख्यक आयोग को भेजी। यह दरख्वास्तें 31 दिसम्बर, 1978 तथा 1 जनवरी, 1979 को भेजी गयीं, जिसकी प्रतिलिपि मुख्य मन्त्री, मुख्य सचिव, गृह सचिव, ला सचिव को भेजी जा चुकी हैं। आगे श्रीमती इश्तियाक फातिमा पत्नी मसूद अली ने बताया 13 जुलाई, 1978 को एम0 पी0सिंह, इन्सपेक्टर कोतवाली प्रतापगढ़ने 16,400 रु0 के जेवरात तथा 900 रुपए नगद उसके शौहर की गैर मौजूदगी में मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ की अदालत में जमा करने के लिए लिया जिसे न वहाँ जमा किया गया और न वापस किया गया।

अत: ये दुखिया तमाम विधायकों एवं संसद सदस्यों से यह कह कर इन्साफ चाहती है कि आप लोग हम जैसे परेशान हाल की जगह अपने को रखकर सोचिए कि यह आपके साथ हुआ होता तो आप पर क्या गुजरती।

मान्यवर, यह किसी जमहूरी हुकूमत के लिये शर्म की बात है कि आज तीस साल के बाद भी अगर एक औरत यह सोचे कि उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है।

मथुरा जनपद में पुलिस की निष्क्रियता से असन्तोष के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री लक्खी सिंह (जिला मथुरा)—

महोदय, निवेदन यह है कि मथुरा जनपद में लगभग एक साल से अराजकता का घोर वातावरण व्याप्त है। ग्राम आराला में सन् 1978 में थाना शेरगढ़ की पुलिस ने ब्लाक प्रमुख श्री उदय सिंह का दिन दहाड़े 4 बजे दिन के कत्ल कर दिया और एक थानेदार को चौमुहाँ में जान से मार दिया। यही नहीं अभी हाल ही में ग्राम अकबरपुर के प्रधान श्री राम जी लाल पर बदमाशों ने गोली मारी वे बाल-बाल बच गये हैं। छाता शुगर मिल गन्ना समिति के कर्मचारियों को छाता दफ्तर में घुसकर बदमाशों ने होली से दो तीन दिन पहले खूब मारा और पुलिस खड़ी देखती रही। एक भी गिरफ्तारी नहीं की। छाता पुलिस स्थानीय बदमाशों से मिली हुई है। शिकायत की गयी है लेकिन एक भी थानेदार को हटाया नहीं गया है। इसका प्रधान कारण है कि जिलाधिकारी और पुलिस एस0पी0, यह जनता की सुनते ही नहीं और जिलाधिकारी तो किसी अधिकारी के खिलाफ सुनने को तैयार ही नहीं। इससे मथुरा जनपद में असन्तोष व्याप्त है। दिन दहाड़े लड़कियों, औरतों को पकड़ लिया जाता है और बेइज्जती की जाती है और राहजनी अन्धाधुन्ध हो रही है। इससे यह लोक महत्व अविलम्बनीय प्रश्न पर मुख्य मन्त्री का वक्तव्य और जिलाधिकारी व एस0पी0, डी0एस0पी0 महावीर सिंह बरसाना व कोसीकलाँ व छाता को व शेरगढ़ के थाना इंचार्ज को तुरन्त हटाकर सी0आई0डी0 से समस्त मामले की जाँच कराई जाय कि इन्होंने अब तक कितने भ्रष्टाचार के कार्य तथा डकैतियाँ, कत्ल बदमाशों से साँठ गाँठ इत्यादि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

शामिल है इससे जनता में काफी क्षोभ व रोष व्याप्त है और शान्ति स्थापना की कार्यवाही की जाय। यही नहीं बदमाशों से मुझे भी अपनी जान का सख्त खतरा पैदा हो गया है जिसकी सूचना स्थानीय अधिकारियों को दे चुका हूं। लगभग 6 माह हो चुके हैं लेकिन कोई भी व्यवस्था अब तक नहीं की गयी है। मैं गाँव में दौरा पैदल अथवा ट्रैक्टर पर भी करता हूं। मुझे भी भय है कि यह अधिकारी व थानेदार बदमाशों से मिलकर मुझे भी न खत्म करा दें, मेरी समुचित सुरक्षा के लिए कोई भी व्यवस्था तत्काल करना चाहिए। पिस्तौल मैं रखूंगा नहीं चूंकि बदमाश उसको भी मुझसे छीन लेंगे।

अतः उपरोक्त गम्भीर मामले पर आपका तथा सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित कर अनुरोध करूंगा कि आप इस पर तुरन्त ध्यान दें और मेरे जान-माल की समुचित सुरक्षा व जनपद में हो रहे नाना प्रकार के जरायम और चोरी, डकैती, कत्ल आदि को रोकने की व्यवस्था कराई जाय।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

सरकार इस पर कार्यवाही करेगी।

देहरादून नगरपालिका में सड़कों की दुर्दशा, पानी तथा बिजली की कमी व गंदगी से बीमारी फैलने की आशंका के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री (जिला देहरादून)—

मान्यवर, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वायत्त शासन विभाग का ध्यान नगरपालिका, देहरादून में गन्दगी, सड़कों की दुर्दशा, बिजली के बिना अन्धकार, पानी की ओर, सफाई की अव्यवस्था की ओर दिलाना चाहता हूं।

श्रीमन्, देहरादून नगर पूरे देश और विशेषकर उत्तर प्रदेश का एक सुन्दर पर्वतीय नगर है। पूरे देश के पर्यटक स्वास्थ्य लाभ के लिए देहरादून, मन्सूरी में लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष आते हैं और विशेषकर गर्मी के मौसम में पर्यटकों का मेला सा इस नगर में रहता है।

मान्यवर, नगरपालिका देहरादून अपनी आर्थिक कठिनाइयों के कारण आज एक साधारण गाँव से भी बुरी हालत में है। पिछले एक वर्ष में देहरादून नगरपालिका में कोई स्वास्थ्य अधिकारी (हेल्थ आफिसर) नहीं है। नगर में गन्दगी के ढेर जगह-जगह लगे हैं जिसके कारण कई सड़कें व नाले व नालियाँ बन्द पड़े हैं। दुर्गन्ध के कारण आसपास के नागरिकों का जीवन नरक कुंड सा बना हुआ है। विशेष रूप से हकीकत नगर, धामावाला, चुक्खू मोहल्ला, तहसील के पास सब्जी मार्केट आदि मोहल्लों में गंदगी के कारण बीमारी फैलने की आशंका है।

श्रीमन्, गर्मियों का मौसम आरम्भ होने जा रहा है। पूरे देश के लाखों नागरिक देहरादून, मन्सूरी स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से आने वाले हैं। यदि नगरपालिका देहरादून को अविलम्ब आर्थिक अनुदान तथा स्वास्थ्य अधिकारी नहीं भेजा गया तो लाखों स्थानीय नागरिकों का तथा स्वास्थ्य लाभ के लिए आने वाले पर्यटक नागरिकों का जन-जीवन घातक बीमारियों की लपेट में आ सकता है।

श्रीमन्, नगरपालिका देहरादून गत कई वर्षों से अनुदान के लिए प्रान्तीय सरकार से माँग कर रही है परन्तु मुझे खेद है कि पूरे देश के स्वास्थ्य लाभ केन्द्र देहरादून की नगरपालिका को अनुदान न देकर असहयोग किया गया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री]

स्वास्थ्य अधिकारी का गत वर्ष स्थानान्तरण किया गया था। एक वर्ष से स्वास्थ्य विभाग में उनके स्थान पर कोई स्वास्थ्य अधिकारी (हेल्थ आफिसर) देहरादून नगर में नहीं भेजा है। जिसके कारण नगर की गन्दगी की समस्या जटिल हो गयी है।

श्रीमन, अनुदान न मिलने के कारण सड़कों में जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे बने हुए हैं। इन गड्ढों में प्रतिदिन अनेक दुर्घटनायें होती रहती हैं जिसके कारण कई नागरिकों को आर्थिक हानि के साथ इस संसार से भी बिदाई लेनी पड़ती है और उस समय दुर्घटना में मरने वाला भगवान का नाम न लेकर शासन को बद्दुआ देता है।

श्रीमन्, उपरोक्त परिस्थिति में मेरा शासन से आग्रह है कि देहरादून नगर तथा पर्यटकों के माध्यम से पूरे देश को घातक बीमारियों से बचाने के लिए देहरादून नगरपालिका को अविलम्ब विशेष अनुदान दें तथा शीघ्र स्वास्थ्य अधिकारी (हेल्थ आफिसर) भेजा जाय।

जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी थाने के इंचार्ज तथा सिपाहियों द्वारा टीकरी गांव के श्री कारे सिंह की गिरफ्तारी तथा उनके घर की लूट के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री बदन सिंह (जिला आगरा)---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस माननीय सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं:--

दिनाँक 8/9 मार्च की रात में जनपद आगरा के थाना फतेहपुर सीकरी के कुछ सादा वेषधारी पुलिस मैनों ने टीकरी गाँव के कल्ला कंजर के घर शराब सेवा और वासना तृप्ति की याचना की। इस पर कंजरों और पुलिस के बीच मारपीट हुई। इसको पुलिस अपमान समझ कर दूसरे दिन इंचार्ज, फतेहपुर सीकरी ने अपने दल बल के साथ ग्राम प्रधान श्री मलखान सिंह के घर के ताले तोड़े। लड़कियों तथा महिलाओं के मना करने पर गाली-गलौज और मार पीट की। कमरे में टंगी हुई रायफल और बन्दूक अपने कब्जे में कर ली, घर में घी, दूध खाया पिया और लुढ़काया, पास पड़ोस के घरों में भी घुस कर महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया तथा मारपीट की। गाँव के पास के खेतों में जाकर कोल्हू र रस और गुड़ पिया खाया तथा औधाया और कोल्हू की गिरारी तोड़ी। आगरा जाते हुए रास्ते में प्रधान के ताऊ जी श्री कारे सिंह, उनके नौकर घूरे, भाँजे गुलाब सिंह एवं सौरन को घसीट कर थाने ले गए और वहाँ 75 वर्षीय वृद्ध श्री कारे सिंह को उनके ही नौकर से पिटवाया तथा स्वयं भी पीट कर भीतरी चोट पहुंचाई और जेल में भेज दिया। श्री कारे सिंह संभ्रांत परिवार के तथा पचासों गाँवों के जाने माने व्यक्ति हैं।

पुनः दिनाँक 12 मार्च को भी गाँव में पुलिस द्वारा यही घटना दुहराई गयी। दिनाँक 13 मार्च ठीक होली के दिन फिर एस0ओ0, फतेहपुर सीकरी ने गाँव में जाकर श्री कारे सिंह की घर की कुर्की की। जो स्वयं जेल में थे और मिट्टू सिंह के घर की भी कुर्की की जबकि उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं था।

मान्यवर, पूरा टोकरी गाँव पुलिस की इस बर्बरतापूर्ण कार्यवाही से भयभीत होकर भाग गया है और आस-पास के गाँवों में रह कर गुजर कर रहा है। उनके पशु भूखे प्यासे मर रहे हैं। पकी खेती उजाड़ रखी है। एस0 ओ0 के इस डायरशाही व्यवहार से आस-पास के गाँव भी थर्रा गये हैं। जिला पुलिस आँख मूंद कर उसकी मदद कर रही है।

मेरी शासन से माँग है कि इस मामले की सी0आई0डी0 से जाँच कराई जाय तथा गाँव का उत्पीड़न करने वाले एस0ओ0 और उसके सहयोगी पुलिस कर्मचारियों को तुरन्त निलम्बित किया जाय। ताकि भयग्रस्त ग्राम का और अधिक उत्पीड़न न हो सके तथा उनमें पुलिस संरक्षण की आस्था पैदा करके भागे हुए लोगों को टीकरी गाँव में बसाया जाय।

लखनऊ मेडिकल कालेज की प्रथम वर्ष की छात्रा कुमारी मिट्ठू गावा द्वारा आत्महत्या के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से लखनऊ मेडिकल कालेज की प्रथम वर्ष की छात्रा 19 वर्षीय कु0 मिट्ठू गावा की आत्म हत्या जो रहस्य बनी हुई है, उसकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरठ मेडिकल कालेज से इसका स्थानान्तरण उच्च राजनीतिज्ञों, बड़े उद्योगपतियों और उच्च अफसरों के दबाव में आकर मेरठ मेडिकल कालेज से लखनऊ मेडिकल कालेज में कराया गया था। साथ ही तीन बार होस्टल में उसका स्थानान्तरण किया गया। इस छात्रा की आत्महत्या के पीछे कहा जाता है कि लखनऊ के बड़े होटल मालिकों तथा आगरा की ट्रान्सफार्मर बनाने वाली एक फर्म के प्रतिनिधि का भी हाथ होना बताया जाता है। यह मामला पुलिस के लिए एक गुत्थी बना हुआ है। लोगों में इस काण्ड से असुरक्षा की भावना पैदा हो गयी है। छात्र व छात्राओं में इस काण्ड से असुरक्षा की भावना पैदा हो गयी है। छात्र व छात्राओं में रोष व्याप्त हो गया है।

ऐसी गम्भीर परिस्थितियों में आपके माध्यम से शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि तत्काल इसकी निष्पक्ष उच्च स्तरीय जाँच कराई जाय।

मान्यवर, इस सम्बन्ध में इतना और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि लखनऊ मेडिकल कालेज में एक साल में 3 छात्राओं ने आत्म हत्याएं की हैं। स्थानीय कार्लटन होटल में कुमारी गावा की माँ सर्विस करती थी और वहाँ पर लखनऊ के बड़े-बड़े इंजीनियर्स, उद्योगपति, होटल मालिक और बड़े अधिकारी मौज-मस्ती करने जाया करते थे। मुझे यह भी जानकारी मिली है कि कुछ उच्च नेता भी वहाँ जाते थे। यह एक रैकेट है, जो लड़कियों का व्यापार करते हैं और जहाँ पर होस्टलों से लड़कियाँ मंगाई जाती थीं। अतः सरकार इस पर वक्तव्य दे कि लखनऊ में ऐसा क्यों हो रहा है। आज तक इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। बताया यह जाता है कि बड़े-बड़े अधिकारी इस मामले को दबाने के लिए दबाव डाल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

बस-बस, अब खत्म। शेष मैंने अस्वीकार किए हैं।

सदन के सदस्यों के शिकायती पत्रों तथा उन पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर मंत्रियों द्वारा न दिये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्रीअजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)---

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। समय-समय पर विधायकगण मन्त्रियों से अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं आदि के बारे में प्रश्न किया करते हैं, शिकायत भेजते हैं। लेकिन उन्हें उन शिकायती-पत्रों का कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है और उसके बाद उसका जब हम प्रश्न बनाकर इस सम्बन्ध में रखते हैं, तो आज जो रूप श्री ईश्वरी प्रसाद और सूबेदार प्रसाद के प्रश्न पर देखने को मिला, वही रूप हमें भी देखने को मिलता है। गम्भीर प्रश्नों का उत्तर तो मिलता ही नहीं, उनके मान मर्यादा की भी रक्षा नहीं की जाती है, उनका अपमान किया जाता है। उसकी विभागीय इंक्वायरी भी नहीं की जाती है सदस्यगण भी जनता के जन प्रतिनिधि हैं और इस नाते मन्त्रियों से उनका घनिष्ठ नाता है, जो बहुत ही मधुर होना चाहिए, वह कहीं नजर नहीं आता है और इसके कारण विधायकों के मन में रोष व्याप्त होता रहता है। तो ऐसे प्रश्न पर जिनसे उनके हृदय पर चोट लगे आप व्यवस्था दें कि मन्त्रिगण हमारे प्रश्नों पर सही तरीके से इंक्वायरी भी करें और जवाब भी दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--

इसमें व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। लेकिन माननीय मुख्य मन्त्री जी, मैं समझता हूं इसके ऊपर पूर्ण रूप से ध्यान दे रहे होंगे। विधायकों के जो भी पत्र आते हैं, व्यक्तिगत या क्षेत्र के सम्बन्ध में, उनके ऊपर माननीय मुख्य मन्त्री जी और उनकी कैबिनेट के जो मन्त्री हैं, पूरा ध्यान देंगे।

उप मुख्य मंत्री, श्री राम नरेश यादव के निवास पर मुख्य मंत्री नाम से लगे नाम पट पर आपत्ति

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी (जिला फर्रुखाबाद)--

एक विषय आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। मैंने इस सदन में प्रश्न उठाया था। मैंने प्रश्न पूछा था कि क्या दो मुख्य मन्त्री हैं, जो मुख्य मन्त्री के निवास पर अब भी लिखा हुआ है, मुख्य मन्त्री श्री राम नरेश यादव ? निश्चित रूप से श्रीमन् ने घोषणा की थी कि वह नेम-प्लेट हटा दी जायगी। लेकिन जिस समय कल मुख्य मन्त्री के आवास पर हम होली मिलने के लिए पहुंचे होली मिलने के दिन हमने देखा कि प्लेट लगी हुई है।

श्री उपाध्यक्ष--

यह ऐसा विषय नहीं है जो सदन में उठाएं।

एक सदस्य--

भविष्य की सम्भावना हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष--

यह होली का मजाक हो सकता है। सदन में इसको नहीं आना चाहिए।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

यह.....

(व्यवधान तथा शोर)

नियम 301 की सूचना न स्वीकार किये जाने के संबंध में आपत्ति

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)--

मैंने एक प्रश्न दिया था।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने कह दिया कि जो और कई विधायकों की नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं थीं उनको खारिज कर दिया है।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी--

हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट की कक्षाएं.....

श्री उपाध्यक्ष--

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी--

[* * *]

श्री उपाध्यक्ष--

आप हमारी इजाजत के बिना बोल रहे हैं। यह कार्यवाही का अंग नहीं होगा।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी--

आपने मेरा स्वीकार नहीं किया और दस-बारह स्वीकार कर लिया। हम लोग भी आपके कक्ष में जायं तब स्वीकार होगा ?

नोट--(***) यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष—

बिना इजाजत आपको नहीं बोलना चाहिए। आप दूसरे दिन भेज दें।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी—

इतना महत्वपूर्ण प्रश्न आपने स्वीकार नहीं किया।

विधान सभा के अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन की मांग

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

नियमावली की धारा 8 है, इसके अनुसार मैं उस दिन पूछा कि अध्यक्ष का चुनाव 23 तारीख तक होना था। सरकार की तरफ से माननीय मुख्य मन्त्री ने कहा था कि आम-सहमति से अध्यक्ष का चुनाव कराया जायगा। आवश्यकता यह थी उसके लिए विभिन्न दल के नेताओं से सरकार बात करती। लेकिन जो मुझे सूचना है आज तक न माननीय मुख्य मन्त्री ने, न अन्य किसी मन्त्री ने, चाहे संसदीय कार्य मन्त्री हों, विरोधी पक्ष के नेताओं से आम सहमति के लिए प्रयास किया है। क्या सरकार अध्यक्ष का चुनाव करवाना चाहती है या नहीं? नियमानुसार 23 तारीख तक अध्यक्ष का चुनाव हो जाना चाहिए। इसलिए मैं व्यवस्था चाहूंगा कि असमंजस में, न जानकारी की स्थिति में यह सदन कब तक रहेगा, यह जानकारी हो जाय।

मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास)—

श्रीमन्, यह कोई व्यवस्था का प्रश्न तो है नहीं।

श्री देव बहादुर सिंह—

पहले यह कह दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

जवाब देंगे।

श्री बनारसी दास—

सदन में दूसरों की बात को सुनना नहीं चाहते। तो नियम के अनुसार 15 दिन है वह 23 तारीख को होगा, तो 23 को चुनाव हो सकता है लेकिन जो इस पद की गरिमा है, मेरा प्रयास है कि सर्वसम्मति से हो। नेता विरोधी दल और अन्य सभी दलों के नेताओं से मैंने विचार-विमर्श करना शुरू कर दिया है। 23 तारीख से पहले यदि सम्भव हुआ तो चुनाव हो सकता है या सभी की राय से सर्वसम्मति से हो सकता है। मैं टालना नहीं चाहता हूं अगर सर्वसम्मति से नहीं होता है तो वह सदन सक्षम है कि वह कोई फैसला कर सकता है इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, मुझे भी सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने श्री मैनेजर सिंह को बुला लिया है।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

इस पद की गरिमा के अनुसार सर्वसम्मति से यदि चुनाव हो जाता है तो यह सराहनीय है, लेकिन 23 तारीख तक अवश्य तय कर लें। अगर 23 तक नहीं कर पाते हैं तो 30 तक भी नहीं कर पायेंगे। आप निश्चित रूप से 23 तारीख को कर लें चाहे 12 बजे रात तक सदन को बैठना पड़े।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)—

मुझे समय दे दीजिए। मैं बहुत देर से खड़ा हो रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने श्री नेगी को बुलाया है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो आश्वासन दिया है उसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन मेरा निवेदन है कि वह पहले अपने यहाँ पर कन्सल्ट कर लें, अपने दल में कन्सल्ट कर लें और एक राय हो जाय तब हम लोगों से पूछें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)---

मान्यवर, मैं एक औचित्य का प्रश्न उठाना चाहता हूं, मैं नियम 301 के अन्तर्गत एक सूचना सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

उसको मैंने अस्वीकृत कर दिया है। उसके बारे में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता है। (श्री ओझा के कुछ कहने पर) इसका तो मैंने फैसला कर दिया है, पर आप व्यवस्था न उठाएं।

सरकार द्वारा गेंहूं का समर्थन मूल्य न घोषित किये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)---

मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। कुछ दिनों के बाद यह माननीय सदन स्थगित हो जायगा। गेहूं की फसल खड़ी है और वह कटने वाली है जब तक यह सदन दुबारा बैठेगा तब तक गेहूं बाजार में आ जायगा। गेहूं, सरसों, चना आदि खाद्यान्नों की कीमतें जिस तेजी से गिर रही हैं उससे किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। गेहूं की सपोर्ट प्राइस क्या है और उसके बारे में शासन की क्या नीति है? उसके बारे में माननीय मुख्य मन्त्री जी सदन में घोषणा करें।

श्री उपाध्यक्ष---

आपको इसके बारे में अलग से लिख कर भेजना चाहिए। यह जबरदस्ती की बात है कि व्यवस्था के नाम पर आप सदन का समय ले रहे हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

आपके सामने भी यही प्रश्न आयेगा विधान सभा जब स्थगित हो जायगी तो लोग पूछेंगे कि आपकी सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया है।

मान्यवर, जब आप स्वयं भी गाँव में जायेंगे तो वहाँ के लोग पूछेंगे कि आपकी सरकार ने क्या निर्णय लिया है।

श्री उपाध्यक्ष---

अभी तो सदन चल रहा है। आप इसको परसों ला सकते हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

मैं तो श्रीमन्, आपके द्वारा जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है?

श्री उपाध्यक्ष---

मैं इस समय इसको उठाने की इजाजत नहीं देता हूं। आप लिख कर दे दीजिए, 22 मार्च को मैं इस पर नियम 301 में विचार कर लूंगा।

विधान सभा के अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन की मांग (क्रमागत)

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने यह आश्वासन व्यक्त किया कि वे [illegible] दलों की राय जानने के उपरान्त ही अध्यक्ष का चुनाव करवायेंगे। अभी तक यह चेष्टा रही है कि एक मत से यह सदन अध्यक्ष का चुनाव सामान्यतः करता रहा है लेकिन इसकी प्रक्रिया तो होनी चाहिए। जब सचेतक महोदय ने हमारे दल से बात

चीत की तो हमने कहा था कि उनके विचार में कौन-कौन से नाम हैं क्योंकि यह प्रश्न ऐसा नहीं है। इसके लिए जो योग्यतम व्यक्ति हो जो अपने दायित्व को सम्भाल सकता है, उसको ही चुना जाना चाहिए। उन्हें पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस का भी अनुभव हो और सदन को चलाने की क्षमता भी हो. . .

एक सदस्य—

50 साल से ऊपर की आयु भी हो ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

50 साल से ऊपर आयु भी हो। जैसे श्रीमन्, आप हैं। इस सम्बन्ध में नामों का प्रस्ताव आना चाहिए. . . .

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, राम अधार राय की आयु कितनी है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, यह सौदे बाजी का प्रश्न नहीं होना चाहिए। इसको न मुख्य मन्त्री और न हम पसन्द करते हैं। कल छुट्टी है तो कल शाम तक बातचीत हो सकती है और 23 तारीख तक चुनाव हो सकता है। इसमें नेता सदन को पहल करनी चाहिए। पिछली बार हमने पहल की थी इस बार वे करें, यही उचित होगा।

प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

(अगला मद लिये जाने पर)

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, मैंने एक सवाल दिया था जो कि आज के एजेंडा में था जिसमें मैंने पूछा था कि उत्तर प्रदेश के अन्दर कितने मुसलमान डी0 एम0 हैं और एस0एस0पी0 हैं, इनका जवाब मुझे मिला कि. . . .

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं। यह प्रश्नों का घंटा नहीं है।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

[* * * *]

श्री उपाध्यक्ष—

यह कार्यवाही का अंश नहीं माना जायगा।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

मान्यवर, मैं मुसलमानों के रिप्रेजेन्टेशन के बारे में जानना चाहता हूं..

श्री उपाध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में जब आपको समय मिले आप महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के सम्बन्ध में बात कह सकते हैं।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

मान्यवर, आपके जरिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह एश्योरेंस चाहता हूं कि मुसलमानों का रिप्रेजेन्टेशन केवल जिला मैजिस्ट्रेट्स और एस0 एस0 पीज के पदों पर ही नहीं बल्कि सारे डिपार्टमेंट्स में होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने जैसा पहले कहा, राज्यपाल जी के अभिभाषण के सम्बन्ध में जब आपको बोलने का मौका मिले तो यह बात भी कह लीजिएगा। (व्यवधान)

नोट:—[* * *] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री विद्या शंकर (जिला प्रतापगढ़)—

मान्यवर, मैं आपका ध्यान नियम 46 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें दिया हुआ है, कि अध्यक्ष किसी अल्पसूचित प्रश्न को तारांकित या अतारांकित प्रश्न में तथा किसी तारांकित प्रश्न को अतारांकित प्रश्न में परिवर्तित कर सकेंगे। लेकिन इसके पहले सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ता से उसके सम्बन्ध में अध्यक्ष जी राय लेते हैं। इसके बाद जानकारी करके स्थानान्तरित किया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—

इसके बारे में आप हमारे कक्ष में बात कर लें।

श्री विद्या शंकर—

मान्यवर, वहाँ भी सुनवायी नहीं होती है। अगर यहाँ पर व्यवस्था का प्रश्न उठाते हैं तो कहा जाता है कि कक्ष में आ जाइये। 17 और 20 जनवरी को पिछली बार मैं सहकारिता विभाग से संबंधित भ्रष्टाचार के 4 सवाल मैंने यहाँ उठाये थे, मंत्री जी उनका जबाव नहीं देना चाहते हैं, तो आखिर हम कैसे और कहाँ अपनी बात कहें ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप गुस्सा न करें, इस सदन में गुस्सा नहीं करना चाहिये, अपनी बात को संयत रूप से कहना चाहिये।

श्री विद्या शंकर—

मैंने तो नियम के अन्तर्गत ही अपनी बात कही है।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने प्रश्नों के संबंध में जो बात उठायी है आप मेरे कक्ष में आ जायें, मैं देख लूंगा और आपको संतुष्ट कर दूंगा। अगर कोई गलती हुई होगी तो उसको सुधार दिया जायेगा।

श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री (जिला देहरादून)—

[* * * *]

श्री उपाध्यक्ष—

आप बिना मेरी इजाजत के बोल रहे हैं, यह कार्यवाही का अंग नहीं होगा। आपको बिना इजाजत नहीं बोलना चाहिये।

वित्त मंत्री, श्री मधुकर दिघे के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा श्री सोहनवीर सिंह तोमर की विशेषाधिकार की सूचना के बारे, में जो माननीय वित्त मंत्री श्री मधुकर दिघे के विरुद्ध है . . . .

(व्यवधान)

श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

आप कृपया एक मिनट मुझे सुन लें। आपने मुझे आश्वासन भी दिया था। बजट के लीकेज के संबंध में मैंने विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था। उसमें दो आपत्तियाँ उठायी गयी हैं। एक तो मान्यवर, यह है, कि बजट काउंन्सिल में 12 बजे से पहले वितरित हो गया था और उसकी कापी मुझे श्री अब्बास अली ने दी थी तथा काउन्सिल की कार्यवाही भी इसकी पुष्टि करती है। विधान परिषद् 12 बजे के पहले एडजोर्न हो गयी। श्री अब्बास अली ने यह कापी मुझे जलपान गृह में दी। कार्यवृत्त में भी, 12 मार्च, 79 में यह छपा है "श्री सिंह द्वारा उक्त अनुरोध को न मानने तथा बार-बार अपना स्पष्टीकरण देने के कारण

नोट—[***] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

सदन में घोर अव्यवस्था उत्पन्न हो गयी तथा श्री सभापति ने 11 बजकर 56 मिनट पर सदन की बैठक 12 बजे तक के लिये स्थगित कर दी !"

मेरा निवेदन है कि सदन की बैठक 12 बजे से पहले स्थगित हो गयी।

श्री उपाध्यक्ष——

आप वहाँ का जिक्र न करें।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर——

मुझे 12 बजे से पहले उसकी प्रतिलिपि मिल गयी। आपको इस पर अपना निर्णय देने का अधिकार नहीं है, आपको तो प्राइमाफेसाइ देखना होगा कि क्या 12 बजे से पहले बजट का लीकेज है या नहीं, बाकी तथ्यों पर तो विशेषाधिकार समिति निर्णय करेगी . . .

श्री उपाध्यक्ष——

अगर लीकेज साबित भी हो जाता है तो भी वह विशेषाधिकार का प्रश्न कैसे बनता है ?

श्री सोहन वीर सिंह तोमर——

यह सदन का विशेषाधिकार है कि बजट जो यहाँ प्रस्तुत हो वह उससे पहले कहीं प्रस्तुत नहीं होना चाहिये। अब आपने यह कहा कि बजट का लीकेज विशेषाधिकार का प्रश्न है या नहीं, मान्यवर, यह सुनिश्चित तथ्य जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने स्वीकार किया है, इस सदन ने स्वीकार किया है और ऐसे समय जब कि बजट लीकेज हुआ, उस समय यहाँ पर पेज 150, क्रम संख्या 80–आय-व्ययक के लीकेज के संबंध में चर्चा हो सकती है या नहीं। 19 दिसम्बर, 1969 को बजट के लीकेज के संबंध में जब श्री लक्ष्मी रमण आचार्य भाषण दे रहे थे, उस समय स्वास्थ्य मंत्री श्री प्रताप सिंह ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि इस सदन में बजट नहीं बंटा और न वापस लिया गया और कौंसिल में क्या हुआ उसका नोटिस नहीं लिया जा सकता जब तक कि बात एसर्टेन न कर ली जाय। दूसरे हाउस में क्या हुआ और क्या उसके मुताल्लिक बहस यहाँ हो सकती है, इस पर श्री अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि, "स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो व्यवस्था उठाई उस पर मुझे यह कहना है, उसकी चर्चा तो अवश्य हो सकती है।"

मान्यवर, दोनों बातें इसमें हैं। इतना ही नहीं, कौंसिल में भी अगर वह बंटा है, तो उसकी चर्चा यहाँ पर हो सकती है। यह सदन का विशेषाधिकार है, बजट इस सदन में प्रस्तुत होगा, तो उससे पहले कहीं पर लीकेज होगा, तो उस मंत्री को मंत्री रहने का अधिकार नहीं है। बजट लीकेज हुआ या नहीं, यह विशेषाधिकार समिति तय करेगी मान्यवर, इस पर क्या व्यवस्था है, इसको सीधे विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द कर देना चाहिए। क्या कौंसिल में 12 बजे से पहले बजट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था कि नहीं, मान्यवर, विशेषाधिकार समिति इसीलिए बनी है, जहाँ पर सदन का अधिकार हो, इस पर कुठाराघात कोई न करे, सदन के प्रति जिम्मेदारी पूरी न हो, तो उसके संबंध में जानकारी करने का अधिकार है। मान्यवर, यह मैटर बहुत ही सीरियस है।

(श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी का नाम पुकारे जाने पर)

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)——

मान्यवर, आप यह जो बहस चलवा रहे हैं, इसमें तथ्य ही विपरीत है, इसकी जानकारी विधान परिषद् के सभापति से कर ली जायगी कि क्या 12 बजे से पहले बजट प्रस्तुत हुआ था कि नहीं हुआ था। मान्यवर, नोटिस की जो प्रतिलिपि है, उसमें लिखा है——1979–80 के वार्षिक बजट के विधान मंडल के दोनों सदनों में प्रस्तुतीकरण के लिए 12 मार्च, 1979 को 12 बजे दिन का समय निर्धारित था। विधान परिषद् की बैठक पौने 12 बजे स्थगित हो गयी थी। मान्यवर, स्थगित हुई थी 5 मिनट के लिए, लेकिन बजट तो 12 बजकर 5 मिनट पर प्रस्तुत हुआ। तो जब तथ्य ही विपरीत है, तो बहस किस लिए हो रही ह ?

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

इसी लिए बहस हो रही है कि 12 बजे से पूर्व बजट लीकेज हो गया।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

माननीय संसदीय कार्य मंत्री नोटिस को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। हमारी नोटिस में क्लीयर कट अभियोग लगाया गया है कि कौंसिल के ऐडजर्न होने के पहले ही 12 बजे के पहले कौंसिल के मम्बर्स को और प्रस गैलरी में मौजूद संवाददाताओं को बजट की कापियां वितरित कर दी गयीं। यह सवाल नहीं है कि प्रस्तुतीकरण कौन कर रहा हो। हमारा यह अभियोग ह कि प्रस्तुतीकरण के पहले कापियां प्रस्तुत कर दी गयीं। मान्यवर, जहां तक विशेषाधिकार का प्रश्न है, हमारे संविधान में, भारत का संविधान जो है, उसमें स्पष्ट व्यवस्था है कि हमारे हाउस के वही प्रिविलेजेज होंगे जो हाउस आफ कामन्स के हैं। अब मान्यवर, मेरा निवेदन है कि हाउस आफ कामेन्स की कार्यवाही में ढूंढना पड़ेगा कि इस तरह की कोई बात हुई है या नहीं और एक दूसरा प्रिविलेजेज हमें कन्वेन्शन्स से मिला है। इस दूसरे प्रिविलेजेज के बारे म मान्यवर, मेरा कहना है कि बजट के प्रस्तुतीकरण के बारे में सामान्यतया गवर्नर उसका समय निर्धारित करते हैं। निर्धारित समय पर बजट पेश किया जाता है। इस सदन का पिछले 30 वर्षों से यह विशेषाधिकार रहा है कि यहां पर बजट पहले प्रस्तुत किया गया है। जो यह विशेषाधिकार इस सदन को इस परम्परा से मिला है आया उस विशेषाधिकार की रक्षा होगी या नहीं, यह भी प्रश्न आप को सुनिश्चित करना पड़ेगा, इस विशेषाधिकार पर अपनी व्यवस्था देते हुए।

मान्यवर, मेरा निवेदन है और मैं आपका ध्यान नियम 65 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, जो ग्राह्यता की शर्तों के संबंध में है। मान्यवर इसमें नियम 65 (1) का (क) है कि "प्रश्न किसी हाल ही में घटित निश्चित विषय तक निर्बद्ध हो," मान्यवर जिस दिन की हमारी सूचना है, उस दिन एक निश्चित घटना हुई जिस पर विचार करन का हमें इस नियम में अधिकार है।

मान्यवर, दूसरी शर्त उसी नियम (1) (ख) है। इसमें दिया है "सूचना के विषय से विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान का प्रश्न प्राग्दर्शन से विदित हो" मान्यवर, इसमें मैंने निवेदन किया कि पिछले 30 वर्षों से परम्परा रही है कि निर्धारित समय से पहले बजट का लीकेज नहीं हुआ। सबसे पहले बजट इस सदन में आया है उसके बाद किसी को इसके बारे में जानकारी हुई है। इस अधिकार को भंग किया गया है। इस परम्परा को भंग किया गया है। तो मान्यवर, मेरा निवेदन है, जैसा मैंने उस दिन भी कहा था कि आर्टिकिल 207 आफ दि कान्स्टीट्यूशन में दिया है, बजट के संबंध में जो इस सदन का पहला अधिकार है, कि काउन्सिल में नहीं बल्कि लोअर हाउस में बजट पहले डील होगा। बजट को दूसरे सदन में नहीं प्रस्तुत किया जा सकता इसीलिए मान्यवर, मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहूंगा कि काउन्सिल के अपने विशेषाधिकार हैं लेकिन अगर हमारे सदन से पहले काउन्सिल में बजट पेश किया जाता है तो भी मान्यवर, यह सदन सक्षम था उस पर विचार करने के लिए क्योंकि इस सदन की अवमानना हुई है। तो मान्यवर, उस दिन के निर्णय के बारे मे , आपकी व्यवस्था के बारे में आपने जो कहा था वह यह था।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप काफी कह चुके हैं ग्राह्यता के बारे में।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी——

इसमें किसी दूसरे सदन में क्या हो रहा है, इस मामले को देखने का अधिकार इस सदन को नहीं है लेकिन जो दूसरी बात उन्होंने कही कि वह वहां पेश हो चुका है, इसकी मैं जानकारी कर लूंगा और बाद में अपनी व्यवस्था दूंगा, तो मान्यवर, मेरा एक निवेदन है कि मनी बिल अपर हाउस में पेश नहीं किया जा सकता तो उससे रिलेटेड जो बजट है वह इटसेल्फ वहां कैसे पेश किया जा सकता है ?

मान्यवर, मेरा यह निवेदन है कि इस चेयर पर जिस पर आप बैठे हैं राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन जैसे लोगों ने उससे कुछ व्यवस्थायें दी हैं, कुछ कीर्तिमान स्थापित किये हैं। आचार्य नरेन्द्र देव जैसे विख्यात लोगों ने इस सदन को सुशोभित किया है और कुछ ऐसी बहुमूल्य परम्पराएं डाली हैं जिसकी इस प्रदेश में ही नहीं देश में चर्चा है, लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग भी इस सदन में बैठे हैं। तो मान्यवर, व्यवस्था देने से पहले उन मर्यादाओं को भी ध्यान में रख कर, कोई व्यवस्था दीजिएगा। यदि विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता तब भी नियम 313 के अन्तर्गत अवशिष्ट शक्तियां आपको मिल जाती हैं जिसमें आप सक्षम हैं और इस बात की जांच करा सकते हैं कि बजट का लीकेज हुआ है या नहीं और उसकी जांच कम से कम अवश्य कराएं। मान्यवर, आप इन सारी बातों को ध्यान में रख कर ही व्यवस्था दें। यही मेरा केवल निवेदन है।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, इस समय आपके सामने जो प्रश्न है वह बहुत महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न यह है कि यदि बजट की लीकेज इस सदन में बजट प्रस्तुत होने के पहले हो जाती है तो क्या विशेषाधिकार का हनन होता है या नहीं ? दूसरा प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में ऐसी घटना हुयी कि बजट प्रस्ताव इस सदन में वितरित होने के पहले ही बाहर वितरित हो गया ? जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है, यह सर्व विदित है कि यह इस माननीय सदन का विशेषाधिकार है कि बजट प्रस्ताव सबसे पहले इस सदन के अन्दर पेश हो तब जाकर वह प्रेस या बाहर उसका प्रकाशन आदि हो। इस संबंध में किसी नियम का अवलोकन करने की आवश्यकता नहीं है। सचिव महोदय आपके सामने हैं। जो हमारे माननीय अध्यक्षों द्वारा समय-समय पर रूलिंग्स दी गयी हैं वह आपके सामने हैं। परम्परायें आपके सामने हैं। जैसा कि अभी मेरे माननीय मित्र ने कहा कि इस माननीय सदन के वही विशेषाधिकार हैं जो हाउस आफ कामन्स के विशेषाधिकार हैं। हाउस आफ कामन्स की यह परम्परा रही है कि सबसे पहले उस सदन के अन्दर जब तक बजट पेश नहीं होता है तब तक उसका वितरण या प्रकाशन नहीं होता है। तो यदि यहां ऐसा हुआ है, तो यह सदन के विशेषाधिकार का हनन है।

दूसरा प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में ऐसी कोई घटना हुयी कि प्रस्ताव यहां बाद में पेश हुआ और उसकी प्रतियां बाहर काउंसिल में या लाबी में या प्रेस में पहले वितरित कर दी गयीं ? इस संबंध में आपके सामने दो माननीय सदस्यों ने स्पष्ट कहा है कि उनकी जानकारी में है कि यहां बजट प्रस्ताव पेश होने के पहले बजट प्रोपोजल वितरित किया गया। माननीय तोमर जी ने और दूसरे माननीय सदस्य ने अपनी व्यक्तिगत जानकारी से यह कहा है। मान्यवर, यह संभव हो सकता है कि सरकारी पक्ष की ओर से कहा जाय कि वितरण बाद में हुआ है। तो यह क्वेश्चन आफ फैक्ट हो गया। इस पर आपका निर्णय लेना संभव नहीं है। चूंकि इसके बारे में जानकारी करनी पड़ेगी, साक्ष्य लेना पड़ेगा और यह मालूम करना पड़ेगा कि असलियत क्या है। तोमर जी और माननीय सदस्य ने जो कहा है वह सही हैं या सरकारी पक्ष का कथन सही है ? इसलिये मैं समझता हूं कि यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दें। वहां पर क्वेश्चन आफ फैक्ट के ऊपर जांच हो जायगी। अगर सरकारी पक्ष का तथ्य सही साबित हो गया तो विशेषाधिकार का प्रश्न खत्म हो जायगा। अगर तोमर जी की और माननीय सदस्य का कथन सही साबित हो गया तो स्थिति सामने स्पष्ट आ जायगी। इसलिये मान्यवर, आप इसको विशेषाधिकार समिति को भेज दें, वहां जांच हो जायगी और जो तथ्य सामने आयेगा उससे सब कुछ मालूम हो जायगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)--

माननीय, श्री तोमर और श्री तिवारी जी इस प्रश्न पर, ऐसा लगता है, बिना आग के धुएं का बादल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रश्न यह है कि लीकेज हवा में नहीं होती। अगर लीकेज हुयी तो विशेषाधिकार का प्रश्न इस सदन में किसके खिलाफ है? माननीय वित्त मंत्री के खिलाफ नोटिस दिया है। यह जाहिर है, श्रीमन्, स्वयं आप सभापतित्व कर रह थे, माननीय वित मंत्री ने यहां पर समय पर बजट पेश किया। अब तक यह परम्परा रही है कि दोनों सदनों में एक साथ बजट प्रस्तुत किया जाता है। तो माननीय सदस्यों का कहना है कि वहां पर लीकेज हुयी, पहले पेश हुआ। तो यह तो जाहिर है कि इस सदन के किसी सदस्य के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न यहां पर पेश नहीं हो सकता। यदि लीकेज हुआ तो मैं कहता हूं कि काउन्सिल में हुआ, जैसा कि वह कहते हैं। इसलिये काउन्सिल में हुआ तो काउन्सिल के सदस्य लोग अपने सदन के अन्दर इसको पेश कर सकते हैं। एक घटना आज तक ऐसी नहीं हुई कि जिसमें इस प्रकार के विशेषाधिकार के प्रश्न आये हों।

इंग्लैण्ड में एक विशेषाधिकार का प्रश्न लायटन के खिलाफ था। उनके खिलाफ आरोप था कि बजट पेश करने के पहले पत्रकारों से उन्होंने कहा कि यह आपको काफी का सस्ता प्याला ह। उन्होंने इसकी खबर दे दिया। तो जो परम्परा है उसमें भी लकीर का फकीर नहीं बनना चाहिये। लीकेज के माने है जिसमें कर के प्रस्ताव हों। तो इसमें कोई कर के प्रस्ताव नहीं थे जिससे कि एक लीकेज बजट का होता हो और जिसका प्रभाव वस्तुओं पर पड़ता हो या स्पेकुलेशन के ऊपर पड़ता हो। तो श्रीमन्, इस पर विचार करके आपको निणय देना चाहिये था। प्रत्येक विशेषाधिकार के प्रश्न पर सदन का समय लेना आवश्यक नहीं है और यह प्रत्यक्ष हो कि जब श्री मधुकर दिघे यहाँ मौजूद थे और यह कहना कि 12 बजे के पहले बजट श्री दिघे ने लीक कर दिया, तो इसमें कोई दलील नहीं है कि इस प्रश्न पर यहाँ कोई बहस की जाय। इसमें तो आपको स्वयं अपने कक्ष में विचार करके सूचित कर देना चाहिये था कि विशेषाधिकार का कोई प्रश्न नहीं बनता है, यदि है तो देखेंगे। उस दिन भी कहा था कि विधान परिषद के सदस्यों ने कहा कि 12 बजे के पहले बजट पेश किया गया। वहाँ दंगा हो सकता है इसलिये पहले पेश किया गया हो। तो इसमें आप एक सेकेन्ड में जाँच कर सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो आप विधान परिषद् के अध्यक्ष से पूछते कि लीकेज हुआ कि नहीं। यदि हुआ तो वहाँ हुआ। इसलिये आप उनको लिख सकते हैं। पहले भी इस सदन के अन्दर रहा है कि यहाँ विधान परिषद् में इसी माननीय सदन के एक मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न उपस्थित हुआ तो वहाँ नहीं बल्कि यहाँ के तत्कालीन अध्यक्ष के पास उसको भेज दिया। इसलिये यदि ऐसा हुआ तो इस सदन से उसका ताल्लुक नहीं है। इसलिये निवेदन करूंगा कि इस पर आप अपना निर्णय दें औ जो आवश्यक कार्य हों उसके लिये सदन का समय इस्तेमाल करें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

श्री तिवारी, श्री तोमर तथा श्री नेगी व मुख्य मंत्री जी का ग्राह्यता के बारे में सुनने के बाद मैं इस पर अपना निर्णय दे रहा हूं। (व्यवधान) सब बातों पर मैंने विचार कर लिया है। आप लोग कृपया सदन का समय नष्ट न करें।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर--

मान्यवर, आप कोई निर्णय दें उसमें आपको पूरा अधिकार है। नेता सदन को भी अपनी बात कहने का अधिकार है। मेरा निवेदन है कि इससे पहले मुख्य मंत्री जी ने कहा कि आप सदन का व्यर्थ में समय बरबाद कर रहे हैं। आपको अपने कक्ष में निर्णय ले लेना चाहिए था। मैं नेता सदन से आपके द्वारा पूछना चाहता हूं कि आपको (श्री उपाध्यक्ष को) क्या करना चाहिये था और क्या व्यवस्था देना था उनको ऐसा नहीं कहना चाहिये था।

श्री उपाध्यक्ष--

ग्राह्यता के सम्बन्ध में उन्होंने कहा और आपको भी कहने के लिये मैंने आज्ञा दे दिया।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

ग्राह्यता पर उनको ऐसा नहीं कहना चाहिये था।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, यहाँ जो प्रश्न है वह यह है कि माननीय सदस्य फैजाबाद और मेरठ ने जो विशेषाधिकार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है वह प्राग्दर्शन में प्रश्न बनता है कि नहीं। आपको केवल निर्णय लेना है कि (प्राइमाफेसाई) प्राग्दर्शन में इस प्रश्न पर विचार हो सकता है कि नहीं। उस दिन जब प्रश्न उठा था तो शासन की ओर से कहा गया था कि इसकी जानकारी नहीं है। बाद को यह कह दिया कि नहीं, वहाँ पर भी समय से इस आय-व्ययक को बाँटा गया। नेता सदन ने बात ठीक कही कि पूरक बजट या वोट आन एकाउन्ट में कोई कर नहीं लगता इसलिये बजट लीकेज का सवाल नहीं उठता। श्रीमन्, बजट के लीकेज का जो प्रश्न है वह जरा ज्यादा व्यापक है और यह रहा सवाल पद्धति का। यह पद्धति मान ली गयी है कि बजट में कोई कर लगा हो या न लगा हो, वह पूरक बजट हो, या वोट आन एकाउन्ट हो, बजट समय से पहले प्रकाशित नहीं होना चाहिये। तो बजट के लीकेज का प्रश्न नहीं। अगर लीकेज का होता तो यह प्रस्ताव न होता कि ब्रीच आफ प्रिविलेज की बात है। फिर तो प्रस्ताव होता कि वित्त मंत्री जी इस्तीफा दें और पहले होता था। जैसे यू0 डाल्टन का नाम लिया . . .

(व्यवधान

मैं यह निवेदन कर रहा था कि बजट लीकेज का प्रश्न उठता तो वित्त मंत्री जी से इस्तीफा माँगा जाता कि बजट का लीकेज हो गया।

श्री उपाध्यक्ष—

अब इसको ज्यादा न बढ़ायें। मैं निर्णय दे रहा हूं.....

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

[* * *]

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें व्यवस्था का प्रश्न नहीं। यह नहीं लिखा जायेगा।

श्री रामअधार (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, ये लीकेज की बात करते हैं। इसमें जाँच हो कि बजट की कापी कैसे चुराई गयी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, भारतीय संविधान में .....

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुयी।

श्री उपाध्यक्ष—

अब इसको ज्यादा लम्बा न करें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि प्रश्न यह नहीं है कि दूसरे सदन में क्या हुआ। प्रश्न यह है कि क्या 12–00 बजे जो इस सदन में बजट पेश होना था, इससे पहले क्या बाहर कहीं बजट की प्रतिलिपि पहुंच गयी–लाबी में या गैलरी में? और इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य, मेरठ ने प्रदेश जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय अब्बास अली का नाम पेश किया। जो रूलिंग

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट—(* * *) यह अंश भी उपाध्यक्ष के अदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

पार्टी है, उसके अध्यक्ष के पास 12.00 बजे के पहले बजट की प्रतिलिपि पहुंच गयी अगर अब्बास अली जी, जो आफिसर्स गैलरी है, उसमें शोभा बढ़ा रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं, श्रीमन्, आप अब्बास अली साहब से पूछ सकते हैं क्या 12.00 बजे से पहले उनको सदन के बाहर प्रतिलिपि मिल गयी थी कि नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि क्या वह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न बनता है कि नहीं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

बनता ह, श्रीमन्। अगर 12.00 बजे के पहले बजट की प्रतिलिपियाँ सदन के बाहर बंट गयी, तो अवश्य विशेषाधिकार की अवहेलना है।

श्री राम अधार--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष--

अब नहीं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, अगर 12.00 बजे से पहले बंट गयीं तो यह विशेषाधिकार की अवहेलना है। 12.00 बजे सदन में इसके लिये समय निर्धारित था। दूसरे सदन का मतलब नहीं। हमारा मतलब है कि क्या 12.00 बजे से पहले इस सदन के बाहर इसकी प्रतिलिपि दूसरे लोगों के हाथों में थी कि नहीं ? अगर थीं तो इस सदन के माननीय सदस्यों के विशेषाधिकार की अवहेलना हुयी है क्योंकि उसको पहले यहाँ पेश होना चाहिये था। इसलिये प्राग्दर्शन में अवहेलना है और इसको विचारार्थ समिति को भेजा जाय।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, भारतीय संविधान की धारा 199 की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर ना चाहता हूं। आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर। संविधान के. . . .

श्री उपाध्यक्ष--

अब मैं आपको इजाजत नहीं देता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

जब मैं इस्पेसिफिक बात कोट कर रहा हूं तो इसके लिए तो मुझे अनुमति दी जानी चाहिए। मान्यवर, अभी जब मुख्य मंत्री जी इसके पक्ष में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि यह जो मामला है वह मनी बिल नहीं है। क्योंकि इसमें कोई करावधान नहीं है। आप कृपया संविधान का अनुच्छेद 199 देखने की कृपा करें। इस प्रकार का कोई भी बिल,दस्तावेज या स्टेटमेंट मनी बिल है। यह इसमें साफ-साफ लिखा है। साथ ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 198 में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि इस तरह का कोई भी बिल उस सदन में पहले नहीं प्रस्तुत किया जायगा। फिर अभी माननीय तिवारी जी ने कहा कि बजट प्रस्तुत होने से पहले ही श्री अब्बास अली के पास उसकी प्रति पहुंच गयी थी।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप बैठें। मैं अपना निर्णय देने जा रहा हूं। श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा श्री सोहन वीर सिंह तोमर, सदस्य, विधान सभा ने माननीय वित्त मंत्री श्री मधुकर दिघे के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है। माननीय सदस्यों का कहना है कि 1979-80 के वार्षिक बजट के विधान मण्डल के दोनों सदनों में प्रस्तुतीकरण के लिए 12 मार्च, 1979 को 12 बजे दिन का समय निर्धारित था।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का पश्न है। यह आप निर्णय दे रहे हैं कि पढ़ रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

निर्णय दे रहा हूं। आप बैठें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

आप मुझे सुन तो लें। आप तो जो पढ़ रहे हैं वह पहले से ही लिखा हुआ मालूम होता है।

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें सारी बातों का समावेश है। विधान परिषद् की बैठक लगभग पौने बारह बज स्थगित हो गयी थी। उससे पूर्व विधान परिषद् में सदस्यों को और प्रेस संवाददाताओं को बजट की प्रतिलिपि वितरित की जा चुकी थी, जहाँ से वे अन्य व्यक्तियों तक पहुंच गयी थीं। माननीय वित्त मंत्री जी विधान सभा में 12 मार्च, 1979 को 12 बजे जब बजट प्रस्तुत करने के लिए खड़े हुए उससे पूर्व ही बजट प्रस्ताव व्यापक रूप से प्रकाशित हो चके थे। माननीय सदस्यों का कहना है कि बजट की गोपनीयता भंग करके तथा इस सदन में पूर्व प्रकाशित बजट को प्रस्तुत करने का प्रयास करके माननीय वित्त मंत्री जी श्री मधुकर दिघे ने इस सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना की है। माननीय सदस्यों ने बजट की एक प्रति भी अपनी सूचना के साथ संलग्न की है और उसके विषय में यह कहा है कि यह प्रति श्री अब्बास अली एम0 एल0 सी0 से उन्हें 12 बजे से पूर्व ही प्राप्त हो गयी थी। यह मामला 12 मार्च, 1979 को श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा श्री सोहन वीर सिंह तोमर द्वारा उठाया गया था और मैने यह कहा था कि मैं इस पर विचार करके अपना निर्णय बाद में दूंगा। अप्रैल, 1952 से 22 दिसम्बर, 1967 तक उत्तर प्रदेश विधान सभा में अध्यक्ष पद से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों के संकलन के पृष्ठ 527 पर निर्णय संख्या 96 में यह कहा गया है कि आय-व्ययक की गोपनीयता का भंग होना विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं बन सकता। 19 दिसम्बर, 1967 को अनुपूरक आय-व्ययक को समय से प्रस्तुत न करने के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना तथा विधान परिषद् में आय-व्ययक प्रस्तुत करने और उसकी गोपनीयता भंग करने से संबंधित वैधानिक आपत्ति पर श्री अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि—

"विधान परिषद् की कार्यवाही से साधारणतया इस सदन का कोई संबंध नहीं है और न ही वहाँ किये गये किसी कार्य पर विचार करना इस सदन के लिये वाँछनीय है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस कारण से मेरा यह मत है कि इसमें कोई संविधान का उल्लंघन नहीं हुआ और हमें कुछ नहीं करना चाहिए। अगर इस दिशा में कोई कार्यवाही होनी उचित होती तो उसके लिये माननीय विधान परिषद् ही सक्षम होता।" माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था देते हुए यह भी कहा था कि "हाउस आफ कामन्स तथा लोक सभा में भी यही मत व्यक्त किया गया कि बजट की गोपनीयता भंग होना विशेषाधिकार की अवहेलना नहीं हो सकता।"

महेश्वर नाथ कौल तथा श्याम लाल शकधर की पुस्तक "संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार" के पृष्ठ 660 पर यह कहा गया है कि लोक सभा में बजट संबंधी प्रस्थापनाओं के पेश किये जाने से पहले उनका रहस्योद्घाटन सभा के विशेषाधिकार का भंग नहीं है। 20 फरवरी, 1956 को लोक सभा में बजट तथा वित्तीय प्रस्थापनाओं के पेश किये जाने से पहले उसके रहस्योद्घाटन के संबंध में 6 मार्च, 1956 को यह विषय विशेषाधिकार समिति को इस सारे मामले की जाँच करने हेतु निर्दिष्ट करने की माँग की गई। 9 और 12 मार्च, 1956 को प्रधान मंत्री ने सभा को बताया कि रहस्योद्घाटन उस छापेखाने में हुआ है जहाँ बजट छपता है और कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और संभव है कि कुछ और व्यक्तियों के विरुद्ध भी कार्यवाही की जाये। इस पर कुछ सदस्यों ने फिर विशेषाधिकार के प्रश्न का उल्लेख किया और यह सुझाव दिया कि यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये और इससे कहा जाये कि वह इसकी जाँच करें। अध्यक्ष ने इस संबंध में निम्नः

[श्री उपाध्यक्ष]

लिखित निर्णय दिया:

"सभा के विशेषाधिकार का निर्णय करने के विषय में संविधान का अनुच्छेद 105 (3) लागू होता है और उसमें यह कहा गया है कि सभी की शक्तियाँ, विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियां वही होंगी जो कि इस संविधान के प्रारम्भ होने पर ब्रिटेन के हाउस आफ कामन्स की थीं। इस संबंध में विशेषाधिकार का कोई भंग हुआ या नहीं, इसका फैसला करते हुए हमें ब्रिटेन की नजीरों का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिये। जहाँ तक मुझे पता है, दो ऐसे मामले हुए हैं जिनमें हाउस आफ कामन्स ने बजट संबंधी प्रस्थापनाओं के रहस्योद्घाटन का नोटिस लिया है। इन दोनों में से किसी भी मामले में बजट रहस्योद्घाटन में सभा का विशेषाधिकार भंग नहीं माना गया और न ये मामले जाँच के लिए विशेषाधिकार समिति को सौंपे गये। हाउस आफ कामन्स में यह विचार प्रचलित है कि जब तक वित्तीय प्रस्थापना हाउस आफ कामन्स के सामने नहीं रखी जाती, वे सरकारी रहस्य होती है। इसलिए इस रहस्योद्घाटन के मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपने का प्रश्न नहीं उठता।"

यद्यपि बजट की प्रस्थापनाओं का रहस्योद्घाटन सभा के विशेषाधिकार का भंग न हो, संसद को इस बात की समुचित शक्ति प्राप्त है कि वह रहस्योद्घाटन के संबंध में किसी मंत्री के आचरण की जाँच समुचित प्रक्रिया के माध्यम से कर सकती है और यह भी पता लगा सकती है कि किन परिस्थितियों में रहस्योद्घाटन हुआ है।

ऊपर दिये गये तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि बजट को सदन में प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किया जाना लोक सभा तथा इस राज्य में भी पहले विशेषाधिकार की अवहेलना नहीं माना गया है। मैं माननीय श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा श्री सोहन वीर सिंह तोमर की सूचना को अग्राह्य करता हूं और इसे सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष—

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी 20 मार्च, 1979 की बैठक में सदन के 22 मार्च से 27 मार्च, 1979 तक के उपवशनों के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम निधारित करने की संस्तुति की है :—

गुरुवार, 22 मार्च, 1979	(4 बजे अपराह्न तक) वित्तीय वर्ष 1978–79 के अनुपूरक अनुदानों की माँगों पर चर्चा।
	(4 बजे अपराह्न से 5 बजे अपराह्न तक) वित्तीय वर्ष 1978–79 की अनुपूरक अनुदानों की माँगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन उस पर चर्चा एवं उसका पारण।
शुक्रवार, 23 मार्च, 1979	असरकारी कार्य।
शनिवार, 24 मार्च, 1979 रविवार, 25 मार्च, 1979	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, 26 मार्च, 1979	(5 बजे अपराह्न तक) श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।
	(5 बजे अपराह्न से 6 1/2 बजे अपराह्न तक) उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1970 पर विचार एवं उसका पारण।
मंगलवार, 27 मार्च, 1979	श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा की गई सिफारिश से जिसकी सूचना माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को दी है, सहमत है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना उपाध्यक्ष द्वारा सदन को दी गयी है, सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मान्यवर, एक विशेषाधिकार की सूचना मेरी थी वह आई नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—

वह अभी देखी नहीं है।

श्री सुखपाल पाँडेय (जिला बस्ती)—

माननीय उपाध्यक्ष जी.....

क्षय रोगाश्रम, भुवाली की परामर्शदात्री समिति में कार्य करने के लिए विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम

श्री उपाध्यक्ष—

सदन को सूचना देनी है....

क्षय रोगाश्रम, भुवाली की परामर्शदात्री समिति में कार्य करने के लिये विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में नामाँकन पत्र प्राप्त करने के लिए निर्धारित तिथि तथा समय अर्थात 19 मार्च, 1979 को 4 बजे अपराह्न तक निम्नलिखित माननीय सदस्यों के नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुये हैं जो सूक्ष्म परीक्षा के उपरान्त वैध पाये गये हैं—

1—डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल (आगरा)
2—श्री जय शंकर पाँडेय (फैजाबाद)
3—डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल (सुल्तानपुर)
4—श्री पूरन चन्द्र (अल्मोड़ा)
5—डाक्टर बंगाली सिंह (अलीगढ़)
6—श्री मौजी लाल कुरील (कानपुर)
7—श्री राज कुमार शर्मा (सहारनपुर)
8—श्री सुखपाल पांडेय (बस्ती)

चूंकि उक्त समिति के लिए निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक अभ्यर्थी हैं, अतः यदि नामों की वापसी के लिए निर्धारित तिथि यथा समय, अर्थात् 20 मार्च, 1979 को 4 बजे अपराह्न तक अतिरिक्त नाम वापस नहीं लिये जाते हैं, तो मतदान पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 23 मार्च, 1979 को पूर्वाह्न साढ़े दस बजे से अपराह्न 5 बजे तक विधान मण्डल पुस्तकालय, विधान भवन लखनऊ में होगा।

उपर्युक्त निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जायगा।

उन्नाव जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष श्री मेहराज अहमद की उन्नाव शहर में निर्मम हत्या किये जाने के संबंध में वक्तव्य

(क्रम संख्या 5 माननीय मुख्य मंत्री को पुकारे जाने पर)

श्री सुखपाल पाँडेय (जिला बस्ती)—

माननीय उपाध्यक्ष जी.....

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को बुला लिया है पाँडेय जी, और वह खड़े हैं। आप इस समय खड़े न हों, कुछ तो ख्याल करें।

श्री सुखपाल पाँडेय--

विशेषाधिकार का प्रश्न है इसलिये मैं आप से कह रहा हूं....

श्री उपाध्यक्ष--

जब आयेगा तब निर्णय हो जायगा।

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)---

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनाँक 9 मार्च, 1979 को थाना कोतवाली, उन्नाव पर श्री विश्व प्रकाश त्रिपाठी, निवासी 380 ए0बी0 नगर, उन्नाव ने इस आशय की रिपोर्ट लिखायी कि एक दिन पूर्व अर्थात् दिनाँक 8-3-79 को श्री मेहराज अहमद व राम रचन लोधी में कालेज में झगड़ा हुआ था। दिनाँक 9-3-79 को जब वह श्री मेहराज अहमद के साथ उन्नाव कचहरी जा रहा था तो कुछ व्यक्ति उसके पीछे लग गये और लगभग पौने ग्यारह बजे अमुक तीन व्यक्तियों ने, जो छात्र थे, मेहराज अहमद (न कि निराज अहमद जैसा कि नियम 51 के अन्तर्गत सूचना में अंकित किया गया है) तथा श्री त्रिपाठी पर फायर किया। फलस्वरूप श्री मेहराज अहमद की घटनास्थल पर मृत्यु हो गयी तथा श्री त्रिपाठी को चोटें आयीं। अभियुक्तगण भाग गये। लिखायी गयी रिपोर्ट के अनुसार मेहराज अहमद व एक नामाँकित अभियुक्त के बीच दिनाँक 8-3-79 को हुए झगड़े में रंजिश के कारण श्री मैहराज अहमद को मार दिया गया तथा श्री त्रिपाठी को घायल किया गया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर धारा 302/307 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत अपराध पंजीकृत कर विवेचना तुरन्त प्रारम्भ की गयी। इस अभियोग के संबंध में एक अभियुक्त को 9-3-79 को तथा दूसरे अभियुक्त को 11-3-79 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया एवं एक अन्य अभियुक्त के विरुद्ध धारा 82/83 दण्ड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही की जा रही है। अभियोग की विवेचना प्रचलित है।

यह कहना सही नहीं है कि जिले में भय व आतंक का वातावरण है। स्थिति पर सतर्क दृष्टि रक्खी जा रही है।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी (जिला फर्रुखाबाद)---

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

आप इसमें कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी---

मैं केवल स्पष्टीकरण चाह रहा हूं। 8 तारीख को विद्यालय में झगड़ा हुआ। उस झगड़े का कारण क्या था? पुलिस की जानकारी में 8 तारीख को झगड़ा हुआ और 9 तारीख को निर्मम हत्या कर दी गयी तो पुलिस ने उसे रोकने की क्या व्यवस्था की?

(उत्तर के लिए मंत्री जी को नहीं पुकारा गया)

मेरठ विश्वविद्यालय के सभी परीक्षा केन्द्रों पर सामूहिक नकल होने के संबंध में वक्तव्य

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री शिवानन्द नौटियाल)---

मान्यवर, मेरठ विश्वविद्यालय की प्रथम, तृतीय तथा पंचम सत्र की परीक्षाएं 15 फरवरी, 1979 से विश्वविद्यालय से सम्बद्ध 52 कालेजों में प्रारम्भ हुई तथा 5 मार्च, 1979 को समाप्त हो गईं। परीक्षाओं के सुचारुरूप से संचालन के लिये विभिन्न परीक्षा केन्द्रों के अधीक्षकों को शासन द्वारा एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के अधिकार भी प्रदान कर दिये गये थे जिससे केन्द्राधीक्षक अपने-अपने परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षाओं के संचालन के उत्तरदायित्व का निर्वाह भलीभांति कर सकें। जिलाधिकारियों को भी समय-समय पर निर्देश गृह विभाग द्वारा दिये जाते रहे हैं कि वे कुलपति तथा प्रधानाचार्य के अनुरोध पर शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिये आवश्यक समुचित प्रबन्ध की व्यवस्था करें।

वक्तव्य

उक्त परीक्षाओं के संचालन के पूर्व मेरठ विश्वविद्यालय ने सम त सम्बद्ध कालेजों के प्राचार्यों तथा विश्वविद्यालय की अध्यापक परिषद् की कार्यकारिणी के सदस्यों की एक बैठक भी आयोजित की थी जिसमें परीक्षाओं के सुचारुरूप से संचालन किये जाने पर विचार किया गया था। विश्वविद्यालय में 29 जनवरी, 1979 को पुलिस उप महानिरीक्षक से विभिन्न कालेजों के प्राचार्यों तथा केन्द्र अधीक्षकों को परीक्षाओं के सम्बन्ध में उचित सहायता देने का अनुरोध भी किया गया था जिसकी प्रतियाँ विश्वविद्यालय के क्षेत्र के अन्तर्गत पाँचों जिलों के जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों एवं केन्द्र अधीक्षकों को भी प्रेषित की गई थीं। परीक्षाओं के प्रारम्भ होने के तीन-चार दिन में ही कुछ कालेजों ने जैसे ए0 एस0 कालेज, सिकन्दराबाद, डी0 ए0 वी0 कालेज, मुजफ्फरनगर, एस0 एस0 वी0 कालेज हापुड़, परीक्षाओं का संचालन बन्द कर दिया। अत: 20 फरवरी, 1979 को पुन: प्राचार्यों तथा केन्द्र अधीक्षकों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्देश जारी किये गये कि वे अपने उत्तरदायित्व के निर्वाह के लिये पुलिस से आवश्यक सहायता प्राप्त करने में कोई संकोच न करें एवं निरीक्षकों को निर्देश दें कि वे परीक्षा की अवधि में पूरे समय कमरों के अन्दर अपने कार्य पर रहें। यह भी निर्देश दिया गया था कि परीक्षाओं के प्रारम्भ होने के पूर्व यह घोषणा कर दी जाय कि जो छात्र परीक्षा में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से नकल करेंगे उनके मामले विश्वविद्यालय को रिपोर्ट किये जायेंगे और उनकी परीक्षा निरस्त कर दी जायंगी। यह भी निर्देश थे कि समस्त प्रयत्नों के बावजूद भी यदि नकल न रुके तो इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को रिपोर्ट करें जिससे नियमानुसार विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा सके, परन्तु आगामी दिनों की परीक्षाओं को बन्द न किया जाय। विश्वविद्यालय की ओर से ऐसा कोई परिपत्र नहीं भेजा गया है जिसमें नकल न रोकने का आदेश दिया गया हो।

समस्त प्रयत्नों के बावजूद भी कुछ परीक्षा केन्द्रों के सामूहिक नकल की रिपोर्ट मिलनी प्रारम्भ हुई और 5–3–79 को परीक्षा समिति की एक आवश्यक बैठक हुई जिसमें निर्णय लिया गया क जिन केन्द्रों से सामूहिक नकल की रिपोर्ट प्राप्त होगी उन केन्द्रों की परीक्षाओं को निरस्त किया जायेगा। उस समय तक 10 कालेजों में पूर्ण रूप से तथा एक कालेज में आँशिक रूप से सामूहिक नकल की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। परीक्षा समिति ने यह भी निर्णय लिया कि अधिक से अधिक 16 मार्च, 1979 तक समस्त केन्द्रों की रिपोर्ट प्राप्त कर ली जाय और उसके बाद रीक्षा समिति प्रत्येक केन्द्र के सम्बन्ध में निर्णय ले। 5–3–79 तक प्राप्त विवरण के अनुसार निम्नलिखित 10 कालेज सामूहिक नकल से तथा एक कालेज आँशिक रूप से प्रभावित था:—

सामूहिक नकल से प्रभावित

1—मेरठ कालेज, मेरठ
2—एम0 एम0 एच0 कालेज, गाजियाबाद
3—एम0 डी0 कालेज, गाजियाबाद
4—एन0 आर0 ई0 सी0 कालेज, खुर्जा
5—एस0 एस0 वी0 कालेज, हापुड़
6—जे0 एस0 कालेज, सिकन्दराबाद
7—ए0 एस0 कालेज, सिकन्दराबाद
8—ए0 एस0 कालेज, मवाना
9—एस0 एम0 जे0 एन0 कालेज, हरिद्वार
10—एम0 एम0 कालेज, मोदीनगर

आँशिक रूप से प्रभावित

1—डी0 ए0 वी0 कालेज, मुजफ्फरनगर

[श्री शिवानन्द नौटियाल]

विश्वविद्यालय के फ्लाइंग स्क्वाइडों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार निम्नलिखित 11 अतिरिक्त कालेज भी सामूहिक नकल से प्रभावित हुये ---

1---एन0 ए0 एस0 कालेज, मेरठ
2---डी0 एन0 कालेज, मेरठ
3---दिगम्बर जैन कालेज, बड़ौत
4---के0 बी0 कालेज, माछरा
5---के0 डी0 कालेज, मवाना
6---के0 डी0 कालेज, सिन्थावली
7---आर0 एस0 एस0 कालेज, पिलखुआ
8---डी0 एन0 कालेज, गुलावटी
9---वी0 वी0 कालेज, शामली
10---आर0 के0 कालेज, शामली
11---जे0 वी0 जैन कालेज, सहारनपुर

एम0 वी0 कालेज दादरी आंशिक रूप से प्रभावित हुआ।

पत्राचार पाठ्यक्रम के परीक्षार्थी भी केवल एक सीटिंग में प्रभावित हुए। इस प्रकार विश्वविद्यालय से संबद्ध 52 कालेजों में से 21 कालेज पूर्ण रूप से तथा दो कालेज आंशिक रूप से सामूहिक नकल से प्रभावित हुए हैं। सामूहिक नकल से प्रभावित होने वाले छात्रों की संख्या लगभग 37,500 है। सामूहिक नकल से प्रभावित कालेजों की परीक्षाओं को निरस्त करने का निर्णय परीक्षा समिति ने अपनी बैठक दिनांक 18 मार्च, 1979 में लिया। निरस्त परीक्षाएं पुनः अप्रैल के अन्तिम सप्ताह या मई के प्रथम सप्ताह में विश्वविद्यालय द्वारा कराई जायेंगी। परीक्षाओं को सुचारुरूप से संचालन के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा शासन से जो भी सहायता वांछनीय होगी, प्रदान की जायेगी।

कुलपति, मेरठ विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रो0 सतीश चन्द्र से भी उनके द्वारा जारी की गई अनुदान रोकने की चेतावनी के सम्बन्ध में 10 मार्च, 1979 को विचार विमर्श किया था। उक्त विचार विमर्श में कुलपति का यह विचार था कि वर्तमान परिस्थितियों में परीक्षाओं के सम्यक संचालन के लिये सभी स्तरों पर समन्वित उपाय करने होंगे। इन उपायों के बावजूद भी जो कालेज अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं कर सकेंगे, उनके विरुद्ध अनुदान बन्द करने पर विचार किया जा सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कुलपति के इस विचार से सहमत थे।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)---

श्रीमन्, एक सवाल पूछना चाहता हूं . . .

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय मुख्य मंत्री जी . . . . .

(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)---

मान्यवर, इस पर मेरी एक वैधानिक आपत्ति है . . . . .

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---

प्वाइन्ट आफ आर्डर है. . . .

श्री सोहन वीर सिंह तोमर---

आप मेरी बात सुन लीजिये।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

यह जो मुख्य मंत्री जी वक्तव्य देने जा रहे हैं यह हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के निर्णय पर कमेंट है. . . . . .

श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

मैं माननीय तिवारी जी से निवेदन करूंगा कि यह जो स्टेटमेंट मंत्री जी ने दिया है उस पर प्रार्थना करूंगा पहले उसे सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो वक्तव्य पढ़ा उस पर आप कुछ कहना चाहते हैं?

श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

जी हां।

श्री उपाध्यक्ष—

उस पर इजाजत नहीं दूंगा।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

मान्यवर, व्यवस्था कोई स्टील की नहीं बनी हुयी है। सारे पश्चिमी जिले प्रभावित हैं हमारे साथी नरेन्द्र सिंह तथा सखावत हुसैन साहब बैठे हैं, आज हमारे घर में लोगों ने धरना दे रखा है। मेरा एक प्रश्न सुन लें, यह जो बयान मंत्री जी का हुआ है उसके संबंध में मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि मेरठ के सारे अंचल में जो विद्यालय हैं उनमे 100 प्रतिशत नकल हुई है और वह कुलपति ने करवाई है। सारे देश के अखबारों में वह छपी है और पत्रों के सम्पादक वहां गये हैं नयनतारा सहगल जो विजयलक्ष्मी की पुत्री ह वह वहां गई है . . . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

जो केवल वक्तव्य के लिए होता है, आप जानते हैं, सवाल नहीं होते।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

या तो हम लोगों को भी समय मिले। (व्यवधान) अगर उनको आज्ञा मिलती है तो मेरे प्रश्न को भी आज्ञा मिले। इसी प्रश्न पर हम लोगों को भी समय मिले।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

मैं मिश्र जी से निवेदन करूंगा कि उनको सरकार के लिए आज दर्द है। मुझे दुख है कि आखिर यह कहां की प्रक्रिया है इस प्रदेश के अन्दर कुछ घटनायें घटित हों और सारी की सारी शिक्षण संस्थायें बंद हों और वाइस चांसलर के आदेश से नकल हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय तोमर जी, आप जैसे माननीय सदस्य जिनको नियमों का पूरा ज्ञान हो, को ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जानते हैं कि नियम 51 में जो केवल वक्तव्य कराया जाता है उस पर कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं कराये जा सकते हैं और न ही स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

मैं स्पष्टीकरण मांग रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

नियमों के अन्तर्गत नहीं मांग सकते हैं।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

सदन के सम्मुख बयान आये और वह तथ्यों के विपरीत हो और नियमों में कोई व्यवस्था न हो कि स्पष्टीकरण मांगें।

श्री उपाध्यक्ष—

जो बयान दिया है वह सही है या नहीं इसके बारे में आप लिख कर भेज दें। इस तरह से वक्तव्य जब पढ़े जा चुके हों तब आप प्रश्न नहीं कर सकते।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

स्पष्टीकरण का मेरा पूरा अधिकार है। आप आज्ञा नहीं देंगे तो मैं बैठ जाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

स्पष्टीकरण के नाम पर फिर आप प्रश्न करने लगेंगे। आप बैठ जायं मैं आज्ञा नहीं देता।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

आज्ञा नहीं देंगे तो कैसे स्पष्टीकरण इस पर होगा ?

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल द्वारा सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को वर्ष 1979 के लिए भेजे गये सन्देश में प्रयुक्त शब्दों के सम्बन्ध में होने वाले वक्तव्य पर आपत्ति

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

यह जो वक्तव्य मुख्य मंत्री जी पढ़ने जा रहे हैं उस पर मेरी संवैधानिक आपत्ति है।

उप मुख्य मंत्री एवं उद्योग मंत्री (श्री राम नरेश यादव)—

मान्यवर, तिवारी जी मरी बात सुन लें।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

मेरी एजेंडा पर आपत्ति ह।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने मुख्य मंत्री जी को वक्तव्य पढ़ने के लिए बुलाया है और उप-मुख्य मंत्री जी खड़े हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

हम उस पर संवैधानिक आपत्ति कर रहे हैं।

श्री राम नरेश यादव—

मैं पहले निवेदन कर दूं उसके बाद आप कहें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

संवैधानिक रूप से आज के एजेंडा में जो वक्तव्य रखा है वह नहीं आ सकता।

श्री राम नरेश यादव—

मैं वक्तव्य नहीं पढ़ने जा रहा हूं।

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

हम पहले जान जायं कि आपने किसको आज्ञा दी। हमारे जो नेता भूतपूर्व मुख्य मंत्री और उप मुख्य मंत्री हैं, जो नेता भी हैं उनको आपने आज्ञा दी। आप खाली पेपर में स्वप्न देखिए। आप जब चाहे तब खड़े हो जाते हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

यदि कोई व्यवस्था का प्रश्न नेता विरोधी दल उठा रहे हैं तो मुझे सुन लेने दीजिए।

*श्री नारायण दत्त तिवारी—

मुझे आज इस एजेंडे में दिए गए आईटम पर आपत्ति है। शम्भूनाथ जी और मन्नू राम जी ने कोई सूचना दी है, हो सकता है कि उनकी सूचना सही हो। लेकिन इसमें लिखा है कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपने संदेश में जो शब्द प्रयुक्त किये गये हैं, लिखे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गये हैं, उस पर आपत्ति है। संविधान के आर्टिकिल 211 को आप देखिए---"उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्त्तव्य पालन में किये गये आचरण के विषय में राज्य विधान मंडल में कोई चर्चा न होगी। संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर हाईकोर्ट का कोई जज अपने कर्त्तव्य पालन के लिए कुछ करता है, कहता है, तो उस पर कोई चर्चा विधान मंडल में नहीं होगी, लेकिन इससे तो चीफ जस्टिस तक के कर्त्तव्य पालन पर चर्चा यहाँ विधान मंडल में हो जाती है। वक्तव्य भी एक चर्चा है, क्योंकि इस पर प्रश्न उठ सकते हैं।

माननीय सदस्यों को इसमें अधिकार हो जाता है कि वह इस पर अपने प्रश्न उठा सकें। इस विषय में मुख्य मंत्री को सीधे चीफ जस्टिस से करेस्पाँडेंस करनी चाहिए थी, लेकिन इसमें सीधे उनके काँडक्ट पर शासन की ओर से टिप्पणी की गयी है। जिसमें सदन में, विधान मंडल में चर्चा नहीं हो सकती है, उस पर वक्तव्य कैसे हो सकता है? आर्टिकिल 124 (4) में इतना अवश्य है कि अगर कोई जज गलती करता है तो उसके बारे में संसद-लोकसभा को अधिकार है कि वह राष्ट्रपति से शिकायत कर सकती है, समावेदन दे सकती है। इस संबंध में यदि राज्य सरकार को कुछ करना है, मुख्य मंत्री को कोई टिप्पणी करनी है तो उचित था कि वह उस प्रश्न को लोकसभा में उठायें। लेकिन इस प्रकार से जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनके प्रयुक्त शब्दों पर वक्तव्य होने जा रहा है, यह नितान्त अनुचित है, यह जुडीशियरी पर स्पष्ट आक्षेप है और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर आक्षेप है। मैं समझता हूं कि यह चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए और श्रीमन्, आपको यह वक्तव्य यहाँ नहीं दिलवाना चाहिए। इस पर भले ही अन्य कोई कार्यवाही हो, लेकिन यह नहीं होना चाहिए। चाहे मुख्य मंत्री जी चीफ जस्टिस से कोई बात करें। इसको आप रोकिए, इसमें आपकी बड़ी जिम्मेदारी है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

मैंने इसको उठाया है, मुझे भी कह लेने दीजिए।

श्री राम नरेश यादव---

जो प्रश्न तिवारी जी ने उठाया है, वही मैं कहने जा रहा था, मैं इसे स्वयं उठाने जा रहा था और इस वक्तव्य को देने के पहले मैं उनकी अनुमति लेना चाहता था। जिसका हवाला तिवारी जी ने दिया है, उसके आधार पर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज पर यहाँ चर्चा नहीं हो सकती है। इस सम्बन्ध में जिस परिपत्र की चर्चा की गई है, वह उनके कर्त्तव्य पालन की दिशा में जारी किया गया है तो उस स्थिति में मैं तभी पड़ूंगा जब सदन की अनुमति होगी।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं इसकी चर्चा मुनासिब नहीं समझता हूं। मेरा विरोधी दल ने जो आपत्ति उठाई है; वह सही है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)---

मैं कहता हूं कि चर्चा होगी। मैंने इसको उठाया है और मुझे इस पर कहने की इजाजत दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष---

अब इसकी इजाजत मैं नहीं देता। इसको मैं निरस्त करता हूं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

कार्यपालिका जो है उसका कार्य हरिजन और बैकवर्ड को घोषित करना नहीं है। हमारी बात सुन लीजिये। आप क्या चाहते हैं, जैसा अन्य लोग करते हैं हम लोग भी करें? मैंने चर्चा के लिए दिया है। हम चाहते हैं आप हमारी बात सुनें और निर्णय करें।

श्री उपाध्यक्ष—
माननीय तिवारी जी ने जो बात कही, मैंने इसको देख लिया है, आर्टिकिल 211।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—
हमारी बात तो सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष—
मैं इसके ऊपर निर्णय दे चुका हूं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—
यह हरिजन बैकवर्ड के साथ ज्यादती करते हैं। तिवारी जी जो चाहें कह दें। नतीजा यह हुआ है कि माननीय मुख्य मंत्री के जिले में, एक भी हरिजन वहां का जज बना हुआ नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—
मैं इसकी इजाजत नहीं देता। अब जो बोलेंगे वह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—
[** ** ** **]

श्री उपाध्यक्ष—
प्रेस वाले जो स्टेटमेंट वितरित हुआ है उसको प्रकाशित नहीं करेंगे।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1979†

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री शिवानन्द नौटियाल)—
मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1979 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—
प्रकाशित क्या नहीं करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—
यह जो स्टेटमेंट वितरित किया गया, प्रेस वाले प्रकाशित नहीं करेंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी—
वह रूलिंग जो है ?

श्री उपाध्यक्ष—
वह छपेगी। प्रेस वाले वक्तव्य नहीं देंगे। मैंने वक्तव्य पढ़ने की इजाजत नहीं दी। उच्च शिक्षा मंत्री जी इसे फिर से उपस्थित कर दें अगर न किया हो।

श्री शिवानन्द नौटियाल—
पढ़ दिया है।

श्री उपाध्यक्ष—
प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1979 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री शिवानन्द नौटियाल—
मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नागर शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1979 को पुर:स्थापित करता हूं।

नोट—[* * * *] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

†दिनांक 20 मार्च, 1979 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

आज दिनांक 20 मार्च, 1979 को नियम 56 के अन्तर्गत कार्य-स्थगन प्रस्ताव की एक सूचना प्राप्त हुई जो अस्वीकृत हुई। श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री हरिकेवल प्रसाद, श्री कृपा शंकर आर्य, श्री राजमंगल तिवारी, श्री राम नरेश ने प्रदेश की चीनी मिलों के एक सप्ताह के अन्दर बन्द होने की सम्भावना से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में दी है। मैंने इसको अस्वीकृत किया।

श्री हरि केवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आपकी अनुमति चाहता हूं। यह सदन बैठा है, हम जो प्रतिनिधि प्रदेश की जनता के बन कर आते हैं और यह जो सदन है, यह प्रदेश की जनता के दुख दर्द.....

श्री उपाध्यक्ष—

क्या आप व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ?

श्री हरिकेवल प्रसाद—

यह व्यवस्था का सवाल नहीं है। यह जनहित में जो कामरोको प्रस्ताव मैंने आपके पास दिया था, जिसको आपने अस्वीकार करने की बात कही, उसकी ग्राह्यता के बारे में पहले.....

श्री उपाध्यक्ष—

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। उस पर उसको कह सकते हैं।

श्री हरि केवल प्रसाद—

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता के बारे में कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं इजाजत नहीं देता।

श्री हरि केवल प्रसाद—

मुझे यह बात कहने का अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष—

किसी माननीय सदस्यों को बिना अध्यक्ष की आज्ञा के बोलने की इजाजत नहीं है। इस पर मैंने जब अपना निर्णय बता दिया है तो आप अब उस पर बहस नहीं कर सकते हैं।

श्री हरि केवल प्रसाद—

[* * * *]

श्री उपाध्यक्ष—

जो आप कह रहे है वह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा।

श्री हरि केवल प्रसाद—

[* * * *]

श्री उपाध्यक्ष—

यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा। श्री श्यामधर मिश्र जी आप अपना भाषण जारी करें।

श्री हरि केवल प्रसाद—

[* * * *]

श्री उपाध्यक्ष—

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के समय यह सब आप कह सकते हैं। इस समय आप अनावश्यक रूप से समय क्यों ले रहे हैं ?

नोट—[* * *] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री हरि केवल प्रसाद—

मैं आपके आदेश की अवहेलना नहीं करना चाहता हूं लेकिन आपको मेरी मजबूरी को समझना चाहिए प्रदेश के लाखों गन्ना किसानों की कठिनाइयों को समझना चाहिए जिसकी गन्न की फसल खड़ी हुयी है और वह निराश हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री श्यामधर मिश्र जी, आप शुरू करें।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, वह चुप तो हो जायं अभी खड़े-खड़े बोल रहे थे और अब बैठे-बैठे बोल रहे हैं।

श्री हरि केवल प्रसाद—

आप कम से कम प्रदेश की जनता की भावनाओं के साथ अपने को जोड़ें।

श्री उपाध्यक्ष—

यह हर जगह की समस्या है, आप बैठें।

श्री हरि केवल प्रसाद—

यह सदन किस लिए है ? जब किसान परेशान है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें, बहुत कुछ कह चुके।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)†

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

जब कल अभिभाषण पर चर्चा चल रही थी और उस समय जो प्रश्न चल रहा था वह बिजली से सम्बन्धित था। मैं उधर आता हूं। मैं कह रहा था कि यह 2000 करोड़ रुपया बिजली विभाग में लगा हुअ है लेकिन फिर भी उद्योगों और खेती को पूरी बिजली नहीं मिल रही है अभी नये मन्त्री आये और उनका वक्तव्य आया कि काफी बिजली उनके पास है लेकिन उद्योगों और खेती के लिए बिजली नहीं दी जाती है। मेरा निवेदन है कि इस प्रदेश का दुर्भाग्य यह है कि करीब 27 हजार गांव यहां पर बताये जाते हैं। उनका बिजली करण हो गया है, यह कहा जाता है। लेकिन इसके माने क्या हैं ? एक बल्ब एक ट्यूबवेल पर लग गया आपने कह दिया बिजली लग गयी। गांव का आदमी मांगता है लेकिन उसको बिजली नहीं मिलती है। यह विभाग बिजली नहीं देता है। इसी कारण यह अलाभकर हो जाता है। उद्योग और खेती के काम नहीं चल रहे हैं।

(इस समय 2 बजकर 11 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राधेश्याम शर्मा पीठासीन हुए।)

इसकी चर्चा अभिभाषण में जरा भी नहीं आती। मान्यवर, हमारी टीम ओबरा गयी थी। वहां पर जो हिन्डालको का एक बहुत बड़ा कारखाना 20 करोड़ रुपये से लगा हुआ है, वह बन्द पड़ा है। यहां पर वक्तव्य हो रहे हैं कि हमारे पास बिजली सरप्लस है। अगर बिजली सरप्लस है तो आप देते क्यों नहीं ? या तो कहिए कि आपके पास है नहीं। इन तथ्यों को आप छुपा क्यों रहे हैं? अगर आप कहें कि हमारे पास नहीं है या कम है तो हम गुमराह नहीं होंगे। यह तो आप गलत बयानी करते हैं, असत्य बात करते हैं। इससे स्पष्ट है कि मंत्रिगण अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं।

मान्यवर, आज हमारे प्रदेश में 80 कारपोरेशंस हैं . . . .

एक सदस्य—

और बढ़ने वाले हैं।

---

†19 मार्च, 1979 की कार्यवाही से।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री श्यामधर मिश्र---

तो बढ़ा लीजिए जो हैं उनकी दुर्दशा सुन लीजिए। सुधारने के लिए आप क्रान्ति के दूत आये हैं। उनमें आज 2200 करोड़ रुपया लगा हुआ जिनमें केवल विद्युत् परिषद् में 1500 करोड़ रुपया लगा और शेष 700 करोड़ रुपया इनमें लगा है। इनमें नुकसान हुआ। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। अगर पिछली सरकार ने इस पर दिमाग नहीं लगाया तो इस जनता पार्टी की सरकार ने क्या दिमाग लगाया ? आज 70–80 आई0 ए0 एस0 अधिकारी इनके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जो 6-6 महीने और एक-एक साल बाद वहाँ से कूदते हैं। केन्द्र में भी कार्पोरेशन्स बने हैं लेकिन केन्द्र आई0 ए0 एस और आई0 सी0एस0 से प्रभावित नहीं है। वहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन अधिकतर नान-आई0सी0एस0 और आई0ए0एस0 कैटेगराइज्ड हो गये हैं और आई0ए0एस0 हैं तो वे उसी कैडर के हो गये हैं। मेरा उनसे कोई विरोध नहीं है, अगर वे उद्योग को ज्वाइन करना चाहते हैं तो करें। यहाँ पर आज ये कार्पोरेशन्स आरामगाह और घाटे के लिए बन गये हैं जिसके कारण यहाँ पर टैक्स भी लगाना पड़ता है।

सचिवालय में ही देखिए कि मन्त्री लोग कहाँ बैठते हैं। मैं पहले सत्र में भी और आज भी कह रहा हूं। इसका भी अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है। अभी सूचना मिली है कहीं पर कृषि भवन, शक्ति भवन,निर्माण भवन, स्वास्थ्य भवन, सिंचाई भवन, जवाहर भवन और सहकारी भवन बने हुए हैं। इनके अतिरिक्त 2–3 और भवन बने हुए हैं। केन्द्र में भी रेल भवन, निर्माण भवन, कृषि भवन, और उद्योग भवन हैं। वहाँ पर जिस जगह अधिकारी लोग रहते हैं, वहीं पर मन्त्रिगण भी बैठते हैं। जब पार्लियामेंट चलती है केवल तभी वे अपने-अपने कमरों में बैठते हैं। यहाँ पर उनके सचिवालय में ही बैठने के कारण गैलेरीज में चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। उनके लिए काम करना तक मुश्किल हो जाता है। इन लोगों से मिलना तक दूभर हो जाता है लेकिन केन्द्र में चले जाइए मिलने में कोई समय नहीं लगता है। वे आपसे मिलने के लिए लालायित रहते हैं। यह जो इतने भवन हैं इनमें मन्त्रियों को बैठना चाहिए।

पुराने मुख्य मन्त्री जी से भी मैंने कहा और नये मुख्य मन्त्री जी से भी कह रहा हूं, अन्य मन्त्रियों से भी कह रहा हूं, और इस सदन से भी निवेदन कर रहा हूं कि इस सचिवालय का रूप दूसरा होना चाहिए। केन्द्र में जिस तरह का सेन्ट्रल हाल है वैसा यहाँ पर भी होना चाहिए। कोई वजह नहीं है कि वह यहाँ भी न हो।

इस सदन के अन्दर ही देख लीजिए, एयर कन्डीशनिंग हो गयी है, मगर फिर भी यह पंखे लगे हुए हैं। इस प्रदेश को इसीलिए उल्टा प्रदेश कहा जाता है। इनकी क्या जरूरत है यहाँ अब ? इस गन्दगी को क्यों नहीं हटाया जाता ?

अब एक बात मैं विधायकों की सुविधाओं के बारे में और कहना चाहता हूं। जनता पार्टी के लोग शायद न कहें, मैं ही कहता हूं। हमारी, लोक सभा के अध्यक्ष, माननीय हेगड़े साहब से भी बात हुई। उन्होंने कहा कि पूरे देश भर में माननीय सदस्यों को क्या-क्या सुविधाएं प्राप्त हैं, वह वे मंगा रहे हैं। एक बात और यह कही कि जो न्यूनतम सुविधाएं हैं वे 3–4 प्रदेशों में ही हैं और यह उत्तर प्रदेश भी उनमें से एक है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)---

गरीबी के कारण।

श्री श्यामधर मिश्र---

हाँ, गरीबों के चौधरी माननीय शम्भूनाथ जी यहाँ सदन में ही बनते हैं, जब बाहर मिलते हैं तो कहते हैं कि टेलीफोन भी होना चाहिए, कार भी होनी चाहिए, डेली अलाउन्स भी बढ़ना चहिए, यह भी होना चाहिए और वह भी होना चाहिए।

भूतपूर्व विधायकों के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं उनमें से नहीं हूं कि उनको पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। वह उन्हें मिलनी चाहिए और उसे देकर काँग्रेस सरकार

[श्री श्यामधर मिश्र]
ने और जनता पार्टी की सरकार ने ठीक ही किया। लेकिन मैं यह भी उनके लिए माँग करता हूं कि उनको निःशुल्क दवा जिलों में मिलनी चाहिए तथा प्रान्त में बसों में चलने की सुविधा मिलना चाहिए।

एक बात सड़कों के बारे में कहना चाहता हूं . . . (व्यवधान) सड़कों के सम्बन्ध में इस प्रदेश में, प्लान और नान प्लान में, 18 तरह की योजनायें चल रही है, कई विभाग इसको बनाते हैं, एक सड़क बनती है, वह रख-रखाव न होने के कारण कच्ची होती चली जाती है, नतीजा यह होता है कि कोई भी सड़क पक्की नहीं बन पाती है। आपके मथुरा में भी यही हाल होगा कि सड़कें तमाम खराब मिलेंगी। मेरा सुझाव यह है कि सड़कें बनाने का काम केवल एक या दो विभाग ही करे।

प्रशासकीय विकेन्द्रीयकरण की चर्चा इस अभिभाषण में है। मगर वह कहाँ है ? आप पंचायतों को देख लें, टाउन एरियाज को देख लें, जिला परिषदों को देख लें, सभी को आपने भंग कर रखा है। अभी दो माह पूर्व मेहता कमेटी ने भारत सरकार को जो अपनी रिपोर्ट दी है, आप उसकी सिफारिश को ही मान लें। आज विकेन्द्रीयकरण है कहाँ ? आपकी जिलों में, तहसीलों में, थानों में, विकेन्द्रीयकरण की जो कल्पना थी वह कहाँ पूरी हुई ?

किसानों के लिए भी केवल चर्चा ही है। उनकी भलाई के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। जब तक किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य आप नहीं दिलायेंगे तब तक उनका भला आप नहीं कर पायेंगे। हमारे यहाँ भी गेहूं पैदा होता है, कुछ इलाकों में धान भी पैदा होता है। आज किसान रोता है उसको उचित मूल्य न मिलने के कारण। अगर यह सरकार जिसने वादा किया है अपने मैनिफेस्टों में कि उचित मूल्य जो कम से कम डेढ़ सौ रुपया गेहूं का और दो-ढाई सौ रुपया चावल का होगा, अगर आप दे देंगे, तो आप देखेंगे कि हरित क्रान्ति होगी।

श्री अधिष्ठाता--
मिश्रा जी, अब आप समाप्त करें।

श्री श्याम धर मिश्र--
मैं दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं। अभी चर्चा हो रही थी आरक्षण के विषय में। जब नई सरकार आई, तो उसको नीति अपनी साफ करनी चाहिए कि वह केवल नियुक्तियों में ही आरक्षण चाहती है अथवा प्रोन्नति में भी आरक्षण चाहती है। मेरा तो ख्याल है कि प्रोन्नति में कदापि आरक्षण उनको नहीं रखना चाहिए।

श्रीमन्, एक अन्तिम बात कह कर बैठ जाना चाहता हूं। मद्य निषेध वाले मन्त्री जब खड़े होते हैं, तो दबे दिल खड़े होते हैं। क्योंकि मन इनका होता है कि मद्य निषेध न हो, लेकिन केन्द्रीय सरकार की बात तो इनको मानना पड़ता है। मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था पंजाब की, मेरा निवेदन है कि मैं आपको लाकर दिखा सकता हूं, सबसे ज्यादा 1947 में दो करोड़ लीटर का पंजाब में मद्यपान होता था अब 25 करोड़ लीटर, 12 गुना हो गयी, लेकिन उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि इस बीस वर्ष में परकैपिटा इनकम सबसे ज्यादा पंजाब की है और सबसे कम क्राइम अगर कहीं है तो पंजाब में है। तो हर चीजों का मेल अगर इस तरह से, यह सरकार जो केन्द्र की आई है जो सैकड़ों रुपए का घाटा कराने की और हमारे ऊपर टैक्स लगाने की है, अगर यह सरकार कहीं से रुपया लाये और कोई अच्छी व्यवस्था करे, तो हम स्वागत करेंगे, वरना हम निन्दा करेंगे।

*श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं नेता विरोधी दल का भाषण सुन रहा था। इस सदन के अन्दर और पिछले 20 माह के शासन में और जनता पार्टी के शासन में जो कुछ हुआ है, उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन पिछला जो बीस माह बीता, वह एक ऐसा समय था, वह ट्रेनिंग पीरियड था, लाठी, गोली, साम्प्रदायिक दंगे, ये सारे के सारे बीस माह में हुए। बीस माह का समय, जनता शासन में एक ट्रेनिंग का पीरियड था। आगे आने वाले जमाने में जनता पार्टी का शासन किसानों के, विद्यार्थियों के, मजदूरों के हित में होगा और इस प्रदेश के अन्दर उद्योग धन्धे पनपेंगे।

मान्यवर, मुझे इस बात का दुख है कि आज किसानों के हित में बीस महीने के अन्दर कोई अगति कार्य नहीं हुआ। किसानों की क्रय शक्ति कम हुई, किसान बहुत सी चीज को अपने खेत में पैदा करता है, लेकिन उसकी गल्ले की लागत का मूल्य भी किसानों को आज नहीं मिल रहा है। आज किसानों की खरीदने की शक्ति कम हुई। यही नहीं, किसान की हालत खराब होने से हमारे प्रदेश की हालत खराब हुई। जहाँ तक इस शासन में बेकारी मिटाने की बात है,मैं इस राय का हूं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर पढ़े-लिखे, शिक्षित बेरोजगारों को हमारी सरकार ने काम नहीं दिया केन्द्रीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से बार-बार यह आश्वासन दिया गया और राज्यपाल के अभिभाषण में भी है कि उद्योगों को पनपा कर लाखों उद्योगों के माध्यम से हम बेरोजगार लोगों को काम देंगे। मैं जनता पार्टी की सरकार से यह जानना चाहता हूं कि कौन सा काम हुआ उद्योग के बारे में जिससे 10 करोड़ लोगों को रोजी-रोटी का काम मिला। कहने का मतलब यह है कि मान्यवर, बेरोजगारी मिटाने की तरफ अब तक कोई काम नहीं हुआ और हमारा मतलब है बाबू बनारसी दास जी की सरकार जो है वह नई-नई बनी है, अभी काफी झगड़े में है, वह कुछ कर सकेंगे।

मान्यवर, इसी तरह से गन्ने का मामला है। मान्यवर, आप देखें 12 करोड़ रुपए अब भी गन्ना किसानों का पिछले साल का बकाया है। इस साल की स्थिति यह है कि गन्ना तो किसान ने दे दिया मिल में। गन्ना तो चला गया। गन्ना किसान के घर में शादी होने वाली है, किसान को खेत के लिए खाद खरीदनी है, उसको परिवार चलाना है जिसके लिए उसे रुपया चाहिए। गन्ना तो चला गया मिल में लेकिन पैसा मिला नहीं और यहाँ पर डींग मारी जाती है कि हम किसानों की तरफ जा रहे हैं। हम गाँवों की तरफ जा रहे हैं। गाँव में बिजली लग गयी है। अब मिट्टी का तेल नहीं जलेगा इसलिए मिट्टी के तेल को महंगा कर दो। सारी बातें कागज में हैं तो मान्यवर, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि इन चीजों को बदलें।

बिजली के सम्बन्ध में कहा गया है कि ग्रामीण विद्युतीकरण की तरफ हम जा रहे हैं। 15 हजार नलकूप प्रदेश में अब भी ऐसे हैं जिनको कनेक्शन नहीं मिला है। पुराने विद्युत् मन्त्री चले गए। नये विद्युत् मन्त्री हैं लेकिन 15 हजार नलकूपों को कनेक्शन नहीं मिला। अल्यूमीनियम है नहीं। उसकी कमी है। वह ब्लैक होगी। वह मिलती नहीं तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सारे तथ्यों पर शासन का ध्यान जाना चाहिए। शिक्षा के सम्बन्ध में मान्यवर, स्थिति यह है कि...

(व्यवधान)

श्री शम्भूनाथ जी ने प्रस्ताव रखा और जिस कुर्सी को लेकर ये बैठे हैं मेरा कहना है उनकी कुर्सी बनी रहे...

(व्यवधान)

कई बार सदन के अन्दर नहरों के बारे में कहा गया। वित्तीय वर्ष समाप्त हो रहा है, पैसा खत्म नहीं हो रहा है, दुबारा चकबन्दी कराने की बात कही गयी कि कोई गरीब किसान

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[राम अधार, श्री]

भूमिहीन न हो क्योंकि नहरों में उनकी जमीन न कहीं चली जाय । 20 माह के अन्दर यह शासन निर्णय नहीं कर सका कि जहाँ नहरें जायेंगी वहाँ दुबारा चकबन्दी होगी या नहीं होगी । मैं यह भी नहीं मानता कि आज जो सरकार बन गयी है, शम्भूनाथ जी, पाण्डे जी समझें, सरकार रहेगी या नहीं . . .

(व्यवधान)

होमगार्ड विभाग लेने में, खेलकूद विभाग लेने में कोई मजा नहीं है । जो सरकार बनी है, मैं समझता हूं कि टुकड़े में, जाल फरेब के रूप में, यह कै दिन चलेगी, भगवान जाने ।

नारायण दत्त जी ने कहा मन्त्रि-मण्डल बहुत बड़ा है । इसमें 3 दरबार हैं और 3 आदमियों की सारी सभा है ।

श्रीमन्, इनकी सरकार के दो दरबार थे । एक तो श्रीमती इन्दिरा गाँधी का था और दूसरा श्री संजय गाँधी का दरबार था । तो श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता था कि श्री तिवारी जी तो केवल संजय गाँधी जी के दरबार से लौट आते थे. . .

(शोर)

एक सदस्य—

आपका सम्बन्ध किस दरबार से है ? आगे के दरबार से या पीछे के दरबार से ?

श्री राम अधार—

कल तिवारी जी ने आर0एस0एस0 की बहुत बातें कीं । तिवारी जी की स्पीच बहुत अच्छी हुई । लेकिन मुझको लगा कि तिवारी का सम्बन्ध आर0एस0एस0 से बहुत गहरा रहा है । क्योंकि तिवारी जी भी अध्यक्षता कर चुके हैं । हमें यह भी मालूम है कि इस सदन के एक भूतपूर्व मुख्य मन्त्री आगरे के अन्दर बाबा देवरस जी के चरण पकड़ चुके हैं । मैं इस बात से सहमत हूं कि आज जो भी राजनीतिक लड़ाई है वह सिद्धान्तों की लड़ाई नहीं है बल्कि राज सत्ता की लड़ाई है । वह विचारधारा की लड़ाई नहीं है । यह भी इसके अन्दर आनी चाहिए थी । आज स्कूलों में और कालेजों में सत्र ठीक से नहीं चल रहे हैं । हड़तालें होती हैं । पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है । बेकारी नहीं मिट रही है । लड़कों में असन्तोष है । बेरोजगारी नहीं खत्म हो रही है । जब उनको काम नहीं मिलेगा तो हड़तालें होंगी । ताले तोड़ेंगे, बसें तोड़ेंगे और मुर्दाबाद का नारा लगायेंगे ।

मान्यवर, आज बड़ा गम्भीर प्रश्न है, समय के अन्दर इस तरफ ध्यान देना चाहिए । अध्यापकों ने हड़ताल की है । यह जनतन्त्र की पहली घटना है । अध्यापकों ने हड़ताल किया तो उनका दो महीने का वेतन रोका गया । उस वेतन को देने की आज भी कोई निश्चित योजना नहीं है । मैं इन्हीं शब्दों के साथ जनता पार्टी के शासन से उम्मीद करता हूं और आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार से माँग करूंगा कि बाबू बनारसी दास की सरकार को निष्पक्ष, स्वतन्त्र तरीके से काम करने का अवसर दें क्योंकि मैंने देखा कि श्री राम नरेश यादव जब मुख्य मन्त्री थे तो दरोगा से लेकर चौकीदार के ट्रान्सफर के निर्देश दिल्ली से मिलते थे । आज भी बाबू बनारसी दास को मुख्य मन्त्री बनाकर चारों तरफ से जिस प्रकार से घेराबन्दी है, तो वह निष्पक्षता से अपने मन से काम नहीं कर सकेंगे । अगर उत्तर प्रदेश का शासन दिल्ली से चलाना है तो दिल्ली का कोई नेता भेज दें । अगर प्रदेश का शासन निष्पक्षता से चलेगा तो प्रदेश और जनता का भला होगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए जनता सरकार को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि जनता सरकार ने पहली बार इस देश में सही मानों में लोकतन्त्र की स्थापना करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किया है ।

मान्यवर, अशिक्षा और दरिद्रता, दो ऐसे बड़े अभिशाप हैं जिनके रहते हुए किसी भी देश में लोकतन्त्र सफल नहीं हो सका। कितने दुख और आश्चर्य की बात है कि 30 साल की लोकतांत्रिक परम्परा के बाद भी और काँग्रेस का एकक्षत्र शासन रहने के बाद भी हमारे देश में 33 करोड़ 60 लाख लोग निरक्षर हैं। यह कितने शर्म की बात है। 30 सालों का समय किसी देश के कायाकल्प के लिए कम नहीं है। जर्मनी और जापान जो सन् 45 में एटम बम से ध्वस्त कर दिए गए थे, नेस्तनाबूद कर दिए गए थे, तब कोई कल्पना नहीं करता था कि जर्मनी और जापान उठेगा। लेकिन केवल 30 सालों बाद जर्मनी और जापान आज अन्तर्राष्ट्रीय मैदान में रूस और अमेरिका का मुकाबला कर रहे हैं। हमारी क्या हालत है? इन 30 सालों में हम दो तिहाई लोगों को क, ख, ग नहीं सिखा सके, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी। अशिक्षा बहुत बड़ा अभिशाप है। एक विद्वान् ने कहा है—

A vote of ignorance is a vote against democracy.

अनभिज्ञता का प्रत्येक मत लोकतन्त्र के लिए घातक है। जबकि हमारे देश में 33 करोड़ 60 लाख निरक्षर हैं। मेरा इल्जाम काँग्रेस सरकार पर है, जिनका एकक्षत्र शासन रहा और इन्होंने इन 30 सालों में जान बूझकर इस देश के लोगों को, देश के मालिकों को निरक्षर रखा ताकि मालिकाना अहसास उनके अन्दर पैदा न हो सके।

मैं जनता सरकार को बधाई देता हूं कि उसका संकल्प है कि आने वाले 10 वर्षों में इस देश के 90 प्रतिशत लोगों को साक्षर बना देगी। प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम जनता सरकार का ही काम है। 1971 में दिल्ली की महारानी ने नारा लगाया कि 'गरीबी हटाओ' लेकिन 30 साल के इतिहास को देखते तो गरीबी को मिटाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। जनता सरकार को बधाई देता हूं कि उसने अन्त्योदय योजना को लागू करके नीचे स्तर के लोगों को जिसको कोई सहारा नहीं देता था, उनको 5 हजार रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से सहायता देकर किसी रोजगार में लगाने की बात की है। यह दोनों काम पिछले 30 वर्षों में किए जा सकते थे लेकिन नहीं किए गए। जनता सरकार ने यह दोनों काम भारतीय लोकतन्त्र के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखे जायेंगे। लेकिन अन्त्योदय योजना के बारे में सुझाव है कि लोगों को गाय, भैंस या डनलप देकर काम नहीं चलेगा बल्कि 5 हजार रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से एक गाँव में 5 व्यक्तियों को यह सहायता मिलेगी, तो इस प्रकार एक गाँव में 25 हजार रुपए होता है और 10 गाँवों को मिलाया जाय तो ढाई लाख रुपए होता है। यदि इस ढाई लाख रुपए से कोई कुटीर उद्योग चलाया जाय तो अच्छा होगा जिससे बेसहारा लोग जो हैं उनको स्थायी सेल्फ इम्प्लायमेंट मिल सकेगा और उस उद्योग का मुनाफा भी उनको मिलेगा।

मान्यवर, प्रौढ़ शिक्षा में मेरा सुझाव है कि इसमें अलग से स्टाफ रखने की आवश्यकता नहीं है बल्कि गाँव और शहरों के प्राइमरी और जूनियर स्कूलों के अध्यापकों को तथा पढ़े-लिखे लड़कों को स्टाइपेण्ड देकर रात्रि पाठशालाओं को चलाना चाहिए।

मान्यवर, तीसरी बात इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं और प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि रोजगार परक शिक्षा की इसमें बात केवल नहीं कही गयी है बल्कि इसके लिए प्रयास आरम्भ कर दिए गए हैं। इसके अलावा मैं यह भी सुझाव देना चाहूंगा कि जो डिग्री कालेज और यूनिवर्सिटी खुलने का दौर है उसमें अब और न खोले जायं बल्कि इस समय जिस तरह के प्राविधिक स्कूल हैं वैसे नहीं बल्कि प्राविधिक शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे विद्यार्थी स्कूल से बाहर निकलते ही अपने हाथों से कुछ बनाने लगे, इस दृष्टि से प्राविधिक शिक्षा में भी परिवर्तन करना होगा। एक सुझाव और है कि ब्रिटिश काल में जो प्राइमरी और हायर सेकेण्डरी स्कूलों के भवन बने थे वह अब गिर रहे हैं। उनकी मरम्मत करने वाला कोई नहीं है। नये स्कूल खुलते जायेंगे लेकिन पुराने स्कूलों के भवन बनाने के लिए बजट में पैसा नहीं है। इसके अलावा जिला परिषद् और म्युनिसिपल बोर्ड के जब स्कूल थे तब वह मरम्मत कराते थे लेकिन अब वह उनकी मरम्मत नहीं कराते हैं। बेसिक शिक्षा वाले कहते

[श्री राम दत्त जोशी]

हैं कि हमारा काम सिर्फ ऐडमिनिस्ट्रेशन देखना है, भवन हमारे नहीं हैं। जिला परिषद् वाले कहते हैं कि भवन चले गए बेसिक शिक्षा को। इस प्रकार माया मिली न राम स्कूलों की बड़ी बुरी हालत है। वहाँ साज-सज्जा नहीं, टाट पट्टी की कोई व्यवस्था नहीं है। विकेन्द्रीयकरण की जो बात अभिभाषण में कही गयी है कि माध्यमिक और प्राइमरी शिक्षा का विकेन्द्रीयकरण किया जाय, यह स्वागत करने योग्य कदम है। जिला परिषदों और नगरपालिकाओं को पुनः स्कूलों के भवनों के मेंटीनेंस की जिम्मेदारी सौंपी जाय परन्तु अध्यापक कर्मचारी वर्ग जो है, उसके तनख्वाह की जिम्मेदारी सरकार को अपने ऊपर लेनी चाहिए।

इसी सम्बन्ध में कल चर्चा सुन रहा था। बहुत शोर मचाया नेता विरोधी दल ने कि बहुत बड़ी सरकार हो गयी। मन्त्री और बनाए जाने वाले हैं लेकिन इससे सरकार चलेगी नहीं। यह उनका कहना था। इस सम्बन्ध में मुझे तिवारी जी को याद दिलाना है कि पंडित नेहरू के मन्त्रि मण्डल में 53 मन्त्री थे और मुझे याद है और तिवारी जी को भी याद होगा—मा0 कामथ ने पार्लियामेंट में कहा था कि ताश के 52 पत्ते होते हैं और एक जोकर होता है उसी तरह से उसमें है तथापि वह सरकार अस्थिर नहीं थी अतएव यह अंश सरकार गिरने वाली नहीं है। नेता चाहे पांच साल में पांच बदल जायं लेकिन माननीय तिवारी जी आपका नम्बर नहीं आने वाला है।

एक और अनुरोध श्रमिकों के बारे में कर देना चाहता हूं। उनका 6–7 साल तक प्राविडेंट फंड नहीं मिल पाता, वे मर जाते हैं। इस सम्बन्ध में समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। कानपुर में केवल एक दफ्तर है कमिश्नर, प्राविडेंट फण्ड का। लाखों कर्मचारी हैं। मेरा निवेदन है कि इसको विकेन्द्रित किया जाय। इस सम्बन्ध में पूरा प्रयास किया जाय जिससे कि श्रमिकों को प्राविडेंट फण्ड और ग्रेच्युटी आदि आसानी से यथाशीघ्र मिल सके।

थोड़ा सा, मान्यवर, अध्यापक वर्ग के बारे में निवेदन करना है। उन्होंने हड़ताल की—सही की या गलत की, यह बहस की बात है। लेकिन जितने समय उन्होंने हड़ताल में गुजारा, वह अच्छा नहीं था। चूंकि अब वातावरण शान्त हो गया है, मेरा अनुरोध है कि अध्यापकों को हड़ताल के समय का वेतन देने की कृपा करें।

इन शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता हूं।

*श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलने के लिए अनुमति दी, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

मान्यवर, कल माननीय नेता विरोधी दल आलोचना कर रहे थे कि 13 पृष्ठ का एक नीति द्योतक अभिभाषण रखा गया और उन्होंने कहा कि मन्त्रियों को इसकी जानकारी हुई कि नहीं कि उन्होंने किस तरह किया और आज प्रस्ताव की आलोचना कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से तिवारी जी को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार, जो जनता पार्टी की सरकार है, ने कम से कम गरीबों की ओर, गांव की ओर और जो अन्तिम व्यक्ति हैं, उसके चिन्तन की तो बात सोची। तिवारी जी शासन में रहे और उन्होंने राज-भोग भोगा। माननीय तिवारी जी थोड़ा सा ध्यान दें। माननीय तिवारी जी ने शुक्र नीति सार जरूर पढ़ा होगा और देखा होगा कि राजा के कर्तव्यों में क्या वर्णन किया गया है—राजा को एक भृत्य कहा गया है, एक सेवक के रूप में राजा ह। क्या माननीय तिवारी जी ने उसके अनुसार किया? उन्होंने इस प्रदेश के विकास के लिए कितनी योजनाएं रखीं,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कितना कार्यान्वयन रहा, इसका भी विवरण देना चाहिए था ।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में विकेन्द्रीयकरण की बात आई । माननीय अधिष्ठाता जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि लगातार कांग्रेस शासन ने क्या किया। गांधी जी ने कहा था कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो लेकिन धीरे-धीरे सत्ता का केन्द्रीयकरण होता गया। प्रोफेसर जोर ने कहा है कि जब सत्ता का केन्द्रीयकरण होता है तो निरंकुशता बढ़ती है । चाहे समाजवादी व्यवस्था हो चाहे पूंजीवादी व्यवस्था हो या चाहे लोकशाही व्यवस्था हो, सत्ता के विकेन्द्रीयकरण से जन सामान्य को सुविधा मिलती है--यह विनोबा भावे ने कहा है। कल तिवारी जी आक्रमण कर रहे थे आर0एस0एस0 और जनता पार्टी की नीति और मन्त्रियों के लिए जाने पर। मैं माननीय तिवारी जी को स्मरण दिलाना चाहूंगा क्या धर्म निरपेक्ष रहे उस शासन में। वे समाजवादी थे। लाल टोपी लगाते थे लेकिन न जाने कौन से प्रभाव में आकर उन्होंने अपने मन की बात कहना बन्द कर दिया और मुंह से जो निकला कहने लगे और दूसरों को उपदेश देने लगे। मैं उन्हें स्मरण दिलाना चाहूंगा कि हिन्दू और मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा सबूत है जो सत्ता में बैठा होता है उसका व्यवहार कैसा है। बरटोली ने कहा है कि जब राजा इस बात का भेद करे, हिन्दू मुसलमान को एक दृष्टि से नहीं देखता है तो वह शासन की नीति से परे हो जाता है। क्या तिवारी जी ने इन उपदेशों का पालन किया है ?

अब मैं अपनी सरकार द्वारा रखी गयी नीतियों पर आता हूं। जहां नियोजन की बात आती है, केन्द्रीय सरकार का 12,800 रु0 हमारी पूंजी निवेश है इन निगमों में, लेकिन लगातार घाटा हो रहा है। उत्तर प्रदेश की स्थिति यह है कि 51 निगम हैं और 16 अरब का घाटा हो रहा है, कोई उन्नति नहीं हो पा रही है। यह परिपाटी पिछली सरकार द्वारा चली आ रही है। विद्युत मन्त्री जी इस समय उपस्थित नहीं हैं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि केवल विद्युत परिषद् से इस प्रदेश को 3 अरब रुपए का घाटा हो रहा है। इसमें सुधार होना चाहिए, यह मैं चाहता हूं। इस प्रदेश में जो सत्ता का बंटवारा होता ह वह जातिगत आधार पर होता है। वह नहीं होना चाहिए ।

अगर आप आदर्श देखना चाहते हैं तो इसके लिए अकबर के शासन काल को लिया जा सकता है। चाहे फरिश्ता के विचार देखें या किसी अन्य इतिहासकार के। उन्होंने नियुक्ति आदि में किसी जाति विशेष या धर्म के लोगों में भेदभाव नहीं रखा। नीति यही होना चाहिए कि धर्म और जाति में समन्वय हो । मेरी सरकार यह कार्य कर रही है और माननीय नेता विरोधी दल को इससे आश्वस्त होना चाहिए। जहां भी हमारी कृषि वाली बात आती है, इसके लिए बहुत कुछ किया गया है । लेकिन मैं स्मरण दिलाऊं अधिष्ठाता जी, इस प्रदेश में जो छोटे काश्तकार हैं जिनकी संख्या 80 फीसदी है और जिनके पास सवा तीन एकड़ भूमि है जो सारी जमीन का 21 प्रतिशत है। शेष लोगों ने 10 हेक्टेयर जमीन हड़प कर रखा है। जहां केन्द्रीय बजट की चर्चा हुई और लोगों ने चौधरी साहब की नीति की आलोचना की। मैं उनके द्वारा लिखी गयी पुस्तक "भारत की अर्थ-नीति" के बारे में कहना चाहूंगा। मैं इस माननीय सदन को स्मरण दिलाऊं कि वह बिल इस माननीय सदन में चौधरी साहब ने ही सन् 39 में रखा था जिसके माध्यम से ऋणग्रस्त लोगों को सुविधा मिली। चाहे भूमि संरक्षण का प्रश्न हो, चाहे भूमि सुधार का प्रश्न हो, पशुधन संवर्धन का प्रश्न हो, उन्होंने इससे सम्बन्धित नीतियों को हमेशा आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है जिसका फल है कि प्रदेश में तरक्की हुई ।

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में जनता ार्टी की नीतिय ों का समावेश किया गया है। मैं नेता विरोधी दल को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह सरकार जो बन्दी थी आपकी जेल से 19 महीनों में छूट गयी। लेकिन आपके जाल से कैसे छूटे, सबसे बड़ा प्रश्न यह बन गया है। यह बहुत बड़ा जाल है। जेल से तो मुक्त हो गये। लेकिन यह जो पूंजीवादी जाल फैला हुआ है, उससे कैसे निकला जाय, यह बात देखने की है।

[श्री नेम सिंह चौहान]

जहां प्रदेश की अर्थ-नीति का प्रश्न उठता है मान्यवर, वहां पर आप देखेंगे कि भारत-वर्ष में उत्तर प्रदेश उन पिछड़े राज्यों में से आता है जहां पर हमारे जितने संसाधन हैं, जितनी पूंजी हमारे पास है, वह सीमित है, भूमि सीमित है लेकिन श्रम अधिक हैं। आलोचना आज होती है कि बड़े उद्योगों का पनपना बन्द कर दिया, उनको प्रश्रय देना बन्द कर दिया। मैं निवेदन करूंगा कि हमारे प्रदेश में जहां व्यक्ति अधिक हैं, ऐसे उद्योग पन-पाएं जायं जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को काम मिल सके। बड़े उद्योगों म पूंजी निवेश अधिक ह इसलिए उनको लाभ अधिक मिल जाता है लेकिन लघु उद्योगों को नहीं मिल पाता इसलिए आज नीति जो बनी है कि हम छोटे उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को पनपायेंगे, यह बहुत अच्छी नीति है। हमारी सरकार बड़े लोगों के खिलाफ नहीं ह।

हमारे यहां शिक्षा की जो व्यवस्था है, बहुत कोशिश करने के बाद भी आज इस प्रदेश में साक्षरता का प्रतिशत नहीं बढ़ा है। जहां विकासशील देशों में हालत आज यह है कि उनमें जन्म दर 2.4 है वहां विकसित देशों में 1.1 से भी कम है। तो यह स्थिति बदली जाय। आज शिक्षा के लिए माध्यमिक शिक्षा में बहुत कुछ सुधार की आवश्यकता है।

(लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन्, मुझे दो मिनट का समय और दें। मैं निवेदन कर रहा था कि शिक्षा की जो आज स्थिति है, अध्यापक पढ़ाने में रुचि नहीं लेते, यह एक कटु सत्य है। आज प्रबन्ध समितियां शासन कर रही हैं, यह एक सत्य है, इसमें परिवर्तन लाने के लिए कुछ नये नियम बनायें। अगर शिक्षा का राष्ट्रीयकरण नहीं हो सकता तो कम से कम स्थानान्तरण तो हो सकता है। आज अध्यापकों की स्थिति क्या है? माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने सुविधाएं दे दीं कि मकान का आवास भत्ता मिलेगा लेकिन शहरों के लिए मिलेगा, गांवों में जो लोग रह रहे हैं, आज उनके लिए मकान उपलब्ध नहीं होता। शहर में 20–30 रुपए का झोपड़ा मिल जाता है लेकिन गांवों में नहीं मिलता। इसलिए मैं निवेदन करुंगा कि आवास भत्ता हर स्तर के लोगों को समान रूप से दिया जाना चाहिए।

जहाँ सिंचाई सुविधाओं की बात आती है, सिंचाई सुविधाएं लोगों को ठीक से नहीं मिल पायीं। आज अधिकारी वर्ग योजनाओं के कार्यान्वयन में रुचि नहीं ले रहे हैं। मेरे क्षेत्र को आप देखें, ट्यूबबेल बनाने की बात थी, गड्ढे खुदे पड़े हैं लेकिन काम नहीं हो रहा है। ऊसर सुधार की बात है इसमें भी मेरे क्षेत्र में आज तक कोई काम नहीं हुआ है। सरकार ने रुपया दे दिया लेकिन फिर भी कोई काम नहीं हुआ। हमारी योजनाओं का रुपया लैप्स होता है और इसका कारण हमारी नीतियाँ हैं लेकिन इसके साथ-साथ इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे अधिकारी उसमें उपेक्षा बरतते हैं और हमारा गरीब देश और गरीब होता जाता है। अगर यहाँ किसी तरह से गाँवों के लिए रोजगार बड़ा दिए जायं, कोई न कोई इस प्रकार की सुविधा दे दी जाय तो प्रदेश की बहुत प्रगति हो सकती है। आप देखेंगे कि गुमनार मिर्डल ने कहा है कि अगर गाँव के लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ा दिए जायें और उनको पेट भर भोजन मिल जाय तो गाँवों की उत्पादकता में ड्योढ़े से दूने तक की वृद्धि होगी। इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि इन बातों की ओर भी हमारी सरकार ध्यान देगी।

*श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)—

मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर नेता विरोधी दल की ओर से रखे गए संशोधन के प्रस्ताव पर समर्थन देने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं उन व्यक्तियों में से हूं जो कहीं अच्छाई मिले तो उसका मैं पहले वर्णन करना उचित समझता हूं।

मान्यवर, इस प्रदेश मे बाबू बनारसी दास जी जब मुख्य मन्त्री के रूप में आये तो क्षण भर के लिए हमें उन में गाँधी जी की झलक दिखाई दी क्योंकि उनमें गाँधी जी की झलक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है इसमें शक नहीं। हमने अपने जीवन में गाँधी जी की उपासना की और उनके जीवन की हम स्तुति करना चाहते हैं। लेकिन वह क्षण भर की जो झलक हमने बाबू बनारसी दास में देखी थी वह जब श्री राज्यपाल के अभिभाषण को हमने सुना और पढ़ा और अपने नेता विरोधी दल के भाषण को सुना, तो समाप्त हो गयी। क्या लुत्फ है मान्यवर, आज के पत्रों में स्पष्ट लिखा है कि कैबिनेट के बिना पढ़े, पास किए, अभिभाषण पेश हो जाता है, श्री राज्यपाल का वह अभिभाषण जो भूतपूर्व मुख्य मन्त्री के नीतियों के आधार पर है। तो क्षण भर का जो नजारा था, भ्रम था, वह मिट गया।

मान्यवर, नीतियों का मतलब यह नहीं होता कि हम तरक्की के रास्ते पर हैं। आप को इसके लिए स्पष्ट नीतियाँ निर्धारित करनी पड़ेंगी। हम किस स्थान पर, किस अवस्था पर खड़े हैं, हमारी क्या रचना हो, इस बात को देखना होगा। मान्यवर, अराजकता की बात श्री राज्यपाल के अभिभाषण में कही गयी। क्या कैबिनेट ने इस पर विचार किया जिस के बारे में इस सदन के अन्दर विरोधी दल के साथी ही नहीं परन्तु जनता पार्टी के प्रमुख नेता भी कहते हैं ? क्या अराजकता का विश्लेषण हुआ ? यदि कैबिनेट इस पर विचार नहीं करती तो कसूरवार कौन है ? जनता तो यह समझती है कि यह जनता पार्टी जिसको उसके हुक्म चलाने का मौका दिया, अब विनाश की तरफ बढ़ रही है। सदन की कार्यवाही को जनता सुनती है तो समझती है कि अराजकता के बारे में कुछ कर रही है, विश्लेषण कर रही है, छात्रों को डील करने के लिए पुलिस सेल बनेगा, व्यापारियों को डील करने के लिए कदम उठाए जायेंगे। लेकिन जनता पार्टी की सरकार जिक्र करती है काँग्रेस की कमियों की। कमियाँ थीं तो हमने हुकूमत छोड़ दी। आपकी तरक्की का रास्ता कौन सा है ?

मान्यवर, अभी माननीय चौहान साहब ने विरोधी दल के हमारे नेता का नाम लिया और यह कहा कि काँग्रेस की तरक्की की क्या-क्या योजनाएं थीं। मान्यवर, सबसे बड़ी योजना तो थी, जिसके बारे में इस हाउस में बड़े जोर शोर से खड़े होकर कहा जाता था कि लोगों को रिश्वत देने के लिए कारपोरेशन और निगम बना देते हैं लेकिन यह एक तरक्की का रास्ता था। अलग-अलग निगम तरक्की के लिए बना दिए गए तभी यह प्रदेश आर्थिक स्तर पर उन्नति कर सकेगा। अगर हमारी नीति गलत थी तो जनता हुकूमत ने उसे खत्म कर दिया होता लेकिन नहीं किया और नतीजा यह हो रहा है कि नातजुर्बेकार आदमियों के हाथ में यह हुकूमत आ गयी है वह प्रदेश की लुटिया डुबोने वाली है, उसको चलाने की उसमें क्षमता नहीं है। अराजकता की हालत यह है कि 5 दिन छुट्टियों में मेरे क्षेत्र में कोई दिन ऐसा नहीं गया जब डकैती न पड़ी हो और पुलिस कुछ न कर सकी। मौसी कह कर पुकारा गया और दरवाजा खुलवा कर लूट लिया।

इसके अलावा हमारे क्षेत्र में स्पोर्ट्स का बड़ा काम है। पंजाब में जालन्धर जिस तरह है हमारे प्रदेश में दूसरे नम्बर पर उसी तरह से मेरठ है जिसमें स्पोर्टस का काम हो रहा है और इसके लिये इस अभि भाषण में दो शब्द तक नहीं कहे गये, जबकि 11, 12 करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट स्पोर्ट्स के जरिये से होता है, कि किस तरह से उसकी उन्नति हो।

खांडसारी को ले लीजिये। काश्तकारों की यह सरकार कहलाती है। खांडसारी को जिस तरह से इसने तबाह किया है उसकी मिसाल नहीं मिलती। एक्साइज के कारण खांडसारी अपने पैरों पर खड़े होने का साहस नहीं कर सकती। रोजगार दिलाने की बात कही जाती है लेकिन यह सरकार उस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। बात गाँधी फिलासफी की की जाती है और अगर बनारसी दास जी उस पर अमल करते तो वह हाई थिंकिंग एंड सिम्पिल लिविंग की बात करते। लेकिन इस प्रदेश में जो यह नई कैबिनेट आई है वह हाई थिंकिंग एंड सिम्पिल लिविंग की बात पर अमल करती तो दो-दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बात सोचती तक नहीं। यह पहला नमूना है। सेवा करने के बजाय शक्ति ग्रहण करनेकी बात की जा रही है। शक्ति ग्रहण करने वाला कभी सेवा नहीं कर सकता। फिर ऊपर से नातजुर्बेकारी की वजह से यह सरकार हमारे प्रदेश की लुटिया डुबोने पर तुली हुई है।

[श्री अजीत सिंह सेठी]

एक बात मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि नजीबाबाद को मेरठ डिवीजन में मिलाया गया लेकिन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर वहाँ से आने के लिये कोई सहूलियत ही नहीं है। गंगा पर परिक्षतगढ़ पर पुल का निर्माण किया जाना चाहिये था। इस पुल के निर्माण की योजना का नाम भी नहीं लिया गया। उसका निर्माण होना बहुत आवश्यक है। इसी तरह से विस्टर्न जोन में तिजारत के लिये नेवडा इंडस्ट्रियल कालोनी की योजना थी और वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिये सबसे बड़ी योजना थी। इसका कहीं भी जिक्र नहीं है। इसलिये मैं हैरान हूं कि यह हुकूमत न प्रदेश के किसानों का उत्थान करना चाहती है न व्यापारियों की हालत सुधारना चाहती है, झूठे वायदे करती है। इन शब्दों के साथ मैं राज्यपाल के अभिभाषण पर जो नेता विरोधी दल ने संशोधन रखा है उसका जोर दार शब्दों में अपने विचारों को व्यक्त करते हुये उसका समर्थन करता हूं। इस अभिभाषण में जिसमें कोई निर्देश नहीं, कोई योजनाबद्ध कार्यक्रम नहीं, प्रदेश कहाँ जायेगा इसको कोई खबर नहीं, ऐसा शासन प्रदेश से हटे और एक साफ सुथरा शासन आये।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मान्यवर, कल जिस समय राज्यपाल के अभिभाषण पर माननीय चौधरी साहब धन्यवाद का प्रस्ताव पेश कर रहे थे उस समय मैं बड़े गौर से देख रहा था और यह कि पा रहा था उनकी अन्तरात्मा की आवाज कुछ और थी और ऐसा लगता था कि उनके मुंह से कुछ और कहलाया जा रहा है और उनकी अन्तरात्मा कुछ और कह रही है। ठीक उसी तरह से, मैं माननीय तिवारी जी से छोटे मुंह बड़ी बात कहने के लिये माफी चाहूंगा, जब तिवारी जी बोल रहे थे तो उस समय ऐसा लग रहा था कि उनकी अन्तरात्मा से बहुत पुराने आर0 एस0 एस0 का प्रेम उछालें ले रहा था। उन्होंने कहा कि आर0 एस0 एस0 के लोग विधायक हो सकते हैं, लेकिन मंत्री नहीं हो सकते। यह एक कटाक्ष था जिसमें उनकी अन्तरान्मा की छिपी बात थी। लेकिन जब मैने पता लगाया तो मालूम हुआ कि तिवारी जी का आर0 एस0 एस0 से प्रेम 16 साल के बाद जगा। सन् 62 में लखनऊ में एक आर0 एस0 एस0 की रैली हुई थी और उसको इन्होंने सम्बोधित किया था। कल वह प्रेम देखने को मिला। वह बहुत घातक है, क्योंकि 16 साल के बाद जो प्रेम जगे उसका नतीजा ज्यादा बुरा होता है।

मान्यवर, राज्यपाल के अभिभाषण में बहुत सी बातें कही गई हैं और जो घोषणायें की गयी हैं वे आज की घोषणायें नहीं हैं बल्कि मैं समझता हूं कि 21 महीने से जब से जनता पार्टी का शासन आया है तभी से ये घोषणायें की जाती रही हैं लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इन घोषणाओं को क्रियान्वित करने का प्रयास भी इन 21 महीनों के अन्दर किया गया है? नहीं किया गया है। मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि काँग्रेसी शासन में जिन नीतियों और मान्यताओं के आधार पर शासन चलाया जाता था ठीक उन्हीं मान्यताओं और नीतियों के ऊपर आज की जनता पार्टी का शासन भी चल रहा है। एक इंच मात्र भी वहाँ से अलग नहीं हुआ है। अभिभाषण में कहा गया है कि सरकार श्रमिकों के हितों की रक्षा, उनकी दशाओं में सुधार और समाज के दुर्बल वर्गों के आर्थिक एवं सामाजिक स्तरों को उठाने के लिये सतत प्रयत्नशील है। शासन को यह मालूम नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर कहाँ पर श्रमिकों के सामने परेशानियाँ हैं और वे कितनी पुरानी हैं। आज हरदोई जिले के अन्दर लगभग 9 दिन से 5 मजदूर नेता आमरण अनशन किये हुये हैं लेकिन यदि किसी से पूछा जाय कि यह आमरण अनशन क्यों चल रहा है, वह किस बात को लेकर चल रहे हैं, इसकी आपको जानकारी नहीं लेकिन कहते हैं कि हम मजदूरों के हिमायती हैं।

कहते हैं कि कृषि हमारे प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था एवं सम्पन्नता की आधार शिला है। बड़ी खूबसूरत बात कही गई। लेकिन आज तक शायद किसानों की इस बदहाली के कारणो के बारे में जनता पार्टी के किसी नेता ने, किसी मंत्री या मंत्रिमंडल ने कभी सोचा नहीं। एक मिल मालिक जब अपने कारखाने में सामान तैयार करता है तो उसकी कीमत तय करते समय हर चीज को जोड़ लेता है कि कच्चे माल की कीमत क्या है, मशीन कितनी

घिसी लेकिन एक किसान जब किसी चीज को अपने खेत में बोता है और खून पसीना उसमें मिलाता है और उसके बाद जब कोई चीज तैयार होती है और उसको बाजार में ले जाता है तो उसको ऐसा मालूम होता है कि उस खून पसीने की कमाई का मालिक वह नहीं है और कोई दूसरा ही उसका मालिक है। वह उसकी कीमत तय नहीं कर सकता है। कितना उसने खून पसीना बहाया और उसके खेत की कितनी उर्वराशक्ति कम हुई है। इन चीजों का वह जिक्र नहीं कर सकता है। लेकिन जनता पार्टी की सरकार किसानों का भला कर रही है।

मान्यवर, पूरे देश में हमारे चौधरी चरण सिंह मशहूर हैं किसानों के नेता के रूप में। उनके दिल में किसानों के लिए दर्द है। लेकिन जिस घेरे में वह घिरे हुए हैं उसमें उस दर्द को वह सिर्फ दर्द ही बनाये रखे हैं। उसका इलाज न वह खुद कर पा रहे है और न घेरे वाले उनको करने दे रहे हैं।

मान्यवर, बड़े लोकतंत्र की बात यहाँ पर कही गई और यह लोकतंत्र की बात करने वाले शायद काँग्रेसी लोकतंत्र से बात और व्यवहार में कोई भिन्न नहीं रहे। लाठी, गोली और जेल का राज्य उस समय था और आज भी है। मैं कल की एक मिसाल दे रहा हूं। छात्र युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जिस समय अपनी बात उठाने के लिए बढ़ रहे थे तो उसके लगभग 100 कार्यकर्त्ताओं को जेल में भेज दिया गया। तो लोकतंत्र की यह मिसाल है। एक और मिसाल आप देखिये जिलों-जिलों में जनता पार्टी ने अपने ही शासन में राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं के खिलाफ गुन्डा ऐक्ट का इस्तेमाल करने की छूट अधिकारियों को दी है जिसका प्रयोग वह निरंकुशतापूर्वक कर रहे हैं।

लखीमपुर खीरी में विश्वनाथ तिवारी जिसका सारा जीवन राजनीति में समर्पित रहा तथा हरदोई का आशुतोष अग्निहोत्री जिसका जीवन राजनीति के साथ जुड़ा हुआ है दोनों को गुन्डा ऐक्ट में बन्द किया हुआ है। तो आपकी नीतियों का बखिया उधेड़ने वाले लोग आज गुण्डा ऐक्ट में बंद हैं। लोकतंत्र की और भी मिसाल देखिये काँग्रेस के समय में भी राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं के साथ बरबरतापूर्ण व्यवहार किया जाता था, अगर आप बुरा न मानें तो आप उनसे आगे हो रहे हैं इन राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं के साथ जेलों में दुर्व्यवहार करने में। आपको याद होगा जिन नकसलपंथी बंदियों के बारे में चौधरी चरण सिंह ने कहा था जब वह गृह मंत्री थे कि यह भूमि की समस्या की उपज है। ये कोई गुन्डा बदमाश नहीं है। उनके राजनीतिक स्वरूप को उन्होंने माना था। लेकिन आज आपकी जेलों में उन नक्सलपंथी बंदियों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है? अगर आप लोकतंत्र के हिमायती थे तो एक बार उनसे बात करते, पूछते। लेकिन आप लोकतंत्र का केवल नाम लेना चाहते हैं। आज ऐसे लोग जेलों में सड़ रहे हैं, मर रहे हैं, मर ही नहीं रहे हैं बल्कि उनकी हत्या का आरोप आपके शासन पर लगाना कोई बुरा नहीं होगा। आपके शासन में जेलों के अन्दर तमाम राजनैतिक बन्दी ऐसे हैं जो उच्च श्रेणी की सुविधाएं पाने के योग्य हैं, उपयुक्त हैं, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लेकिन आप उनको लभ्य सुविधाएं नहीं दे रहे हैं। तो आपके इस लोकतंत्र का अर्थ क्या है? हो सकता है कि वह डिक्शनरी आपके पास हो। लेकिन आपके मुंह से केवल लोकतंत्र निकलता है, किन्तु आचरण से आप पूरी तरह से लोकतंत्र विरोधी गतिविधियों के साथ हैं।

भ्रष्टाचार की बात बहुत कही गई। भ्रष्टाचार अभी थोड़े दिन पहले देखने को मिला। प्रशासन के भ्रष्टाचार की बात को दूर रही, शासन का एक बड़ा गम्भीर भ्रष्टाचार यहाँ देखा गया। जिस समय यहाँ रामनरेश यादव हटाओ अभियान चल रहा था, उस समय जनता पार्टी के अध्यक्ष तीन सेठों को अपने साथ लिए घूमते थे। किस लिए घूमते थे, यह मैं नहीं बताऊंगा और मैं बताना भी नहीं चाहता हूं। वह धन्नासेठ इसलिए आए थे कि किसी तरह रामनरेश का पत्ता साफ हो। पता नहीं उनकी यादव जी के साथ क्या दुश्मनी थी। ऐसी स्थिति में प्रशासन के भ्रष्टाचार की बात करना बिलकुल बेमाने हैं।

[श्री राम आसरे वर्मा]

अब महंगाई के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। चौधरी जी कल कह रहे थे कि महंगाई पर विजय प्राप्त कर ली गयी है और जो पहले अभाव की स्थिति थी वह बनावटी थी। किन्तु आप सब लोग आज मिट्टी के तेल, डीजल और कोयले की विषम स्थिति को देख लीजिए। तमाम चीजों का अभाव भी है और कीमतें भी आसमान छू रही हैं। चीजें बाजार में उपलब्ध नहीं है, उसके बावजूद उन्हें सदन में कहते शरमाना चाहिए कि पहले बनावटी अभाव था और अब उसकी पूर्ति हो गई है। कीमतों के बारे में और जायजा लेना चाहें तो एक बहुत छोटी चीज नमक है। उसकी क्या हालत है ? शायद मंत्रियों को उसे खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए उनको उसकी कीमत का अंदाजा नहीं है। आज एक रुपये में दो किलो नमक मिल रहा है। तो जिस राज्य में नमक तक की कीमतें बढ़ जाएं और यह कहा जाए कि महंगाई दूर हो गई है, उस शासन को मैं समझता हूं, यह कहने का अधिकार नहीं रह जाता है कि वह जनसाधारण की भावनाओं और उनके हितों के साथ जुड़ी हुई है।

कहा जाता है कि बेरोजगारी भी मिट गई। इस बारे में शुरू में 10 साल का टारगेट दिया गया था कि दस साल में बेरोजगारी दूर हो जायगी। अब 10 साल में से 2 साल बीत गये हैं और इस अवधि में अगर 1/5 बेरोजगारी दूर हो गई होती तो मेरी समझ में आता कि इस दिशा में कदम बढ़ाए गये हैं। हो सकता है कि जनता पार्टी के सदस्यों के घर में जो बेरोजगार है, उन्होंने जनता पार्टी के झंडे लगा-लगा कर अपनी बेरोजगारी दूर कर ली हो। यदि ऐसा है तो मैं कुछ नहीं कह सकता।

आरक्षण नीति की बड़ी चर्चा है। कोई भी राजनैतिक दृष्टि से दूरदर्शी और समझदार व्यक्ति अनुसूचित जातियों और पिछड़ी जातियों के आरक्षण का विरोधी नहीं होगा। वह तो एक अनिवार्यता है लेकिन जिस तरीके की नीति यहाँ पर शासन द्वारा अपनाई जा रही है, उसकी निन्दा किये बिना कोई भी रह नहीं सकता है। आरक्षण नीति और उसका ढकोसला देखा जाए, तो वह दोनों विरोधी चीजें हैं। आरक्षण पिछड़े वर्ग का किया गया लेकिन मेरिट के हिसाब से जिनके नम्बर ज्यादा थे वह रह गये और कम नम्बर वाले रख लिए गये और आप एक निश्चय करें तो उसको ईमानदारी के साथ लागू करें। जनता को दिखाने के लिए आप एक निर्णय लें लेकिन उसके व्यवहार के सम्बन्ध में आप बेईमानी की नीति बरतें, यह चीज मर्यादा के खिलाफ है और उचित नहीं कही जा सकती। मान्यवर, प्रमोशन में आरक्षण की बात, इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। मैं भी यही कहूंगा कि नियुक्तियों में आरक्षण हो और सही नीति के आधार पर हो। आरक्षण का तात्पर्य यह कि सरकार ने 15 प्रतिशत आरक्षण दिया, तो मेरिट में 17 परसेन्ट आते हैं तो 17 परसेन्ट लिये जायंगे। 14 परसेन्ट मेरिट में आते हैं तो एक परसेन्ट का रिलैक्सेशन आपको करना पड़ेगा। यह आरक्षण का सही उसूल है। यह न करके मैरिट में 21 परसेंट लेकिन देंगे 15 परसेन्ट। तो आपने आरक्षण में के नाम पर पिछड़े और अनुसूचित वर्ग को जो सुविधाएं देने की बात कही है, वह सही साबित नहीं होती।

इन बातों के साथ थोड़ा गांव की ओर चलेंगे क्योंकि जनता पार्टी शुरू से लेकर अब तक गाँवों की ओर जा रही है। उन गाँवों के अन्दर क्या है। एक बहुत बड़ी आबादी भूमिहीनों की है। भूमि वितरण का नारा आप का आया। लेकिन सही ढंग से भूमि का बंटवारा न आप कर पाये हैं और अगर कागज पर बंटवारा भी किया तो भूमिहीनों को जिसमें विशेष कर अनुसूचित जाति के लोग है, उन बेचारों को आप कब्जा नहीं दिला पाये।

(सदन से बिजली चली गयी।)

मान्यवर, जारी रखें क्या ? अगर माननीय अधिष्ठाता महोदय आज्ञा दें तो मैं बोल सकता हूं।

श्री अधिष्ठाता---

अगर आप बोल सकते हैं, तो बोलें।

श्री राम आसरे वर्मा---

जिनको आप भूमि देना चाहते हैं वह भूमि को नहीं पा रहे हैं। अगर आपने इसके लिए कोई समुचित व्यवस्था न की तो आपके जो निर्णय हैं, वह आपके लिए ही विष बन जायंगे।

गाँवों में विद्युतीकरण कर रहे हैं। दूसरी जगहों की मिसाल मैं नहीं जानता। मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूं। 1978 की बात है और उसके कई साल पहले हमारे क्षेत्र में दो लाइनें खींची गयीं। बिजली उसमें नहीं आयी। लाइनों के तार खिचना शुरू हो गये। वह तार अधिकारियों ने उतारने शुरू कर दिये। आज स्थिति यह है कि कहीं पर तार लगा हुआ है, कहीं पर खम्भे लगे हुए हैं। पिछली बार जब प्रश्न उठाया था तो माननीय मंत्री ने कहा था कि अक्तूबर, 1978 तक विद्युत लाइनों को चालू कर दिया जायगा। अक्तूबर, 1978 खत्म हो गया। अक्तूबर, 1979 आने वाला है। मदन में आश्वासन दिया गया वह भी परा नहीं किया। कागज पर भले ही गाँवों का विद्युतीकरण हो गया हो लेकिन आप देहात म जा कर देखिए जहाँ पर हरिजनों की आबादी है। कहा जाता है कि वहाँ विद्युतीकरण किया गया, मैं सैकड़ों गाँवों को मिसाल देता हूं। आप जाकर देखिए। शायद पाँच-छः प्रतिशत हों, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। कागज पर विद्युतीकरण हो जाता है। यह सब पैसा कहाँ जा रहा है, यह सारे प्रयास कहाँ जा रहे हैं? आप जनता के साथ घोर अन्याय कर रहे हैं।

मद्य निषेध आपने किया। शासन की इस नीति का हर व्यक्ति ने स्वागत किया... (सुनाई नहीं दिया) एक दसरा पहलू और है छोटे-छोटे घरेलू उद्योग खुल जाते हैं पुलिस की आमदनी बढ़ जाती है। इनके बारे में आपने कोई रूप रेखा नहीं तैयार की कि इन पर किस तरह का अंकुश लगे। मैं यह भी कहना चाहूंगा हमारा हरदोई जिला है (सुनाई नहीं दिया) हमारा जिला बहुत पिछड़ा जिला है केवल संडीला में उद्योगीकरण हुआ है लेकिन हमारा जिला सना पड़ा हुआ है। आपको हरदोई के पिछड़ेपन के बारे में सोचना पड़ेगा ... (सुनाई नहीं दिया) पूर्व के लिए कमीशन बैठता है लेकिन मध्य उत्तर प्रदेश के लिए कुछ भी नहीं सोचा जाता है।

(बिजली आने पर)

हरदोई जिले में एक मशहूर सड़क है जिसका सम्बन्ध मध्य प्रदेश से है। उसका थोड़ा हिस्सा बिलग्राम से होकर कन्नौज जाता है, गंगा जी पर राजघाट पर पुल नहीं है अगर यह सड़क बन जाती है और गंगा जी पर पुल का निर्माण हो जाता है तो मध्य प्रदेश से सीधा लगाव हो जायगा। मान्यवर, आज मैंने सबेरे एक प्रश्न उठाया था, ड्रेनों की 8--8, 10--10 साल से सफाई नहीं हुयी है जो पहले खोदी गयी थी वह सब बराबर हो गयी है। किसानों को तबाही से बचाने के लिए उनकी सफाई होना आवश्यक है। पिछले साल इस संबंध में कोशिश की गयी थी लेकिन उनकी सफाई नहीं हुयी थी। हथौड़ा एक ड्रेन है उस पर तीन पुल मंजूर है लेकिन कोई पुल नहीं बना है। सामग्री लेकर अगर कोई जाना चाहे तो नहीं जा सकता है क्योंकि पुल नहीं है, पानी से जा सकता है लेकिन उसमें दल दल है। लिंक रोड खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत बनवायी गयी लेकिन उन लिंक रोडों के बनवाने में अधिकारियों और कर्मचारियों ने मनमानी की, आपने इन पर अंकुश नहीं लगाया। बिलग्राम क्षेत्र में एक भी रोड नहीं बन पायी। घोषणायें तो बहुत पहले से होती आयी हैं, प्रदेश की ग्रामीण जनता को आपकी इन घोषणाओं से कोई सरोकार नहीं है। मैं तो कहता हूं कि आप ईमानदार उसी समय समझे जायेंगे जब आप अपनी घोषणाओं के मुताबिक कुछ करके दिखायेंगे। जैसे पहले काँग्रेसी लोग महात्मा गाँधी का नाम लिया करते थे वैसे ही आप भी उनका नाम लेकर सौदागर बन गये है। तो मेरा निवेदन है कि आप मंत्रिमंडल के बहुत बड़े विस्तार में न पड़ कर जनता के हितों की सोचिए। मैं तो चाहूंगा कि जितने भी विधान सभा में माननीय सदस्य है, हम लोगों को तो छोड़ दीजिए, सब को मंत्री पद की श

[श्री राम आसरे वर्मा]

दिला दीजिए और उन्हें 1–1 रुपया देकर अपने-अपने क्षेत्रों में काम करने को कह दीजिए। इससे सरकार का पैसा भी बचेगा और काम भी चलता रहेगा। इन शब्दों के साथ विरोध पक्ष के हमारे साथियों ने जो बातें कहीं है उनसे अपने को सम्बद्ध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, यहाँ पर बहुत बड़ी चर्चा सिद्धान्तों की हो गयी है। आज हमारे माननीय वर्मा जी ने भी आरम्भ की और कल नारायण दत्त जी ने भी कुछ बातें कहीं थी और कुछ बातें माननीय राम अधार राय जी ने भी कही। अगर उनकी बातों को सही मान लें तो सिद्धान्तों की लड़ाई कुर्सियों की लड़ाई से नहीं लड़ी जाती है। मान्यवर, मुझे याद है जब माननीय गोविन्द सहाय जी थे, उस समय आप भी सदन के सदस्य थे। आज से कितने वर्ष पहले वे आर0 एस0 एस0 के साम्प्रदायिक खतरों को इसी सदन के समक्ष कहा करते थे और इतना कहा करते थे कि पूरी पुस्तक ही भर जाती थी। आज हम सब क्रान्ति कुमार भाई को साम्प्रदायिक शक्तियों की गोद में देखकर कह सकते हैं कि सिद्धान्तों की ऐसे लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। अगर सचमुच में इस लड़ाई को लड़ना है तो आपको कुर्सियों को छोड़ना होगा चाहे वे बहुगुणा जी हों या राजनारायण हों, चाहे वह चरण सिंह हों और चाहे वे राम नरेश यादव हों। सैद्धान्तिक लड़ाई को लड़ने के लिए आपको संकल्प और व्रत लेना चाहिए कि हम उस लड़ाई को लड़ेंगे और उसके पीछे हम लोगों को इकट्ठा करेंगे। इस तरह लड़ाई छेड़कर ध्रुवीकरण करने का बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते हैं।

मान्यवर, कल माननीय तिवारी जी की बातें सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। आप तो उनके साथ बहुत रहे हैं, मेरा तो बहुत कम साथ रहा है। वर्ष 1962 में मैं भी इसी माननीय सदन का सदस्य था लेकिन कल वे जो बातें कह रहे थे उनको सुनकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। कुछ दिन पहले वे भी लाल टोपी लगाते थे। वे कहा करते थे कि सैक्युलर और धर्म निरपेक्षता को बढ़ाना चाहते हैं। कल उन्होंने कहा कि अगर आर0 एस0 एस0 के लोग एम0 पी0 हो सकते है, एम0 एल0 ए0 हो सकते हैं तो मंत्री क्यों नहीं हो सकते हैं। यह तो जनता पार्टी का काम है कि वह चाहे मंत्री उनको रखे या न रखे। कल उनकी बात सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि सिद्धान्तों की लड़ाई होना चाहिये, कुर्सियों की लड़ाई नहीं होना चाहिये।

महामहिम राज्यपाल के इस अभिभाषण में किसानों के बारे में बहुत सी बातें कही गयी हैं, मगर किसानों की जितनी दुर्दशा पिछले दो वर्षों में इस उत्तर प्रदेश में हुई है उतनी कभी नहीं हुई। पिछले वर्ष 8 लाख टन गन्ना खेतों में ही फूंक दिया गया (व्यवधान) 14 करोड़ रुपया पिछले साल का किसानों का बकाया पड़ा है। इस साल के लिये आपने बताया कि भारत सरकार ने 10 रुपया क्विन्टल भाव निश्चय किया है और उसके ऊपर का हिस्सा यह सरकार वहन करेगी। मगर वह किस तरह से देगी उसका कोई जिक्र इस अभिभाषण में नहीं है। जितना गन्ना मिलों में पेरा जाता है उसका तीन गुना गन्ना क्रेशरों आदि के जरिये पेरा जाता है और वे लोग किसानों को लूट रहे हैं। माननीय नारायण सिंह जी तो उस जिले से आते हैं जिनका पूरा जिला ही गन्ने का जिला है।

आलू की जो दुर्दशा हो रही है वह भी आप सब देख रहे हैं। माननीय शम्भूनाथ जी कह रहे थे कि किसानों को बड़ा फायदा पहुंच रहा है, मगर कोई फायदा उनको नहीं हो रहा है। केवल यूरिया के दाम 5 रु0 बोरी कम करके निश्चित किया गया है। आपने सब्सीडी देने की बात कही है, पर वह कोई भाव नहीं हो जाता। वह तो एक तरह से सरकारी खजाने से आप दे देते हैं। आपने धान और गेहूं की जो सपोर्ट प्राइस फिक्स की, तो उसके कितने खरीद के सेन्टर्स आपने खोले? क्या यह सही नहीं है कि किसान का गेहूं 80–90 रुपये प्रति क्विन्टल के हिसाब से खरीदा गया और आज वही 145 रुपये प्रति क्विन्टल के हिसाब से बिक रहा है।

मंहगाई के बारे में भी यहाँ चर्चा हुई। आज मंहगाई की हालत यह हो गयी है कि मिट्टी का तेल 4 रुपये लीटर बिक रहा है। चौधरी चरण सिंह साहब ने कुछ चीजों पर एक दो परसेंट टैक्स घटाया है, पर दाम तो काफी चढ़े हैं। माचिस के दाम आपने बढ़ा दिये टैक्स लगा कर, जूते में आपने बढ़ाये और कहा गया कि 15 रु0 के जूतों पर छूट कर दी है। मैं पूछना चाहता हूं कि आज कल 15 रुपये में भी क्या कोई जूता मिलता है। क्या आपने बाटा में जाकर या आगरा में जाकर जूते के दाम देखे हैं ?

(इस समय 3 बजकर 42 मिनट पर सभापति श्री जगन्नाथ प्रसाद पुनः पीठासीन हुए।)

मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने पिछले सत्र में ऐलान किया था इसी माननीय सदन में कि किसानों से जो 15 रुपये प्रति हार्स पावर बिजली का लिया जा रहा है, वह ज्यादा है और इसको हम 12 रुपये करेंगे, वह पालन नहीं हो रहा है। अगर इस देश को बनाना है, तो उसके मुताबिक आचरण करना होगा। 50 किस्म की शिक्षण संस्थायें चल रही हैं, यह आप नहीं देख रहे हैं। शिशु मंदिर क्या है, जहाँ हिन्दुस्तान के इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जाता हो और उनको आप मान्यता दिये बैठे हैं। मैं तो कहता हूं कि शिक्षा का क्षेत्र सरकार के अन्दर होना चाहिये, सरकार की जिम्मेदारी है, देश के अन्दर अच्छे नागरिक तैयार करने की। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तो यहाँ की डिमाक्रेसी कायम नहीं रह सकती। मजदूर की क्या हालत है ? एक वस्त्र निगम बना हुआ है। उसके अन्दर के सभी कारखानों की हालत प्रदेश में खराब है और यहाँ के मजदूर भी दुखी हैं। अल्युमिनयम कारखाने के राष्ट्रीयकरण की जितनी बात होती है, सेन्ट्रल मिनिस्टर्स कहते हैं, उतनी कमी नहीं थी। आज जितनी मुसीबत कल-कारखाने के अन्दर काम करने वाले मजदूरों की है, मैं बहुत ही नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि आप इसकी जाँच करा लीजिए और जाँच करा कर जो उनको मंहगाई मिल सकती हो, दीजिए। आप कहते है, मंहगाई नहीं देंगे। अभी चार दिन पहले, केन्द्रीय राज्य वित्त मंत्री ने सदन में, लोक सभा में, यह कहा कि सन् 1962 में रुपये की कीमत 88 पैसे थी और आज रुपये की कीमत पौने 26 पैसे है और शम्भूनाथ जी कहते हैं कि मंहगाई पर हमने कब्जा कर लिया। आज रुपये की कीमत मुश्किल से 12 पैसे है, 26 पैसे नहीं है।

श्रीमन्, चीनी के लिए ये कह रहे थे कि अब गांवों में चीनी मिल रही है। मैं अपने गांव के बाजार में गया था, मैंने वहां पर पूछा, चीनी का क्या भाव है, तो इस वक्त चीनी का जो भाव है, वह 285 रुपये क्विन्टल बिक रही है। डालडा की कीमत श्रीमन्, 160 रुपये प्रति टिन थी, आज से एक हफ्ता पहले से 185 रुपये टिन हो गयी है। डीजल के ऊपर, बिजली के ऊपर टैक्स। पेट्रोल के भाव बढ़ जाने की वजह से अभी सरकार ने ऐलान किया था, इस सदन के बैठने के पहले ही कि अब 25 प्रतिशत बसों का किराया बढ़ाया जायगा, इसलिए कि डीजल महंगा हो गया है। तो आपकी जो बातें है, आपके जो तर्क हैं, वह सब जो व्यवहारिक कठिनाई जनजीवन के सामने है, इसमें आपके तर्क जो हैं, वह कट जाते हैं। आप जनता जनार्दन से पूछे, आप भी मेरी बात से सहमत होंगे जो मैं कह रहा हूं। असलियत यह है जो मैं कह रहा हूं। आप चूंकि जनता पक्ष में है, धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन तो करेंगे। कल कह रहे थे कि शांति व्यवस्था की हालत बहुत अच्छी है। मान्यवर, डकैती जो पड़ी बनारस में पिछले साल की मैं पढ़े देता हूं। मान्यवर, आज के ही उत्तर में यह सूचना दी गयी है। थाना बलुवा, थानापुर आदि है बनारस में जहां जितनी डकैटियां पड़ी एक साल में उसमें 10 फीसदी पिछड़े वर्ग के लोगों के यहां पड़ी।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

माननीय ऊदल जी कह रहे हैं कि सरकार के नये कार्यक्रम के कारण पिछड़े वर्ग की आय बहुत बढ़ गई इसलिये उनके यहां ही ज्यादा डकैतियां पड़ रही हैं।

(हंसी)

श्री ऊदल—

थाना रोहनियां, फूलपुर, बड़ा गांव, औराई, गोपीगंज, भदोही, सुरियावां आदि बनारस जिले के 7–8 थाने ऐसे हैं जहां एक साल में जितनी डकैतियां पड़ी उसकी सूचना आज ही के उत्तर में है कि इन थानों के अन्दर 100 फीसदी डकैतियां पिछड़े के यहां पड़ीं।

श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)—

जब आप प्रतिबन्ध लगाते हैं.....

श्री ऊदल—

शांति और व्यवस्था की हालत इतनी खराब है कि उसका प्रमाण है ट्रेनें लूटी जा रही है, छोटी ट्रेनें जैसे फतेहगढ़, इटावा आदि में लूटी जा रही है, बसें लूटी जा रही है, इतना अत्याचार हो रहा है, अराजकता इतनी बढ़ गयी है श्रीमन्, और राम अधार राय जी कह रहे थे और मैं समझता हूं कि आजकल जीना मुश्किल हो गया है।

लक्खी सिंह जी अपनी जान की गुहार लगा रहे थे कि हमारी जान और माल की रक्षा की जाय। वे 70 बरस के करीब हो गये है देश के लिए उन्हें कुर्बान हो जाना चाहिए, वे मांग कर रहे थे कि हमारी जान व माल की रक्षा की जाय।

श्री लक्खी सिंह (जिला मथुरा)—

यह जो ऊदल जी हैं यह असली ऊदल नहीं है, ये नकली हैं।

श्री ऊदल—

श्रीमन्, सैकड़ों विधायक और बहुत से लोग लिस्ट में लगे हुये हैं। अभी कल नारायण दत्त जी ने माननीय यादव जी, जो विधायक हैं, के बारे में कह रहे थे कि उनको शैडो दीजिये। मान्यवर, जान माल की रक्षा होनी चाहिये। जब विधायक लोग गुहार कर रहे हैं कि हमारी हिफाजत करो तो शांति व्यवस्था की हालत यह है कि इसके सुधार करने की आवश्यकता है। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि बहुत खराब हालत है। सिर्फ वर्णन कर देने से काम चलने वाला नहीं है।

श्रीमन्, पढ़ाई की जो हालत है, शिक्षा संस्थाओं की जो हालत है, श्रीमन्, आप देखें, अभी एक माह पहले, 15 दिन पहले एक हेड आफ दि डिपार्टमेंट से हमारी बात हुई जो लखनऊ विश्वविद्यालय के थे। मैंने उनसे पूछा कि इम्तहान हो गये, तो उन्होंने कहा कि इसी फरवरी के आखिर में एक विषय का बाकी था, हो गया है। श्रीमन्, जुलाई में बच्चे नाम लिखाते हैं और पूरे प्रदेश की यूनिवर्सिटियों में डिग्री कालेजों में इम्तहान फरवरी, मार्च तक हो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि शिक्षा संस्थायें बहुत अच्छी तरह से चल रही हैं। बड़ा ताज्जुब होता है आपके मुंह से यह सुनकर कि स्थिति काफी संतोषजनक है। मुझे मान्यवर, बड़ी तकलीफ होती है। आपने कहा कि ऐसी शिक्षा देने जा रहे हैं जिससे बच्चों को कार्य करना सिखाएं, रोजगारपरक हो, टेक्निकल शिक्षा आप देने जा रहे हैं।

लघु उद्योग बिल्कुल जरूरी है लेकिन आप ऐसी शिक्षा दे नहीं सकते। आप लघु उद्योगों को गांवों की तरफ लेकर चलने की बातें कर रहे हैं। कहा गया है कि लघु उद्योग बढ़ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जो पुराने उद्योग है उनकी क्या दशा है? हैन्डलूम की क्या दुर्दशा है, सरकार ने उनके लिये क्या किया? थोड़ा हैन्डलूम को बिकवाने के लिये 20–35 प्रतिशत की छूट देकर सरकार बिकवा रही है। इन बुनकरों को सूत मंहगा, रेशम मंहगा मिल रहा है, बाजार नहीं है। लाखों बुनकर आज बेकार घूम रहे हैं। कोई पुरसा हाल नहीं है। सब पुराने उद्योग धंधे चौपट है चाहे वह बनारसी साड़ी का उद्योग हो, चाहे हथकरघा या पीतल का उद्योग हो। आज इनकी हालत खराब है। सरकार को पुराने उद्योगों के संरक्षण का प्रबन्ध करना चाहिये। अभी हमारे माननीय सदस्य आजाद जी कह रहे थे कि आपने नसबंदी कराई। हमने तो नसबंदी का बहुत जगह विरोध किया। आपको मालूम है हमारे हजारों लोग नसबन्दी के विरोध में जेल गये। हमारे

विधायक जेल गये। श्री राम सजीवन जी आज भी मौजूद हैं, वह जेल गये, अंसारी जी भी जल गये। हमने इनकी कुछ नीतियों का समर्थन किया था उसका परिणाम भोग रहे हैं।

श्री मान सिंह आजाद—

खुद नसबन्दी कराने के लिये अस्पताल में खड़े थे।

श्री ऊदल—

आप कांग्रेस का गलत उदाहरण देते हैं, आप उदाहरण देकर गाड़ी चला रहे हैं और इनसे खराब उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। सरकारी वकीलों की भर्ती की गयी, आपने करायी है। जो 30–30 सालों के थे उनको हटाकर आपने एक विचारधारा के लोगों को सरकारी वकीलों के पदों पर रखा है। आज जिनको लाइसेंस दिया गया है, जिन उद्योग धंधों को लाइसेंस दिये गये हैं, मेटीरियल का लाइसेंस दिया गया है वह सब मेटीरियल ब्लैक मार्केट में गया है। जनता पार्टी की यह सरकार है इस सरकार को हम क्या कहें? यह तो सरकार श्रीमन्, ऐसी है कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा। इनके विचारों में मेल नहीं, सिद्धान्तों में एकता नहीं, यही कारण है प्रगति नहीं हो रही है। जय प्रकाश जी ने सबको जोड़ दिया। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनब जोड़ा। तो यह सिराजा बिखर जायेगा। इसलिये मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो शिव जी की बारात ह इस बारात को आप ठीक करिये। अगर ठीक नहीं करेंगे तो जो देश की धर्म निरपेक्षता है, हम तो धर्म निरपेक्ष हैं ही। हमको तो आपके द्वारा हमेशा ही चार्ज किया गया है कि यह न मंदिर को मानते है न मस्जिद को मानत हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आर0 एस0 एस0 जिसका आपकी जो जनता पार्टी है, उससे कोई मतलब नहीं है। इसके गुरु रहे हैं गोल वाल्कर और बाला साहब देवरस जी। गोलवाल्कर जी ने एक किताब लिखी है किताब का नाम हिन्दी में है 'नवनीति' और अंग्रेजी में 'अवर नेशनहुड डिफाइन' इसमें उन्होंने बात लिखा है वह यह है कि इस देश के बारे में, हिन्दुओं और मुसलमानों के बारे में, तिरंगा झंडे के बारे में, गांधी जी के बारे में और आज इनके एक बहुत बड़े लेखक हैं वह लिखते हैं कि गांधी जी और गोलवाकर समान उद्देश्य के थे। वह लिखते हैं कि जवाहर लाल नेहरू और सुभाष बाबू तथा दीनदयाल उपाध्याय समान कार्यों और समान उद्देश्य के थे। इसलिये यदि गांधी जी और गोलवाल्कर का नाम लेकर जनता पार्टी समान उद्देश्य तथा समान कार्य को मानती है तो इस देश में लोकतंत्र नहीं रह सकता है। इसलिये धर्मनिरपेक्ष लोग इस बुनियादी सवाल पर धर्मनिरपेक्षता को बनाने के लिये एकजुट हों और इस खतरे से सावधान होकर लड़ाई जारी करें। यही मुझे कहना है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, मैं अपने संशोधन प्रस्ताव पर बोलने के लिये खड़ा हूं। कल माननीय सदस्य टेहरी गढ़वाल, श्री गोविन्द सिंह नेगी ने इस पर वैधानिक आपत्ति किया था और इसे असाधारण घटना बताया था। मैं भी इसे असाधारण घटना मानता हूं और अपने मित्र नेगी जी की आपत्ति के पीछे जो उनकी मनःस्थिति रही है उसका भी मुझे अच्छी तरह अहसास है। मेरी निश्चित धारणा है कि मेरे संशोधन का आइटम नं0 3 जिसमें विदेशी खुफिया एजेन्सी के प्रभाव से देश और प्रदेश की राजनीति को मुक्त करने की बात कही गयी है। यदि यह न होता तो नेगी जी को कोई वैधानिक आपत्ति न होती। उन्हें शायद भ्रम हो गया मेरे संशोधन को देखकर कि मेरा सारा प्रहार के0 जी0 बी0 के विरुद्ध होगा। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं तथा यह संशोधन रखने वाले सारे मित्र समाजवादी विचारधारा

[रवीन्द्र नाथ तिवारी]

के लोग हैं। उत्पादन के साधनों और वितरण की प्रणाली पर हम समाज के सामूहिक स्वामित्व तथा नियंत्रण के हिमायती हैं। रूस की जो आर्थिक नीति है उसके हम भी उतने ही प्रसंशक है जितने कि नेगी जी और उनके दल के लोग हैं। हम दोस्ती के पक्षधर हैं लेकिन दासता के नहीं। दोस्ती में हम कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, सर को झुकाकर नहीं। कदम से कदम मिलाकर हम चलते हैं, घुटने टेक कर नहीं। नेगी जी घुटना टेकना चाहते हैं। हमारे और उनके दृष्टिकोण में इतना ही फर्क है। इसलिये हम के0 जी0 बी0 और सी0 आई0 ए0 समेत तमाम विदेशी खुफिया एजेन्सियों के विरुद्ध हैं। उनके प्रभाव से इस देश और प्रदेश की राजनीति को हम मुक्त रखना चाहते हैं। इसीलिये हमने यह संशोधन रखा है। मैंने प्रारम्भ में ही स्वीकार कर लिया है कि मैंने तथा मेरे मित्रों ने यह संशोधन असाधारण परिस्थितियों में रखा।

मान्यवर, इस संशोधन को रखने में मेरा पहला निश्चित मत है कि जिन्दा कौमें 5 साल तक और इंतजार नहीं करतीं। दूसरे, क्योंकि जनता पार्टी और उसकी सरकारों का जन्म ही लोकनायक जय प्रकाश नारायण के भ्रष्टाचार विरोधी तथा लोकतंत्र को पुनर्स्थापित करने के आन्दोलन के गर्भ से हुआ है और मेरा आरोप है कि मौजूदा सरकार इस बुनियादी बातों से पलायन कर गयी है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब श्री राम नरेश यादव के विरुद्ध नेतृत्व परिवर्तन की बात आयी थी तो हमारा यह आरोप था कि इस सरकार में अक्षम और भ्रष्ट मन्त्रियों का जमघट है और इनको हटाना चाहिये। हमारी बात का समर्थन आज की सरकार के मन्त्रि-परिषद् में बैठे हुये कई मन्त्रियों ने भी किया था जो आज इस सरकार में शामिल हैं।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति के पूछना चाहता हूं कि क्या केवल मुख्य मंत्री बदल जाने से सारे भ्रष्ट और अक्षम लोग सक्षम तथा सदाचारी हो गये? स्वच्छ और सक्षम प्रशासन देने का वायदा करने वाली सरकार के लिये इससे अधिक शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि वर्तमान मंत्रि-परिषद् के लगभग आधे दर्जन मन्त्रियों पर गबन या अन्य प्रकार के गम्भीर अपराध के मुकदमें या तो चल रहे हैं या सरकार ने उन्हें वापस लेने की कार्यवाही की है। यह बात सही है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने बहुत से पुराने मन्त्रियों के विभाग बदल दिये हैं लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी यहाँ इस समय हैं नहीं। होते तो पूछता कि क्या एक व्यक्ति जो एक विभाग में भ्रष्ट था, दूसरे विभाग में जाकर ईमानदार हो जायेगा? मान्यवर, यह बहुत बड़ा व्यंय है इतिहास का कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध आन्दोलन से जन्म लेने वाली सरकार आज पूरी तरह भ्रष्टाचार में सराबोर है। मेरी चुनौती है कि मुख्य मंत्री जी को, यदि अपने मन्त्रि-परिषद के सदस्यों के बारे में सी0 बी0 आई0 से जाँच करा लें तो आधे से ज्यादा लोगों को सी0 बी0 आई0 भ्रष्ट करार दे देगी——इसमें दो राय नहीं हैं। अपने पदों का दुरुपयोग किस तरह से किया है, मन्त्रियों ने हमारी सरकार के, इसके मान्यवर, जरा में एक दो उदाहरण रखना चाहता हूं।

मान्यवर, हमारे जिले में एक सूचना राज्य मंत्री थे। इतने दौरे करते थे फैजाबाद का कि वहाँ का सूचना अधिकारी बेचारा दो महीने की छुट्टी लेकर भाग गया——इसलिये कि उसकी सारी तनख्वाह का पैसा खर्च हो जाता था मंत्री जी की दावत आदि में और मंत्री जी ने कभी एक पैसा बिल का नहीं भुगतान किया। जब उन्हीं महोदय को आबकारी मिला तो आबकारी विभाग में भी दौरे पर कभी एक पैसा नहीं खर्च किया अपने बिलों का। अगर हिम्मत हो तो जाँच करा लें और इस तरह के भ्रष्ट आचरण वाले लोगों की मामलों की उसी तरह से चीफ जस्टिस को भेज दें जैसे कि प्रधान मंत्री के लड़के के खिलाफ या गृह मंत्री के परिवार के खिलाफ मामलों को चीफ जस्टिस को भेजी गयी है।

इसी तरह से, मान्यवर, अयोध्या में एक दूध की डेरी है कोआपरेटिव की। जनवरी में 32 फोर्थ क्लास के पदों पर अप्वाइन्टमेंट किये गये। एक भी अप्लीकेशन नहीं। कोई आदमी

इम्प्लायमेंट में रजिस्टर्ड नहीं और सारे एप्वायन्टमेंट टेलीफोन पर हुये हैं और यहीं पर एक क्लर्क-कम-टाइपिस्ट का एप्वायन्टमेंट हुआ और वह सज्जन जब वहाँ पर गये तो अधिकारी ने उनसे कहा कि अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट टाइप राइटर पर टाइप कर दो। तब उन्होंने कहा कि मुझे तो टाइप नहीं आती। यह बात जब मंत्री जी को मालूम हुयी तो उन्होंने टेलीफोन पर उस अधिकारी को बहुत डाँटा और कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुयी हमारे निर्देशों की अवहेलना करने की। इसी तरह से एक बुल केयर टेकर का एप्वायन्टमेंट हुआ। फैजाबाद और अगल-बगल से कोई आदमी नहीं मिला उनको इस पद के लिये। इटावा से आदमी भेजा गया। उस आदमी ने कहा कि मैं गोबर नहीं बहाऊंगा। तब उस अधिकारी ने कहा कि अच्छा ठीक है—गोबर मैं बहाऊंगा। मंत्री जी ने आदेश किया कि उससे कोई हल्का काम ले लो।

इसी तरह से पी0 डब्लू0 डी0 दफ्तर है। फैजाबाद में आफिसर्स हास्टल बना है। ट्रेजरी की बिल्डिंग बनी है। गोसाईगंज में महिला हास्पिटल है। 7–8 वर्षों से पी0 डब्लू0 डी0 आफिस में मेटेरियल ऐट साइड एकाउन्ट तक उपलब्ध नहीं है। ये सारी बातें मैंने लिखित रूप में पी0 डब्लू0 डी0 मिनिस्टर को दिया था लेकिन आज तक जाँच नहीं हुयी। मान्यवर . . .

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

एक निवेदन है। आपने दल के नेताओं को काफी टाइम दिया है। यह भी एक दल के नेता हैं इनको भी दे दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष—

यह दल के नेता नहीं हैं।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मैं नेगी जी की इस कृपा के लिए आभारी हूं लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे संशोधन का ख्याल रखते हुये प्रत्येक सदस्य को आप ने दस मिनट दिये हैं हम दो चार मिनट ज्यादा चाहेंगे, नहीं तो कम से कम दस मिनट टाइम तो मिलना ही चाहिए।

इसी तरह से परिवहन विभाग में स्कूटर्स का एलाटमेंट हुआ। जब हम लोग आये तो हमने लिखित चिट्टी तत्कालीन मुख्य मंत्री को दी कि इसमें आप के मंत्री ने पैसा ले करके गलत एलाटमेंट किया है। आज तक इसकी जाँच नहीं की गयी। आज केवल विभाग बदल दिये गये। इस सबकी जानकारी संबंधित मंत्री की थी लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं मुख्य मंत्री जी को चुनौती देता हूं कि इन सारी फाइलों को मंगवा कर देखे और अगर उन में अन्तरात्मा कुछ भी है तो मै निश्चित हूं कि वे नहीं कह सकेंगे कि ये लोग भ्रष्ट नहीं हैं। हमारा राष्ट्रीय धर्म है कि भ्रष्टाचार को खुला संरक्षण प्रदान करने वालों का पर्दाफाश करें, चुपचाप बरदाश्त करना, मूक, दर्शक बने रहना लोकनायक की समग्र क्रान्ति के प्रति विश्वास-घात करना होगा। ऐसा विश्वास हमारा है और इसलिए हमने यह संशोधन रखा है।

मुझे याद है कि जब मेरे मित्र, विपक्ष में बैठते थे तो नेता विरोधी दल को बात-बात में दिल्ली से आदेश प्राप्त करने के कारण दिल्ली दत्त तिवारी कहते थे, आज क्या होता है। क्या बनारसीदास जी ने अपनी कैबिनेट में स्वयं नियुक्तियाँ कीं हैं? क्या वे अपने में स्वतंत्र हैं? यदि उनको आजादी मिली होती तो अक्षमता के नाम पर यदि कोई व्यक्ति मंत्रि-मंडल से ड्राप हो सकता था तो श्रीमती चन्द्रावती उसी सूची में शीर्ष पर थीं। लेकिन इस सबके लिए हमारे मुख्य मंत्री जी को हिम्मत नहीं है क्योंकि आज उनकी भी नकेल दिल्ली के व्यक्तियों के हाथ में है। वह सिर्फ कठपुतली हैं उनकी स्थिति बंधुआ मजदूर से बदत्तर बना दी गई है। मान्यवर, अगर मुख्य मंत्री जी को आजादी है तो मेरी माँग है कि भ्रष्टा-चार के सारे मामलों का सी0 बी0 आई0 द्वारा जाँच करायें या चीफ जस्टिस को सारे मामले रेफर कर दें जैसा मैंने कहा कि प्रधान मंत्री के लड़के के मामले में केन्द्र में किया है।

[श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी]--

साम्प्रदायिक ताकतों से निपटने के लिए बहुत बड़ा ढिंढोरा पीटते थे। आर0 एस0 एस0 के बारे में बड़ा शोर सुनते थे। मान्यवर, जिस व्यक्ति ने आर0 एस0 एस0 ओ0 टी0 सी0 की तीन साल की ट्रेनिंग की, 6 जिलों में कार्यवाहक रहे और आज वह मंत्रि परिषद में है। मुख्य मंत्री जी यह कहें कि यह गलत है या अगर नहीं गलत है तो मुख्य मंत्री जी या तो इस्तीफा दें, नहीं तो इस प्रकार के व्यक्ति को अपनी मिनिस्ट्री से ड्राप करें।

भ्रष्टाचार और साम्प्रदायिकता से निपटने के लिए कहीं जिक्र नहीं है। दूसरे राज्यपाल के अभिभाषण में। महाराष्ट्र में आरगनाइजेशन इलैक्शन में सी0 एफ0 डी0 जनसंघ पैक्ट से सोशलिस्ट पार्टी को हराना और बहुगुणा जी का राजनारायण जी के इशारे पर साम्प्रदायिकता से निपटना और इस प्रकार मुख्य मंत्री जी जनसंघ से लोहा लेंगे यह बात मैं मानने वाला नहीं हूं। मैं तो उन सौ व्यक्तियों में से हूं जिन सौ लोगों ने आर0 एस0 एस0 के खिलाफ स्टेटमेंट दिया था उस समय हमारे अध्यक्ष जी थे, जो अब मुख्य मंत्री जी हैं और उनके चेलों ने उसका विरोध किया था। आज यह आर0 एस0 एस0 का सारा विरोध केवल पोलिटिक्स स्टन्ट है, देश को गुटनिरपेक्षता की नीति से हटाने के लिए और प्रधान मंत्री मोरार जी भाई को पदच्युत करने के लिये विदेशी खुफिया एजेन्सियों के दबाव में मात्र राजनीतिक स्टन्ट है, कोई सैद्धान्तिक टकराव नहीं है। मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वह गाँधीवादी होने का दावा करते हैं लेकिन यह जो जयचन्द और विश्वास घातियों की आज लम्बी कतार खड़ी हो गयी है, जब तक इन पर अंकुश नहीं लगाया जायगा तब तक सुधार नहीं आ सकता।

मान्यवर, अपनी बात समाप्त करने से पहले अंत में मैं एक बात और कहना चाहूंगा। मान्यवर, कल आरोप लगाया गया कि शराब के केसेज विदड्रा कराना चाहते हैं क्योंकि काँग्रेस (आई) से अन्दर-अन्दर एक पैक्ट हो गया है। कल नेता विरोधी दल अखबारों की बहुत कटिंग पढ़ रहे थे। हमने खुद श्रीमती इन्दिरा गाँधी का बयान पढ़ा। उन्होंने कहा है कि हम केन्द्र में भी यही रोल निभाने के लिए तैयार हैं। जो परिस्थिति उत्तर प्रदेश में हुई अगर वही परिस्थिति केन्द्र में पैदा हो जाय तो वहां भी समर्थन किया जायगा। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी और मंत्रि-गण को बताना चाहूंगा कि अगर ऐसा हुआ तो यह लोकनायक श्री जय प्रकाश नारायण, जो आज रोग शैया पर पड़े हैं और लारेन्स फर्नाडीस और स्वर्गीय राम शंकर मिश्र जैसे लोगों की शहादत व कुर्बानियों, यातनाओं को भुलाना होगा और उनके साथ विश्वासघात और गद्दारी होगी।

*श्री ओंकार नाथ (जिला हमीरपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया। महामहिम ने अपने अभिभाषण में कई बातों का विशेष रूप से जिक्र किया है और प्रदेश की जनता ने उसे पढ़ा होगा तो चेतनता की किरण जागी होगी। जब राज्यपाल महोदय अपना अभिभाषण पढ़ रहे थे तो मैंने उसे बड़े ध्यान से सुना था। परन्तु हम बुन्देलखंड के विधायक, जो कि उत्तर प्रदेश की दस कमिश्नरी में एक कमिश्नरी है, पाँच जिलों से मिले हुए इस क्षेत्र को, जो वर्षों से उपेक्षित रहा है, उसके परिपेक्ष में सोचें और समझने की कोशिश करें तो ऐसा लगता है कि सिवाय निराशा के और दूसरी चीज हाथ नहीं लगती है। कारण कुछ भी रहा हो। चाहे प्रदेश में 30 साल तक किये गये कुकर्मों का, चाहे वर्तमान सरकार की शिथिलता और अक्षमतापूर्ण रवैया के कारण ऐसा रहा हो। उसके विवाद में हम नहीं जाना चाहते। परन्तु हम बुन्देलखंड के भाग्य को जब देखते हैं तो हमें हमेशा पिछड़ापन, दीनता, अभाव और दुर्गति ही दिखाई पड़ती है। वैसे तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, हमें इस सम्मानित सदन में, जो प्रदेश की सर्वोच्च पीठ है, उसमें बोलने का ज्यादा मौका नहीं दिया जाता है। साथ ही हम लोग इस सदन में शालीनता का भी परिचय देना चाहते हैं। अगर यों कह लिया जाय कि हम ज्यादा माँग नहीं करते, हम

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हाथ पसारना नहीं जानते। जहाँ तक अधिकारों का सम्बन्ध है,बुन्देलखंड बहुत पिछड़ा हुआ है। आप शायद हमें ज्यादा समय न दे पायें इसलिये मैं बुन्देलखंड के पिछड़ेपन और अभिभाषण पर ही अपनी बात रखना चाहता हूं।

हम इस बात को अच्छी तरह से जानते है कि घोषणाएं चाहे जितनी बड़ी बना दी जायं परन्तु सामान्य जन तथा जन साधारण के लिए तथा उनकी सुविधा के लिए प्रयास नहीं होता है। ऊपर से बही हुई धारा सामान्य जन तक पहुंचती है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। बुन्देलखंड इसका जीताजागता उदाहरण है। एक उदाहरण ले लिया जाय। बुन्देलखंड के हमीरपुर जनपद में लगभग लाखों की संख्या में केवट रहते हैं। मत्स्य विभाग का एक असिस्टेंट डायरेक्टर तथा उसका कार्यालय भी है। परन्तु हमीरपुर, बाँदा तथा जालौन जहाँ बहुत संख्या में केवट रहते है, उनकी भलाई के लिए आज तक कु नहीं किया गया है। उनकी कारगुजारी दो साल में केवल दो संस्थाओं के रजिस्टर्ड करने की है। लाखों-लाखों का बजट वे खा जाते हैं और उन गरीबों को यह विभाग या सरकार क्या दे रही है इसका कुछ भी पता नहीं है। वे केवट अपनी मुसीबत के साथ फटेहाल होकर दिन बिता रहे है।

जहाँ तक अभी सामयिक समस्या का सवाल है, बुन्देलखंड में लगे हुए मध्य प्रदेश से, यह चैत का महीना चल रहा है और कटाई का समय है, बहुत बड़ी संख्या में चैतवा मजदूर आते हैं। वह लोग 2–3 महीने के लिये अपने परिवारों के साथ यहाँ आ जाते हैं। हमीरपुर, झांसी, बाँदा जिलों में पिछड़े क्षेत्र के लोग आते हैं और कुछ लालसा लेकर आते हैं कि शायद उत्तर प्रदेश की सरकार उन्हें कुछ दे सके लेकिन अपने यहाँ का जो श्रम विभाग है, चाहे वह जालौन का हो या हमीरपुर का हो, उसके पास कोई काम नहीं है। केवल उनको पेंशन के लिये कुर्सियाँ दे दी गई है, उन्हें इस बात का जरा भी ख्याल नहीं है कि कितने मजदूर काम कर रहे है। उन मजदूरों के भले के लिए उन्होंने क्या किया है। चैतवा मजदूरों की समस्या शायद आज तक कहीं उजागर नहीं की गई है, उनका कितना शोषण होता है इसको कोई देखने वाला नहीं है। खेतिहर मजदूरों के लिये कोई काम करने की योजनायें शायद ही हों। इसी तरह जल मजदूरों की समस्या है जो मछलियाँ पकड़ते हैं, उनको कोई सुविधा नहीं है। न तो अब तक की सरकारों ने उनके लिये कुछ किया है और शायद वर्षों तक कुछ न हो सके।

इसके साथ ही महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में कहा गया है कि विद्युत और शक्ति गाँवों को दी जायेगी। हमीरपुर जिले में एक मेगावाट बिजली पहले दी जाती थी अब मालूम हुआ है कि जो पहले विद्युत मंत्री थे उन्होंने कहा था कि हम दो मेगावाट बिजली देंगे। केन्द्र से हमीरपुर जनपद के लिये 3 विकास खण्डों में ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना करीब 8–9 महीने पहले स्वीकृत हो गई थी लेकिन जो वहाँ स्टाफ पहुंचा है वह हाथ पर हाथ रखे बैठा है। 8–10 महीने पहले योजना स्वीकृत हो गई है लेकिन वहाँ न कंडक्टर दिया गया है और न तार दिया गया है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। कहीं पूर्व को भेजा जा रहा है, कहीं पश्चिम को भेजा जा रहा है, तो हमको भी तो कुछ हिस्सा मिलना चाहिए। बुन्देलखंड को भी कुछ मिलना चाहिये। बुन्देलखंड की समस्या बहुत कठिन है। (लाल बत्ती होने पर) मुझे 5 मिनट का समय और दिया जाय। मैं कहना चाहता हूं कि न तो पहली सरकार ने बुंदेलखण्ड के लिए कुछ किया और इस सरकार द्वारा भी कुछ करने की आशा मुझे नहीं है।

इसी तरह से यातायात की समस्या है। बुन्देलखंड में यातायात अधिकतर रोडवेज से होता है। मैंने इस सदन में कई बार ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ताराँकित और अताराँकित प्रश्नों के माध्यम से भी यह प्रश्न उठाया है कि बुन्देलखंडमें केवल 3 रोडवेज डिपो है जबकि कम से कम 8 डिपो बनाने की योजना है। पता नहीं वह योजना कितने वर्षों में पूरी होगी। यातायात के नाम पर हम पैदल चलते हैं। हमारे यहाँ के लोग नदियों से यातायात करते हैं और अधिकतर यातायात के साधन, झांसी का आर0 टी0 ओ0 आफिस केवल पूंजीपतियों के

हाथ की कठपुतली होकर रह गया है। मैं बड़े दुख के साथ इस सम्मानित सदन को सूचना देना चाहता हूं कि अभी दो-तीन दिन पहले मैं कालपी में था . . .

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप बन्द करें। आपका लिखा नहीं जायगा।

श्री ओंकार नाथ —

[* * * *]

श्री उपाध्यक्ष—

आपका लिखा नहीं जा रहा है। बिना इजाजत बोल रहे हैं।

श्री ओंकार नाथ—

[* * * *]

*श्री भाभी (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया गया है उसका मैं समर्थन करना च हता हूं। साथ ही साथ नेता विरोधी दल ने जो संशोधन पेश किया है उसके बारे में अफसोस जाहिर करना चाहता हूं। यह सर्वविदित है कि हर इंसान को 5 चीजों की आवश्यकता होती है चाहे वह अमीर हो अथवा गरीब हो। पहली आवश्यकता भोजन की होती है, दूसरी कपड़े की होती है, तीसरी मकान की, चौथी बीमारी पड़ने पर दवा की तथा पाँचवी बच्चों को पढ़ाने लिखाने की आवश्यकता होती है। इन 5 आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये देश अथवा प्रदेश को आमदनी की जरुरत होती है और उस आमदनी के तीन जरिये होते हैं, खेती, नौकरी तथा उद्योग धन्धे। लेकिन विरोधी दल की सरकार ने पिछले 30 साल में क्या किया? यह तिवारी जी को सोचना चाहिये था। इसके पहले कि वह आज हमारी आलोचना करते। जब वह तीस साल तक कुछ नहीं कर सके तो हमसे इतने कम समय में कैसे आशा करते हैं? हमारी जनता पार्टी की सरकार डा0 लोहिया के कार्यक्रम, महात्मा गाँधी के कार्यक्रम को लेकर उनके सपने को साकार करना चाहती है लेकिन यह विरोधी दल रोज रोड़े अटकाता है। फिर कुछ ऐसे मसले सरकार के सामने है जिनसे उसे परेशानी होती है। विरोधी दल का जो पार्ट है उससे जबर्दस्त खतरा उत्पन्न हो गया है और जिन उसूलों पर हम चलना चाहते है उनके सामने रोड़े खड़े कर दिये जाते है लेकिन मैं उनको बतला देना चाहता हूं कि जनता पार्टी की सरकार एकरस होकर चलेगी और वह आपके घपले में पड़ने वाली नहीं है। मजदूर, किसान तथा बड़े खेतिहरों की बात की जाती है। सन् 52 में जमींदारी टूटी। जो जमीन गांव सभाओं की थी, जिसे भूमिहीनों तथा श्रमिकों को बांटा जा सकता था लेकिन वैसा नहीं किया गया। हम कहते थे कि जोत की सीमा साढ़े 12 एकड़ हो लेकिन उसे 30 एकड़ पर अटकाये रखा गया। गांव समाज की जो जमीन थी उसे भी ज्यादा जमींन वालों ने हड़प लिया, गलत तरीके से अपने नाम पर लिया। सीरदारी करा ली, सारी जमीन घोंट गये बड़े खेतिहर। जो थोड़ी सी जमीन कब्रिस्तान, खलिहान या आबादी की थी उसका बंटवारा भी कागज पर ही किया गया। लेकिन हमारी जनता पार्टी की सरकार ने उसे अमली-जामा पहनाकर जिसको भूमि के आवंटन का कब्जा नहीं मिला था, उस पर उन्हें कब्जा दिलाया। हम यह मानते हैं कि यह लड़ाई तब तक बन्द नहीं होगी जब तक कि भूमि का बंटवारा नहीं होगा और जनता पार्टी इसे लागू करने के लिये बचनवद्ध है। छोटे उद्योग वालों को बड़े उद्योग वालों ने मरवाया है। हमारी जनता पार्टी की सरकार छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना चाहती है और बड़े उद्योगों की

नोट—[****] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्राथमिकता को खतम करना चाहती है। यही नहीं, हमारी जनता पार्टी की सरकार छोटे कर्मचारियों को जिनको कम तनख्वाह दी जाती थी, 28 साल तक तिवारी जी की सरकार बड़ी तनख्वाह वालों को ही प्राथमिकता देती थी, और जो छोटे कर्मचारियों को सुविधायें मिलनी चाहिए थीं, जो उनका हक था उसे यह सरकार प्रोत्साहन देना चाहती है, उनको बढ़ावा देना चाहती है। मैं यह साफ बता देना चाहता हूं कि जनता पार्टी की लड़ाई आज इन्हीं उसूलों की है। आपके अड़ंगे लगाने से काम नहीं चलेगा। हम विरोधी दल के ऐसे लोगों से सजग रहना चाहते हैं.....

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर सोमवार को भी चर्चा होगी। इसके बाद नियम 51 हम लेंगे... (व्यवधान) आपके दो मिनट ही शेष रह गये हैं।

श्री भामी—

मान्यवर, 5 मिनट दे दें और अभी बोलने दें। मान्यवर, यह पूरे हाउस की जिम्मेदारी है चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों, ईमानदारी से बहस करिये। क्या हम सब लोग जो यहां बैठे हुये है, यह नहीं जानते है कि हम लोगों के घरों में जो पिछड़े हुये है, जो कमजोर हैं, जो हरिजन हैं उनको भरपेट भोजन मिल रहा है। मैं यह जानता हूं कि यहां कई विधायक ऐसे हैं जो गरीब हैं, पिछड़े समाज के हैं, हरिजन हैं, जिनके पास कोई उद्योग धन्धा नहीं है, जिनकी औरतों के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है, दो समय भोजन नहीं पाते हैं। मैं यहां तक कहता हूं कि आज विधायक होने के बाद उनको दो समय खाना नसीब हुआ होगा..... (व्यवधान) आज उनके घरों की औरतों के शरीर पर कपड़ा नहीं है, बच्चों की पड़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है, बीमार पड़ने पर किसी डाक्टर को वे बुला नहीं सकते हैं। हाय रे जनता पार्टी की सरकार, तुमको ऐसे लोगों की गरीबी को दूर करना होगा। जब गरीबों के साथ न्याय होगा तभी पूंजीपति चकनाचूर होंगे। इन शब्दों के साथ धन्यवाद का जो प्रस्ताव पेश हुआ है उसका मैं समर्थन करता हूं और तिवारी जी द्वारा जो संशोधन का प्रस्ताव आया है उस पर घोर अफसोस जाहिर करता हूं।

श्री श्यामधर मिश्र—

श्रीमन्, हमने सोचा था कि केवल माननीय मानसिंह आजाद की आवाज ही बुलन्द थी लेकिन इस नई सरकार के साथ इतनी बुलन्द आवाजें और भी हैं जिनके लिये लाउड स्पीकर्स की आवश्यकता ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

इसके ऊपर चर्चा अब 26 तारीख को फिर आरम्भ होगी।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

आज दिनांक 20 मार्च, 1979 को नियम 51 के अन्तर्गत 9 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिसमें से मैंने श्री हरिश्चन्द्र, श्री ओम प्रकाश उर्फ राम मिलन सिंह तथा श्री रवीन्द्र सिंह द्वारा दी गई सूचना जो 16 मार्च, 1978 को जिला बस्ती की बांसी तहसील कार्यालय से ग्राम फतेहपूर जाते समय निहत्थे व्यक्तियों की हत्या के संबंध में है, को स्वीकार किया है बाकी सब अस्वीकार कर दी हैं।

श्री हरिश्चन्द्र (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मेरा एक निवेदन है कि घटना इतनी बड़ी है कि इस संबंध में मैं चाहूंगा कि आप ऐसा निर्देश दें कि वक्तव्य शीघ्र हो जाय ताकि सदन उससे अवगत हो जाय। पांच लोगों की हत्या एक साथ कर दी गई गोली मारने के बाद तेज धार के हथियार से शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिये गये।

श्री उपाध्यक्ष—
मुख्य मंत्री जी इसके बारे में शीघ्र वक्तव्य दे दें। यदि संभव हो तो 26 तारीख को दिलवा दें।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—
मान्यवर, हरदोई में 5 मजदूर नेता आमरण अनशन पर हैं....

श्री उपाध्यक्ष—
केवल एक ही सूचना मैं ले सकता हूं वह मैंने स्वीकार कर ली है बाकी अस्वीकार कर दी हैं।

स्वदेशी काटन मिल्स, मऊनाथ भंजन, जिला आजमगढ़ के श्रमिक संघ के मंत्री श्री बांके सिंह द्वारा आमरण अनशन के सम्बन्ध में नियम 5 1 के अन्तर्गत वक्तव्य

श्रम मंत्री (श्री क्रांति कुमार)—
मान्यवर,.....

एक सदस्य—
पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—
नहीं मान्यवर, पढ़ा हुआ कैसे मान लिया जाय ?

श्री क्रांति कुमार—
मान्यवर, मैसर्स स्वदेशी काटन मिल्स कं0 लि0, मऊनाथ भंजन, जो अधिग्रहण के बाद दिनांक 14 अप्रैल, 1978 से राष्ट्रीय कपड़ा निगम की एक इकाई है, में कार्यरत श्रमिक यूनियन स्वदेशी मिल्स श्रमिक संघ, मऊनाथभंजन के मंत्री श्री बांके सिंह दिनांक 8–3–79 से श्रमिकों की मांगों के समर्थन में आमरण अनशन कर रहे थे।

उक्त श्रमिक यूनियन की प्रथम मांग यह है कि जिन कर्मचारियों ने वर्ष में 240 दिन कार्य कर लिया हो उन्हें स्थायी किया जाय। सेवायोजक इसके लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि राष्ट्रीय कपड़ा निगम स्वीकृत संख्या से अधिक कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिये तैयार नहीं है।

यूनियन की मांग संख्या 2 तथा 3 कैजुवल एवं मेडिकल लीव से सम्बन्धित है। राष्ट्रीय कपड़ा निगम की किसी इकाई में इस प्रकार के अवकाश की सुविधा नहीं है और यह नीति विषयक प्रश्न है। अतः प्राप्त जानकारी के अनुसार स्थानीय सेवायोजक इन मांगों को पूरा करने में समर्थ नहीं है।

मांग संख्या 4 का सम्बन्ध श्रमिकों के लिए आवास-सुविधा से है। श्रमिकों की मांग है कि जब तक आवास सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती, तब तक श्रमिकों को आवास भत्ता दिया जाय। इस सम्बन्ध में सेवायोजकों का कहना है कि इस प्रकार की व्यवस्था किसी भी सूती मिल में नहीं है। अतः इसे स्वीकार करना सम्भव नहीं है।

मांग संख्या 5 यह है कि अस्थायी कर्मचारियों की 3 महीने के पश्चात सेवा समाप्त कर पुनः फार्म भरवा कर नई नियुक्ति किये जाने की प्रथा समाप्त की जाय। इस प्रथा के कारण ये अस्थायी श्रमिक सवेतन अवकाश, प्राविडेन्ट फण्ड तथा अन्य सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। सेवायोजक इस मांग पर विचार करने को तैयार नहीं बताये गये हैं।

श्रमिक संघ की छठवीं मांग यह है कि प्रतिष्ठान में नई भर्ती मनमाने ढंग या किसी यूनियन के समर्थकों की संस्तुति पर न करके योग्यता के आधार पर की जाय।

मांग संख्या 7 प्रतिष्ठान के दो श्रमिकों, यूनियन के मंत्री श्री बांके सिंह तथा कैशियर श्री सुभाष सिंह को पुनः काम पर लेने हेतु ह। इस संबंध में दिनांक 10 जनवरी, 1979 को संराधन अधिकारी के समक्ष एक समझौता हुआ था, जिसके अनुसार इन कर्मचारियों को पुनः सेवा में लिया जाना था। उक्त समझौते का विरोध प्रतिष्ठान में कार्यरत एक दूसरे श्रमिक संघ द्वारा किया जा रहा है। यह विवाद राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अध्यक्ष की मध्यस्थता में विचाराधीन है। वर्तमान में दोनों कर्मचारियों को सवेतन अवकाश पर रक्खा गया है।

उपर्युक्त मांगों के अतिरिक्त यूनियन ने एक्स-ग्रेशिया भुगतान के बाकी 50 रू0 के भुगतान, रोटो बाइंडिंग तथा रिंग फ्रेम के मजदूरों की मजदूरी के विवाद हल किये जाने तथा लिपिक वर्ग को भी अन्य स्टाफ सदस्यों की भांति छुट्टी दिये जाने की मांग की है। मांगें पूरी न होने पर दिनांक 8-3-79 से श्री बांके सिंह द्वारा आमरण अनशन करने की सूचना भी दी गई थी।

श्री बांके सिंह द्वारा उपर्युक्त मांगों के समर्थन में दिनांक 8-3-79 से आमरण अनशन सूचना प्राप्त होने पर प्रादेशिक संराधन अधिकारी, गोरखपुर ने दिनांक 2-3-79 को दोनों पक्षों को सूचित किया कि वे इस सम्बन्ध में दिनांक 7-3-79 को श्रम निरीक्षक कार्यालय, आजमगढ़ में उपस्थित हों जिससे उ0 प्र0 उद्योगिक विवाद नियमावली, 1957 के नियम 4 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाय। श्रमिक पक्ष की ओर से उक्त तिथि अर्थात 7-3-79 को श्री बांके सिंह तथा सेवायोजकों की ओर से श्री ए0 के0 मंगला, प्रशासकीय अधिकारी, वार्ता हेतु आये। परन्तु श्री मंगला के पास मुख्य अधिशासी अधिकारी का अधिकार-पत्र न होने के कारण श्रमिक प्रतिनिधि ने आपत्ति की। अतः वार्ता दिनांक 8-3-79 को 9-00 बजे प्रातः आजमगढ़ में होने के लिये स्थगित हो गई। दिनांक 8-3-79 को श्री बांके सिंह पुनः वार्ता हेतु उपस्थित हुये, परन्तु सेवायोजकों की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न कोई प्रार्थना-पत्र ही भेजा गया।

दिनांक 13-3-79 को क्षेत्रीय उप श्रमायुक्त, गोरखपुर द्वारा प्रतिष्ठान के मुख्य अधिशासी अधिकारी श्री जे0 बी0 सिंह से सम्पर्क स्थापित किये जाने पर श्री सिंह ने बताया कि वे उक्त यूनियन के उपाध्यक्ष श्री राम सूरत सिंह से इस सम्बन्ध में वार्ता कर रहे हैं।

अद्यतन सूचना के अनुसार मिल के मुख्य अधिकारी द्वारा श्री बांके सिंह को लिखकर यह दिया गया कि वे उनकी मांगें राष्ट्रीय कपड़ा निगम के चेयरमैन को सहानुभूतिपूर्वक विचारार्थ भेज देंगे। इस पर श्री बांके सिंह ने 15 मार्च, 1979 को रात के 9 बजे अनशन समाप्त कर दिया।

(अगला आइटम लिए जाने पर)

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

यह नियम 51 में है, कम से कम हमें स्पष्टीकरण का मौका दीजिए। (अनुमति मिलने पर) मान्यवर, इस कम्पनी के श्रमिक नेता द्वारा आमरण अनशन के सम्बन्ध में जो वक्तव्य दिया गया है, इसमें केवल यह है कि सेवा योजकों ने यह कहा—जैसे सेवायोजक इन माँगों को पूरा करने में समर्थ नहीं है, सेवायोजकों के लिए इसे स्वीकार करना सम्भव नहीं है या इस माँग पर सेवायोजक विचार करने को तैयार नहीं हैं आदि लकिन इनके सम्बन्ध में शासन ने क्या कदम उठाए हैं, यह कहीं नहीं बताया गया है. . . .

श्री उपाध्यक्ष—

आप सीधे प्रश्न करें।

श्री राम आसरे वर्मा—

तो मैं जानना चाहता हूं कि सेवायोजकों की ओर से इस प्रकार का नकारात्मक रुख अपनाए जाने के विरोध में शासन ने क्या कदम उठाए हैं ?

श्री क्रांति कुमार—

मान्यवर, यह कम्पनी राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अन्तर्गत ही है। इसलिए उनसे कहा जा रहा है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और वह गवर्नमेंट कन्सर्न है। अतः उन्हें लेबर के साथ ठीक से सहानुभूतिपूर्वक बात करनी चाहिए।

श्री राम आसरे वर्मा—

जिन माँगों का वक्तव्य में जिक्र किया गया है, क्या शासन की ओर से सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उनको पूरा करने का प्रयास किया जायगा ?

श्री क्रान्ति कुमार—

मान्यवर, प्रयास किया जा रहा है और जरूर किया जायगा।

श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मालूम पड़ता है कि इनका बयान, इनके विभाग ने जैसा बनाकर दे दिया है, वैसा ही यहाँ आ गया है। जो मजदूरों की माँगें हैं, उस पर शासन को क्या कहना है, वह स्पष्ट नहीं है, तो मजदूरों की जितनी माँगें हैं, उनमें से किन-किन माँगों को यह स्वीकार करते हैं और उनमें से जिनको उन्होंने स्वीकार किया है उनको लागू करने के लिए किस तारीख को, कब यहाँ से निर्देश जारी किया ?

श्री क्रान्ति कुमार—

श्रम विभाग श्रमिकों की माँगों के सम्बन्ध में सेवायोजकों से बात करने के बाद निपटाने की कोशिश करता है। जो माँगें जायज हैं, आर्बिट्रेशन में केस आयगा, जो कोर्ट का निर्णय होगा उसको पालन करने की कोशिश करेगा।

श्री हरिकेवल प्रसाद—

मैं जानना चाहता हूं कि मन्त्री जी के दृष्टिकोण में जो मजदूरों की माँगें हैं, कौन-कौन जायज माँगें हैं ? उसको श्रम विभाग को स्वीकार करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—

यह जवाब दे चुके हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सन्दर्भित माँगों पर, माँग संख्या 1 से 7 तक, शासन का क्या दृष्टिकोण है ? उस दृष्टिकोण में चूंकि वह एक सार्वजनिक उपक्रम की इकाई है, उस को कार्यान्वित कराने के क्या प्रयास किए जायेंगे ?

श्री क्रान्ति कुमार—

मान्यवर, राष्ट्रीय कपड़ा निगम से बातचीत की जा रही है कि वह इन माँगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैंने यह पूछा और आपने अनुमति दी और मन्त्री जी को जवाब के लिए बुलाया कि माँग संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पर शासन का दृष्टिकोण क्या है और उस दृष्टिकोण को कार्यान्वित करने का प्रयत्न करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप वक्तव्य के अन्तिम पैराग्राफ को पढ़ें, "उनकी माँगें राष्ट्रीय कपड़ा निगम के चेयरमैन को सहानुभूतिपूर्वक विचारार्थ भेज देंगे।"

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

जो व्यक्ति अनशन पर बैठा था उसको लिखकर दिया गया कि उनकी माँगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायगा। इस आश्वासन के बाद उसका अनशन तोड़वा दिया गया। वह कार्यान्वयन का मामला हो सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि एक-एक माँग पर शास का दृष्टिकोण क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इसका औचित्यनहीं समझता।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि भारतीय वस्त्र निगम से इस सम्बन्ध में बातचीत की जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि किस अधिकारी को वहां भेजा गया बात करने के लिए, क्या बातचीत हुई, बातचीत हुई अभी तक या नहीं? नम्बर दो क्या पत्र व्यवहार भारतीय वस्त्र निगम से इस मामले में किया गया है? यदि हां, तो वह क्या है?

श्री क्रान्ति कुमार—

मान्यवर, यह पत्रावली कल ही मेरे सामने आई। जब पूरा वक्तव्य पढ़ा तो मैंने खुद महसूस किया कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम मांगों पर जिस प्रकार व्यवहार कर रहा है इस प्रकार नहीं करना चाहिए। मैंने सचिव को निदश दिया है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अध्यक्ष महोदय से बात करें और जो व्यवस्था हो सकती है इस मसले पर करायें।

श्री ऊदल—

अभी कोई बातचीत नहीं हो सकी है?

श्री रामजी (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, इस वक्तव्य में जो छठी मांग है कि श्रमिकों की भरती योग्यता के आधार पर की जाय, मनमाने तरीके से या श्रमिक संगठन के दबाव या सिफारिश पर न की जाय, मैं जानना चाहता हूं कि इसको मानने में सेवायोजकों को क्या कठिनाई है और कौन श्रमिक संगठन है जिसके दबाव में आकर वहां के सेवायोजक योग्यता के आधार भर्ती नहीं करते तथा इस श्रमिक संगठन के नेताओं को उस मिल में कायम करने की बात है? वह रोकते हैं कि जो कर्मचारी हैं वह काम न करें? यह छठी मांग से सम्बन्धित मेरा प्रश्न है।

श्री क्रान्ति कुमार—

इस सम्बन्ध में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है।

श्री राम जी—

आप वहां जाकर देख लीजिए कि कितनी श्रमिक अशान्ति है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप पूरी बात को सुन लें।

श्री हरिकेवल प्रसाद—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप क्या व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं?

श्री हरिकेवल प्रसाद—

जब नियम 51 के अन्तर्गत यह वक्तव्य पढ़ा गया और माननीय मन्त्री जी उस पर हुए अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं और उसी सिलसिले में वह कह रहे हैं कि मुझे जानकारी नहीं है, तो आप उस पर अपनी व्यवस्था दें और इसको स्थगित कर दें। पूरी जानकारी करने के बाद ही इस पर चर्चा हो।

श्री क्रान्ति कुमार—

मैंने यह नहीं कहा।

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने यह भी कहा कि मैंने अपने सचिव को आदेश दे दिए हैं कि उनसे सम्पर्क स्थापित करें और जो समाधान हो सकता है, वह करें। वह यह पहले कह चुके हैं।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

माननीय मन्त्री जी ने स्वयं कहा कि उनके सामने वक्तव्य प्रस्तुत किया गया और इसको उन्होंने पढ़ दिया। अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए वक्तव्य को माननीय मन्त्री जी पढ़ देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं अधिक प्रश्नों की इजाजत नहीं दूंगा।

जनपद मिर्जापुर में दुद्धी तथा राबर्ट्सगंज में वर्ग 4 की जमीन के काश्तकारों को सीरदार बनाने की योजना के सम्बन्ध में दिनांक 9 मार्च, 1979 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 1 के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

श्री उपाध्यक्ष—

अब जनपद मिर्जापुर में दुद्धी तथा राबर्ट्सगंज में वर्ग 4 की जमीन के काश्तकारों को सीरदार बनाने के सम्बन्ध में आधे घंटे की चर्चा है। इसको श्री ईश्वर प्रसाद और श्री सूबेदार प्रसाद ने दिया है। श्री सूबेदार प्रसाद जी, इसको आप संक्षेप में कह दें।

श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

मैं आपका ध्यान मिर्जापुर जिले में वर्ग 4 की भूमि की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं यहाँ पर किसानों के सामने बड़ी गम्भीर समस्या है आप यह देखें कि ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ के काश्तकार पुश्तैनी खेती करते आए हों वहाँ पर उनकी काश्त वन विभाग के लोगों के अधीन है। जब यह बात सामने आई तो यह तय किया गया कि रिकार्ड आपरेशन कराया जाय। 1965 में रिकार्ड आपरेशन शुरू हुआ। जिस सीमा के अन्दर वह काश्त करते थे उसको रद्द कर दिया गया। रिकार्ड आपरेशन तो मैदानी इलाकों में होता है जहाँ पर रिकार्ड मौजूद होता है लेकिन जहाँ पर कोई रिकार्ड ही नहीं है वहाँ पर यह क्यों कराया जा रहा है। वहाँ पर जमींदारी एबोलीशन के जमाने से ही हम काश्त करते आ रहे हैं, रिकार्ड की वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। 1965 का रिकार्ड आपरेशन भी गलत सिद्ध हो गया। सरकार का कई लाख रुपया भी खर्च हुआ। हमारी जो वहाँ पर मौरूसी काश्त है जिसे हमारे वन विभाग के अधिकारी कब्जे में किए हुए हैं, उसमें हमें सीरदारी राइट्स नहीं मिल रहे हैं। दोनों ही तहसीलों दुद्धी और राबर्ट्सगंज में मौरूसी काश्त है हम ब्रिटिश काल के जमाने में भी वहाँ पर काश्त करते थे, देश आजाद हुआ लेकिन वहाँ के काश्तकार आजाद नहीं हुए हैं। हमें अपनी जमीन पर अधिकार नहीं मिले हैं जिन के कारण हम किसी प्रकार का लोन भी नहीं ले सकते हैं। इस प्रकार वहाँ की समस्या बड़ी गम्भीर बनी हुई है। वर्ष 1953 में जब जमींदारी विनाश हुआ वहाँ पर भी लागू होना चाहिए था, जमीन गाँव सभा में निहित हो जानी चाहिए थी। उसे न देकर वन विभाग को दे दिया गया है। उस जमीन के हकों से हमको वंचित किया जा रहा है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि जो अधिकार वन विभाग को सौंप दिए गए हैं उनको वापस लिया जाय। रिकार्ड आपरेशन के जमाने में हजारों मुकदमें काश्तकारों पर चलाए गए और आज वहाँ के निवासियों में त्राहि-त्राहि मची हुई है। अगर इसका सही निराकरण नहीं किया गया और जमीन के अधिकार वहाँ पर काश्त करने वालों को न मिले तो असन्तोष से क्रान्ति हो सकती है।

वहाँ की जमीन के लिए कोई विज्ञप्ति भी नहीं हुई थी। पहले विज्ञप्ति होती और फिर पूरे का पूरा प्रबन्ध उनको सौंप दिया गया होता तो ठीक होता। वहाँ पर इस प्रकार से बड़ी ज्यादतियाँ हमारे साथ की जा रही हैं। वहाँ पर हमारी मौरूसी काश्त है और हम वहाँ पर आबाद हैं, कई लाख रुपया व्यय करके रिकार्ड आपरेशन का काम भी आरम्भ हो गया लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। यह बहुत ही गम्भीर समस्या है और अगर इसका समय से निराकरण न हुआ तो मेरा ऐसा विश्वास है कि वहाँ के गरीब हरिजन उजड़

जायेंगे और तबाह हो जायेंगे। हमने वहाँ पर कोई एंक्रोचमेंट भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी बेदखल किया जाता है। 24 मई, 1978 को सरकार की एक विज्ञप्ति जारी हुई कि सीमायें निर्धारित की जायं। जब उस जमीन में हम काश्त करते हैं, हमारी मौरूसी है, हम उनमें आबाद है तो वह जमीन हमें मिलनी चाहिए, न कि वन विभाग को, उसकी मौरूसी काश्त के जो राइट्स हैं वे हमको मिलने चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। वर्ग 4 की जो जमीन है उसमें 4.68 एकड़ तक हमें देंगे। इससे क्या हो सकता है? इससे तो हम उजड़ जायेंगे, विस्थापित हो जायेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि हमको सीरदारी के अधिकार मिलने चाहिए।

उप मुख्य मन्त्री राजस्व (श्री नारायण सिंह)---

मान्यवर,. . . . .

एक सदस्य---

मेरा निवेदन है कि. . . .

श्री उपाध्यक्ष---

पहले माननीय मन्त्री जी का भाषण हो जाय, तब आपको प्रश्न करने का अवसर मिलेगा।

श्री नारायण सिंह---

जनपद मिर्जापुर की तहसील दुद्धी तथा राबर्टसंगंज के क्रमशः 125 तथा 129 गाँवों में सर्वेक्षण तथा अभिलेख क्रियाएं चल रही हैं। अभिलेख क्रियाओं के दौरान भूमि पर अधिकार के सम्बन्ध में विवादों का निस्तारण सम्बन्धित अधिकारी विषय पर उपलब्ध कानून के अनुसार ही करते हैं। जहाँ अभिलेख क्रियाएं नहीं चलतीं वहाँ भूमि के अधिकार से सम्बन्धित विवाद विषय पर उपलब्ध नियमों के अनुसार अन्य न्यायालय तय करते हैं।

जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 210 के मौजूदा प्राविधानों के अनुसार गाँव सभा की भूमि पर किसी भी अवधि के लगातार कब्जे के आधार पर कब्जेदार को उस भूमि पर स्वत्व (अधिकार) परिपक्व नहीं होते। 15 जून, 1976 से पूर्व धारा 210 में जो प्राविधान था उसके अनुसार गाँव सभा की भूमि पर लगातार 12 वर्ष या इससे अधिक अनधिकार कब्जे पर काबिज व्यक्ति को सीरदार के स्वत्व परिपक्व हो जाते थे। बाद में धारा 210 में संशोधन पूर्वगामी प्रभाव से होने के फलस्वरूप गाँव सभा की भूमि पर किसी भी अवधि के लगातार कब्जे के आधार पर स्वत्व परिपक्व नहीं होते हैं।

जिन व्यक्तियों का भूमि पर कब्जा जमींदारी उन्मूलन के बहुत पहले से था और वे जमींदारी उन्मूलन के पहले उपलब्ध नियमों के अनुसार उस भूमि के काश्तकार हो गये थे और बाद में जमींदारी टूटने पर विधायिका द्वारा वे भूमिधर/सीरदार हो गये और उनके नाम भूमि इस प्रकार गाँव के अभिलेखों में अंकित नहीं है तो वे साक्ष्य प्रस्तुत कर अपने केस को साबित कर सकते हैं और सम्बन्धित अधिकारी उन विवादों में नियमानुसार आदेश पारित कर सकेंगे।

जमींदारी टूटने के बाद जो भूमि राज्य सरकार में निहित हुई अथवा गाँव सभा में निहित हुई और उस पर अनधिकार कब्जा किसी व्यक्ति ने कर लिया तो उसके सम्बन्ध में स्थिति तहसील दुद्धी तथा राबर्टसंगंज के गाँवों के लिए जो अभिलेख क्रियाओं के अन्तर्गत हैं, निम्नलिखित हैं :---

(1) यदि काबिज व्यक्ति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति का खेतिहर मजदूर है और वह 30-6-1975 के पहले गाँव सभा की भूमि पर काबिज था तो जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 122 बी (4एफ)

अनुसार उसे कब्जे की भूमि पर सीरदार, (भूमिधर के हक प्राप्त हो गये यदि उस व्यक्ति के पास 4.68 एकड़ से अधिक भूमि कब्जे की भूमि को मिलाकर सीरदार) भूमिधर और आसामी के रूप में नहीं थी ।

(2) यदि गाँव सभा की भूमि पर 1381 फसली में काबिज व्यक्ति भूमिहीन अथवा छोटा काश्तकार है और उसके पास काबिज भूमि को मिला कर उसके अथवा उसके परिवार के पास 4.68 एकड़ से कम भूमि हो तो उसको उस भूमि का पट्टा इस प्रकार करने के आदेश सहायक अभिलेख अधिकारी को भेज दिए गए हैं कि काबिज व्यक्ति के पास अपनी जोत एवं परिवार के सदस्यों की जोत को सम्मिलित करके कुल क्षेत्रफल 4.68 एकड़ से अधिक न होने पाए। जहाँ काबिज व्यक्ति जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 198 की वरीयता में वह आता हो और उस भूमि को लेने के लिए उससे ऊपर की वरीयता के अन्य व्यक्ति इच्छुक हों, यद्यपि वे 1381 फसली में उस भूमि पर काबिज नहीं थे, तो ऐसे मामलों में जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस आशय के आदेश भेज दिए गए हैं कि वह उस भूमि को पुनर्ग्रहण कर लें और बाद में उसका पट्टा उपरोक्त लिखित नीति के अनुसार गवर्नमेंट ग्रान्ट्स ऐक्ट के अन्तर्गत कर दें। इस प्रकार की भूमि को पुनर्ग्रहण करने का अधिकार जिलाधिकारी, मिर्जापुर को दे दिया गया है और अधिसूचना 1-3-1979 को जारी कर दी गयी है।

(3) मद 2 की नीति के अनुसार भूमिहीन तथा छोटे काश्तकार को जिस भूमि का पट्टा दिया जाना है यदि वह भूमि गाँव सभा में निहित नहीं हुई है और भूमि राज्य सरकार की है तो उसे गवर्नमेंट ग्रान्ट्स ऐक्ट के अन्तर्गत पट्टा देने के आदेश जिलाधिकारी, मिर्जापुर को भेज दिए गए हैं ।

इस प्रकार ऐसे व्यक्ति जिन्होंने गाँव सभा की भूमि पर कब्जा जमींदारी टूटने के बाद किया है और जो गाँव के अभिलेखों में भूमिधर और सीरदार अंकित नहीं है और जो ऊपर मद 1, 2, 3 में नहीं आते हैं उन्हें मौजूदा नियमों के अनुसार अनधिकार कब्जे के आधार पर गाँव सभा की भूमि पर स्वत्व प्रदान नहीं किए जा सकते ।

मैं इस सम्बन्ध में जरा सा यह कहना चाहूंगा कि इस जिले के राबर्ट्सगंज तहसील में वाकई में जमींदारी खत्म नहीं हुई थी, तमाम प्रदेश में जमींदारी खत्म हो गयी और अकेले यही गाँव रह गया था। तमाम मुकदमें चल रहे थे, सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमात गये, वहाँ पर भी सीरदार डिक्लेयर नहीं हुए और भूमिधर भी नहीं हुए, तब स्वामित्व भी नहीं प्राप्त हुआ। जहाँ तक शेड्यूल्ड कास्ट का सम्बन्ध है, उन लोगों को हम अधिकार देने के लिए सोच रहे हैं ।

श्री ईश्वर प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

मान्यवर, जो बीसों वर्ष से जमीन पर काश्त कर रहे हैं, मौके पर मकान, बगीचे, कुएं आदि हैं, ऐसी जमीन को, जो नजूल, वर्ग 4, 5 (क) की है, ऐसी जमीन पर सरकार को भूमिधरी राइट देने में कौन सी परेशानी है ? यह मैं उनसे जानना चाहता हूं ।

श्री नारायण सिंह—

मान्यवर, मैंने अर्ज किया, मैं मानता हूं स्वयं का कब्जा है, उनका बहुत दिनों से है, लेकिन उस कब्जे को नियमानुसार हम अपने कागजात में दर्ज करें, उसका भी एक नियम है। 1976 के पहले कोई ऐसी काश्त करता था, अगर लगातार 12 साल का उसका अधिकार हो गया, तो वह सीरदार बन गया, लेकिन 1976 के बाद, यह नियम 16 जून, 1976 को लागू हुआ, कोई काश्तकार चाहे वह 20 साल का काश्तकार है, अगर वह हकूक तय नहीं कराता, तो वह कैसे तय किया जा सकता है कि उनको जमीन दी जा सकती है ?

श्री सूबेदार प्रसाद—

माननीय मन्त्री जी ने अभी कहा कि लैन्ड ला अमेंडमेंट, 1976 के अनुसार उसे भूमिधरी राइट नहीं दे सकते। लेकिन क्या मन्त्री जी को जानकारी है कि धारा 209 के अन्तर्गत गाँव सभा की जमीन के लिए कई बार संशोधन हुआ है, हमारी जमीन, जो हमारी मौरूसी काश्त है, जिस पर हम बहुत दिनों में काश्त करते चले आ रहे हैं, जमींदारी विनाश कानून लागू हुआ, हाईकोर्ट में मुकदमें चलने के कारण, यह हमारे क्षेत्र में लागू नहीं हो सका और यह विज्ञप्ति भी हुई थी कि इसे गाँव सभा में निहित कर देना चाहिए, लेकिन गाँव सभा बनी ही नहीं थी, तो हमें किस आधार पर पीरियड आफ लिमिटेशन से बाध्य किया जा रहा है।

अभी मैंने कहा कि 12 साल पहले के जो अधिकार थे वे उस वक्त दिए गए थे लेकिन अब 20 साल से जो लोग भूमि पर काबिज हैं चाहे वे शिड्यूल कास्ट के हैं, कुछ दूसरी जातियों से सम्बन्ध रखते हैं। और उन्हें 4.68 प्रतिशत जमीन प्राप्त है। जिलाधिकारी से कह दिया गया है कि अगर उनके पास इससे कम है तो पूरा कर दें।

श्री ईश्वर प्रसाद—

मान्यवर, पैमाइश में जो लिखा गया है कि इसके दक्षिण में नाला है, पश्चिम में नदी है, उत्तर में यह है, पूरब में यह है, इसका रिकार्ड सही नहीं था। मौके पर जो काश्तकार जमीन 30 वर्षों से जोत रहा है नक्शे में नहीं है। मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं, मन्त्री जी से, वर्ग 4, वर्ग 5 पट्टे पुनर्वास और नजूल की जो जमीन है जिस पर बीसों वर्षों से कब्जा है, वर्ग 4, वर्ग 5 की जमीन, पट्टे तथा नजूल की परिभाषा के सम्बन्ध में आपकी जानकारी नहीं है, न तो उस क्षेत्र के बारे में कोई जानकारी है और जिसका झगड़ा तय होने वाला नहीं है, तो क्या उसका सर्वे, सर्वे आफ इंडिया से कराने की व्यवस्था मन्त्री जी करायेंगे ?

श्री नारायण सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्य का आरोप कि मुझे श्रेणी 4 व श्रेणी 5 की जानकारी नहीं है, सही नहीं है। 25 साल मैंने यही काम किया है। मान्यवर, पैमाइश गट्ठों से ही की जाती है। इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं है।

श्री ईश्वर प्रसाद—

मन्त्री जी का जो उत्तर आया है, जो पोर्शन मान्यवर, चल रहा है, उसमें एक ग्राम सभा का सर्वे करने को वहाँ के तहसीलदार और कानूनगो जाते हैं। वहाँ. . . .

श्री उपाध्यक्ष—

आप प्रश्न कीजिए।

श्री ईश्वर प्रसाद—

तो मान्यवर, सर्वे पोर्शन चल रहा है। मान्यवर, नक्शे पर जो नाप होती है उसमें एक गाँव में नापते-नापते दूसरे गाँव में घुस जाते हैं। दूसरे गाँव में नापते हैं तो तीसरे गाँव में घुस जाते हैं। इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इसमें सही नाप होने के लिए सर्वे आफ इंडिया से नाम करायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य का कहना है कि जो सर्वे हो रहा है उसमें गाँव कीजो सीमाएं हैं वे निश्चित रूप से जो यहाँ के प्रदेश के अधिकारी हैं वे सीमाएं नहीं निर्धारित कर पा रहे हैं तो क्या आप इसके ऊपर विचार करेंगे और सर्वे आफ इंडिया के जो इसके एक्सपर्ट होते हैं, और जो पिलर स्थापित करते हैं गाँव में, उनके द्वारा सीमाएं निर्धारित करने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

श्री नारायण सिंह—

सर्वे आफ इंडिया से पैमाइश कराने का कोई प्रश्न नहीं है। मेरे पास स्वयं का इसका मोहकमा है। अगर माननीय सदस्य को कोई शिकायत इसके सम्बन्ध में हो तो मैं उस शिकायत को दूर करने के लिए तैयार हूं।

श्री सूबेदार प्रसाद—

माननीय मन्त्री जी को हमारे साथी ईश्वर प्रसाद की बात तीखी लग गई। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि वहाँ केवल हरिजन आदिवासी ही 4.68 एकड़ के काश्तकार नहीं हैं बल्कि बड़े-बड़े काश्तकार हैं। बहुत से लोग 100, 200 बीघे के काश्तकार हैं। खासतौर से वहाँ 90 फीसदी जमीन वर्ग 4 की है। इस सम्बन्ध में कई बार विज्ञप्तियाँ हुयीं। 76 में नोटीफिकेशन हुआ, 78 में हुआ। जिलों में कई मीटिंग्स हो चुकी हैं। पिछली जो गवर्नमेन्ट थी उसने तय किया था, राजस्व मन्त्री, वन मन्त्री, और सचिव तथा विधायक जो वहाँ के हैं उनकी बैठक हुई थी लेकिन अन्तिम निर्णय नहीं हो पाया था। तो क्या अब अधिकारियों और विधायकों की मीटिंग को बुलाकर इस मामले में गम्भीरता से विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री विद्या शंकर (जिला प्रतापगढ़)—

मान्यवर, एक प्रश्न मैं करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इजाजत नहीं देता। वहाँ वर्ग चार के काश्तकार हैं, उनको नियमित करने के लिए आप यह प्रश्न करें कि क्या माननीय मन्त्री जी जो कानून हैं उनमें कुछ संशोधन करने पर विचार करेंगे, कुछ इस तरह का प्रश्न करें। वहाँ की वस्तु स्थिति देखकर, जैसा कि रुद्रपुर तहसील खटीमा में वर्ग 4 के लोगों को नियमित किया गया है, उसी प्रकार से राबर्ट्सगंज और दुद्धी में बीसियों सालों से जो चले आ रहे हैं उस सम्बन्ध में नियमों में आप संशोधन करने पर विचार करेंगे कुछ इस तरह से प्रश्न करें।

श्री सूबेदार प्रसाद—

मान्यवर, मेरा तात्पर्य इसी से है, इसका उत्तर दिलवा दें।

श्री नारायण सिंह—

मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए फिर निवेदन करना चाहता हूं कि 1359 फसली के बाद जिस आदमी का कब्जा शुरू हुआ है वह वर्ग 4 में आयगा और उसके अलावा दूसरे ट्रेसपासर होंगे। 15-6-76 के बाद जो जमींदारी एबोलीशन ऐक्ट है उसके मातहत उनको अधिकार देने की बात मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन वादा जरूरत करता हूं कि जनहित को देखते हुए कोई नुकसान की बात होती है तो इस पर विचार करूंगा।

श्री मित्र सेन (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, जेड0ए0 ऐक्ट की धारा 209 के अन्तर्गत क्या सरकार ने बेदखल करने के लिए कोई कार्यवाही की है अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण सिंह—

इसकी जानकारी मुझको नहीं है कि किया गया या नहीं किया गया है।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

अभी माननीय सूबेदार प्रसाद जी ने जो सवाल किया था तो माननीय मन्त्री जी क्या वहाँ की विशेष परिस्थिति को देखते हुए वहाँ के विधायकों और अधिकारियों के साथ बैठकर इस समस्या पर ब्योरे से विचार करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो उन्होंने कह दिया कि कोई विशेष बात होगी तो विचार करेंगे।

श्री विद्या शंकर—

मान्यवर, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इजाजत नहीं देता ।

श्री विद्या शंकर—

वर्ग 4 में जेड0ए0 ऐक्ट में लिमिटेशन 30 ईयर्स का है । पहले 12 ईयर्स का था तो मैं जानना चाहता हूं कि वहाँ की विशेष परिस्थिति को देखते हुए क्या लिमिटेशन के पीरियड को कम करने की कृपा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसकी इजाजत नहीं है ।

श्री सूबेदार प्रसाद—

मान्यवर, मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि वहाँ पर जो नोटीफिकेशन हुआ वह इंडियन फारेस्ट ऐक्ट के अन्तर्गत हुआ । यह गलत नोटीफिकेशन हुआ है क्योंकि उस समय गाँव सभायें नहीं बनीं और वर्ग 4 की जमीन जो निहित होनी थी वह नहीं हुई । इसलिए इस फारेस्ट ऐक्ट को क्या मन्त्री जी निरस्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री नारायण सिंह—

मान्यवर, जो माननीय सदस्य ने कहा मैं उसका स्वयं अहसास करता हूं कि काश्तकारों के साथ ज्यादती हुई है । इसीलिए मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो काश्तकार 20 साल से लगातार चले आ रहे हैं उनको मैं सहायता देने के लिए तैयार हूं ।

अध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु तिथि निर्धारण के सम्बन्ध में नियमावली के नियम 8 के उप नियम (1) के परन्तुक के खंड (ख) के उपबन्धों को निलम्बित करने का प्रस्ताव

मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1058 के नियम8 के उपनियम(1) के परन्तुक के खण्ड (ख) के उपबन्धों को निलम्बित करते हुए एतद्द्वारा यह निश्चित करता है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष का निर्वाचन, इसी अधिवेशन में 27 मार्च, 1979 के भीतर, ऐसी तिथि को, जो राज्यपाल इस सम्बन्ध में नियत करें, हों । इस सम्बन्ध में मैंने सभी नेताओं से विचार कर लिया है ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

मान्यवर, मुझे यह आपत्ति नहीं है कि सभी पक्ष के लोगों की भावना को लेकर मुख्य मन्त्री जी यह प्रस्ताव लाए हैं । मुझे अफसोस है कि इस सवाल पर अभी तक सभी पक्ष के लोगों ने एकराय कायम नहीं किया है । मैं समझता हूं कि अब तक एक राय कायम हो जानी चाहिए थी और 23 मार्च के पहले यह चुनाव हो जाना चाहिए था । नियमों का निलम्बन करना असाधारण कार्य है । इसलिए इससे बचना चाहिए, लेकिन आपने उसका सहारा लिया और सबकी राय से इसको टाल दिया । मुझे खुशी है कि माननीय नेता सदन ने 27 मार्च के पहले चुनाव करा देने का प्रस्ताव किया है, इसलिए मैं भी इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । लेकिन उसमें महामहिम राज्यपाल अभी हैं । यदि वह समय न निश्चित करें तो क्या होगा ? इसलिए राज्यपाल महोदय से क्या माननीय नेता सदन अनुरोध कर देंगे, आज या कल, कि इस पर समय तत्काल निश्चित कर दें । नहीं तो वह कह देंगे कि प्रस्ताव नहीं आया ।

श्री बनारसी दास—

मान्यवर, मैनेजर सिंह कहते हैं कि राज्यपाल महोदय 27 तारीख से पहले कोई समय निश्चित करेंगे। तो यह तो नियम का अंग है। इसमें किसी तरह की सन्देह की गुन्जाइश नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 8 के उपनियम (1) के परन्तुक के खण्ड (ख) के उपबन्धों को निलम्बित करते हुए एतद्द्वारा यह निश्चय करता है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष का निर्वाचन इसी अधिवेशन में 27 मार्च, 1979 के भीतर, ऐसी तिथि को, जो राज्यपाल इस सम्बन्ध में नियत करें, हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और दिनाँक 22 मार्च, 1979 को पूर्वाह्न 11-00 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 21 मिनट पर बृहस्पतिवार, 22 मार्च, 1979 के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
20 मार्च, 1979

नत्थी 'क'

[देखिए नियम 38(2) के तारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 462 पर]

दिनांक 1-1-1978 से 31-12-1978 की अवधि में वाराणसी जिले के थानों के अन्तर्गत हुई डकैती आदि घटनाओं एवं कृत कार्यवाही का विवरण

क्रम-सं0	थाने का नाम	पंजीकृत अपराधों की सं0			पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के यहाँ घटित घटनाओं का प्रतिशत	कृत कार्यवाही का विवरण						
		क	ख	योग		अपराधों की संख्या जिनमें विवेचना की गई	अपराधों की संख्या जिनमें अन्तिम रिपोर्ट लगी	अपराधों की संख्या जिनमें आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया और मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन है	विवेचना-धीन अपराधों की संख्या	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या	आत्मसमर्पण करने वाले अभियुक्तों की संख्या	
		धारा 395/397 भा0वि0के अन्तर्गत पंजीकृत अपराधों की संख्या	धारा 396 भा0द0वि0 के अन्तर्गत पंजीकृत अपराधों की संख्या									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	चोलापुर	4	2	6	76%	6	..	2	4	11	..	
2	चौबेपुर	5	1	6	50%	6	..	2	4	23	9	
3	सैयदराजा	3	1	4	50%	4	2	1	1	7	..	
4	सकलडीहा	5	..	5	40%	5	..	1	4	4	7	
5	बलुवा	1	..	1	100%	1	..	..	1	..	..	
6	धानापुर	1	..	1	100%	1	..	1	..	9	4	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	मुगलसराय	2	..	2	50%	2	..	1	1	8	2
8	चकिया ..	6	..	6	50%	6	1	3	2	19	4
9	चन्दौली ..	1	1	2	..	2	1	1	..	16	3
10	अलीनगर	3	1	4	75%	4	..	1	3	17	..
11	नौगढ़	2	1	3	67%	3	..	..	3	12	..
12	मिर्जामुराद	6	4	10	80%	10	3	3	4	18	2
13	रोहनियाँ	6	3	9	100%	9	..	3	6	26	14
14	फूलपुर ..	4	2	6	50%	6	..	1	5	16	1
15	बड़ागाँव	5	4	9	100%	9	3	3	3	24	2
16	औराई	2	..	2	100%	2	..	1	1	3	2
17	गोपीगंज	1	2	3	100%	3	..	..	3	9	..
18	भदोही	2	3	5	60%	5	..	1	4	8	1
19	सुरियावाँ	2	1	3	100%	3	..	..	3	14	..
20	ज्ञानपुर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
21	कोतवाली	1	..	1	..	1	..	1	..	..	..
22	चौक ..	2	..	2	..	2	2	..	..	..	..
23	आदमपुर	1	1	2	..	2	..	1	1	5	..
24	रामनगर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
25	दशाश्वमेघ	2	..	2	..	2	2	..	..	..	..
26	मेलूपुर	4	..	4	..	4	1	..	3	2	..
27	मड़ुवाडीह	2	1	3	..	3	1	1	1	8	..
28	चेतगंज	2	..	2	..	2	2	..	..	..	..
29	कैण्ट	2	..	2	..	2	..	1	1	5	..
30	जैतपुरा	1	..	1	..	1	..	1	..	5	..

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 466 पर)

शासकीय विभाग, जिन्होंने जानकी नगर, गोण्डा जनपद की प्रदर्शनी में भाग लिया था, तथा उनके द्वारा जो व्यय किया गया था, का विवरण ।

क्रम-सं0	विभाग	कुल व्यय (रु0 में)
1	सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग	50,284.70
2	पंचायत राज	14,500.00
3	सहकारिता	19,206.65
4	स्वास्थ्य	23,000.00
5	लघु सिंचाई	21,373.15
6	उद्यान	19,031.13
7	कृषि	16,269.90
8	गन्ना	30,559.68
9	वन	3,528.62
10	पशु पालन	12,997.12
11	मत्स्य	20,088.50
12	शिक्षा	3,577.91
13	हाउसिंग प्रोजेक्ट, गाजीपुर	2,000.00
14	उद्योग	12,925.00

नत्थी 'ग'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 14 का उत्तर पीछे पृष्ठ 469 पर)

गोण्डा जेल में कम्यूनिस्ट सत्याग्रहियों पर लाठी चार्ज की कथित घटना का विवरण

जिला कारागार, गोण्डा में परिषद कम्यूनिस्ट पार्टी 5 बन्दियों ने दिनांक 19 सितम्बर, 1978 से उच्च श्रेणी तथा अच्छा भोजन दिए जाने की मांग की लेकर आमरण अनशन आरम्भ किया था।

2—दिनांक 22 सितम्बर. 1978 को अनशन कर रहे कम्युनिस्ट पार्टी के उक्त बन्दियों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण नहीं करने दिया और उस दिन कम्युनिस्ट पार्टी के अन्य बन्दियों ने न्यायालय जाने से इंकार करते हुए मांग की कि चीफ जुडीशियल मैजिस्ट्रेट जेल के अन्दर ही न्यायालय की कार्यवाही आयोजित करें।

3—दिनांक 23 सितम्बर, 1978 को प्रात: जेल अधीक्षक ने जिला अधिकारी, गोण्डा को दूरभाष्य पर सूचित किया कि कम्युनिस्ट बन्दियों ने सार्वजनिक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, डा0 तिवारी, का घेराव कर रखा है। जिला अधिकारी ने तत्काल परगना मैजिस्ट्रेट को निर्देश दिए कि वह तत्काल जिला जेल जाकर आवश्यक कार्यवाही करें। परगना अधिकारी 11-00 बजे जेल में पहुंचे और उस बैरक में गए जहां कार्यवाहक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, डा0 तिवारी को कम्युनिस्ट बन्दियों न घेर रखा था। इन बदिन्यों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से उनको मिलने वाले खराब भोजन की शिकायत की और खाद्य पदार्थ का नमूना जांच के लिए ले जाने का अनुरोध किया। बन्दियों ने उनसे यह भी कहा कि जब तक जिला अधिकारी न आ जायेंगे वे उन्हें नहीं जाने देंगे। परगना मैजिस्ट्रेट से सभी कम्युनिस्ट सत्याग्रहियों ने खराब रोटियों की शिकायत की। इस पर जेल कम्पाउन्डर को पाकशाला से रोटियां लाने भेजा गया तो कुछ कम्युनिस्ट बन्दी भी उनके साथ पाकशाला तक गए। वहां रोटियां छाटने के बारे में पाकशाला में कार्यरत बन्दियों तथा कम्युनिस्ट सत्याग्रहियों में छीना-झपटी तथा मारपीट हो गयी। इस पर लगभग 11-30 बजे अलार्म किया गया। इस घटना में कुल 77 व्यक्तियों को चोटें आईं, जिनमें 63 कम्युनिस्ट बन्दी 8 निरुद्ध दोष बन्दी, 4 विचाराधीन बन्दी, एक वार्डर तथा एक हेड वार्डर सम्मिलित हैं।

4—उक्त घटना की मैजिस्ट्रीरियल जांच कराई गई है। जांच अधिकारी का यह निष्कर्ष है कि दोनों पक्षों में तनाव तथा अविश्वास की स्थिति चली आ रही है थी जिससे बिना किसी पर्याप्त कारण के ही पाकशाला के प्रसंग की अवांछनीय घटना के रूप में परिणित हो गई और संभवत: उसी अविश्वास के कारण कारागार के कम्पाउन्डर के साथ रोटियां लेने के लिए सत्याग्रही भी गए और दोनों पक्षों में अच्छी तथा खराब रोटियां छांटने को लेकर कहा-सुनी और बाद में लड़ाई-झगड़ा हो गया।

5—जांच अधिकारी के मत में मारपीट की घटना के संबंध में प्राप्त तथ्यों के आधार पर यही कहा जा सकता है कि इसके लिए दोनों पक्ष समान रूप से उत्तरदायी हैं और इस घटना की परिस्थिति में दोनों पक्षों का योगदान रहा है।

नत्थी 'घ'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 39 का उत्तर पीछे पृष्ठ 476 पर)

क्र0 सं0	सम्बन्धित अधिकारी/ सहायक का नाम	पद	वेतन
			रु0
	सर्वश्री—		
1	लक्ष्मी चन्द्र	निदेशक, सेन्ट्रल डिजाइन सेन्टर	1450.00
2	आर0 डी0 शर्मा	सहायक अभियन्ता	695.00
3	लाल साहब सिंह	प्रचार एवं प्रदर्शनी अधिकारी	सेवा निवृत्त हो चुके हैं।
4	बी0 के0 श्रीवास्तव	वरिष्ठ लिपिक	334.00
5	एस0 सी0 त्रिवेदी	सामान्य लिपिक	320.00
6	एस0 एस0 अवस्थी	तदेव	
7	एस0 पी0 सक्सेना	तदेव	320.00

नत्थी 'ङ'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 50 का उत्तर पीछे पृष्ठ 479 पर)

संख्या 5333/तीन–72 (1) 73-सा0 प्र0 अनु0

प्रेषक,

चन्द्र हास सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ दिनांक, 30 सितम्बर, 1978 ।

विषय:—राज्य का सहायक पूर्वताधिपत्र (सब्सिडिअरी वारेन्ट आफ प्रिसीडेन्स)

महोदय,

सामान्य प्रशासन अनुभाग

उपरोक्त विषय पर मुझे इस राज्य का सहायक पूर्वताधिपत्र आपके सूचनार्थ एवं मार्ग-दर्शन हेतु संलग्न करन का निदेश हुआ है ।

2—मुझे यह भी सूचित करना है कि इस पूर्वताधिपत्र का क्रम केवल राजकीय समारोहों के लिये है और यह क्रम सरकार के दिन-प्रति-दिन के कार्य संचालन में लागू नहीं होता है ।

भवदीय,
चन्द्र हास सिंह,
संयुक्त सचिव ।

संख्या 5333 (1)/तीन-72-(1)-73-सा0 प्र0 अनु0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:—

1—सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली ।
2—सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव ।
3—संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों/प्रशासनों को (कृपया इस पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें) ।

संख्या 5333 (2)/तीन-72 (1)-73-सा0 प्र0 अनु0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पथ प्रदर्शन हेतु प्रेषित:—

1—समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
2—सचिव, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
3—महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
4—निबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ।
(कृपया इस पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें) ।

संख्या-5333 (3)/तीन-72-(1)-73-सा0 प्र0 अनु0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ एवं पथ प्रदर्शन हेतु प्रेषित:—

1—समस्त मंत्रियों के निजी सचिवों को मंत्री महोदय के सूचनार्थ।

2—समस्त राज्य मंत्रियों के निजी सचिवों को राज्य मंत्री महोदय के सूचनार्थ।

3—सचिवालय के समस्त अधिकारीगण।

4—सचिवालय के समस्त विभाग।

(कृपया इस पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें)।

आज्ञा से,
चन्द्र हास सिंह,
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश का सहायक पूर्वताधिपत्र

कोटिक्रम	पदनाम
(1)	(2)
4	राज्यपाल
8	मुख्य मंत्री
16	विधान परिषद् के सभापति विधान सभा के अध्यक्ष उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति
16–अ	लोग आयुक्त
17	राज्य के मंत्रीगण
17–अ	नेता विरोधी दल (विधान परिषद्/विधान सभा)
19	प्यूनी जजेज उप सभापति, विधान परिषद् उपाध्यक्ष, विधान सभा राज्य के राज्य मंत्री
20	उप मंत्री महापौर–अपने क्षेत्र में
20–अ	अध्यक्ष, जिला परिषद् (अपने क्षेत्र में) अध्यक्ष, नगरपालिका (अपने क्षेत्र में)
22	संसद सदस्य
22–अ	विधाम परिषद् तथा विधान सभा के सदस्य
24	मुख्य सचिव
24–अ	अध्यक्ष, राजस्व परिषद्

1	2
25	लेफ्टिनेंट जनरल अथवा सशस्त्र सेना के समकक्ष अधिकारी
26	एडवोकेट जनरल लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष
28	सदस्य, राजस्व परिषद् अध्यक्ष, लोक सेवा अधिकरण विश्वविद्यालय के कुलपति
29	राज्य सरकार के आयुक्त एवं सचिव, पुलिस महानिरीक्षक, मण्डलायुक्त, उनके समकक्ष या उनसे उच्च स्तर के राज्य सरकार के विभागाध्यक्ष, भारत सरकार के समकक्ष विभागाध्यक्ष स्तर के अधिकारी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य, सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद्, स्वशासकीय राजकीय निगमों के समकक्ष मुख्य कार्य अधिकारी, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, मेजर जनरल अथवा सशस्त्र सेना के समकक्ष अधिकारी ।
30	राज्य सरकार के सचिव/विशेष सचिव अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक अन्य विभागाध्यक्ष (जो ऊपर क्रम संख्या 15 में सम्मिलित नहीं हैं) भारत सरकार के समकक्ष विभागाध्यक्ष ।
31	जिलाधिकारी जिला न्यायाधीश उप पुलिस महानिरीक्षक पुलिस अधीक्षक मुख्य चिकित्सा अधिकारी ।

सत्थी 'च'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 487 पर)

राज्य कताई मिल, अकबरपुर में नियुक्तियों के लिए 22–7–77 से 6–10–78 तक सेवा योजना कार्यालय से प्राप्त अभ्यर्थियों की सूची।

क्रमांक	पंजीकरण सं0 नाम व पूरा पता	जन्म तिथि	शैक्षिक योग्यता	अन्य
1	2	3	4	5
टाइम कीपर पद हेतु पूर्ण विवरण:—				
1	4880/75 श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री विजय बहादुर श्रीवास्तव, 282/2 कन्धारी बाजार, फैजाबाद।	3–1–49	हाई स्कूल सेकेन्ड, इन्टर तृतीय, बी0 एस–सी0 द्वितीय इन्हों ने टाइम कीपर के पद पर दिनाँक 14–10–73 से 12–2–75 तक फैक्टरी मैनेजर, महाबीर इक्सपोर्ट एण्ड इमपोर्ट कं0 लिमिटेड, गाजियाबाद।	
2	8683/77 श्री शैलेन्द्र प्रताप पुत्र श्री चौथीराम ग्राम तारापुर, पो0 मालीपुर, फैजाबाद।	2–7–52	हाई स्कूल प्रथम, इन्टर द्वितीय, बी0 ए0 द्वितीय, बी0 एड0 पास। इन्होंने टाइमकीपर के पद पर दिनाँक 6–1–76 से 15–7–76 तक लेबर आफिस ज्वाला टैक्सटाइल मिल्स न्यू दिल्ली।	
लेखा लिपिक पद हेतु पूर्ण विवरण:—				
1	12331/75 हेमराज पुत्र श्री ठाकुरदीन, ग्राम समसपुर, पोस्ट रामपुर सकरवरिरी, फैजाबाद।	1–2–55	हाई स्कूल तृतीय, इंटर द्वितीय, बी0 काम द्वितीय।	पि0 वग
2	22259/76 ओंकारसिंह पुत्र दलपता सिंह, ग्राम0 सलारपुर पो0 हरीपुर, फैजाबाद।	10–8–55	हाई स्कूल द्वितीय, इंटर द्वितीय, बी0 काम0 द्वितीय।	;;
3—	23146/76 रामजी वर्मा पुत्र राम मिलन वर्मा, ग्राम पतुपुर, पो0 दोहरी पो0 बल्लेपुर, फैजाबाद।	4–2–57	हाई स्कूल तृतीय, इंटर द्वितीय; बी0 काम0 द्वितीय।	;;

1	2	3	4	5
4	22697/76 उमेश चन्द्र पुत्र सन्तदयाल, ग्रा0 पो0 मुबारकगंज, फैजाबाद।	16-8-54	हाई स्कूल तृतीय, इंटर द्वितीय, बी0 काम0 द्वितीय।	पि0 वर्ग
5	25037/76 राज्य बहादुर पुत्र श्री हरखली यादव, ग्राम दानूपुर, पो0 पहती-पुर, फैजाबाद।	1-11-54	हाई स्कूल द्वितीय, इंटर द्वितीय, बी0 काम0 द्वितीय।	,,
6	26858/76 सहदेव प्रसाद वर्मा पुत्र रामदुलार वर्मा, 1183/2 हैदरगंज, फैजाबाद।	20-8-55	हाईस्कूल तृतीय, इंटर द्वितीय बी0 काम0 द्वितीय।	,,
7	27257/76 विनीत कुमार पुत्र श्री गिरधारी-लाल, 802-अशोक निवास। साहब गंज, फैजाबाद।	1-7-58	हाई स्कूल तृतीय, इंटर प्रथम, बी0 काम0 द्वितीय।	
8	27818/76 अशोक कुमार पुत्र राम खेलावन, 350, साहादतगंज पो0 रिकाब-गंज, फैजाबाद।	5-1-57	हाई स्कूल द्वितीय, इंटर द्वितीय, बी0 काम द्वितीय।	,,
9	48/77 अमर सिंह पुत्र भवनेशवर सिंह, 1223 सहादत अली की छावनी पो0, रिकाब-गंज, फैजाबाद।	10-1-55	हाई स्कूल द्वितीय, इंटर द्वितीय, बी0 काम0 द्वितीय।	,,
10	2756/77 जियाराम पुत्र राम बहाल, ग्राम रम्मन पुर, पो0 बनगाँव डिहवा, अकबरपुर, फैजाबाद।	2-3-55	हाई स्कूल द्वितीय, इंटर द्वितीय, बी0 काम0 द्वितीय।	,,
11	5854/77 योगेन्द्र नाथ मिश्र पुत्र कैलाशनाथ मिश्र, 760/9 अंगूरीबाग, फैजाबाद।	30-10-57	हाई स्कूल द्वितीय, इंटर द्वितीय, बी0 काम0 द्वितीय।	,,
12	5966/77 कोशलेन्द्र प्रताप श्रीवास्तव पुत्र राम नवल श्रीवास्तव, ग्राम पो0 बलया जगदीशपुर, टान्डा, फैजाबाद।	30-6-56	हाई स्कूल तृतीय, इंटर द्वितीय, बी0 काम0 तृतीय।	

1	2	3	4	5
13	7488/77 सुरेश पुत्र सुन्दर लाल द्वारा राम चन्द्र जायसवाल देशी शराब की दुकान नाका मुजफरा, फैजाबाद।	3-3-54	हाई स्कल द्वितीय, इंटर द्वितीय, बी0 काम0 द्वितीय।	पि0 वर्ग
14	7736/77 सूरजलाल पुत्र राय दुलार, मं0 नं0 5।9।42।617 टंकसाल, फैजाबाद।	2-7-55	हाई स्कूल द्वितीय, इंटर द्वितीय, बी0 काम द्वितीय।	अनुसूचित जाति
15	8046/77 लालताप्रसाद पुत्र भगवानदीन द्वारा राम मनोहर शुक्ल ग्राम उसरु पो0 वरुन, फैजाबाद।	15-12-56	हाई स्कूल द्वितीय, इंटर द्वितीय, बी0 काम0 द्वितीय।	,,
16	8645/77 शिवराज पुत्र कलू ग्राम सोनगाँव, फैजाबाद।	20-10-53	हाई स्कूल द्वितीय, इंटर द्वितीय, बी0 काम0 द्वितीय।	,,
17	8904/77 योगेन्द्र श्रीवास्तव पुत्र श्री गनपत सहाय श्रीवास्तव द्वारा राम बहादुर श्रीवास्तव 568 बेगमगंज, मकबरा, फैजाबाद।	8-5-57	हाई स्कूल द्वितीय, इंटर पूरक, बी0 काम0 द्वितीय।	,,
18	8926/77 मिश्रीलाल पुत्र नागेश्वर प्रसाद, ग्राम भंडकुल, पो0 सोनगाँव, फैजाबाद।	24-12-54	हाई स्कूल तृतीय, इंटर द्वितीय, बी0 काम द्वितीय।	,,
19	8237/77 महेश कुमार शर्मा पुत्र हनुमान प्रसाद द्वारा गनपतराम एण्ड संस, फेहन्ज, फैजाबाद।	15-5-56	हाई स्कूल तृतीय, इंटर द्वितीय, बी0 काम द्वितीय।	अनसूचित जाति
20	9379/77 कृष्ण कुंवर मिश्र पुत्र श्री माता प्रसाद, ग्राम पलिया शाहबंदी, पो0 गोपालपुर, फैजाबाद।	21-8-55	हाई स्कूल द्वितीय, इंटर द्वितीय; बी0 काम द्वितीय; अनुभवी लेखा-लिपिक।	,,
21	9420/77 दिनेश कुमार पुत्र ईश्वरी प्रसाद, ग्राम ताहिरपुर, पो0 मकबरपुर; फैजाबाद।	2-6-57	हाई स्कूल तृतीय, इंटर द्वितीय; बी0 काम द्वितीय।	,,

1	2	3	4	5
22	10302/77 श्री पतिवर्मा पुत्र राम लखन, ग्राम घटकना, पो0 सोनक-गाँव।	27-3-56	हाईस्कूल तृतीय, इंटर तृतीय, बी0 काम तृतीय।	अनुसूचित जाति
23	10408/77 अरविन्द कुमार मिश्र राम चन्द्र पाण्डे 129 नहारबाग नियावारोड, फैजाबाद।	12-11-58	हाईस्कूल तृतीय, इंटर तृतीय, बी0 काम द्वितीय।	,,
24	214/ सुरेश कुमार पुत्र श्री सीताराम चरन, 696 रिकाबगंज चौराहा, फैजाबाद।	15-5-55	हाईस्कूल तृतीय, इंटर तृतीय बी0 काम द्वितीय।	,,
25	13153/77 दयाशंकर सिंह पुत्र गुरबकई सिंह, गद्दीपुर रिकाबगंज, फैजाबाद।	8-9-54	हाईस्कूल द्वितीय, इंटर तृतीय, बी0 काम द्वितीय, एम0 काम अनुभवी एक एकाउन्ट क्लर्क।	,,

नत्थी छ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 23 का उत्तर पीछे पृष्ठ 492 पर)

विवरण

डकैती

घटनाओं की संख्या	घटनाओं का स्थान	तिथि	अभियुक्तों का नाम	अभियुक्त जो नहीं पकड़े गये	कालम 5 में उल्लिखित अभियुक्तों के विरुद्ध की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6
1	ग्राम परसौनी थाना रामकोला।	28-2-78	1—इद्रीश 2—सईद 3—मुन्नर 4—बनारसी 5—सुरेश 6—इमामुद्दीन	एक	फरार अयिुक्त के विरुद्ध धारा 82/83 जा0 फौ0 की कार्यवाही की गई

विवरण 'हत्या की सूची'

घटनाओं की संख्या	घटना का स्थान	तिथि	अभियुक्तों के नाम जो नामांकित किए गए तथा प्रकाश में आये	अभियुक्त जो नहीं पकड़े गये या आत्म समपण नहीं किया	कालम 5 में उल्लिखित व्यक्तियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही
1	2	3	4	5	6
1	ग्राम अरनहवा, थाना नेबुआ नौरंगिया, जनपद देवरिया।	13/14-2-78	1—सीरी 2—रामजीत 3—रामवृक्ष 4—हरी 5—भुलई 6—झगरू 7—परमा 8—कपल अहिर 9—सुखदेव नोनिय 10—नगीना 11—चन्डी	तीन	82/83 की कार्यवाही की गई।

1	2	3	4	5	6
2	मडारबिन्दु बलियाँ थाना नेबुआ नौरंगिया।	2-4-78	1—बलवन्तराव 2—राम जी राव 3—लाल साहब 4—महेन्द्र प्रताप राव 5—मानवेन्द्र प्रताप राव 6—दया बनिया 7—फारूक मियाँ 8—राम आसरे	..	..
3	ग्राम बेलवाघाट थाना नेबुआ नौरंगिया।	3-6-78	1—गंगा भगत 2—कमला	..	..
4	ग्राम भठियाखुर्द थाना नेबुआ नौरंगिया।	7/8-7-78	अज्ञात	..	..
5	ग्राम सिरसिया थाना नेबुआ नौरंगिया।	7/8-7-78	1—रामदरस 2—मदन कोइरी 3—होसिला गोसाई 4—जनकधारी 5—सुभाष 6—छेदी 7—शिवपूजन	एक	चार के विरुद्ध चार्जशीट लगायी गयी तथा एक के विरुद्ध धारा 82/83 जा० फौ० की कार्यवाही की गई।
6	ग्राम कुर्मीपट्टी थाना नुबुआ नौरंगिया देवरिया।	3/4-9-78	..	..	अभी जाँच चल रही है।
7	ग्राम बेलवा बाबूराम थाना नेबुआ नौरंगिया, देवरिया।	19-10-78	1—बालगोविन्द 2—विक्रम 3—राम प्यारे 4—अक्कल	..	अभी जांच चल रही है।
8	नेबुआ रायगंज थाना नेबुआ नौरंगिया, देवरिया।	9-11-78	1—अलगू 2—रामहरख 3—छटठू 4—रामधारी 5—विश्वनाथ 6—विजय नारायन मल।	एक	इनके विरुद्ध धारा 82/83 जा० फौ० की कार्यवाही की गई।

नत्थी 'अ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 24 का उत्तर पीछे पृष्ठ 492 पर)

दिनांक 1-1-78 से 26-10-78 तक की डकैती व हत्या संबंधित सूचना

जनपद देवरिया

क्र0 सं0	नाम थाना	डकैती की संख्या	हत्या की संख्या
1	2	3	4
1	कोतवाली	2	6
2	खुखुन्दू	..	1
3	तरकुलवा	2	1
4	रामपुर का0	1	..
5	भटनी	1	1
6	सलेमपुर	1	2
7	लार	1	3
8	खमपार	..	1
9	बनकटा	1	2
10	रुद्रपुर	7	3
11	गौरीबाजार	2	5
12	बरहज	1	3
13	हाटा	1	6
14	कसया	..	4
15	पटहेरवा	2	..
16	तुर्कपट्टी	3	..
17	तरयासुजान	5	1
18	बिशुनपुरा	1	3
19	पडरौना	..	3
20	रामकोला	..	8
21	कप्तानगंज	1	7
22	ने0नौ0	1	7
23	खड्डा	1	2
	योग	34	67

परिशिष्ट 'ख'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 41 का उत्तर पीछे पृष्ठ 497 पर)

अनुलग्नक 'क'

(1) 15 प्रतिशत केन्द्रीय पूंजी उपादान (केवल चुने हुए 7 पिछड़े जनपद जिसमें फैजाबाद भी सम्मिलित है)।

(2) कतिपय लघु उद्योगों को 20 अश्व शक्ति तक विद्युत उपादान।

(3) वित्तीय संस्थाओं द्वारा उद्यमियों को दिये गये स्थायी पूंजी ऋण पर देय ब्याज की प्रति पूर्ति हेतु 4 प्रतिशत अधिकतम का ब्याज उपादान।

(4) प्रावैधिक सलाह के लिये 50 प्रतिशत तक परामर्श उपादान।

(5) एम्प्लायमेंट प्रमोशन प्रोग्राम के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार में लगाने के लिये 8.1/2 प्रतिशत प्रभावी ब्याज दर पर मार्जिन मनी ऋण।

(6) पिछड़े क्षेत्र की नई इकाइयों के लिये कच्चेमाल की खरीद पर चुने हुए उद्योगों के लिए 5 वर्ष तक बिक्रीकर में छट।

(7) नई स्थापित होने वाली इकाइयों के लिये निर्माण सामग्री तथा पूंजी सज्जा पर 5 वर्ष के लिये चुंगी टोल तथा टरमिनल टैक्स से छूट।

(8) 50,000 से कम आबादी वाले क्षेत्रों में भारत सरकार की योजनान्तर्गत 5.1/2 प्रतिशत प्रभावी दर पर मार्जिन मनी ऋण।

(9) विकास केन्द्र पर देय सुविधाएं।

नत्थी 'ञ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 43 का उत्तर पीछे पृष्ठ 498 पर)

कानपुर के थाना घाटमपुर के अन्तर्गत अगस्त, 1978 से 4 दिसम्बर, 1978 तक डकैती राहजनी, कत्ल, चोरी व रोड-रोल्ड-अप की घटनाओं का विवरण।

अपराध		जिनकी रिपोर्ट की गई	जिनमें जाँच की गई	जिनमें जाँच नहीं की गई	जो न्यायालय में विचाराधीन हैं	जिनमें अंतिम रिपोर्ट लगी	जिनमें जाँच अभी जारी है
1		2	3	4	5	6	7
डकैती	..	19	19	..	6	7	6
राहजनी	..	21	21	3	13	17	1
हत्या	..	6	6	..	3	..	3
चोरी	..	83	80	3	6	71	3
रोड-होल्ड-अप	..	..	..	..	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ठ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 56 का उत्तर पीछे पृष्ठ 501 पर)

शाहजहांपुर जनपद में मुख्यालय निधि, आयुक्त निधि, हस्तकला योजना एवं सहकारिता ऋण योजना के अन्तर्गत उद्योग हेतु वितरित ऋणों में से बकाया ऋण की स्थिति

(जिन मामलों में ऋण का दुरुपयोग हुआ अथवा उद्योग नहीं लगाया गया)

क्रम संख्या	योजना का नाम	ऋणी का नाम व पता	वितरित ऋण राशि मूलधन	वसूली की गई मूलधन	धनराशि ब्याज	वसूली हेतु शेष धनराशि मूलधन	वसूली हेतु शेष धनराशि ब्याज	ऋण का दुरुपयोग किया या उद्योग नहीं लगाया उनके विरुद्ध की कई कार्यवाही का विवरण
1	2	3	3	5	6	7	8	9
1	मुख्यालय निधि	श्री कुंज बिहारी लाल गुप्ता, बहादुरगंज शाहजहांपुर।	10,000	3,900	200	6,100	10,800	धन का दुरुपयोग किया गया मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण ऋण वसूली स्थगित है।
2	ठ	श्री हरिकिशन गुप्ता, मो0 कच्च कटरा, शाहजहांपुर।	7,500	..	450	7,500	10,750	उद्योग नहीं लगाया। वसूली प्रमाण पत्र जारी है। परन्तु ऋण माफी हेतु मामला शासन के विचाराधीन है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

3	〃	श्री बी० एस० तलवानी; पुवायाँ; शाहजहाँपुर।	5,000	3,000	600	2,000	2,925	ऋण का दुरुपयोग किया गया, वसूली प्रमाण पत्र जारी है। ऋणी जनपद छोड़ गया है, जामिनदार से वसूली प्रयास किये जा रहे हैं।
4	〃	आर० पी० वर्मा, पुवाया, शाहजहाँपुर।	15,000	13,337	1,963	1,963	6,215	ऋण का दुरुपयोग किया गया है। वसूली प्रमाण-पत्र प्रेषित है।
5	〃	श्री ओंकार सहाय, मोहम्मदजई, शाहजहाँपुर।	7,000	..	..	7,000	10,035	उद्योग नहीं लगाया। वसूली प्रमाण-पत्र जारी है। ऋणी लापता है। जामिन-दार से वसूली प्रयास किये जा रहे हैं।
6	〃	श्री अम्मूनाथ त्रिवेदी, कसिया टोला, शाहजहाँपुर।	10,000	..	..	10,000	10,200	उद्योग नहीं लगाया। वसूली प्रमाण-पत्र जारी है। दो माह के लिये शासन से वसूली स्थगित है।
7	〃	श्री प्रेमनाथ कपूर, मो० चौकसी, शाहजहाँ-पुर।	7,000	1,168	235	5,832	9,008	उद्योग नहीं लगाया, वसूली प्रमाण-पत्र जारी है।
8	आयुक्त विवि	श्री मिथिलेश कुमार, तिलहर, शाहजहाँपुर।	2,500	..	..	2,500	3,340	धन का दुरुपयोग किया गया। वसूली प्रमाण पत्र जारी है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	आयुक्त विधि	श्री चेतराम पुत्र चुन्नी लाल, जलालनगर, शाहजहाँपुर।	3,000	..	..	3,000	2,025	उद्योग नहीं लगाया। मामला सी0 आई0 डी0 जाँच के अधीन है।
10	"	श्री ब्रह्मदेव सिंह, सदर बाजार, शाहजहाँपुर।	5,500	5,200	1,444	300	242	उद्योग नहीं लगाया है। वसूली प्रमाण पत्र प्रेषित है।
11	"	श्री सहादत उल्ला खां, हयातपुरा, शाहजहाँपुर।	2,500	..	..	2,500	1,990	ऋणी लापता है। वसूली की सम्भावना नहीं है।
12	"	श्री रियासत अली, ग्राम बन्दरा, शाहजहाँपुर।	500	..	..	500	394	धन का दुरुपयोग हुआ है। वसूली प्रमाण पत्र प्रेषित है।
13	"	श्री विजय बहादुर सिंह, मीरानपुर, कटरा, शाहजहाँपुर।	6,000	6,000	2,855	..	591	उद्योग नहीं लगाया गया। वसूली प्रमाण पत्र प्रेषित है।
14	"	श्री फकीरेलाल, मो0 वाजिद खेल, शाहजहाँपुर।	1,000	667	160	333	275	उद्योग नहीं लगाया गया। वसूली प्रमाण पत्र प्रेषित है।
15	"	श्री नानक चन्द, दातागंज, तिलहर, शाहजहाँपुर।	1,000	600	280	400	334	धन का दुरुपयोग किया गया। वसूली प्रमाण पत्र जारी है।
16	"	श्री रणवीर, ग्राम भावल खेड़ा, शाहजहाँपुर।	500	84	30	416	420	धन का दुरुपयोग किया गया। वसूली प्रमाण पत्र जारी है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

17	,,	श्री श्रीकृष्ण मुरारी; ग्राम देवकलली; शाहजहाँपुर ।	2;000	1;940	292	60	351	धन का दुरुपयोग किया गया । वसूली प्रमाण-पत्र जारी है ।
18	,,	श्री रामस्वरूप, ग्राम भरनवा, शाहजहाँपुर ।	2,000	25	600	1,975	1,758	धन का दुरुपयोग किया गया । वसूली प्रमाण-पत्र जारी है परन्तु वसूली सम्भव नहीं है । ऋण माफी के लिए शासन को भेज दिया गया है ।
19	,,	श्री करामत उल्ला खाँ जलालनगर, शाह-जहाँपुर ।	5,000	..	1,650	5,000	4,667	उद्योग नहीं लगाया गया । वसूली प्रमाण-पत्र प्रेषित है ।
20	,,	(अ) सर्वश्री गृह उद्योग कालीन बुनकर सह-कारी समिति लि0 हयातपुरा, शाहजहाँ-पुर ।	5,000	..	..	5,000	3,795	समिति बन्द है धन का दुरुपयोग हुआ है । वसूली की कोई सम्भावना नहीं है ।
	हस्तकला योजना (द्वितीय ऋण)	(ब) सर्वश्री उद्योग गृह कालीन बुनकर सह-कारी समिति लि0, हयातपुरा, शाह-जहाँपुर ।	4,600	..	..	4,600	5,750	समिति बन्द है । धन का दुरुपयोग हुआ है । सभापति ला-पता है । वसूली की कोई कोई सम्भावना नहीं है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	पस्तकला चालन	श्री वीरेन्द्र कुमार खन्ना, मो0 बक्सरियान, शाहजहाँपुर ।	3,500	1,340	998	2,160	1,542	धन का दुरुपयोग किया गया । वसूली प्रमाण-पत्र जारी है । ऋणी की मृत्यु हो चुकी है ।
22	सहकारिता योजना (अ)	मै0 कार्ड बोर्ड औद्योगिक उत्पादन सहकारी समिति लि0, जलालाबाद, शाहजहाँपुर ।	7,575	3,787	788	3,788	2,084	उद्योग नहीं लगाया । धन जमा करने के लिए अन्तिम नोटिस दिया गया है ।
	(ब)	द्वितीय ऋण उपरोक्त	25,000	..	..	25,000	7,438	उपरोक्त
23	सहकारिता योजना	मै0 हरिजन चिक कुटीर उत्पादक सहकारी समिति लि0 मोहम्मदजई, शाहजहाँपुर ।	5,100	..	433	5,100	790	धन का सदुपयोग सूचित किया गया बकाया धन जमा करने की नोटिस दी गयी ।
24	,,	मै0 सिरकी पाल खस, औद्योगिक सहकारी समिति लि0, खलीलगवी, शाहजहाँपुर ।	4,500	985	922	3,515	623	उपरोक्त
		योग ..	1,48,275	41,733	13,850	1,06,542	98,442	

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 63 का उत्तर पीछे पृष्ठ 503 पर)

तालिका

नक्शा उन मुकदमों का जिनकी जमानत एवं सुनवाई द्वारा श्री लाल शशि भूषण नाथ सिंह के बंगले पर दिनाँक 22-12-77 से 1-1-78 तक की गयी है:—

क्रम-सं0	अ0 सं0	धारा	बनाम	थाना	जिला	जमानत तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	381	3/7 ई0सी0 ऐक्ट	राम लोचन	कोतवाली	बस्ती	24-12-77
2	837	112 एम0 बी0 ऐक्ट	गोला प्रसाद	,,	,,	28-12-77
3	115	379/506	बास देव	उसका	,,	26-12-77
4	332	3/7 ई0सी0	बैजनाथ	कोतवाली	,,	24-12-77
5	279	,,	रईस	डुमरियागंज	,,	1-1-78
6	,,	,,	परमात्मा	,,	,,	,,
7	147	379	मेहदी	इटवा	,,	31-12-77
8	73	323/324	खरभंग	त्रिलोकपुर	,,	26-12-27
9	274	452/323	भगौती	डुमरियागंज	,,	,,
10	,,	,,	शुसील	,,	,,	,,
11	,,	,,	सुमिरन	,,	,,	,,
12	293	429	राम वरन	मेंहदावल	,,	31-12-77
13	290	147/336/427	कटई	,,	,,	25-12-77
14	148	60 आ0 ऐक्ट	नरबदा	घनघटा	,,	28-12-77

1	2	3	4	5	6	7
15	144/ए0	308	राम आसरे ..		बस्ती	31-12-77
16	151	3/7 इ0सा0	झिन्ना ..	दुधारा ..	,,	24-12-77
17	321	452/323	सरजू ..	छावनी ..	,,	25-12-77
18	,,	,, ...	गोपाल	,,	,,	,,
19	318	,, ...	राम सुरेमन ..	,,	,,	,,
20	391	25 ए0 ऐक्ट	रघपति ..	खलीलाबाद ..	,,	24-12-77
21	820/77	409	अदालत प्र0 ..	कोतवाली ..	,,	26-12-77
22	147	60 एक्साइज ऐक्ट	राम जीत ..	घनघटा ..	,,	24-12-77
23	X	60 आ0 ऐक्ट	राम कृपाल ..	ढवरुआ ..	,,	30-12-77
24	147	395/397	मु0 मुसिलिम ..	इटवा ..	,,	29-12-77
25	,,	,, ...	फेजुल्लाह ..	,,		31-12-77
26	,,	,, ...	हारजर मुरम्मद ..	,,	,,	29-12-77
27	,,	,, ...	अब्दुल खर ..	,,	,,	,,
28	,,	,, ...	चिरकुट ..	,,	,,	,,
29	,,	,, ...	अब्दुल हसन ..	,,	,,	,,
30	,,	,, ...	समतुल्लाह ..	,,	,,	,,
31	,,	,, ...	हकीकुल ..	,,	,,	,,
32	,,	,, ...	साहब जाद ..	,,	,,	,,
33	,,	,, ...	इकबाल उर्फ छेदी ..	,,	,,	,,
34	,,	,, ...	जैनुल आब्दीम ..	,,	,,	30-12-77
35	,,	,, ..	नसीर मुहम्मद ..	,,	,,	,,
36	,,	,, ...	मजीद ..	,,	,,	,,
37	,,	,, ...	वहाब ..	,,	,,	,,

38	,,	395/397	..	..	मुरतजा	..	इटवा	..	बस्ती	29-12-77
39	147	395/397	..	..	मकबूल	..	,,		,,	,,
40	,,	,,	..	..	जाफर अली	..	,,		,,	,,
41	,,	,,	..	..	पीलू उर्फ वली मुहम्मद		,,		,,	30-12-77
42	,,	,,	..	..	मसउद	..	,,		,,	29-12-77
43	,,	,,	..	..	अब्दुल रज्जाक	..	,,		,,	,,
44	190/77	147/148/149	..	..	करम हुसैन	..	दुबारा	..	,,	27-12-77
45	,,	336/307/435 व 25 ए0 ऐक्ट		..	दुवली	..	,,		,,	,,
46	,,	,,	..	..	मुमताज	..	,,	..	,,	,,
47	,,	,,	..	..	मुन्नू	..	,,		,,	,,
48	,,	,,	..	..	सफीक	..	,,		,,	,,
49	,,	,,	..	..	ऐस मुहम्मद	..	,,		,,	,,
50	,,	,,	..	..	मीर अली	..	,,		,,	,,
51	,,	,,	..	..	अली मुहम्मद	..	,,		,,	,,
52	,,	,,	..	..	जौहर	..	,,		,,	,,
53	,,	,,	..	..	बाबुल्लाह	..	,,		,,	,,
54	,,	,,	..	..	मुस्ताक	..	,,		,,	,,
55	,,	,,	..	..	दीवान अली	..	,,		,,	,,
56	,,	,,	..	..	बवाब अली	..	,,		,,	,,
57	,,	,,	..	..	हुसन अली	..	,,		,,	,,
58	,,	,,	..	..	अब्दुल हई	..	,,		,,	31-12-77
59	135	379/506	..	..	बासदेव	..	डसका	..	,,	27-12-77
60	73/77	323/324/506	..	..	इदरीस	..	त्रिलोकपुर	..	,,	26-12-77
61	,,	,,	..	..	अब्बार	..	,,		,,	,,
62	,,	,,	..	..	मोहर अली	..	,,		,,	,,
63	,,	,,	..	..	खरबन	..	,,		,,	,,

1	2	3	4	5	6	7
64	X	379	सरजू पाण्डेय	जी0आर0पी0	गोरखपुर	27-12-77
65	837	112 ए0वी0 ऐक्ट	रामजी प्रसाद	कोतवाली	बस्ती	28-12-77
66	291	393	मिलई	मेहदावल	,,	31-12-77
67	219	379	निरवल	,,	,,	30-12-77
68	,,	,,	क्षिगुरी	,,	,,	,,
69	,,	,,	बुनई	,,	,,	,,
70	,,	,,	छोटई	,,	,,	,,
71	X	60 आ0 ऐक्ट	राम अंजोर	लालगंज	,,	,,
72	X	,,	बिसुन	,,	,,	,,
73	283	3/7 ई0सी0	शिव पूजन	खलीलाबाद	,,	31-12-77
74	813/77	307/323/427	सियाराम सिंह	कोतवाली	,,	,,

नत्थी 'ङ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 65 का उत्तर पीछे पृष्ठ 504 पर)

ट्रांजिट कैम्प, रुद्रपुर (नैनीताल) में पिछले 20 वर्षों में ठहराए गये पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों को बसाने के लिए केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अनुदान तथा राजस्व विभाग से प्राप्त भूमि का ब्योरा

म0सं0	जिले का नाम	पुनर्वासन पर केन्द्रीय सरकार से अनुदान के रूप में प्राप्त धनराशि (रुपयों में)	राजस्व विभाग से प्राप्त भूमि (एकड़ों में)
1	कानपुर	1,66,396	337.50
2	बहराइच	13,466	..
3	खीरी	2,22,725	2,074.17
4	नैनीताल	4,74,223	1,301.00
5	रामपुर	45,610	56.00
6	गोंडा	97,930	232.53
7	पीलीभीत	17,79,326	28.58
8	बरेली	अनुदान के रूप में व्यय की गयी धनराशि की सूचना उपलब्ध नहीं हो रही है ।	210.00
9	बिजनौर	3,145	70.00
		28,02,821	4,309.78
	विस्थापति परिवारों को पुनर्वासन स्थल पर भेजने पर व्यय	2,66,602	..
		30,69,423	

पी0एस0यू0पी0—एल0 26 वि0सभा (46)—1979—835 ।